Total - (206)

प्रतिवेदन

प्रतिभूतियों तथा बैंक संव्यवहार में अनियमितताओं की जांच करने संबंधी संयुक्त समिति

(दसवीं लोक सभा)

(भाग दो)

सत्यमेव जयते

लोक सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

दिसम्बर, 1993/अग्रहायण, 1915 (शक)

H12 5

भी

ह

र

प्रतिवेदन

प्रतिभूतियों तथा बैंक व्यवहार में
अनियमितताओं की जांच करने संबंधी
संयुक्त समिति

(दसवीं लोक सभा)

(भाग दो - परिशिष्ट)

21.12.1993 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया ।
21.12.1993 को राज्य सभा के पटल पर रखा गया ।

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

दिसम्बर, 1993/अग्रहायण, 1915(शक)

प्रतिभूतियों तथा बैंक संव्यवहार में अनियमितताओं की जांच करने संबंधी संयुक्त समिति का प्रारम्भ प्रतिवेदन ।

-परिशिष्ट-

-विषय-

क्रम संख्या		पृष्ठ संख्या
एक.	मुम्बई स्टॉक एक्सचेंज (बी.एस.ई.) का । अप्रैल, 1991 से अगस्त, 1992 तक के संवेदनशील सूचकांक का ग्राफीय प्रदर्शन (पैरा 1.2)	1
दो.	वित्त मंत्री की प्रमुख स्टॉक एक्सचेंजों के अध्यक्षों के साथ 28 मार्च, 1992 को हुई बैठक का रिकार्ड नोट । (पैरा 1.4 और 16.14)	2-4
तीन.	भारतीय प्रतिभूतियों तथा विनिमय बोर्ड अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने से शेयर दलालों द्वारा की गयी हड़ताल से उत्पन्न स्थिति, जिसके परिणामस्वरूप स्टॉक एक्सचेंज बंद हो गये, और उस बारे में सरकार द्वारा उठाये गये कदमों के बारे में 30 अप्रैल, 1992 को वित्त मंत्री द्वारा दिया गया वक्तव्य । (पैरा 1.7)	5-8
चार.	वित्त मंत्री द्वारा स्टॉक बाजार में हाल के घटनाक्रम के संबंध में 4 मई, 1992 को राज्य सभा में दिया गया वक्तव्य (पैरा 1.9)	9-12
पांच.	संयुक्त समिति नियुक्त करने के बारे में लोक सभा द्वारा 6 अगस्त, 1992 को पारित प्रस्ताव । (पैरा 1.13)	13-14
छः	संयुक्त समिति को नियुक्त करने के लिए राज्य सभा द्वारा 7 अगस्त, 1992 को यथास्वीकृत प्रस्ताव (पैरा 1.13)	15-16
सात.	संयुक्त समिति के अध्ययन दलों की रचना । (पैरा 1.15)	17-18
आठ.	"वापसी खरीद" की व्यवस्थाएं आदि से संबंधित बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 15.4.1987 और 1.12.1987 के परिपत्र । (पैरा 4.3)	19-22

(i)

क्रम संख्या	विषय	पृष्ठ
ग्यारह॰	संरक्षक द्वारा 2 दिसम्बर, 1993 को यथासूचित अधि- सूचित व्यक्तियों की परिसम्पत्तियां दर्शाने वाला विवरण। (पैरा 4.21)	27-31
बारह॰	संरक्षक कार्यालय (कस्टोडियन आफिस) में प्राप्त अधि- सूचित व्यक्तियों के विरुद्ध दावों और जानकीरमन समिति की रिपोर्ट में उल्लिखित रहस्योद्घाटन राशियों के संबंध में तुलनात्मक विवरण और अन्तर के कारण जैसा कि संरक्षक कार्यालय द्वारा समिति को 22.10.1993 को सूचित किया गया था।	32-38
तेरह॰	प्रतिभूतियों में अन्त: बैंक वापसी-खरीद व्यवस्था संबंधी मार्गनिर्देशों के अनुपालन के संबंध में दिनांक 11.4.1988 का भारतीय रिजर्व बैंक का परिपत्र। (पैरा 4.30)	39-41
चौदह॰	प्रतिभूति संव्यवहार के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक का दिनांक 20.6.1992 का परिपत्र। (पैरा 4.31)	42-53
पन्द्रह॰	उन सरकारी उपक्रमों तथा वित्तीय संस्थाओं की सूची जिन्होंने पी.एम.एस. के अधीन सिटी बैंक के पास धनराशि रखी। (पैरा 8.25)	54-
सोलह॰	निवेश संबंधी संव्यवहारों की जांच करने के लिए बैंकों में सतर्कता व्यवस्थाएं और आंतरिक लेखापरीक्षा से संबंधित भारतीय रिजर्व बैंक का दिनांक 5 सितंबर, 1991 का परिपत्र। (पैरा 9.39)	55-60
सत्रह॰	सविभाग प्रबंधन सेवाओं से संबंधित भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 15.4.1987, 2.5.1989, 18.1.1991 और 30.7.1992 के परिपत्र। (पैरा 10.16)	61-72

क्रम संख्या	विषय	पृष्ठ
अट्ठारह•	उन लेखा परीक्षकों के नाम, जिन्होंने प्रतिभूतियों के लेन-देन करने वाले उन कतिपय सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, विदेशी बैंकों, निजी क्षेत्र के बैंकों तथा उनके अनुषंगी बैंकों और म्युचुअल फंडों की वर्ष 1991-92 में लेखा परीक्षा की, जिनपर जानकीरमण समिति के प्रतिवेदन में प्रतिकूल टिप्पणी की गई है और जिन पर भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्ष 1992-93 के दौरान बैंकों की लेखा परीक्षा के लिए विचार नहीं किया । §पैरा 1.3§	73-75
उन्नीस•	बैंकों और उनके सहायक बैंकों आदि के ऐसे चेयरमैनों और प्रबंध निदेशकों अथवा अन्य उच्च पदस्थ अधिकारियों के नामों को दर्शाने वाला विवरण, जिनके विरुद्ध घोटाले के परिदृष्य में कार्यवाही की गई अथवा जिन्हें छुट्टी पर चले जाने के लिए कहा गया ।§पैरा 11.2§	76-77
बीस•	केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा दर्ज किये गये विभिन्न मामलों में शामिल दोषी व्यक्तियों के नामों की सूची । §पैरा 11.2 और 11.3§	78-83
इक्कीस•	प्रतिभूतियों के संव्यवहार में हुई अनियमितताओं के संबंध में जिन बैंकों/संस्थाओं के अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही आरंभ की गई है, उनके नाम/पदनाम दर्शाने वाला विवरण । §पैरा 11.40§	84-94
बाइस•	1.4.1991 से 23.5.1992 के दौरान प्रतिभूतियों के संव्यवहार में दलाल-वार विश्लेषण दर्शाने वाला विवरण । §पैरा 12.6§	95-96
तेइस•	अप्रैल, 1991 से मई, 1992 के दौरान बैंकों/वित्तीय कंपनियों में 20 प्रतिशत अथवा अधिक प्रतिभूतियों का संव्यवहार करने वाले दलालों के नाम । §पैरा 12.7§	97-99

क्रम संख्या	विषय	पृष्ठ
चौबीस•	निजी क्षेत्र के बैंकों के निदेशक मंडल के निदेशकों के लिए "क्या करें" और क्या न करें" के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक का दिनांक 9 मार्च, 1992 का परिपत्र । §पैरा 12•46§	100-106
पच्चीस•	श्री राम निवास मिर्धा, संसद सदस्य का स्टाक एक्सचेंजों के कार्यकरण के संबंध में तत्कालीन वित्त मंत्री श्री प्रणव मुखर्जी को लिखा गया दिनांक 22 जुलाई, 1982 का पत्र ।§पैरा 13•26§	107-108
छब्बीस•	तत्कालीन वित्त मंत्री की ओर से स्टाक एक्सचेंजों के कार्यकरण के संबंध में श्री राम निवास मिर्धा द्वारा दिनांक 26 अगस्त, 1982 को दिया गया उत्तर । §पैरा 13•26§	109-110
सत्ताइस•	स्टाक एक्सचेंज, बम्बई शासी बोर्ड की बैठकें और सरकार द्वारा मनोनीत व्यक्तियों की उपस्थिति का ब्यौरा । §पैरा 13•34§	111-113
अट्ठाइस•	भारतीय स्टेट बैंक अथवा इसके अनुषंगी बैंकों के साथ बैंकिंग प्रबंधों के संबंध में वार्षिक कार्य विभाग का दिनांक 11 मार्च, 1964 का पत्र । §पैरा 14•1§	114-117
उन्नतीस•	राष्ट्रीयकृत बैंकों के साथ बैंकिंग प्रबंधों के संबंध में बैंकिंग विभाग दिनांक 22 मई, 1973 का पत्र । §पैरा 14•2§	118-120
तीस•	विदेशी/निजी क्षेत्र के बैंकों के साथ सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की बैंकिंग व्यवस्था के संबंध में लोक उद्यम विभाग का दिनांक 3 जनवरी, 1992 का पत्र । §पैरा 14•2§	121-
इकतीस•	अतिरिक्त निधियों का सरकारी प्रतिभूतियों, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के बंध पत्रों, सरकारी हुंडियों में निवेश करने के संबंध में वित्त मंत्रालय का । दिसंबर, 1987 और 5 फरवरी, 1988 का पत्र । §पैरा 14•3§	122-125
बत्तीस•	वर्ष 1991-92 और 1992-93 §दिसंबर, 1992 तक§ के दौरान अल्पावधि, जमा प्रमाण पत्र, सचिवालय प्रबंधन योजना §पी एम एस§ यूनिटों, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के बंधपत्रों, सरकारी प्रतिभूतियों पारस्परिक निधियों §एम•एफ•§ में पूंजी निवेश । §पैरा 14•4§	126-137
तैंतीस,	ओ•आई•डी•बी• द्वारा सचिवालय प्रबंधन योजना और इसी प्रकार की अन्य योजनाओं में 31•3•1992 से 27•5•1992 तक किए गए पूंजी निवेश की राशि को दर्शाने वाला विवरण । §पैरा 14•16§	138-

क्रम संख्या	विषय	पृष्ठ
पैंतीस•	भारतीय रेल वित्त निगम द्वारा जारी बॉंडों का ब्यौरा । [पैरा 14•289]	139
छत्तीस•	भारतीय रिजर्व बैंक का संगठनात्मक ढांचा । [पैरा 15•3]	140-141
सैंतीस•	उन बैंकों की सूची, जिन्होंने भारतीय रिजर्व बैंक के 26 जुलाई 1991 के परिपत्र का उत्तर नहीं दिया । [पैरा 15•102]	142-143
अड़तीस•	हुण्डी भुनाने में हुई अनियमितताओं का ब्यौरा । [पैरा 15•111]	144-148
उनतालीस•	तारीख-वार घटनाएं जिनके कारण हुण्डी भुनाने संबंधी परिपत्र जारी किया गया । [पैरा 15•111]	149-150
चालीस•	भारतीय रिजर्व बैंक के निदेशक मण्डल के पुनर्गठन के बारे में घटनाओं का क्रम । [पैरा 16•18]	151-153
	श्रेणी-एक : मिलान न की हुई /अंशत: मिलान की हुई राशियां	154-157
	श्रेणी दो : मिलान न की हुई राशियां	
	श्रेणी तीन : भ्रष्टाचार के विरुद्ध मामले	
	[पैरा 17•05]	
इक्तालीस•	"पैरा" के उल्लंघन को दर्शाने वाली सामग्री/साक्ष्य के बारे में श्री समित दत्ता, निदेशक, के•जा•ब्यू• द्वारा श्री एल•के•सिंघवी, निदेशक, प्रवर्तन निदेशालय को भेजा गया अर्धशासकीय पत्र [पैरा 17•15]	158-
बयालिस•	हर्षद एस• मेहता के साथ सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा किये गये संव्यवहार का सारा ब्यौरा । [पैरा 17•30]	159-160

तैंतालीस• सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के ऐसे मामलों की सूची 161-162
जिसमें हर्षद एस• मेहता ग्रुप/वी• बी• देसाई ग्रुप
सम्मिलित है और जिसमें कोई भी दलाल
सम्मिलित नहीं है अथवा सम्मिलित हैं तो उन
दलालों की पहचान अभी तक नहीं की जा सकी है।
§पैरा 17•34§

चवालीस• हर्षद एस• मेहता ग्रुप के मामले में किए गए कर-निर्धारण 163-169
का विवरण।

हर्षद एस• मेहता ग्रुप धन कर निर्धारण
§17•83§

पैंतालिस• दलाल ग्रुप की आय-कर के मामले में कर निर्धारण 170-
का ब्यौरा §17•91§

छियालिस• मैसर्स गोल्डस्टार स्टील एंड एलायज लिमिटेड, 171-199
हैदराबाद के मामले में "सेबी" का जांच प्रतिवेदन।
§18•5§

परिशिष्ट - दो

(कृपया प्रतिवेदन का पैरा 1.4 और 16.14 देखिए)

वित्त मंत्री जी प्रमुख स्टाक एक्सचेंजों के अध्यक्षों के साथ
28 मार्च, 1992 को हुई बैठक का रिकार्ड नोट

वित्त मंत्री जी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के अध्यक्ष तथा प्रमुख स्टाक एक्सचेंजों नामत: दिल्ली, कलकत्ता तथा मद्रास के अध्यक्षों के साथ 28 मार्च, 1992 को 9.00 ए.एम. को बैठक हुई। बैठक में मद्रास, अहमदाबाद तथा मुम्बई के कार्यकारी निदेशक उपस्थित थे। सचिव, वित्तीय सेवा विभाग, सचिव एवं मुख्य सलाहकार और संयुक्त सचिव (निवेश) भी बैठक में उपस्थित थे।

2. वित्त मंत्री ने स्टाक एक्सचेंजों के प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए इस तथ्य को नोट किया कि विगत वर्ष से वर्तमान सरकार ने अपना कार्यभार संभाला है तथा सरकार ने व्यापार उद्योग तथा पूंजी बाजार के लिए जो विभिन्न उदारीकरण प्रक्रिया शुरू की है तथा नीतियों की घोषणा की है तब से स्टाक एक्सचेंजों का बड़ी तेजी से विस्तार हुआ है। उन्होंने इस ओर ध्यान दिलाया कि यह अत्यावश्यक है कि पूंजी बाजार में निवेशकों का विश्वास, विशेषकर निर्धारित क्षेत्र में संसाधनों को बढ़ाने, विदेशी पूंजी को आकृष्ट करने तथा घरेलू बचत बढ़ाने हेतु कायम रखा जाए।

उन्होंने संकेत किया कि यदि हमें निवेशकों के हितों की रक्षा करनी है तो स्टाक एक्सचेंजों का बड़ी तुरंतता से कार्य करना बहुत जरूरी है। इसलिए स्टाक एक्सचेंज प्राधिकारियों को इसे गंभीरता से लेना चाहिए। भारत को अंतराष्ट्रीय संस्थानों से बड़ी मात्रा में दीर्घावधि ऋण प्राप्त करने तथा इस भागीदारी के रूप में उसकी विश्वसनीयता बढ़ाने हेतु स्टाक एक्सचेंजों को प्रभावी निरीक्षण तथा उचित ढंग से कार्य करना आवश्यक हो गया है। कार्य संचालन को सुदृढ़ बनाने हेतु तत्काल कदम उठाए जाने चाहिएं क्योंकि स्टाक एक्सचेंजों द्वारा किसी भी तरह की शिथिलता वित्तीय उदारीकरण की प्रक्रिया तथा आर्थिक सुधार अभियान में पड़ सकते हैं। इस संबंध में वित्त मंत्री महोदय ने संसद में इस मुद्दे पर व्यक्त की गई चिंता के बारे में स्टाक एक्सचेंजों के अध्यक्षों को बताया।

3. इन उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए वित्त मंत्री ने प्रमुख स्टाक एक्सचेंजों के अध्यक्षों को यह सलाह दी कि उन्हें स्टाक एक्सचेंजों की पद्धति और प्रक्रिया में विशेष कर निम्नलिखित क्षेत्रों में तत्काल आवश्यक सुधार लाने चाहिएं :

(i) निगमित सदस्यता में वृद्धि करना ;

(ii) सभी स्टाक एक्सचेंजों में सामान्य तथा अपेक्षाकृत अधिक कार्य घंटे (2 से 3 घंटे) ;

(iii) सभी स्टाक एक्सचेंजों से अपेक्षाकृत कम सामान्य तथा सामंजस्यपूर्ण ढंग से निपटान अवधि ;

(iv) स्टाक एक्सचेंजों का स्व-विनयमन तथा दलालों की बही खातों की तथा अभिलेखों के प्रभावी निरीक्षण के साथ साथ निवेशक की शिकायतों का जल्दी तथा प्रभावी ढंग से निराकरण ;

(v) मध्यस्थ निर्णय शीघ्रता से किया जाना चाहिए, भीतरी कारोबार तथा मूल्यों में उछाल और शेयर बाजार के बाहर के दलालों के सौदे करने पर प्रभावी ढंग से नियंत्रण रखा जाना चाहिए ।

4. वित्त मंत्री ने सेबी के अध्यक्ष तथा स्टाक एक्सचेंज के अध्यक्षों को यह भी स्पष्ट किया कि क्योंकि अब सेबी को स्टाक एक्सचेंजों तथा दलालों के कार्यों को नियंत्रित करने का मुख्य कार्य सौंपा गया है इसलिए वे यह आशा करते हैं कि सभी स्टाक एक्सचेंज सेबी से सहयोग करेंगे तथा ऐसे मामलों में सेबी तथा सरकार के निर्देशों तथा सुझावों का तत्परता से अनुपालन करेंगे और इसके अलावा वे चाहते हैं कि आगामी तीन महीनों में सुधार के इन विभिन्न क्षेत्रों में ठोस कार्यवाही सुनिश्चित की जाए । उन्होंने सेबी के अध्यक्ष को यह निर्देश दिया कि वह जून महीने की समाप्ति के तुरंत बाद प्रगति रिपोर्ट भेजें ।

5. बाद में हुई चर्चा के दौरान निम्नलिखित अन्य बातें उठाई गईं :

(क) भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (सेबी) के अध्यक्ष ने सेबी को कानूनी दर्जा देने के लिए वित्त मंत्री को धन्यवाद दिया । उन्होंने बताया कि उनका सभी स्टाक एक्सचेंजों से गहरा संपर्क है और उनसे अर्धवार्षिक रिपोर्टें प्राप्त होती रहती हैं । उन्होंने कहा कि वह यह सुनिश्चित करेगा कि सरकार के सभी निर्देशों को तत्परता/त्वरित लागू किया जाए और उसका तभी स्टाक एक्सचेंज सेबी के आवश्यक परामर्श और सरकार के निर्देशों के अधीन तुरंतापूर्वक कार्य करें ।;

(ख) वित्त मंत्री की सलाह पर अनुकूल प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए स्टाक एक्सचेंजों ने उन्हें अपने पूरे सहयोग का आश्वासन दिया । बंबई, दिल्ली और मद्रास के अध्यक्षों ने क्रमश: बैंक आफ बड़ौदा, साधारण

बीएसई निगम और सेंट्रल बैंक आफ इंडिया द्वारा उनका काफी स्थान घेरे जाने के कारण जगह की अपनी मौजूदा समस्याओं का जिक्र किया। इसी तरह से दिल्ली स्टाक एक्सचेंज वालों ने कहा कि खादी ग्रामोद्योग को झंडा परिसर खाली करने के लिए कहा जाना चाहिए। वित्त मंत्री ने निदेश दिया कि स्टाक एक्सचेंजों को सरकार को लिख कर देना चाहिए ताकि उचित कार्यवाही हेतु सम्बद्ध अधिकारियों के साथ इस पर बातचीत की जा सके।

(ग) जोखिम निवृत्ति करने के प्रश्न पर बंबई स्टाक एक्सचेंज ने अपनी शेयर दलाल से आकर राहत संबंधी अपने प्रस्ताव, जो कि केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के विचाराधीन थी, का उल्लेख किया। वित्त मंत्री ने निदेश दिया कि इसे शीघ्रतापूर्वक जांच की जानी चाहिए।

(घ) जहां तक अनुशासनिक समिति का गठन और स्टाक एक्सचेंजों के शासी निकाय में गैर दलालों के प्रतिनिधित्व के बारे में सेबी के सुझाव का संबंध है, स्टाक एक्सचेंज के अध्यक्ष ने यह माना कि इसे बिना तत्काल आग्रह नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि इसपर बाद में विचार किया जाना चाहिए।

(ङ) अन्य जो बातें उठाई गई उनमें राष्ट्रीय स्टाक धारक निगम, राष्ट्रीय स्टाक एक्सचेंज की स्थापना और पूंजी निर्गमों के विस्तृत मार्ग निदेशों का प्रकाशन शामिल है।

बैठक के अंत में सभापति को धन्यवाद दिया गया।

.....

परिशिष्ट - एक

(कृपया प्रतिवेदन का पैरा 1.2 देखिए)

मुम्बई स्टॉक एक्सचेंज (बी.एस.ई.) का 1 अप्रैल 1991 से अगस्त 1992 तक के संवेदनशील सूचकांक का ग्राफीय प्रदर्शन

बी.एस.ई. संवेदनशील सूचकांक

(1978-79 = 100)

(अवधि - 1 अप्रैल, 1991 से 21 अगस्त, 1992 तक)

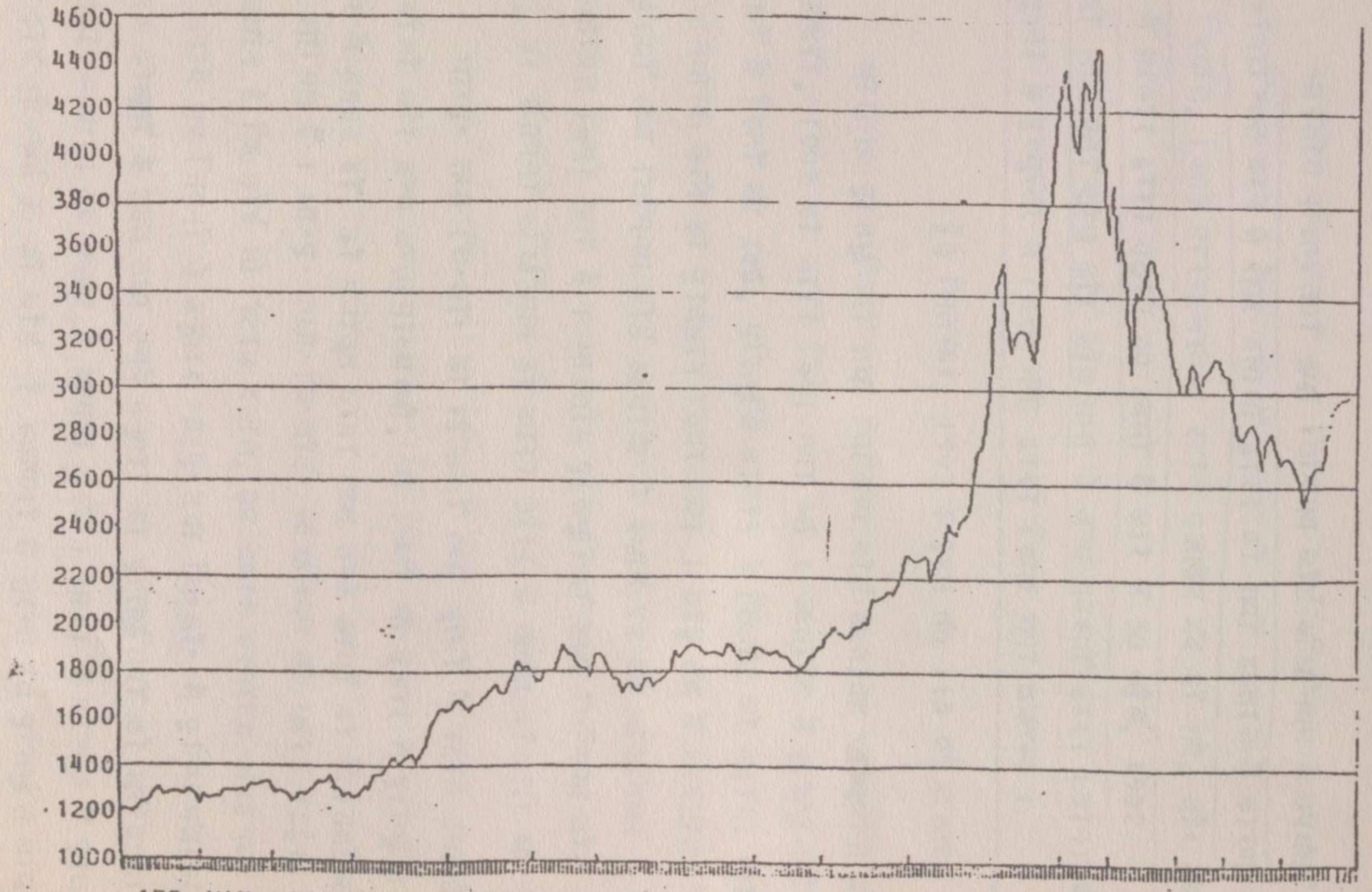

परिशिष्ट-तीन

(देखिये प्रतिवेदन का पैरा 1.7)

भारतीय प्रतिभूतियां तथा विनिमय बोर्ड अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने से शेयर दलालों द्वारा की गयी हड़ताल के कारण बनी स्थिति, जिसके परिणामस्वरूप स्टाक एक्सचेंज बंद हो गये, और उस बारे में सरकार द्वारा उठाये गए कदमों के बारे में 30 अप्रैल, 1992 को श्री जार्ज फर्नान्डीज और लोक सभा के अन्य सदस्यों द्वारा ध्यानाकर्षण की सूचना के प्रत्युत्तर में वित्त मंत्री द्वारा दिया गया वक्तव्य ।

(8 सितम्बर, 1992 के प्रश्न सं0 115 का उत्तर)

1. भारतीय प्रतिभूतियां तथा विनिमय बोर्ड अध्यादेश राष्ट्रपति द्वारा 30 जनवरी, 1992 को जारी किया गया था । अध्यादेश में प्रतिभूतियों में निवेशकों के हितों की रक्षा, प्रतिभूति बाजार के विकास को बढ़ावा तथा उसे विनियमित करने का प्रावधान किया गया । चालू सत्र में भारतीय प्रतिभूतियां तथा विनिमय बोर्ड अध्यादेश के स्थान पर एक अधिनियम प्रतिस्थापित किया गया है । भारतीय प्रतिभूतियां तथा विनिनय बोर्ड (सेबी) की स्थापना अधिनियम की धारा 3(1) के अंतर्गत की गयी थी ।

2. भा•प्र• तथा वि•वो• की शक्तियों तथा कृत्यों में स्टाक दलालों, उप-दलालों और अन्य अन्तरमाध्यस्थों, जो किसी भी प्रकार से प्रतिभूति बाजार से सहबद्ध हों, को पंजीकृत करना तथा उनके कार्यों को विनियमित करना शामिल है । भा•प्र• तथा वि•बोर्ड• अधिनियम की धारा 12(1) में प्रावधान है कि कोई भी स्टाक दलाल, उप दलाल इत्यादि अधिनियम के अंतर्गत बनाये गए नियमों के अनुसार भा•प्र•तथा वि•बो• से प्राप्त पंजीकरण प्रमाणपत्र की शर्तों के तहत तथा उनके अनुसार ही प्रतिभूतियों को खरीद या बेच या उनका व्यवसाय कर सकता है अन्यथा नहीं । धारा के परन्तुक में प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति जो बोर्ड की स्थापना से तुरन्त पूर्व प्रतिभूति बाजार से सहबद्ध था, चाहे स्टाक दलाल के रूप में, उप दलाल के रूप में अथवा अन्तर माध्यस्थ के रूप में, जिसके लिए ऐसी संस्थापना से पूर्व कोई पंजीकरण प्रमाणपत्र

अनिवार्य नहीं था । वह ऐसी संस्थापना से तीन माह की अवधि तक वैसे ही कार्य कर सकता है अथवा यदि उसने तीन माह की उक्त अवधि के अंदर ऐसे पंजीकरण के लिए आवेदन किया है तो जब तक उस आवेदन का निपटान नहीं हो जाता, वैसे ही कार्य जारी रख सकता है । "सेबी" बोर्ड का गठन 21 फरवरी 1992 को हुआ था । तीन माह की अवधि 21 मई, 1992 को समाप्त हो गयी थी । धारा 12(2)(ङ) में प्रावधान है कि पंजीकरण के लिए प्रत्येक आवेदन विनियमों में निर्धारित ढंग से किया जाना चाहिए तथा उसके लिए विनियमों में निर्धारित शुल्क का भुगतान करने पर किया जाना चाहिए । धारा 12(3) में प्रावधान है कि बोर्ड आदेश द्वारा विनियमों में निर्धारित ढंग से पंजीकरण के प्रमाणपत्र को निलम्बित अथवा रद्द कर सकता है । तथापि, इस उपधारा के अंतर्गत कोई भी आदेश तब तक नहीं दिया जा सकता जब तक कि संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का उपयुक्त अवसर नहीं दे दिया जाता । धारा 20(1) में प्रावधान है कि किसी आदेश, जो अधिनियम के अंतर्गत अथवा अधिनियम के अंतर्गत बनाये गए नियमों अथवा विनियमों के अंतर्गत दिया गया हो, के कारण दुःखी कोई व्यक्ति निर्धारित अवधि के भीतर केन्द्रीय सरकार के पास अपील दायर कर सकता है । "सेबी" ने 10 अप्रैल, 1992 को स्टाक एक्सचेंजों को एक पत्र भेजा जिसमें उन्हें पंजीकरण के लिए आवेदन फार्म, जोकि पत्र के साथ संलग्न था की एक प्रति अपने सदस्यों को देने और शुल्क के लिए चेक/डिमांड ड्राफ्ट सहित आवेदन फार्म अग्रेषित करने का परामर्श दिया ताकि यह 20 मई तक "सेबी" को मिल जाये जिससे वह अधिनियम के अंतर्गत आवेदनों पर कार्यवाही कर सके । संयुक्त राज्य अमरीका, जापान आस्ट्रेलिया, कोरिया, ताइवान और सिंगापुर में दलालों के पंजीकरण के ऐसे ही प्रावधान हैं ।

4. कलकत्ता स्टाक एक्सचेंज के सदस्यों ने मानने पर सरकार अथवा "सेबी" को सूचित अथवा उनके साथ चर्चा किए बिना 15 अप्रैल, 1992 को व्यापार करना बंद कर दिया और अन्य एक्सचेंजों के सदस्यों ने 16 अप्रैल, 1992 से बंद कर दिया । इसके बाद दलालों ने आवेदन के साथ दिए जाने वाले शुल्क को लागू करने के बारे में अपनी चिंता व्यक्त की । दलालों की चिंता को ध्यान में रखते हुए "सेबी" ने एक बार के पंजीकरण शुल्क को घटा कर 5 वर्ष की अवधि के लिए वार्षिक तौर पर भुगतान किए जाने वाले कारोबार के एक प्रतिशत का 1/100वां भाग कर दिया । शुल्क दलालों के प्रति 1 करोड़ रु० के कारोबार

पर 1000 रु० बनता है । रविवार 19/4/1992 को "सेबी" ने शुल्क की इस कटौती पर एक प्रेस स्टेटमैंट जारी किया । "सेबी" ने शुल्क के लिए एक लचीला रूख अपनाया और साथ ही यह सुनिश्चित किया कि यह विधि द्वारा सौंपे गए कर्तव्यों का अनुपालन करे । दलालों द्वारा पंजीकरण शुल्क का भुगतान अधिनियम के अंतर्गत बनाये गए नियमों और विनियमों के अंतर्गत बोर्ड द्वारा पंजीकरण प्रमाण पत्र देने पर करना होगा और उसे आवेदन के साथ जमा करने की आवश्यकता नहीं है ?

5. 15 स्टाक एक्सचेंजों के अध्यक्ष और प्रतिनिधि 20.4.1992 को बम्बई में पंजीकरण के बारे में "सेबी" से मिले पत्र पर विचार करने के लिए परस्पर मिले । बाद में उन्होंने वित्त मंत्री तथा "सेबी" के चेयरमैन दोनों को एक अभ्यावेदन दिया । अभ्यावेदन में मुख्य बात यह है कि स्टाक एक्सचेंज के सदस्यों का "सेबी" के पास पंजीकरण की कोई आवश्यकता नहीं है । देश के अधिकांश स्टाक एक्सचेंजों के सदस्यों ने "सेबी" द्वारा जारी पत्र की खिलाफत में 16 से 24 अप्रैल, 1992 तक व्यापार नहीं किया । अधिकांश एक्सचेंजों में व्यापार 27 अप्रैल, 1992 से दुबारा चालू हुआ और सभी स्टाक एक्सचेंज 28 अप्रैल से पुन: कार्य करने लगे ।

6. "सेबी" अधिनियम की धारा 23 में प्रावधान है कि यदि केन्द्र सरकार का विचार हो कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक अथवा न्यायोचित है, तो यह धारा 12(1) के प्रावधानों के लागू होने से प्रतिभूतियां खरीदने वाले या बेचने वाले या उनका अन्यथा व्यवसाय करने वाले किसी व्यक्ति या वर्ग को छूट दे दे ।

7. स्टाक एक्सचेंजों को अपने सदस्यों के पंजीकरण के बारे में "सेबी" द्वारा जारी दिनांक 10.4.92 के पत्र की वैधता तथा अन्य बातों को चुनौती देते हुए कलकत्ता उच्च न्यायालय के समक्ष एक समादेश याचिका लगाई गई है । याचिका को उच्च न्यायालय ने स्वीकार कर लिया है और तदनुसार मानले में न्यायालय के आदेशों की प्रतीक्षा है ।

8. प्रमुख तथा माध्यमिक बाजारों में दलाल महत्वपूर्ण मध्यस्थ हैं और उनसे व्यक्तियों तथा संस्थागत निवेशकों को सेवायें करने की आशा की जाती है । दलालों द्वारा पूंजीकरण की अनिवार्यता से छूट, जैसाकि उन्होंने अनुरोध किया था, पूंजी बाजार के स्वस्थ विकास को सुनिश्चित करने और यह सुनिश्चित करने कि दलाल छोटे निवेशकों को उचित सेवायें प्रदान करें, के इसके लक्ष्यों को पूरा करने में सांविधिक अधिकरण की भूमिका को काफी कम कर देगी ।

परिशिष्ट-चार

(देखिए प्रतिवेदन का पैरा 1.9)

वित्त मंत्री द्वारा स्टाक बाजार में हाल के घटनाक्रम के संबंध में 4 मई, 1992 को राज्य सभा में दिया गया वक्तव्य

1. स्टाक बाजार में जनवरी, 1992 से 27 अप्रैल, 1992 तक उच्च स्तरीय तेजी दिखाई दी । बंबई स्टाक एक्सचेंज का संवेदी-सूचक अंक फरवरी, 1992 के महीने से तेजी से बढ़ता रहा है, जो फरवरी के आरंभ में 2200 के स्तर से 22 अप्रैल, 1992 को हाल के 4467 के स्तर पर पहुंच गया है । सूचक अंक 2 अप्रैल, 1992 को 4388 और 3 मार्च, 1992 को 3473 और 3 फरवरी, 1992 को 2273 की तुलना में 29 अप्रैल, 1992 को 3674 पर स्थिर रहा । यह वृद्धि अनेक दिनों में 100 से 400 बिंदु प्रतिदिन के बीच रही है । स्टाक एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध कंपनियों के शेयरों के मूल्य में वृद्धि अनेक कारकों की वजह से हुई जिनमें समग्र आर्थिक वातावरण में सुधार द्वारा सृजित निवेशकों की संभावनाएं और विदेशी मुद्रा प्रारक्षित निधि के स्तर में वृद्धि होना शामिल है । स्टाक बाजार में जारी स्टाक का अपेक्षाकृत कम स्तर, बाजार में अत्याधिक निधि प्रवाह और सट्टे की गतिविधि ने भी इस वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दिया ।

2. स्टाक बाजार के मूल्य सामान्यत: 28 और 29 अप्रैल, 1992 को तेजी से गिरे और यह सूचक अंक की तीव्र गिरावट में प्रतिबिम्बित होते हैं । इसके बाद 30 अप्रैल, 1992 और 1 मई, 1992 को सुधार हुआ । संपूर्ण विश्व में स्टाक बाजारों के वातावरण में शेयरों के मूल्यों में तकनीकी सुधार सामान्य हैं । स्टाक बाजार के मूल्यों की विशेषता का पता विशेष रूप से बाजार, सामान्यत: अर्थव्यवस्था को संचालित बड़ी संख्या में कारकों की वजह से विशेषत: उतार-चढ़ाव से पता चलता है । लेकिन शेयरों के मूल्यों में अचानक बड़े उतार-चढ़ाव से निवेशक का बाजार में विश्वास प्रभावित हो सकता है । इसलिए यह आवश्यक है कि स्टाक एक्सचेंजों के कार्य-संचालन का कारगर तरीके से विनियमन किया जाए ताकि सट्टे की प्रवृत्ति को रोका जा सके । स्टाक बाजार के व्यवस्थित और स्वस्थ विकास को सुनिश्चित करने और निवेशक के संरक्षण के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड को हाल ही में स्टाक बाजार को मानीटर और विनियमित करने के लिए सांविधिक शक्तियां दी गई हैं । इसने ब्रोकरों और अन्य मध्यस्थ व्यक्तियों के पंजीकरण के लिए आवेदन आमंत्रित करने के लिए पहले ही कदम उठाए हैं ।

3. मैं 28 मार्च, 1992 को प्रमुख स्टाक एक्सचेंजों के अध्यक्षों से मिला और उनसे कार्य संचालन में सुधार करके और उनसे निम्नलिखित क्षेत्रों में विशेषरूप से तात्कालिक उपाय करके निवेशक के विश्वास को बढ़ावा देने के लिए कुशल और व्यवस्थित स्टाक बाजार बनाए रखने की आवश्यकता के लिए आग्रह किया :-

I. ब्रोकरों के लिए पूंजी पर्याप्तता मानक;

II. समान कारोबार समय;

III. लेन-देन संबंधी तुरंत भुगतान और निपटान;

IV. नियमित सदस्यता में वृद्धि करना; तथा

V. इनसाईडर ट्रेडिंग और मूल्य रिगिंग को नियमित करना ।

4. शेयरों की कीमतों में तीव्र वृद्धि के संदर्भ में और बैंक ऋण के उपयोग को सट्टा कार्य के लिए हतोत्साहित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि शेयरों, ऋण-पत्रों, बांडों के विरुद्ध व्यक्तियों के बकाया ऋण में कोई वृद्धि न हो । इसके अलावा, 22 अप्रैल, 1992 से प्रभावी शेयरों और ऋण-पत्रों/बाण्डों के विरुद्ध व्यक्तियों को दिए जाने वाले ऋण 75 प्रतिशत न्यूनतम मार्जिन के तहत होंगे ।

5. इसके अतिरिक्त, आयकर विभाग ने भी शेयर ब्रोकरों के एक समूह जिसमें 8 व्यक्ति और 8 कंपनियाँ शामिल हैं, के अनेक व्यापारिक और आवासीय परिसरों की तलाशियां ली हैं ।

6. मैं यह भी कहना चाहूंगा कि कुछ महीने पहले मैंने रिजर्व बैंक को बैंकों में धोखाधड़ी पर गौर करने के लिए एक दल स्थापित करने और बैंकों में धोखाधड़ी की गुंजाइश को खत्म करने के लिए अपेक्षित कोई अतिरिक्त निवारक और सुधारात्मक उपायों के बारे में रिपोर्ट देने के लिए कहा था । मुझे यह सूचित किया गया है कि इस दल ने लगभग अपना कार्य पूरा कर लिया है और यह अपनी रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत कर देगा ।

7. स्टाक एक्सचेंजों में शेयरों की कीमतें अनेक अल्पकालिक और दीर्घकालिक कारकों से प्रभावित होती हैं तथा इनमें घटबढ़ रहती है । शेयरों में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन होते हैं । अत: निवेशकों को सभी संबद्ध कारकों पर सावधानीपूर्वक विचार करने के पश्चात् ही स्टाक एक्सचेंजों के माध्यम से निवेश करना चाहिए । स्टाक बाजार में अनेक पारस्परिक निधियां चल रही हैं तथा छोटे निवेशक उनकी सेवाओं का लाभ उठा रहे हैं । तथापि, स्टाक बाजार में सट्टे में अत्यधिक संलग्नता

अस्थिरता का लक्षण है और वास्तविक निवेशकों, विशेषकर छोटे निवेशकों के संरक्षण के लिए इसे नियंत्रण में रखने की आवश्यकता है । भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड और स्टाक एक्सचेंजों को यह सुनिश्चित करने के लिए सतर्क रहना होगा कि एक्सचेंज तथा ब्रोकर सुव्यवस्थित और स्वच्छ ढंग से कार्य करे ।

8. भारतीय अर्थव्यवस्था और पूंजी बाजार काफी बड़े हैं और स्टाक बाजार में मूल्यों में उतार-चढ़ाव को सहन करने के लिए सक्षम हैं । अनावश्यक चिन्ता करने का कोई कारण नहीं है । सरकार स्थिति पर बारीकी से नजर रख रही है ।

9. यह सही है कि हाल के सप्ताहों में, स्टाक बाजार में सट्टे की गतिविधि का अत्यधिक दौर रहा है । अर्थव्यवस्था के समग्र आर्थिक स्वास्थ्य के बारे में प्रत्याशाओं के अलावा, बाजार में जारी स्टाक के अपेक्षाकृत कम स्तर और बाजार में अत्यधिक निधि प्रवाह से भी 26 अप्रैल, 1992 तक शेयरों के मूल्यों में वृद्धि हुई है । दुर्भाग्यवश, ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ हद तक इस प्रयोजन के लिए बैंक निधियों का भी उपयोग किया गया है । इस संदर्भ में भारतीय स्टेट बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों में कुछ निवेश कारोबार के बारे में मैं सदन को विश्वास में लेना चाहूंगा ।

10. भारतीय स्टेट बैंक, अन्य बैंकों की तरह अपने निवेश खाते में सरकारी प्रतिभूतियां रखता है । बैंकों से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिए गए मार्ग-निर्देशों के अनुसार अपने प्रतिभूति संबंधी कारोबार को करने की प्रत्याशा की जाती है । बैंकों के निवेश पोर्टफोलियो में कारोबार का समायोजन भारतीय रिजर्व बैंक के पास रहने वाले प्रतिभूति सामान्य खाते में किया जाता है ।

11. कुछ प्राप्त सूचना के आधार पर कार्य करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक करीब 27 जनवरी, 1992 से भारतीय स्टेट बैंक सहित अनेक बैंकों द्वारा किए गए सरकारी प्रतिभूतियों में क्रय-विक्रय, कारोबार की जांच कर रहा है । इस जांच में अन्य बातों के साथ-साथ इन लेनदेनों के बारे में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इस प्रकार के लेनदेन के व्यवस्थित संचालन के लिए जारी किए गए अनुदेशों का बैंकों द्वारा अनुपालन किया जाना शामिल है । चूंकि भारतीय स्टेट बैंक के मामले में कुछ खामियां देखने में आयी हैं, इसलिए कारोबार की सौदा-दर-सौदा आधार पर व्यापक संवीक्षा की गई ।

12. भारतीय स्टेट बैंक ने भी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रखे गए एस.जी.एल. रेखे की तुलना में बैंक निवेश लेखे में कुछ विसंगतियां पायीं । इससे 29.2.1992 और 31.3.1992 की स्थिति के अनुसार एस.जी.एल. विवरण प्राप्त किया और बैंक निवेश

लेखे के साथ समायोजन कार्य शुरू किया । भारतीय रिज़र्व बैंक की जांच और भारतीय स्टेट बैंक की संवीक्षा से भी निवेश लेखे और भारतीय रिजर्व बैंक के पास एस॰जी॰एल॰ लेखे के बीच भारी अंतर का पता चला । भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रारंभिक संवीक्षा से यह पता चला है कि भारतीय स्टेट बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों में ऐसा भारी निवेश जो कि उपयुक्त एस॰एल॰जी॰ फार्म, अर्थात भारतीय स्टेट बैंक के लेखाओं और भारतीय रिजर्व बैंक के पास एस॰जी॰एल॰ लेखे के बीच शेष का अन्तर, द्वारा समर्थित नहीं है वो एक प्रमुख स्टाक ब्रोकर के कारण है । स्पष्टत: यह प्रणाली की विफलता का एक गंभीर मामला है और यह इस बात का भी द्योतक है कि बैंक के कुछ अधिकारियों और चयनित ब्रोकर के बीच संभावित सांठगांठ है । ऐसे सभी मामलों में किसी भी बैंकिंग संस्था की सबसे अधिक चिन्ता की बात अपने वित्तीय हितों की सुरक्षा करना होता है । स्टेट बैंक ने अपने निवेश लेखे में विसंगतियों को देखने के बाद इस मामले में तेजी से कार्रवाई की । भारतीय स्टेट बैंक ने सूचना दी है कि इस ब्रोकर से तब से 622॰72 करोड़ रू॰ वसूल कर लिए गए हैं । इस कमी और विभिन्न ब्रोकरों द्वारा अदा की गई भूमिका के बारे में अंतिम तिथि का पता भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अब की जा रही संवीक्षा के पूरा होने के बाद ही चलेगा ।

13॰ भारतीय रिजर्व बैंक इस समय सभी प्रमुख बैंकों के प्रतिभूति लेन-देनों पर गौर कर रहा है । भारतीय रिजर्व बैंक का पिछले छ: महीनों में सरकारी प्रतिभूतियों के क्रय-विक्रय से संबंधित सभी संविदाओं की लेखापरीक्षा करने का प्रस्ताव है जिसमें इस प्रकार के क्षेत्र शामिल हैं जैसे संविदाएं संपन्न करने का तरीका, प्रतिभूतियों की डिलीवरी लेना, किया गया भुगतान, सरकारी प्रतिभूतियों के क्रय-विक्रय की वास्तविकता, विशेष रूप से उनकी जो बैंकों द्वारा ब्रोकरों के माध्यम से रखी गई हों । यह कार्य इस दृष्टि से किया जा रहा है जिससे कि प्रणालियों और कार्यविधियों को और सख्त किया जा सके और यह सुनिश्चित करने के लिए इन लेन-देनों को मानीटर और पर्यवेक्षित किया जा सके ताकि जो अनियमितताएं पाई गई हैं वह फिर न होने पाएं । हाल की घटनाएं हमारी बैंकिंग प्रणाली की कार्यसंचालन के कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों में कार्यविधियों और प्रणालियों में कमजोरियों को बताती ही हैं । मैंने भारतीय रिजर्व बैंक को इस मामले के सभी पहलुओं पर गौर करने को कहा है । रिजर्व बैंक के एक डिप्टी गवर्नर इस मामले की जांच के प्रभारी अधिकारी होंगे । मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि उन सभी व्यक्तियों के विरुद्ध उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी जिन्हें इन लेन-देनों के संबंध में कदाचार में संलग्न पाया जाएगा ।

परिशिष्ट-पाँच

(प्रतिवेदन का पैरा 1.13 देखें)

संयुक्त समिति नियुक्त करने के बारे में लोक सभा द्वारा 6 अगस्त, 1992 को पारित प्रस्ताव

कि निम्नलिखित की जांच करने के लिए दोनों सभाओं के 30 सदस्यों 20 लोक सभा से तथा 10 राज्य सभा से, की एक संयुक्त समिति नियुक्त की जाये:-

(एक) प्रतिभूतियों, शेयरों, अन्य-पत्रों तथा अन्य वित्तीय लिखतों से संबंधित संव्यवहारों में हुई ऐसी अनियमितताओं तथा कपटपूर्ण छल साधनों, जो प्रकाश में आए हों या प्रकाश में आए तथा इसके सभी पहलुओं और दुष्प्रभावों तथा तत्संबंधी संव्यवहारों में बैंकों, स्टाक एक्सचेंजों, वित्तीय संस्थाओं तथा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की भूमिका की जांच करना ।

(दो) ऐसे संव्यवहारों के संबंध में व्यक्तियों, संस्थाओं या प्राधिकारियों की जिम्मेदारी निश्चित करना ।

(तीन) उपर्युक्त संदर्भ में नियंत्रण तंत्र तथा पर्यवेक्षी तंत्र के किसी दुरूपयोग तथा उनके विफलताओं/कमियों का पता लगाना ।

(चार) भविष्य में ऐसी विफलताओं को रोकने तथा उन्हें पुन: न होने देने के लिए सुरक्षापायों और प्रणाली में सुधार हेतु सिफारिशें करना ।

(पाँच) भविष्य में अनुपालनीय नीतियों तथा विनियमों के बारे में समुचित सिफारिशें करना ।

लोक सभा से निम्नलिखित 20 सदस्य इस समिति के सदस्य होंगे:-

1. श्री मणि शंकर अय्यर
2. श्रीमती वासवा राजेश्वरी
3. श्री विजय कुमार राजू भूपतिराजू
4. श्री पा.सी.चाको
5. श्री निर्मल कान्ति चटर्जी
6. श्री कमल चौधरी
7. श्री सुरजी देवरा
8. श्री जार्ज फर्नान्डीज
9. श्री जसवन्त सिंह

10. श्री राम निवास मिर्धा
11. श्री राम नाईक
12. श्री पी.जी.नारायण
13. डा.देवी प्रसाद पाल
14. श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही
15. श्री श्रवण कुमार पटेल
16. श्री हरिन पाठक
17. श्री रवि राय
18. श्री पी.एम.सईद
19. श्री ई.पी.उन्नीकृष्णन ; और
20. श्री सुशील चन्द्र वर्मा

कि अध्यक्ष समिति के सदस्यों में एक सदस्य को इसका सभापति नियुक्त करेगा । समिति विधिवत रूप से गठित हो जाने के दिन से कार्य करना शुरू करेगी ।

कि समिति को सरकार और इसको एजेंसियों द्वारा सम्पूर्ण सहायता के सदस्यों उपलब्ध कराई जायेगी ।

कि संयुक्त समिति की बैठक के लिये गणपूर्ति संयुक्त समिति के सदस्यों की संख्या का एक तिहाई होगी ।

कि संयुक्त समिति संसद के अगले सत्र के अंत तक इस सभा को अपना प्रतिवेदन दे सकेगी ।

कि संसदीय समितियों से संबंधित सभा के प्रक्रिया संबंधी नियम लागू होंगे ।

कि समिति कतिपय मामलों में आवश्यकता पड़ने पर अध्यक्ष की सहमति से विभिन्न प्रक्रिया अपना सकेगी ।

कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा इस समिति में सम्मिलित हो और उपर्युक्त के अनुसार समिति में राज्य सभा के सदस्यों में से नियुक्त सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे ।

परिशिष्ट छ:

(कृपया प्रतिवेदन का पैरा 1.13 देखिए)

संयुक्त समिति की निम्नलिखित के लिए राज्य सभा द्वारा 7 अगस्त, 1992 को यथा स्वीकृत प्रस्ताव

" कि यह सभा लोक सभा की इस सिफारिश से सहमत है कि दोनों सभाओं के 30 सदस्य, जिसमें से 20 लोक सभा से तथा 10 राज्य सभा से हों, की एक संयुक्त समिति नियुक्त की जाये :-

(एक) प्रतिभूतियों , शेयरों, बन्ध-पत्रों तथा अन्य वित्तीय लिखतों से संबंधित संव्यवहारों में हुई ऐसी अनियमितताओं तथा कपटपूर्ण छल साधनों, जो प्रकाश में आए हों या प्रकाश में आएं, तथा इसके सभी पहलुओं और दुष्प्रभावों तथा तत्संबंधी संव्यवहारों में बैंकों, स्टाक एक्सचेंजों, वित्तीय संस्थाओं तथा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की भूमिका, की जांच करना ।

(दो) ऐसे संव्यवहारों के संबंध में व्यक्तियों, संस्थाओं या प्राधिकारियों की जिम्मेदारी नियत करना ।

(तीन) उपर्युक्त संदर्भ में नियंत्रण तन्त्र तथा पर्यवेक्षी तन्त्र के किसी दुरुपयोग तथा उनकी विफलताओं/कमियों का पता लगाना ।

(चार) भविष्य में ऐसी विफलताओं को समाप्त करने तथा उन्हें पुन: न होने देने के लिए सुरक्षापायों और प्रणाली में सुधार हेतु सिफारिशें करना ।

(पांच) भविष्य में अनुपालनीय नीतियों तथा विनियमों के बारे में समुचित सिफारिशें करना ।

जो लोक सभा द्वारा 6 अगस्त, 1992 को स्वीकृत प्रस्ताव में की गई थी और इस सभा को इसकी सूचना 6 अगस्त, 1992 को भेजी गई थी और यह

संकल्प करती है कि यह सभा उक्त समिति में शामिल होती है और इस सभा के सदस्यों में से निम्नलिखित 10 सदस्यों को उक्त समिति में नियुक्त करती है अर्थात् :-

1. श्री एस॰एस॰ अहलुवालिया
2. श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी
3. श्री जगदेश देसाई
4. श्री दीपेन घोष
5. श्री गुरुदास दास गुप्त
6. श्री हेच॰ हनुमन्तप्पा
7. श्री मुरसोली मारन
8. श्री एस॰ जयपाल रेड्डी
9. श्री यशवन्त सिन्हा
10. श्री रामनरेश यादव

परिशिष्ट-सात

(कृपया प्रतिवेदन का पैरा 1.15 देखिए)

संयुक्त समिति के अध्ययन दलों की रचना

अध्ययन दल- एक

(वित्त मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक सहित भारत सरकार)

1. श्री जसवंत सिंह - संयोजक
2. श्री पी.सी. चाको -- वैकल्पिक संयोजक
3. श्री विजय कुमार राजू भूपतिराजू
4. श्री जार्ज फर्नान्डीज
5. श्री देवी प्रसाद पाल
6. श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही
7. श्री पी.एम. सईद
8. श्री [illegible] त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी
9. श्री गुरूदास दास गुप्ता
10. श्री [illegible] एच. हनुमनप्पा

अध्ययन दल- दो

(बैंक, वित्तीय संस्थाएं और वित्तीय कम्पनियां)

1. श्री रवि राय - संयोजक
2. श्री कमल चौधरी - वैकल्पिक संयोजक
3. श्री मणि शंकर अय्यर
4. श्री निर्मल कान्ति चटर्जी
5. श्री राम नाईक
6. श्री श्रवण कुमार पटेल
7. श्री के.पी. उन्नीकृष्णन
8. श्री सुशील चन्द्र वर्मा
9. श्री मुरासोली मारान
10. श्री राम नरेश यादव

अध्ययन दल ~~[illegible]~~ तीन

सरकारी क्षेत्र के उपक्रम, स्टाक एक्सचेंज, सिक्यूरिटिज एण्ड एक्सचेंज बोर्ड आफ इण्डिया तथा दलाल

1. श्री जगेश देसाई - संयोजक
2. श्री दीपेन घोष - वैकल्पिक संयोजक
3. श्री वासवा राजेश्वरी
4. श्री मुरली देवड़ा
5. श्री पी॰जी॰ नारायणन्
6. श्री हरिन पाठक
7. श्री एस॰एस॰ अहलूवालिया
8. श्री एस॰ जयपाल रेड्डी
9. श्री यशवन्त सिन्हा

अध्ययन दल सी॰बी॰आई॰, प्रवर्तन निदेशालय, आयकर विभाग और राजस्व आसूचना निदेशालय जैसी जांच कर रही एजेंसियों की भी जांच करेगा क्योंकि ये उनके अध्ययन क्षेत्र में आते हैं।

प्रक्रिया और कार्यक्रम संबंधी कृतक दल

1. श्री राम निवास मिर्धा - सभापति
2. श्री कमल चौधरी
3. श्री जसवन्त सिंह
4. डा0 देवी प्रसाद पाल
5. श्री रवि राय
6. श्री केबगै॰ उन्नीकृष्णन
7. श्री जगेश देसाई
8. श्री दीपेन घोष
9. श्री एच॰ हनुमनतप्पा
10. श्री यशवन्त सिन्हा

"वापसी खरीद" की व्यवस्थाएं आदि से संबंधित बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 15·4·1987 और 1·12·1987 के परिपत्र ।

तार:
"बैंक बालान"
मुम्बई

भारतीय रिजर्व बैंक
केन्द्रीय कार्यालय
बैंकिंग परिचालन एवं विकास विभाग
"दि आरकेड", विश्व व्यापार केन्द्र,
कफ परेड, कोलाबा मुम्बई-400005

15.4.1987

डीबीओडी सं॰डीआईआरबीसी42/सी-347-87

15 अप्रेल, 1987

25 चैत्र, 1909 (शक)

गोपनीय

समस्त अनुसूचित वाणिज्य बैंक

प्रिय महोदय,

वाणिज्य बैंकों द्वारा सरकारी और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों के संबंध में की गयी वापसी खरीद की व्यवस्था ।

कृपया आप 31 मार्च 1987 के गवर्नर के पत्र सं॰ सीपीसीबीसी 88/279ए का पैरा-ग्राफ 10(क) देखें ।

2. यह देखा गया है कि बैंक बहुधा सरकारी और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों के संबंध में स्वयं अपने बीच और सरकारी क्षेत्र के अपेक्स बैंक और निगमित ग्राहकों से वापसी खरीद (आरई बैक) व्यवस्था कर लेते हैं । बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे बैंकों और अन्यों के साथ वापसी खरीद की अपनी व्यवस्थाओं के लिए इसमें नीचे दिये गये मार्गदर्शी सिद्धांतों का पालन करें ।

(क) बैंकों पर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा जारी की गयी निगमित प्रतिभूतियों और बांडों के संबंध में वापसी खरीद की व्यवस्था करने का प्रतिबंध

बैंकों को चाहिए कि वे सरकारी क्षेत्र के बांडों अथवा निगमित शेयरों और

डिबेंचरों की वापसी खरीद (बायबैक) के संबंध में वापसी खरीद की व्यवस्था न करें।

(ख) (क) सरकारी और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों की (कैप्टल) प्राप्तियों के साथ वापसी खरीद की व्यवस्था।

(ii) वापसी खरीद के सौदे केवल सरकारी और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों तक ही सीमित रखे जाने चाहिए और पुनर्खरीद की तारीखें संबंधित प्रतिभूतियों की बिक्री की तारीख से कम से कम 30 दिनों की अवधि के बाद निर्धारित की जानी चाहिए।

(iii) उक्त व्यवस्था के अंतर्गत खरीद/बिक्री मूल्य, संबंधित सरकारी और अन्य प्रतिभूतियों के शुद्ध लेन-देन की तारीख की प्रचलित बाजार दरों के आसपास के मूल्य के अनुसार होना चाहिए।

(iv) बैंकों द्वारा इस व्यवस्थाके अंतर्गत सरकारी और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों की बिक्रियां उस समय तक नहीं की जानी चाहिए जब तक कि वे उन्हें अपने निवेश संविभाग में या तो वास्तविक प्रतिभूतियों पक्की (स्क्रिप्स) के रूप में अथवा रिजर्व बैंक के पास बनाये रखे जाने वाले सहायक सामान्य बही (एसजीएल) लेखे व्यवहार में वास्तव में धारित नहीं की गयी हो।

(v) बिक्री होने के तुरंत बाद ही तदनुरूप प्रतिभूतियां अनिवार्यतः बैंक के निवेश लेखे में से घटायी जानी चाहिए और उसकी सांविधिक चलनिधि अनुपात की आस्तियां खरीदार/प्रति पार्टी को धारिता की संपूर्ण अवधि (न्यूनतम 30 दिन) के लिए घटायी जानी चाहिए।

(vi) बैंकों द्वारा प्रतिभूतियों पर ब्याज दिनांक 14 अगस्त, 1986 के हमारे परिपत्र सं. डीबीओडी.बीपी.बी.सी.88/सी.469 (01-बी)-86 में दर्शाये गये अनुसार कर की कटौती के बाद कूपन दरों पर अदा किया जाएगा।

(ग) सरकारी और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों के संबंध में अंतर बैंक वापसी खरीद की व्यवस्था

(i) जहां सरकारी और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों के संबंध में वापसी खरीद की अंतर बैंक व्यवस्था कोई न्यूनतम अवधि की शर्त लगाये बिना अल्पावधियों के लिए की जा सकती है वहां प्रतिभूतियों पर ब्याज की कूपन दर सहित संबंधित प्रतिभूतियों की बिक्री और पुनर्खरीद के मूल्यों का शुद्ध अंतर (लेन देन की अवधि में बीताये जाने के बाद) कुल मिलाकर अंतर बैंक बाजार में

मांग मुद्रा की अधिकतम प्रचलित दर से अधिक नहीं होना चाहिए । दूसरे शब्दों में लेनदेन निम्नलिखित की निम्न दर पर शुद्ध आय प्राप्त करने के लिए किये जाने चाहिए ।

(क) संबंधित प्रतिभूतियों पर कूपन दर पर ब्याज सहित प्रतिभूतियों की पिछली ओर पुनर्खरीद के मूल्य का अंतर (लेनदेन को अवधि में चुकाये जाने के बाद), अथवा

(ख) अंतर के बाजार में मांग मुद्रा की अधिकतम प्रचलित दर ।

(iii) उपर्युक्त आ(ii) से (v) में उल्लिखित अन्य शर्तें सौदों के साथ किये जाने वाले लेनदेनों पर समानरूप से लागू होंगी।

3. वापसी खरीद की व्यवस्थाओं से संबंधित एक रिपोर्ट बोर्ड को तिमाही आधार पर प्रस्तुत की जानी चाहिए और उसमें अन्य बातों के साथ-साथ लेनदेनों की लाभप्रदता दर्शायी जानी चाहिए ।

4. इस परिपत्र की एक प्रति निदेशक बोर्ड के समक्ष उसकी सूचना के लिए रखी जाए और उसकी सूचना हमें भी दी जाए ।

भवदीय,

प्रेम दयाल गुप्ता
उपर मुख्य अधिकारी

तार:

.....

मुम्बई

भारतीय रिजर्व बैंक
केन्द्रीय कार्यालय
बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग
"द बारबेड" विश्व व्यापार केन्द्र,
कफ परेड, कोलाबा, मुम्बई-४०००५

डीबीओडी.सं.६८/सी.३४७(पीएसबी)-८७ । दिसम्बर, १९८७
१० अग्रहायण १९०९(शक)

समस्त अनुसूचित वाणिज्य बैंक

प्रिय महोदय,

यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया (यूटीआई) के यूनिटों की पुनर्खरीद व्यवस्था
(बाइ-बैक अरेंजमेंटस इन यूनिटस)

बैंकों द्वारा हमसे यह पूछताछ की जा रही है कि वे १९८५ की योजना के अधीन यूटीआई के यूनिटों की पुनर्खरीद व्यवस्था में शामिल हो सकते हैं अथवा नहीं । हमने इस मामले की जाँच की है और यह सूचित करते हैं कि दिनांक १५ अप्रैल, १९८७ के हमारे परिपत्र डीबी ओडी सं. डीबीआरबीसी. ४२/सी.३४७-८७ में निहित अनुदेशों के अनुसार पुनर्खरीद व्यवस्था के लिए यूनिट अनुमोदित प्रतिभूतियाँ नहीं है ।

भवदीय,

के.एन.वासुदेवन
उप मुख्य अधिकारी

परिशिष्ट - नौ

(कृपया प्रतिवेदन का पैरा 4.6 देखिए)

प्रतिभूति संव्यवहार के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक का दिनांक: 26.7.1991 का परिपत्र

उप गवर्नर

भारतीय रिज़र्व बैंक
केन्द्रीय कार्यालय
बम्बई

डीओडीबीओडी सं.एफएससी.46/सी469-91/92

26 जुलाई, 1991
4 श्रावण, 1913 (शक)

गुप्त

प्रिय श्री

बैंकों का पोर्टफोलियो निवेश
- प्रतिभूति कारोबार

यह हमारे लिए गहरी चिन्ता का विषय है कि कतिपय बैंक प्रतिभूतियों के ऐसे कारोबार में लगे हुए हैं जो कि उन्हें नहीं करना चाहिए । ऐसे कारोबारों की सूची संलग्न की गई है ।

एक) अन्य बातों के साथ-साथ अपने-अपने तुलन-पत्रों को बढ़ा-चढ़ा कर दिखाने/सांविधिक परिसमापन अनुपात शर्तों के अनुपालन की दृष्टि से उन दरों, जो कि बाजार दरों के सुसंगत नहीं हैं, पर हवाला (पुन: खरीद) कारोबार;

(दो) किसी विशिष्ट प्रतिभूति में निर्धारित से अधिक की अपनी बिक्री को सीमान्तर्गत लाने की दृष्टि से दो गुना हवाला सौदे ।

(तीन) बैंक रसीदें जारी करके वस्तुत: प्रतिभूतियों रखे बगैर/अपने सहायक सामान्य बही खातों में पर्याप्त शेष राशि रखे बगैर बिक्री कारोबार।

(चार) बैंक हितों की सुरक्षा किए बिना ही अपने दलाल-ग्राहकों की ओर से बैंक रसीदें/सहायक सामान्य बही खाते फार्म जारी करना ।

2. आप इस बात से अवगत होंगे कि दीर्घावधि प्रतिभूति बाजार में विभिन्न कमियों पर काबू पाने में बैंकों की सहायता करने और इन्हें अल्पावधि घाटों/अधिशेष नकदियों का प्रभावी रूप से प्रबंधन करने में सक्षम बनाने की दृष्टि से हमने बैंकों को आपस में (लेकिन गैर-बैंकीय ग्राहकों के साथ नहीं) सरकारी प्रतिभूतियों में पुन: खरीद सौदे करने की अनुमति दे दी है । हम यह अपेक्षा करते हैं कि इस तरह के सौदे विक्रेता बैंक द्वारा केवल तभी किए जाएंगे जब उसके पास बाजार-से संबद्ध दरों पर पर्याप्त प्रतिभूतियां (या तो वास्तव में/बही में अथवा सहायक सामान्य बही खाते के रूप में) होगी और

-2-

इस तरह के सौदे उनकी लेखा पुस्तिकाओं में उचित रूप प्रदर्शित किए जाएंगे । तथापि, हमने देखा है कि कतिपय बैंक अपनी लाभप्रदत्ता को चढ़ा कर दिखाने और प्रत्यक्षत: प्रतिपक्षी बैंक के साथ सांविधिक परिसमापन अनुपात शर्तों को पूरा करने की दृष्टि से बाजार से अंब. दरों पर वस्तुत: अथवा अपने सहायक सामान्य बही खातों में पर्याप्त प्रतिभूतियां रखे बिना ही इस तरह के कारोबार करते रहे हैं । कतिपय बैंक तो प्रतिभूतियों में निर्धारित से अधिक बिक्री करते रहे लगते हैं और विशेष प्रतिभूतियों में अपनी निर्धारित से अधिक की बिक्री को सीमान्तर्गत लाने के असफल प्रयास में वे दोगुना हवाला कारोबार करते हैं और इस मामले में अन्य बैंक उन्हें अनुग्रहित करते हैं ।

3. एक और जो निराशाजनक बात देखी गई वह है बैंकों द्वारा बैंक रसीदों का अत्यधिक प्रयोग । हमारा यह सुनिश्चित करने का इरादा रहा है कि बैंक वस्तुत: बिना प्रतिभूतियां रखे बिक्री कारोबार न करे और तब तक बैंक रसीदें जारी न करें जब तक एक उचित समय के अन्दर ये प्रतिभूतियां सुपुर्द करने की स्थिति में न हों । हमारी उक्त अपेक्षा के विपरीत, बैंक मुक्त रूप से बैंक रसीदें जारी करते रहे हैं (बिना इस बात का ध्यान रखे कि क्या इन पर उचित समय के अन्दर प्रतिभूतियां दे सकने की स्थिति में होंगे) तथा एक प्रारम्भिक बकाया बैंक रसीद पर आगे बैंक रसीदें जारी करके एक के बाद एक कारोबार किए जाते हैं और विश्लेषण करें तो केवल बैंक रसीदों का ही विनिमय होता है तथा कोई प्रतिभूति नहीं दी जाती । कतिपय बैंक तो बगैर यह सत्यापित किए कि क्या संब. बैंक रसीद वाली प्रतिभूतियां उनके दलाल ग्राहक के पास हैं, अपने दलाल ग्राहकों की ओर से बैंक रसीदें जारी करते रहे हैं ।

4. यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रतिभूतियों में लेनदेन सही तथा स्वीकार्य व्यवसाय प्रथाओं के अनुसार हो, आपके बैंक के लिए एक यथोचित निवेश नीति बनाना तथा उसे क्रियान्वित करना पूर्णतया आवश्यक है । आपसे अनुरोध है कि नीति का निर्माण करते समय निम्नलिखित मार्गनिर्देशों को ध्यान में रखें :-

(एक) किसी भी परिस्थिति में, बैंक को किसी प्रतिभूति में अधिक बिक्री की स्थिति में नहीं होना चाहिए, अर्थात प्रतिभूति को उसके निवेश लेखा में वास्तव में न होने पर कोई बिक्री कारोबार नहीं किया जाना चाहिए ।

(दो) बैंक द्वारा किया गया सभी लेन देन, चाहे सीधे किया गया हो या हवाला आधार पर किया गया हो तथा चाहे ए.जी.एल. लेखा तंत्र द्वारा अथवा बैंक रसीद के माध्यम से हो, को उसके निवेश लेखा में उसी दिन दिखाया जाना चाहिए तथा जहां नहीं लागू हो तदनुसार एस.एल.आर. उद्देश्य के

लिए दर्शाया जाना चाहिए ।

(तीन) आपके बैंक तथा अन्य बैंक में लेनदेन दलालों के खातों के माध्यम से नहीं की जानी चाहिए । दलाल को उसमें दी जाने वाली दलाली, यदि कोई हो, (यदि लेनदेन किसी दलाल की सहायता से किया गया है तो) को उन टिप्पणों/ज्ञापनों में स्पष्ट रूप से दिखाया जाना चाहिए, जो सौदा करने की स्वीकृति मांगने के लिए शीर्षस्थ प्रबंधन को प्रस्तुत किये गये हैं तथा उसमें दलाल-वार दी गई दलाली की धनराशि का उल्लेख किया जाना चाहिए ।

(चार) बैंक रसीदें जारी करने के लिए, बैंकों को आई.बी.ए. द्वारा निर्धारित प्रपत्र अपनाना चाहिए और इस संबंध में अपने मार्गनिर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए । उपरोक्त के अलावा, बैंकों को केवल अपनी बिक्री कारोबार के संबंध में ही बैंक रसीदें जारी करनी चाहिए और दलालों सहित उनके प्रतिनिधियों की ओर से बैंक रसीदें जारी नहीं की जानी चाहिए ।

(पांच) बैंकों को दलालों की ओर से प्रतिभूतियों में लेनदेन करने के लिए अपने दलाल ग्राहकों के एजेंट के रूप में कार्य करते समय सतर्क होना चाहिए ।

(छह) खाते में पर्याप्त बकाया राशि के अभाव में भारतीय रिजर्व बैंक के लोक ऋण कार्यालय से एस.जी.एल. फार्म की वापसी की घटना को लेनदेन के ब्यौरे सहित तुरन्त हमारे ध्यान में लाया जाना चाहिए ।

5. हमें प्रसन्नता होगी यदि आप प्रतिभूतियों के लेनदेन के संबंध में आपके बैंक के बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति की एक प्रति हमें भेजें ।

6. कृपया पावती भेजें ।

भवदीय,

ह./-

(ए. घोष)

परिशिष्ट - दस

(कृपया प्रतिवेदन का पैरा 4.14 देखिए)

1.4.1991 से 23.5.1992 की अवधि के दौरान प्रतिभूतियों के संव्यवहार विश्लेषण का बैंक-वार दर्शाने वाला विवरण

(करोड़ रूपये में)

बैंक	कुल प्रत्यक्ष मूल्य	कुल मूल्य के औसत की प्रतिशतता
सिटी बैंक	2,12,179	16.74
स्टैण्डर्ड चार्टर्ड बैंक	1,88,054	14.63
बैंक आफ अमरीका	1,59,478	12.41
ए.एन.जेड. ग्रिण्डले बैंक	93,958	7.31
केनबैंक वित्तीय सेवायें लि0	90,282	7.02
अमरीकन एक्सप्रेस बैंक	69,191	5.38
स्टेट बैंक आफ इण्डिया	54,343	4.23
आन्ध्र बैंक	42,135	3.28
एस.बी.आई. कैपिटल मारकेट्स लि0	32,971	2.56
यूको बैंक	28,906	2.25
केनरा बैंक	27,879	2.17
बैंक आफ मदुरा लि0	25,729	2.00
अन्य	2,57,464	20.02
	12,85,549	100.00

परिशिष्ट सं॰ ग्यारह

(कृपया प्रतिवेदन का पैरा 4.21 देखिए)

संरक्षक द्वारा 2 दिसम्बर, 1993 को यथासूचित अधिसूचित व्यक्तियों की परिसम्पत्तियां दर्शाने वाला विवरण।

(लाख रु०)

अधिसूचित व्यक्ति का नाम	कम्पनियों द्वारा सूचित शेयर/डिबेंचर मध्य नवम्बर, 93 के मूल्य के अनुसार आंका गया मूल्य	बंधपत्र	प्राप्य	अचल सम्पत्तियां	अन्य सम्पत्तियां	अन्य प्रतिभूतियां	बैंकों में नकद	कुल (कालम 2 से 3 को छोड़कर 7 तक केवल)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
हर्षद मेहता ग्रुप	71686.73	5794.50	6512.71	3170.49	13007.96	32735.32	8415.90	141329.61
हितेन भो॰दलाल	1794.33	-	547.75	27.00	4162.70	20956.19	815.76	28303.73
ए॰डी॰नरोत्तम	7.77	-	2.00	5.95	2161.19	31.32	20.72	2228.95
हेमेन सी॰दलाल	176.24	-	25.11	51.80	719.46	21.00	58.38	1051.99
आई॰पी॰गांधी	43.40	-	29.15	1.79	2.92	24.76	7.61	109.63
पी॰बी॰रुईया	1.35	-	-	1.00	113.18	-	0.02	115.55
सहाराज मिल्स	763.61	-	-	7.29	222.15	-	12.02	1005.07
पी॰एल॰खेमानी	0.19	-	-	1.53	12.81	-	5.51	20.04
ए॰एन॰बौयेदेकर	-	-	-	1.51	2.73	-	0.04	4.28
आर॰सीतारमन	0.53	-	-	-	-	-	1.16	1.69
सुपर ग्रोथ कम इनवेस्टमेंट प्रिविलेज लि॰	7703.33	4600.00	6400.00	-	14413.00	-	4253.00	37369.33
आर॰गणेश	-	-	-	-	0.20	-	0.49	0.69
दीपक बी॰मेहता	-	-	-	-	-	-	0.06	0.06
कुल	82177.48	10394.50	13516.72	3268.36	34818.30	53768.58	13590.67	271534.61

टिप्पणियां

1. रखे गये शेयरों का ब्यौरा संरक्षक द्वारा मांगी गयी और कम्पनियों द्वारा दी गई जानकारी पर आधारित है । ये मिलती रहती हैं । यह सम्भव है कि पिछली पुस्तिका के बंद होने के बाद से तथा अधिसूचना से पूर्व बिना नाम के बिक्री/खरीद अंतरण होते रहे हों किन्तु अभी उनका पंजीकरण नहीं हुआ है । स्थिति केवल तभी स्पष्ट होगी जब (एक) खरीददार स्टाक एक्सचेंज द्वारा जांचे गये शेयरों को रजिस्टेशन के लिए भेजा जाये और (दो) अधिसूचित व्यक्तियों के अपजीकृत शेयरों के बारे में सूचना उपलब्ध करायी जाती है । आंकड़ों में वे शेयर/डिबेंचर भी शामिल हैं जो कि अधिसूचित व्यक्तियों का बोनस शेयर के रूप में अधिसूचित करने के बाद प्राप्त हुए । जहां तक कुछ कंपनियों के अधिकार शेयरों जिनके लिए धन, विशेष न्यायालय द्वारा खुले किए गए खातों से दिया गया था, और तदनुसार भुगतान किया गया था, का संबंध है, इन खातों को प्राप्य धनराशि में शामिल किया जाता है ; जब तक इन मांगों का और भुगतान नहीं कर दिया जाता है । संरक्षक ने अधिसूचित व्यक्तियों की उनकी परिसम्पत्तियां बताने के लिए निदेश देने हेतु न्यायालय में आवेदन भी दिया है ।

2. हर्षद मेहता ने संरक्षक को अब तक बैंकों तथा दलालों के साथ किए गए हवाला सौदों, जिनका मूल्य 1433.88 करोड़ रूपया था, जो कि उसे देय थी -अधिकांशत: तुरन्त हवाला सौदों के कारण, की एक सूची भेजी थी, इस राशि में से संरक्षकों द्वारा की गई पड़ताल से पता चलता है कि लगभग 280 करोड़ रूपये की परिसंपत्तियों को साबित किया जा सकता है जोकि उस न्यायालय के आदेशों के अध्यधीन होगा जिसके पास उन्हें भेजा जाना है और सभी पक्षकारों को नोटिस दिया जाना है । इसे संगत कालम में अनन्तिम रूप से दिया गया है ।

3. रखे गये बंधपत्रों का ब्यौरा विभिन्न सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों से प्राप्त सूचना पर आधारित है । बंधपत्रों का मूल्य अंकित मूल्य के आधार पर आंका गया है । शेयरों की भांति इन्हें बिना नाम के बेचे जाने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है । बैंकों द्वारा इन बंधपत्रों की खरीद जिनका उनके नाम पर पंजीकरण होना है, की संवीक्षा करने के लिए विशेष न्यायालय द्वारा एक समिति गठित की

बई है । आज को तिथि के अनुसार सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों ने बताया है कि उन्हें अधिसूचित व्यक्तियों द्वारा बेचे गये 23 करोड़ रुपये के बंधपत्र प्राप्त हुए हैं जिनका अंतरण अभी होना है ।

4. प्राप्य राशियों का ब्यौरा संरक्षक तथा सी•बी•आई• और आयकर विभाग द्वारा जारी सार्वजनिक सूचना के प्रत्युत्तर में प्राप्त जानकारी पर आधारित है ।

5. अचल सम्पत्ति का ब्यौरा आयकर विभाग द्वारा दी गई सूचना और हर्षद मेहता ग्रुप कैं दो भवनों को अधिग्रहीत किए जाने के बारे में न्यायालय द्वारा दी गई अनुमति पर आधारित है ।

6. अन्य सम्पत्तियों में विभिन्न बैंकों, वित्तीय संस्थानों द्वारा रखी गई सी•बी•आई/आयकर विभाग द्वारा जब्त की गई प्रतिभूतियां, जेवरात इत्यादि शामिल है, जिनको कानूनी रूप से कुर्की की गई है । इनमें से कुछ प्रतिभूतियों को कंपनियों द्वारा बतायी गयी तथा बिना नाम के बेची गई प्रतिभूतियों में शामिल किया जा सकता है । वास्तविक स्थिति न्यायालय द्वारा स्वामित्व का निर्धारण किए जाने पर ही स्पष्ट हो सकेगी । इस संबंध में विशेष न्यायालय में कई मामले दायर किए गए थे ।

7. अन्य प्रतिभूतियां वे प्रतिभूतियां हैं जो केन्द्रीय जांच ब्यूरो, आयकर विभाग कस्टोडियन बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा रखी गई लैंक हस्तांतरण फार्मों की है जिनका पूरा ब्यौरा उपलब्ध है और जिनका मूल्य मध्य नवम्बर, 1993 के मूल्यों के आधार पर आंका गया है ।

8. धनराज मिल्स की बम्बई में पर्याप्त भू संपदा है, जिसका बिक्री मूल्य कापफी अधिक होगा । संरक्षक ने विशेष न्यायालय को अचल सम्पत्तियों का मूल्यांकन करने के लिए एक अनुरोध भेजा है ।

अधिसूचित व्यक्तियों के विरुद्ध दावे

(करोड रुपये)

1.	पेयरग्रोथ फाइनेंशियल सर्विसेज लि0	
क)	न्यायालय के समक्ष यथा प्रस्तुत	
1.	टूरिज्म फाइनेंस कार्पोरेशन	5.00
2.	राष्ट्रीय आवास बैंक	10.75
3.	भारतीय औद्योगिक वित्त निगम	3.54
4.	भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक	1.38
5.	मैसर्स कृपालू इंटरप्राइजेज (45000 रू. के शेयर हार्दिया केमिकल्स के)	0.32
6.	नामटेक इलेक्ट्रानिक्स	1.80
7.	डालफीन इंटरनेशनल	2.00
8.	पुराग; बासिमी, सिथेटिक्स	16.00
9.	मूरा ब्लैक	2.00
ख)	संरक्षक को यथा सूचित:	
1.	बैंक आफ बड़ौदा	1.00
2.	बी.ओ.आई.फाइनेंस	15.00
3.	नेडुगडी बैंक	5.06
4.	तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक	2.85
5.	सिंडीकेट बैंक	0.15
6.	अन्य व्यक्तियों के दावे	10.35
7.	आंध्र बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लि.	240.00
8.	आयकर	49.04
		366.24
2	हर्षद मेहता ग्रुप	
क)	न्यायालय के समक्ष यथाप्रस्तुत:	
1.	भारतीय स्टेट बैंक	714.91
2.	एस.बी.आई.कैपिटल मार्केट	18.65
3.	केन बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लि.	2.90

4.	आयकर	290.03
ख)	संरक्षक को यथा सूचित :	
1.	केन बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज	25.00
2.	ए.एन.जेड ग्रिंडलेज बैंक	0.27
3.	स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र	312.21
4.	भारतीय स्टेट बैंक	105.10
8.		1529.07
3.	हितेन दलाल	
क)	संरक्षक को यथा सूचित	
1.	केन बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लि.	33.00
		4.30
		37.30
4.	बैंक आफ कराड (हितेन दलाल, ए.डी.नरोत्तम टी.बी.रूईया, भूमेन दलाल तथा जे.पी.गांधी सहित)	
क)	संरक्षक को यथा सूचित	
1.	केन बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लि.	374.35
2.	केन बैंक म्युचुअल बेनिफंड	103.82
3.	स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक	1239.82
		1717.99
	कुल	3650.60

परिशिष्ट - बारह

(कृपया प्रतिवेदन का पैरा 4.21 देखिए)

संरक्षक कार्यालय (कस्टोडियन आफिस) में प्राप्त अधिसूचित व्यक्तियों के विरुद्ध दावों और जानकोरमन समिति की रिपोर्ट में उल्लेखित रजिस्ट्रीकृत राशियों के संबंध में तुलनात्मक विवरण और अन्तर के कारण जैसा कि संरक्षक कार्यालय द्वारा समिति को 22.10.1993 को सूचित किया गया था ।

कारोबार	अभिरक्षक प्रदत्त आंकड़े	जानकोरमन समिति (जे.सी.आर.)	अधिसूचित	टिप्पणी
1	2	3	4	5
भारतीय स्टेट बैंक के साथ राष्ट्रीय आवास बैंक	707.56 67.35	707.56	हर्षद मेहता	भारतीय स्टेट बैंक ने यह राशि राष्ट्रीय आवास बैंक को दी है । भारतीय स्टेट बैंक ने हर्षद मेहता पर इस राशि का दावा किया है । भारतीय स्टेट बैंक ने मूलराशि पर ब्याज के रूप में 67.75 करोड़ रुपए का अतिरिक्त दावा भी किया है ।
ए.एन.ज्येठ ब्रिन्कलेज बैंक के साथ राष्ट्रीय आवास बैंक, अभिकलन	-	506.56	हर्षद मेहता	मामला विचाराधीन है, इस प्रकार अभिरक्षक कार्यालय ने इस राशि को अपने खाते में नहीं लिया है ।
स्टैनवार्ट के साथ राष्ट्रीय आवास बैंक	55.18	जी.आर.ए.एम (हर्षद मेहता)		स्टेन्डर्ड चार्टर्ड बैंक (स्टैनवार्ट) ने अभिरक्षक कार्यालय में इस राशि का दावा नहीं किया है, इसलिए यह उनके अभिकलन में शामिल नहीं है ।

1	2	3	4	5
केनरा बैंक फायनेन्शल सर्विसेस (केनफिना) के साथ राष्ट्रीय आवास	-	1·91	जानकीरमन समिति के जाँचाधीन बनाया गया है	केनफिना ने अभिरक्षक कार्यालय में इस राशि का दावा नहीं किया है, इसलिए यह उनके अभिवलन में शामिल नहीं है।
फेअर फायनेन्शल सर्विसेज (एफ·एफ·एस·एल·) के साथ राष्ट्रीय आवास बैंक	10·75	-	-	राष्ट्रीय आवास बैंक ने अभिरक्षक कार्यालय में इस राशि का दावा किया है। जानकीरमन समिति ने इसे प्रतिभूतियों की राशि के रूप में नहीं माना है। फेअर फायनेन्शल सर्विसेज लि· को इतनी ही राशि उनके पास है। अभिरक्षक कार्यालय को इसे विशेष न्यायालय अधिनियम की धारा 3(2) के संदर्भ में फे·फा·स·लि· से जड़ी हुई अतिरिक्त सम्पत्ति के रूप में लेना है जिसे अधिनियम की धारा 11 के अन्तर्गत वितरित किया जाएगा।
भारतीय स्टेट बैंक के साथ	4·55	4·55	हर्षद मेहता	स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र ने ब्याज के रूप में 1·09 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि का दावा किया है जिसे जानकीरमन समिति ने अपनी रिपोर्ट में नहीं लिया है।
स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र	1·09		13 प्रतिशत एन·एल·सी·बाण्ड	
भारतीय स्टेट बैंक के साथ	67·74	67·74	हर्षद मेहता	स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र ने ब्याज के रूप में 32·99 करोड़ रुपये का दावा किया है जिसे जानकीरमन समिति ने अपनी रिपोर्ट में नहीं लिया है।
स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र	32·99		5 करोड़ यूनिट यू·टी·आई·	

1	2	3	4	5
राष्ट्रीय आवास बैंक के साथ स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र		75·82	हर्षद मेहता	भारतीय स्टेट बैंक ने हर्षद मेहता के विरुद्ध इस राशि का दावा किया है और उन्होंने इस राशि का भुगतान राष्ट्रीय आवास बैंक को कर दिया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने इस बात को पुष्टि की है कि स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र का दावा उसी राशि के लिए किया गया है, अतः वही दावा दूसरी बार कर दिया गया है ।
भारतीय स्टेट बैंक के साथ स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र	26·82 13·47	26·82	हर्षद मेहता	13·47 करोड़ रुपए ब्याज की राशि जानकीरमन समिति की रिपोर्ट में नहीं ली गई ।
राष्ट्रीय आवास बैंक के साथ स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र	27·09 13·20	-	हर्षद मेहता	स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र ने इस राशि का दावा हर्षद मेहता की यूनिटों (1964) के लिए किए गए भुगतान के कारण किया ।
राष्ट्रीय आवास बैंक के साथ स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र	95·40 17·00		हर्षद मेहता	स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र ने हर्षद मेहता पर, उसके द्वारा गलत तरीके से ऋण लिए जाने के कारण, 112·40 करोड़ रुपए का दावा किया है । वह तथ्य जानकीरमन समिति की रिपोर्ट में नहीं आया ।
ए·एन·जेड ग्रिन्डलेज बैंक के साथ स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र	·71		हर्षद मेहता	स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र ने हर्षद मेहता पर इस राशि का दावा हाजिर वायदा सौदे में घाटा होने के कारण किया । यह तथ्य जानकीरमन समिति की रिपोर्ट में नही दर्शाया गया है ।
~~अन्य मुद्दों के साथ~~	~~7·87~~		~~हर्षद मेहता~~	~~स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र ने हर्षद मेहता पर इस राशि का~~

1	2	3	4	5
केनम्युचल के साथ स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र	7·87	-	हर्षद मेहता	स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र ने हर्षद मेहता पर इस राशि का दावा हाजिर वायदा सौदे में घाटा होने के कारण किया । यह तथ्य जानकोरमन समिति की रिपोर्ट में नहीं दशाया गया है ।
अन्य बैंक लेखाओं के साथ स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र का कालमनी कारोबार	0·28	-	हर्षद मेहता	स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र ने इस राशि का दावा "काल मनी" कारोबार पर, जिसपर हर्षद मेहता को ऋण दिया गया था, प्रति पक्ष बैंकों द्वारा दिए गए ब्याज में आए अन्तर के कारण हुए घाटे की वजह से किया गया यह तथ्य जानकोरमन समिति की रिपोर्ट में नहीं दशाया गया है ।
यूको बैंक, राष्ट्रीय आवास बैंक और केन-फिना के साथ भारतीय स्टेट बैंक का "केप्स" कारोबार	105·11	105·11	हर्षद मेहता	अभिरक्षक कार्यालय और जानकोरमन समिति को प्राप्त दावे में में कोई अन्तर नहीं है ।
भारतीय स्टेट बैंक का यूनिटों "केप्स" कारोबार	16·25 2·40	16·25	हर्षद मेहता	भारतीय स्टेट बैंक "केप्स" ने ब्याज के लिए 2·40 करोड़ रूपये का और दावा किया । इसे जानकोरमन समिति की रिपोर्ट में नहीं दशाया गया है ।
स्टेनचार्ट का बो ओ वे एंड मेट्रोपोलिटन बैंक के साथ कारोबार	1239·82	1482·14	दलाल ग्रुप	बो·ओ·वे· और एम·सो·बो· हुए कारोबार को 931·88 करोड़ रूपए की राशि जिसमें बोआरस/एसजोएल प्रपत्र एस·सी·बी· के नियंत्रणाधीन है । जानकोरमन समिति की रिपोर्ट और अभिरक्षक कार्यालय में दोनों में दशायी गई है, इस प्रकार इसमें कोई अंतर नहीं है । एस·सो·बो·के कारोबार के बारे में जहां जानकोरमन

1	2	3	4	5
बोओके, हितेन दलाल (केन्सगो) ए·बो·एफ एस·एल·स्टेनचार्ट,एच· बी डो एचकेमबो/सो बो·एम·एफ·(एन·के· अग्रवाल, अश्विन शेहता और पल्लव सेठ) के साथ केनफिना का कारोबार	439·35	666·73	दलाल ग्रुप	समिति की रिपोर्ट में उल्लिखित 400·35 करोड़ रु· की राशि का बो आरस/एस जो एल उनके नियंत्रण में नहीं आता, 308 करोड़ रुपए की राशि अभिरक्षक कार्यालय में दर्शायी गई है । इसलिए 92·35 करोड़ रुपए का अन्तर अभिरक्षक के खाते में नहीं लिया गया है। इसके अतिरिक्त जानकीरमन समिति की रिपोर्ट में उल्लिखित आन्ध्र बैंक ए बी एफ एस एल, के बो बो और ए बो एन आमरो के साथ हुए एस सी की के कारोबार की 149·95 करोड़ रुपए की राशि के लिए अभिरक्षक कार्यालय में स्टेनचार्ट द्वारा दावा नहीं किया गया है । इस तरह इसे अभिकलन में शामिल नहीं किया गया है । जानकीरमन समिति की रिपोर्ट में उल्लिखित 666·73 करोड़ रुपए में से अनधि सूचित व्यक्तियों से संबंधित 139·51 करोड़ रुपये के कारोबार को अभिरक्षक कार्यालय कार्यालय के अभिकलन में नहीं लिया गया है । 70·91 करोड़ रुपए और 16·76 करोड़ रुपए का अन्तर जानकीरमन समिति की रिपोर्ट द्वारा दर्शायी गई प्रतिभूतियों के मूल्य में अन्तर के कारण आया है।

1	2	3	4	5
बी·ओ·दे·के· के साथ	102·97	102·97	दलाल ग्रुप	जानकोरमन समिति को रिपोर्ट और अभिरक्षक कार्यालय में सी·बी·एम·एफ· द्वारा किए गए दावे के बीच 0·85 करोड़ रुपए के अन्तर को स्पष्ट नहीं किया जा सका क्योंकि इस का जानकोरमन समिति के पास कोई विवरण नहीं है ।
केनबैंक म्युच्वल फन्ड	0·85			
एफ·एफ·एस·एल·के मूल्य	205·12	205·12	एफ·एफ·एस·	ए·बी·एफ·एस·एल· द्वारा रखे गए एफ एफ एस एल से संबंधित प्रतिभूतियों के मूल्य को जोड़ने के पश्चात् जानकोरमन समिति ने ये आंकड़े प्राप्त किये । एफ· एफ·एस·एल· से संबंधित प्रतिभूतियां विशेष न्यायालय अधिनियम की धारा 3(2) के सम्पत्ति से जुड़ी हुई है ।
ए·बी·एफ·एस·एल·	34·88		एल·	
एफ·एफ·एस·एल· से संबंधित अन्य दावे	67·19	एफ·एफ·एस·एल·	एफ·एफ·एस· एल·	विभिन्न व्यक्तियों/वित्तीय संस्थाओं से जैसे पर्यटन वित्त निगम, औद्योगिक वित्त निगम, आई·आर·बी·आई· नामटेक इलैक्ट्रानिक्स, डालफिन इन्टरनेशनल, प्राग ओसिम सिन्थेटिक्स, मूरा ब्लेक, बी ओ बी·, बी·ओ·आई·फाइ-नेन्स, नेडुगाडो बैंक, तमिलनाडु मर्केन्टाइल बैंक ,सिंडीकेट बैंक और अन्य व्यक्तिगत दावों को अभिरक्षक कार्यालय में दर्ज कराया गया है । ये जानकोरमन समिति की रिपोर्ट में नहीं दर्शाए गए हैं ।

2	3	4	5
एन·जेड द्वारा एच·	0·27	-	एच·एम·जी·	ए·एन·जेड ने एच·एम·जी· पर इस राशि का दावा किया है ।
।·जी· पर ओवर			
फ्ट प्रभार लगाना			
यकर मांग	4 ·04	-	एफ·एफ·एस·	आयकर विभाग ने एफ·एफ·एस·एल· और एच·एम·जी· पर उक्त
	290·03		एल·	राशि का दावा किया है ।
			एच·एम·जी·	

परिशिष्ट - तेरह

§ कृपया प्रतिवेदन का पैरा 4.30 देखिए §

प्रतिभूतियों में अन्तर्बैंक वापसी खरीद व्यवस्था संबंधी मार्गनिदेशों के अनुपालन के संबंध में दिनांक 11.4.1988 का भारतीय रिजर्व बैंक का परिपत्र

भारतीय रिजर्व बैंक
केन्द्रीय कार्यालय
बैंकिंग परिचालन तथा विकास विभाग
"द आरकेड", विश्व व्यापार केन्द्र कफ परेड
कोलाबा, मुम्बई-400005

टेलोग्राम:
बैंक चालान
मुम्बई ।

पोस्ट बाक्स-6089

संदर्भ: डीबीओडी.सं.डीआईआर.बीसी.127/सी.347 §पीएसबी§-88

11 अप्रैल, 1988
22 चैत्र, 1910(शक)

समस्त अनुसूचित वाणिज्य बैंक

प्रिय महोदय,

वाणिज्य बैंकों द्वारा सरकारी और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों को वापसी खरीद के लिए की गयी व्यवस्थाएं

कृपया आप दिनांक 2 अप्रैल, 1988 के हमारे गवर्नर के परिपत्र सं.सीपीसी. बीसी.91/279ए-88 का पैराग्राफ 9§डी§ देखें । दिनांक 15 अप्रैल, 1987 के हमारे परिपत्र डीबीओडी. सं.डी.आईआर. बीसी.42/सी. 347-87 के अनुसार बैंकों पर यह रोक लगाई गई थी कि वे सरकारी क्षेत्र के बाण्डों अथवा कंपनी शेयरों और डिबेंचरों की वापसी खरीद की व्यवस्था न करें । इस पर भी बैंकों को यह अनुमति दी गई थी कि वे कतिपय क्रियाविधियों का पालन करने की शर्त के अधीन सरकारी और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों की खरीद के लिए व्यवस्थाएं प्रदान करें । चूंकि इस प्रकार के वायदों में भारी वृद्धि हुई थी, बैंकों को अक्तूबर, 1987 में यह चेतावनी दी गई थी कि वे वापसी खरीद की व्यवस्थाओं के अधीन अपने वायदों को संयत §मोडरेट§ बनाये रखें क्योंकि निवेशक द्वारा इन व्यवस्थाओं के अचानक अनवाईंडिंग के फलस्वरूप नकदी की गंभीर बाध्यता हो सकती है । इसके बावजूद ये वायदे अभी भी भारी मात्रा में बने हुए हैं और बैंकों की लाभप्रदता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के अलावा

इनका जमा राशियों की वृद्धि पर मंदी लाने वाला प्रभाव पड़ा है । अतएव बैंकों पर यह रोक लगायी जाती है कि वे 4 अप्रैल, 1988 से इंटरबैंक (नान-बैंक) ग्राहकों के साथ सरकारी और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों की वापसी खरीद के लिए व्यवस्थाएं न करें । इस प्रकार की जो भी व्यवस्थाएं की गई हों वे जिस तारीख को समाप्त होती हैं उसको अथवा । जुलाई, 1988 को, इनमें से जो भी पहले हो, वह समाप्त कर दी जानी चाहिए । जहा बैंकों को सीधी खरीद/बिक्री करने की अनुमति दी गई है वहां ऐसे लेनदेन बाजार भाव पर किये जाने चाहिए । जहां एक ओर सीधी खरीद/बिक्री के लेनदेनों के लिए वर्तमान क्रियाविधियां जारी रखी जा सकती हैं वहां बैंकेत्तर निवेशक के साथ वापसी खरीद की व्यवस्थाओं पर रोक लगाने के अनुदेश की भावना का ईमानदारी से पालन किया जाना चाहिए । यह नोट किया जाए कि एक ही पार्टी से एक जैसी अथवा उतनी ही राशि की सीधी बिक्री और खरीद के लेनदेनों का अर्थ यह लगाया जाएगा कि बैंकेत्तर ग्राहकों के साथ वापसी खरीद की व्यवस्थाओं पर रोक लगाने के अनुदेशों का उल्लंघन करने वाली अंतर्निहित (टेसिट) व्यवस्थाएं की गई हैं । तदनुसार दिनाक 15 अप्रैल, 1987 के हमारे परिपत्र में दिये गये अनुदेश संशोधित हो गये हैं ।

2. बैंक सरकारी और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों की वापसी खरीद के लिए अन्तर बैंक (अंतर बैंक) व्यवस्थाएं कर सकते हैं बशर्ते दिनांक 15 अप्रैल, 1987 के हमारे उपर्युक्त परिपत्र में दर्शाये गये मार्गदर्शी सिद्धांतों का कड़ाई से पालन किया जाये । दिनांक 15 अप्रैल, 1987 के हमारे परिपत्र में उल्लेख किये गये अनुसार वापसी खरीद के लेनदेनों को अन्य बातों के साथ साथ लाभप्रदता सहित वापसी खरीद की व्यवस्थाओं की रिपोर्ट बोर्ड को तिमाही आधार पर प्रस्तुत की जानी चाहिए।

3. इस बात पर जोर दिया जाता है कि बैंकों के शीर्षस्थ कार्यपालकों को यह सुनिश्चित करने के लिए अंतर बैंक वापसी खरीद की व्यवस्थाओं पर अपना विशेष ध्यान देना चाहिए कि इस विषय के मार्गदर्शी सिद्धांतों का अक्षरक्ष: और उनकी भावना के अनुरूप कड़ाई से पालन किया जाऐ और इनमें किसी भी

प्रकार के परिवर्तन/नों को गंभीरता से लिया जाए और सभी स्तरों पर जबाबदारी (अकाउंटेबिलिटि) तय की जाए ।

4. बैंकेतर निवेशकों के साथ वापसी खरीद की व्यवस्थाओं पर रोक लगाने वाले अनुदेशों के पालन का उल्लेख करते हुए बोर्ड को एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी चाहिए। वापसी खरीद के वायदों के क्रमबद्ध रूप से अनवाइडिंग की सूचना हमें प्रत्येक माह के अंत में दी जानी चाहिए । हमें । जुलाई 1988 के समाप्त होने के तुरंत बाद ही संपूर्ण अनुपालन रिपोर्ट भी भेजी जानी चाहिए।

5. इस परिपत्र की एक प्रति निदेशक बोर्ड की सूचना के लिए उसके समक्ष प्रस्तुत की जानी चाहिए और उसकी सूचना हमें दी जानी चाहिए ।

भवदीय

के.के. मुखर्जी
मुख्य अधिकारी

परिशिष्ट- चौदह

(कृपया प्रतिवेदन का पैरा 4.८ देखें)

प्रतिभूति संव्यवहार के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक का दिनांक 20.6.1992 का परिपत्र

भारतीय रिजर्व बैंक
केन्द्रीय कार्यालय
बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग
केन्द्र-1, विश्व व्यापार केन्द्र
कफ परेड, कोलाबा, बंबई 400005

बंबई

कृपया उत्तर भेजिये
संदर्भ डो ओ ओ डी सं. एफ एस
सी.बी.सी.1435/24.48.001/91-92

टेलीफोन सं. 2189131-39
पोस्ट बाक्स नं.-6089
बैंक हिन्दी में भी पत्राचार का स्वागत करता है।

20 जून, 1992
30 ज्येष्ठ, 1914 (शक)

सभी वाणिज्य बैंकों के
अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक

प्रिय महोदय,

बैंकों का निवेश संविभाग (इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो)
प्रतिभूतियों का लेन देन

कृपया आप 26 जुलाई, 1991 का हमारा अ.शा.परिपत्र बैंपविवि सं. एफ एस सी.46/सी.469-91/92 देखें, जिसमें बैंकों को सावधान किया गया था कि वे प्रतिभूतियों के अनियमित समझे जाने वाले लेन देन न करें। बैंकों को सूचित किया गया है कि वे प्रतिभूतियों से संबंधित परिचालन श्रेष्ठ और स्वीकार्य कारोबारी प्रथाओं के अनुसार संचालित करना सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त निवेश नीति बनाये और उसका कार्यान्वयन करें। बैंकों से अपेक्षा की गयी थी कि वे अपने निदेशक मंडल (बोर्ड) के अनुमोदन से नीतियां बनाते समय उसमें निर्धारित दिशा-निर्देशों का ध्यान रखें।

2. बैंक और वित्तीय संस्थाओं के प्रतिभूति संबंधी लेन देनों की जांच करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर द्वारा नियुक्त समिति ने अपनी

अंतरिम रिपोर्ट के पैरा 9 में अनेक सिफारिशें की हैं । भारतीय रिजर्व बैंक ने इन सिफारिशों की जाँच की है और सामान्यत: स्वीकार कर लिया है ।

3. इन सिफारिशों के अनुसरण में निम्नलिखित अनुदेश जारी किये जा रहे हैं :

1. <u>निवेश नीति</u>

बैंक अपने निजी निवेश खाते में, अपनी न्यासीय हैसियत से संविभागीय प्रबंध योजना के ग्राहकों की ओर से तथा अन्य ग्राहकों की ओर से या तो उनके निवेशों के अभिरक्षक के रूप में या पूर्णतया उनके एजेंट के रूप में, प्रतिभूतियों का लेन देन करते रहे हैं । अगर उल्लिखित प्रत्येक श्रेणी के अंतर्गत प्रतिभूतियों का लेन देन करते समय बैंकों को अपनाये जाने वाले निवेश के स्थूल उद्देश्य संबंधित निदेशक मंडल के अनुमोदन से स्पष्ट निर्धारित करने चाहिए, जिनमें जिस प्राधिकारी के माध्यम से सौदा किया जाना है उसको स्पष्ट परिभाषा उपयुक्तप्राधिकारी की मंजूरी के लिए अपनायी जानेवाली क्रियाविधि, सौदा करने में अपनायी जानेवाली क्रियाविधि, जोखिम की विभिन्न विवेकपूर्ण सीमाएं और रिपोर्ट देने कीप्रणाली स्पष्ट परिभाषित की जानी चाहिए । निवेश नीति संबंधी इस प्रकार के दिशा-निर्देश निर्धारित करते समय बैंकों को निम्नलिखित अनुदेशों का कड़ाई से पालन करना चाहिए ।

<u>हाजिर-वायदा (क्रय द्वारा वापसी खरीद) सौदे</u>

(1) दिनांकित सरकारी और अनुमोदित/न्यासी प्रतिभूतियों के अंतर बैंक हाजिर-वायदा (रेडीफार्वर्ड) सौदे अभी/पर बैंकों पर 22 जून, 1992 से आगे अनुदेश मिलने तक रोक लगायी गयी है । दिनांकित प्रतिभूतियों के वर्तमान सौदे नियत तारीख पर पूरे किये जायें और कोई अवधि न बढायी जाये अथवा/स्वत: आगे/उन्हें की तारीख तक न बढाया जाये । इस प्रकार अंतर बैंक हाजिर-वायदा लेन देन अब से केवल खजाना बिलों (सभी अवधि पूर्णताओं वाले) के किये जायेंगे ।

(2) खजाना बिलों सहित सरकारी प्रतिभूतियों के सभी दोहरे हाजिर वायदा सौदों (डबल रेडीफार्वर्ड) पर कडी रोक लगायी गयी है ।

(3) किन्हीं भी अन्यप्रतिभूतियों, जैसे कि सरकारी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों के बांडों और यूनिटों के कोई भी हाजिर-वायदा और दोहरे

हाजिर-वायदा सौदे बैंकों के बीच नहीं किये जाने चाहिए और ये अपने निजी निवेश खातों में भी नहीं किये जाने ए ।

§4§ इसी प्रकार, सरकारी प्रतिभूतियों सहित किसी भी प्रतिभूति के कोई भी हाजिर-वायदा और दोहरे हाजिर वायदा सौदे संविभागप्रबंध योजना के ग्राहकों के खातों की ओर से अथवा दलालों सहित अन्य ग्राहकों की ओर से नहीं किये जाने चाहिए ।

सरकारी प्रतिभूतियों के लेन देन

§5§ जिन सरकारी प्रतिभूतियों के लिए एस जी एल सुविधा उपलब्ध है उनके सभी लेन देन केवल एस जी एल खातों के माध्यम से ही किये जाने चाहिए ।

§6§ अपने विक्रय लेन देनों के बारे में एस जी एल अंतरण फार्म जारी करने से पहले बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके संबंधित एस जी एल खातों में पर्याप्त शेष है । तदनुसार, किसी बैंक द्वारा किसी दूसरे बैंकके पक्ष में जारी कियागया कोई भी एस जी एल अंतरण फार्म एस जी एल खाते में पर्याप्त शेष न होने के कारण किसी भी परिस्थिति में नकारा नहीं जाना चाहिए । खरीदने वाला बैंक बेचने वाले बैंक से एस जी एल अंतरण फार्म की रसीद प्राप्त होने के बाद ही चेक जारी करें ।

§7§ खरीदने वाले बैंक द्वारा प्राप्त एस जी एल अंतरण फार्म उनके एस जी एल खातों में तुरंत जमा किये जाने चाहिए । बैंक द्वारा धारित एस जी एल फार्म लौटाकर कोई भी ब्रिकी नहीं की जानी चाहिए ।

§8§ एस जी एल अंतरण फार्मों पर बैंक के दो प्राधिकृत अधिकारियों के हस्ताक्षर होने चाहिए, जिनके हस्ताक्षर भारतीय रिजर्वबैंक के संबंधित लोक ऋण कार्यालय तथा अन्य बैंकों के रिकार्ड में होने चाहिए ।

§9§ एस जी एल अंतरण फार्म भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित मानक फार्मेट में होने चाहिए और अर्ध प्रतिभूति पत्र §सेमी सैक्युरिटी पेपर§ पर एक समान आकार में मुद्रित होने चाहिए । उन पर क्रम संख्या दी जानी चाहिए और प्रत्येक एस जी एल फार्म का हिसाब रखने की नियंत्रण प्रणाली होनी चाहिए ।

§10§ यदि एस जी एल खाते में पर्याप्त शेष न होने के कारण एस जी एल अंतरण फार्म नकारा जाये तो फार्म जारी करने वाला §विक्रेता§ बैंक निम्नलिखित दंडात्मक कार्रवाई का भागी होगा :

§क§ एस जी एल फार्म की राशि § प्रतिभूति के§ खरीददार द्वारा अदा

की गयी क्रय लागत (विक्रेता बैंक के रिजर्व बैंक में चालू खाते में तुरंत नामे कीजायेगी ।

(ख) एस/जी/एल/एमएफ यदि इस प्रका. नाम से चालू खाते में ओवरड्राफ्ट की स्थिति होगी तो ओवरड्राफ्ट की राशि पर रिजर्व बैंक द्वारा संबंधित दिन को भारतीय मितीकाटा और वित्त गृह की मर्ग मुद्रा रेप दर से तीन प्रतिशत अंक अधिक की दर पर दण्डात्मक ब्याज लगाया जायेगा ; और

(ग) यदि एस जी एल फार्म तीन बार नकारा जायेगा तो तीसरी बार नकारे जाने से छः महीने की अवधि के लिए उस बैंक को एस जी एल सुविधा का प्रयोगकरके व्यापार करने से वंचित कर दिया जायेगा । यदि उक्त सुविधा पुनः प्रारंभ होने के बाद संबंधित बैंक को कोई एस जी एल फार्म पुनः नकारा जायेगा तो वह बैंक रिजर्व बैंक के सभी लोक ऋण कार्यालयों में एस जी एल सुविधा के प्रयोग से स्थायी रूप से वंचित कर दिया जायेगा ।

बैंक रसीद

(11) जिन सरकारी प्रतिभूतियों के लिए एस जी एल सुविधा उपलब्ध है उनके लेन देन के संबंध में बैंक रसीद किसी भी परिस्थिति में जारी नहीं की जानी चाहिए ।

(12) अन्य प्रतिभूतियो के मामले में भी बैंक रसीद केवल लेन देन के लिए निम्नलिखित परिस्थितियों मे जारी की जाये :

(क) स्क्रिप,जारीकर्ता द्वारा अभी जारी की जानी है और बैंककेपास आवंटन सूचना है ।

(ख) प्रतिभूति भौतिक रूप से किसी अन्य केन्द्र पर रखी है और बैंक अल्पसमय में उस प्रतिभूति को भौतिक रूप में अंतरित करने और उसकी सुपुर्दगी देने की स्थिति में है ।

(ग) प्रतिभूति अंतरण/ब्याज अदायगी के लिए जमा की गयी है और इस तरहजमा करने का आवश्यक रिकार्ड बैंक के पास है और वह प्रतिभूति की भौतिक रूप में/अल्पकाल में देने की स्थिति में होगा ।

(13) बैंक द्वारा धारित किसी बैंक रसीद (किसी अन्य बैंक की) के आधार पर कोई भी बैंक रसीद जारी नहीं की जानी चाहिए और बैंक द्वारा धारित बैंक रसीदों के केवल विनिमय के आधार पर कोई लेन देन नहीं होना चाहिए ।

(14) बैंकों के केवल निजी निवेश खातों से संबंधितलेन देन को ही बैंक रसीदें जारी की जानी चाहिए और बैंकों द्वारा न तो [illegible] ग प्रबंध योजना के ग्राहकों के खातों से संबंधित लेन देनों की ओर न ही [illegible]लों सहित अन्य ग्राहकों के खातों से संबंधित लेन देनों की बैंक रसीद जारी की जानी चाहिए ।

(15) कोई भी बैंक रसीद 30 दिन से अधिक के लिए बकाया नहीं रहनी चाहिए ।

(16) बैंक रसीदें मानक फार्मेट (भारतीय बैंक संघ द्वारा निर्धारित) में अर्ध प्रतिभूति पत्र पर जारी की जानी चाहिए जिन पर क्रम संख्या हो और बैंक के ऐसे दो प्राधिकृत अधिकारियों के उन पर हस्ताक्षर होने चाहिए जिनके हस्ताक्षर अन्य बैंकों के पास रिकार्ड में हों । जैसा कि इस जी एल फार्मों के मामले में है, प्रत्येक बैंक रसीद के फार्म का हिसाब रखने के नियंत्रण प्रणाली होनी चाहिए ।

(18) जारी की गयी बैंक रसीदों और प्राप्त बैंक/~~रसीदों~~रसीदों के अलग अलग रजिस्टर होने चाहिए और इनका प्रणालीबद्ध रूप में पालन करना तथा निर्धारित समय-सीमा में उनका समापन करना सुनिश्चित करने की व्यवस्था होनी चाहिए ।

2. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली

---

(1) (क)व्यापार(ख) निपटान,निगरानी और नियंत्रण तथा (ग) हिसाब रखने के कार्य स्पष्ट रूप से अलग अलग होने चाहिए । इसी तरह बैंकों के निजी निवेश खातों,संविभाग प्रबंध योजना के ग्राहकों के खातों तथा अन्य ग्राहकों (दलालोंसहित) के खातों के संबंध में व्यापार और पश्च कार्यालय कार्य भी अलग अलग होने चाहिए । बैंक अपने ग्राहकों को संविभाग प्रबंध सेवा प्रदान करते समय इस विषय पर जारी दिशा निर्देशों (16 जनवरी,1991 का परिपत्र बैंपविनि सं. एप एस सी बी सी.69 सी.469-70/91 देखें) का कड़ाई से पालन करें और संविभाग प्रबंध योजना के ग्राहकों के खातों का अलग से लेखा-परीक्षण बाहरी लेखा परीक्षकों से करायें ।

(2) किये गये प्रत्येक लेन देने के लिए इस तरह का व्यापार करने वाले डेस्क पर सौदे की पर्चीतैयार की जानी चाहिए,जिसमें सौदे के स्वरूप से संबंधित आंकड़े, प्रतिपक्ष का नाम,क्या यह सीधा सौदा है अथवा दलाल के माध्यम से और यदि दलाल के माध्यम से है तो दलाल का नाम,प्रतिभूति के ब्यौरे,राशि मूल्य संविदा की तारीख और समय से संबंधित ब्यौरे दिये जायें । उक्त सौदा पर्चियों पर क्रम संख्या दी जाये और उनका अलग से नियंत्रण किया जाये,ताकि

प्रत्येक पर्ची का ठीक से हिसाब रखना सुनिश्चत किया जा सके । एक बार सौदा पूरा हो जाने पर सौदाकर्ता सौदा पर्ची को तुरंत पश्च कार्यालय को रिकार्डिंग और प्रोसेसिंग ए भेज दें । प्रत्येक सौदे के लिए प्रतिपक्ष को पुष्टि जारी करने की प्रणाली अवश्यक होनी चाहिए । प्रतिपक्ष से अपेक्षित लिखित पुष्टि समय पर प्राप्त होने की निगरानी पश्च कार्यालय द्वारा की जानी चाहिए । उक्त पुष्टि में संविदा के सभी आवश्यक ब्यौरे शामिल होने चाहिए ।

§3§ एकबार सौदा पूरा हो जाने पर जिस दलाल के माध्यम से सौदा किया गया है उसके द्वारा प्रतिपक्ष बैंक के स्थान पर किसी अन्य बैंक को नहीं रखा जाना चाहिए,इसी तरह सौदे में बेची गयी/खरीदी गयी प्रतिभूति के स्थान पर कोई दूसरी प्रतिभूति नहीं होनी चाहिए ।

§4§ पश्च कार्यालय द्वारा पारित वाउचरों के आधार पर लेखा अनुभाग को खाता बहियाँ स्वतंत्र रूप से लिखनी चाहिए ।§जो दलाल/प्रतिपक्ष से प्राप्त वास्तविक संविदा नोट और प्रतिपक्ष द्वारा सौदे की पुष्टि के सत्यापन के बाद वाउचर पारित किया जाना चाहिए §

§5§ संविभाग प्रबंध योजना के ग्राहकों §दलालों सहित§ के खातों से संबंधित लेन देनों के मामलों में सभी प्रासंगिक रिकार्डों में ये स्पष्ट संकेत होना चाहिए किउक्त लेन देन संविभाग प्रबंध योजना के ग्राहकों/अन्य ग्राहकों का है और वह बैंक के निजी निवेश खाते का नहीं है और बैंक केवल न्यासी/एजेंसी की हैसियत से कार्य कर रहा है ।

§6§ जारी किये गये /प्राप्त एस जी एल अंतरण फार्मों का रिकार्ड रखा जाना चाहिए । बैंक की बहियों के अनुसार शेष समाधान§मिलान§ हर तिमाही लोक ऋण कार्यालयों की बहियां में शेष से किया जाना चाहिए । यदि लेन देनों की संख्या से यह आवश्यक हो तो उक्त समाधान और जल्दी जल्दी किया जाना चाहिए जैसे कि मासिक आधार पर । इस समाधान की आवधिक जाँच आंतरिक लेखा विभाग द्वारा की जानी चाहिए । विक्रेता बैंक द्वारा क्रेता बैंकके पक्ष में जारी किये गये एस जी एल अंतरण फार्म को नकारने जाने की जानकारी क्रेता बैंक द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के बैंकिंग परिचालन और विकास विभागको तुरंत दी जानी चाहिए । इसी प्रकार जारी की गयी/खरीद गयी बैंक रसीदों का भी रिकार्ड रखा जाना चाहिए। अन्य बैंकों से प्राप्त बैंक रसीदों और एस जी एल

अंतरप फार्मों तथा प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के पुष्टिकरण की प्रमाणिकता के सत्यापन की प्रणाली अपनायी जानी चाहिए ।

§7§ प्रतिभूतियों के लेन देन के ब्यौरे, अन्य द्वारा जारी किये गये एस जी एल अंतरण फार्मों के नकारे जाने के ब्यौरे और एक महीने से अधिक के लिए बकाया बैंक रसीदों के ब्यौरे और उक्त अवधि में किये गये निवेश लेन देनों की समीक्षा की जानकारी साप्ताहिक आधार पर उच्च प्रबंध तंत्र को देने की प्रणाली बैंकों को अपनानी चाहिए ।

§8§ यह बात पुन:दोहरायी जाती है कि अंतर बैंक लेन देनों सहित तीसरी पार्टी के लेन देनों के लिए बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक के पास अपने खाते पर चैक आहरित नहीं करने चाहिए । इस प्रकार के लेन देनों के लिए बैंक चैक/अदायगी आदेश जारी किये जाने चाहिए ।

§9§ आंतरिक लेखा विभाग को प्रतिभूति के लेन देन का लेखा परीक्षण करते रहना चाहिए और प्रबंध तंत्र की निर्धारित नीतियां तथा निधि निर्धारित क्रियाविधि के अनुपालन पर निगरानी रखनी चाहिए और कमियों की सूचना बैंक के उच्च प्रबंध तंत्र को सीधे देनी चाहिए ।

3. <u>दलालों के माध्यम से सौदे</u>

§10§ यदि कोई सौदा दलाल की सहायता से किया जाये तो दलाल की भूमिका सौदे के दोनों पक्षों को साथ लाने तक सीमित होनी चाहिए ।

§11§ सौदे के संबंध में बातचीत के समय यह आवश्यक नहीं है कि दलाल उस सौदे के प्रतिपक्ष का नाम प्रकट करे,तथापि सौदा पूरा होने पर उसे प्रतिपक्ष का नामबताना चाहिए और उसके संविदा नोट में प्रतिपक्ष का नाम स्पष्ट बताया जाना चाहिए ।

§12§ प्रतिपक्ष का नाम प्रकट करने वाले संविदा नोट के आधार पर बैंकों के बीच सौदे का निपटान अर्थात निधि का निपटान और प्रतिभूति की सुपुर्दगी सीधे बैंकों के बीच होनी चाहिए और इस प्रक्रिया में दलाल की कोई भूमिका नहीं होनी चाहिए ।

§13§ बैंकों को अपने उच्च प्रबंध तंत्र के अनुमोदन से अनुमोदित दलालों का पैनल तैयार करना चाहिए, जिस पर वार्षिक आधार पर अथवा आवश्यक हो तो और शीघ्र पुनर्विचार किया जाना चाहिए । दलालों का पैनल

बनाने के लिये स्पष्ट मानदंड निर्धारित हो हिये, जिसमें उनकी साख-पात्रता, बाजार में प्रतिष्ठा आदि का सत्या।न। शामिल हो । जिन दलालों के माध्यम से सौदे किये जायें उनके दलालवार ब्यौरों और अदा की गई दलाली का रिकार्ड रखा जाना चाहिये ।

§ 5 § केवल एक ही अथवा कुछ ही दलालों के माध्यम से इतना कारोबार नहीं किया जाना चाहिये कि अनुपात असंतुलित हो जाये । बैंक प्रत्येक अनुमोदित दलाल के लिये कुल संविदा सीमाएं नियत करने पर विचार करें और यह सुनिश्चित करें कि इन सीमाओं का अतिक्रमण न हो ।

§५§ लेखा संबंधी मानक

निवेश लेनदेनों का लेखा रखने के संबंध में विस्तृत अनुदेश इस परिपत्र के अनुबंध में दिये गये है ।

5 लेखा-परीक्षण, समीक्षा और रिपोर्ट देना

§ 11 § बैंक अपने निवेश संविभाग की छमाही समीक्षा §30 सितम्बर और 31 मार्च को§ करें, जिसमें निवेश संविभाग के अन्य परिचालनगत पहलुओं के अलावा आंतरिक निवेश नीति और क्रियाविधि तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देश स्पष्ट बताये जायें और उनका दृढ़ता से पालन करने का प्रमाणपत्र दिया जाये । यह समीक्षा अपने संबंधित निदेशक मंडल को एक महीने में अर्थात् अप्रैल के अंत और ई अक्तूबर के अंत में प्रस्तुत की जाये ।

§ 12 § बैंक के निदेशक मंडल को प्रस्तुत की गई समीक्षा रिपोर्ट की एक प्रतिलिपि भारतीय रिज़र्व बैंक को क्रमश: 15 नवम्बर और 15 मई तक भेजी जाये ।

3	दुरूपयोग की संभावना को ध्यान में रखते हुए लेनदेनों का समवर्ती लेखा-परीक्षा आंतरिक लेखा-परीक्षकों द्वारा अलग से किया जाना चाहिये और उनके लेखा-परीक्षण के परिणाम प्रत्येक महीने एक बार बैंक के अध्यक्ष और प्रबन्ध निदेशक को प्रस्तुत किये जाने चाहिये । ये लेखा-परीक्षण रिपोर्ट भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग, केन्द्रीय कार्यालय में बैंकों में निधि प्रबंधन कार्य के पर्यवेक्षण संबंधी नवगठित कक्ष को भेजी जानी चाहिये ।

3. इस परिपत्र की एक प्रति बैंकों द्वारा बनाई गई आंतरिक निवेश नीति संबंधी दिशा-निर्देशों के साथ इस परिपत्र की प्राप्ति से एक महीने में बैंकों के निदेशक मंडलों को प्रस्तुत की जानी चाहिये । बैंकों द्वारा विधिवत् बनाये गये आंतरिक निवेश नीति संबंधी दिशा-निर्देशों की प्रतिलिपि अपने निदेशक मंडल के अनुमोदन से हमें यह प्रमाणित करते हुए भेजी जानी चाहिये कि वह इस परिपत्र में बताये गये दिशा-निर्देशों के अनुसरण में है और वह अपनाई गई है ।

4. उपर्युक्त अनुदेश आवश्यक परिवर्तनों के साथ, बैंकों द्वारा स्थापित सहायक कंपनियों, पारस्परिक निधियों पर लागू होंगे, केवल वे इसके अपवाद होंगे जहां उन के कार्यों को शासित करने के लिये भारतीय स्टाक एक्सचेंज बोर्ड अथवा भारतीय रिज़र्व बैंक के विशिष्ट विनियमन उसके विपरीत अथवा असंगत है ।

5. कृपया प्राप्ति-सूचना भिजवायें ।

भवदीय,

एन. डी. परमेश्वरन
मुख्य अधिकारी

अनुलग्नक: यथोक्त

अनुबंध

लेखा संबंधी मानक

§1.§ अनुमोदित प्रतिभूतियों को छोड़कर अन्य प्रतिभूतियों में सभी निवेशों को "चालू" श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाना चाहिए और उनका मूल्यन बाजार मूल्य अथवा लागत, जो भी कम हो, पर किया जाना चाहिए और यदि कोई कमी हो तो मूल्यह्रास दिया जाना चाहिए ।

§1.1§ अनुमोदित प्रतिभूतियों में बैंकों के निवेशों को "स्थायी" और "चालू" श्रेणियों में विभक्त किये जाने का ढंग हमने अपने 27 अप्रैल, 1992 के परिपत्र बैंपविवि.सं.बो.सी.बो.सी.129/21.04.043-92 के पैरा 3 में बताया है । व्यापार की जाने वाली प्रतिभूतियाँ वे विपणनयोग्य प्रतिभूतियां हैं, जिन्हें प्राप्त किया गया है और अल्पकाल में उन्हें पुन: बेचने के उद्देश्य से रखा गया है । इस प्रकार के लेनदेनों के वित्तीय परिणाम अस्थिर माने जाने चाहिए, जो सुविचारित स्थिति रखने से व्यापारिक लाभ या हानि करते हैं । दूसरी ओर, निवेश प्रतिभूतियां लाभ या पूंजी वृद्धि § जो सांविधिक चलनिधि अनुपात संबंधी अपेक्षाओं के अनुपालन के अलावा होती है§ के प्रयोजन के लिए प्राप्त की जाती और रखी जाती है और सामान्यत: उनको अवधि पूर्ण होने तक उन्हें धारित करना उद्देश्य होता है, चलनिधि संबंधी आवश्यकता होने की स्थिति अपवाद होती है । जब तक नीचे बताये गये विशेष नियम द्वारा शासित न हो तब तक प्रतिभूतियों की बिक्री से लाभ और हानि की बिक्री के समय पूंजीगत लाभ/हानि के रूप में लिखा जाना चाहिए । जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, "चालू" श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत अनुमोदित ऋण प्रतिभूति को तुलनपत्र में बाजार मूल्य अथवा लागत जो भी कम हो पर दिखाया जाना चाहिए, जब कि "स्थायी" श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत अनुमोदित ऋण प्रतिभूति को तुलनपत्र में या तो बही मूल्य §लागत§ अथवा बाजार मूल्य पर बैंकों के विवेकानुसार दिखाया जाना चाहिए,जो उनकी एक सतत लेखा नीति अपनाये जाने के अधीन हो । वित्तीय श्रेणियों के अंतर्गत प्रतिभूतियों का लेखाकरण निम्नप्रकार होना चाहिए :

..2..

"स्थायी" श्रेणी के अंतर्गत
अनुमोदित ऋण प्रतिभूतियां

(क) यदि निवेश बही मूल्य पर दिखाये गये हों ... उनको प्राप्त करने के मूल्य (प्राप्त करने की लागत) और विमोचन मूल्य के बीच अंतर प्राप्त करने से लेकर विमोचन की तारीख तक की अवधि में प्रोद्भूत हुआ होना चाहिए और उसे आय अथवा व्यय के रूप में माना जाना चाहिए ।

(ख) वैकल्पिक रूप में, बैंक इस प्रकार के निवेशों का मूल्यन बाजार मूल्य पर सतत आधार पर कर सकते हैं ।

(ग) बैंक उप (क) में वर्णित प्रथा को, जहां प्रतिभूतियाँ मूल विमोचन तारीख से पहले विमोचित या बेची जाती हैं, अपनाना चाहें तो उप (क) में बताई गई राशि का प्रोद्भूत अंश तुरंत लाभ और हानि खाते में पूंजीगत लाभ या हानि, जो भी स्थिति हो, के रूप में प्रभारित किया जाना चाहिए

(घ) यदि बैंक उप (ख) में वर्णित प्रथा अपनाना चाहें तो परिणामी पुनर्मूल्यन लाभों/हानियों को पूंजीगत लाभ/हानि के रूप में माना जाना चाहिए।

चालू श्रेणी के अंतर्गत निवेश

(ङ) "चालू" श्रेणी के अंतर्गत निवेशों को लागत अथवा बाजार मूल्य से कम पर सतत आधार पर दिखाना जाना चाहिए ।

(च) व्यापारिक प्रतिभूतियों को प्राप्त करने के समय दिये गये दलाली शुल्क, कमीशन अथवा करों जैसी लागतों को तुरंत, बिना किसी प्रोद्भवन के, व्यय के रूप में माना जाना चाहिए।

(छ) चालू श्रेणी के अंतर्गत प्रतिभूतियों के दिखाये गये मूल्य का पुनर्मूल्यन तिमाही आधार पर बाजार मूल्य पर किया जाना चाहिए । इस पुनर्मूल्यन से होने वाले लाभों/हानियों को ब्याज आय/व्यय खाते में नहीं ले जाना चाहिए ।इसके बजाय पुनर्मूल्यन लाभों/हानियों को विशिष्ट "ऋण प्रतिभूतियों के व्यापार से प्राप्त/अप्राप्त लाभ/हानि" खाते में प्रविष्ट द्वारा अलग रखा जाना चाहिए । ऋण प्रतिभूतियों के व्यापार से लाभ/हानि को निवल राशि आय विवरण में ले जायी जायेगी ।

§iii§ हर बार जब प्रतिभूति प्राप्त की जाये तो बैंक तुरंत यह रिकार्ड करे कि क्या यह निवेश खाते के लिए है अथवा व्यापार खाते के लिए और तदनुसार निर्धारित लेखा नीति के आधार पर उन्हें संबंधित खातों में लिखे । एक खाते से दूसरे खाते §अर्थात् निवेश खाते से व्यापार खाते को अथवा व्यापार खाते से निवेश खातो को § प्रतिभूतियों का अंतरण बैंक के निदेशक मंडल के पूर्व अनुमोदन से किया जाना चाहिए और उसका उचित प्रलेखन होना चाहिए ।

§iv§ जहां अंतरण की तारीख को बाजार मूल्य बहियों में उल्लिखित मूल्य से कम हो वहां चालू श्रेणी से स्थायी श्रेणी को प्रतिभूतियों के अंतरण से पहले संभावित हानियों को मान्य किया जाना चाहिए ।

§v§ सहायक कंपनियों में ईक्विटी निवेशों को बैंक स्थायी निवेश के रूप में मानें ।

परिशिष्ट - पन्द्रह

(कृपया प्रतिवेदन का पैरा 8.25 देखिए)

उन सरकारी उपक्रमों तथा वित्तीय संस्थाओं की सूची जिन्होंने सं.क. वा. के अधीन रिटर्न दिये हैं तथा छानबीन की।

1. एच.टी.एफ.सी.
2. आई.सी.आई.सी.आई.
3. आई.डी.बी.आई.
4. सिंडीकेट बैंक
5. आई.टी.आई.
6. एन.एच.डी.सी.
7. एन.बी.सी.सी.
8. पवनहंस लि.
9. पी.एच.सी.
10. आई.डी.बी.आई. (2 खातों)
11. आई.एफ.सी.आई.
12. एन.आई.सी. वाडीलाल इंडस्ट्रीज
13. एन.एच.बी.
14. एच.सी.आई.सी.आई.सी.आई. लि.
15. बी.एच.सी.
16. बी. आई. सी. म्यूचुअल फंड

परिशिष्ट - सोलह

(कृपया प्रतिवेदन का पैरा 9.39 देखिए)

निवेश संबंधी संव्यवहारों की जांच करने के लिए बैंकों में सतर्कता व्यवस्थाएं और आंतरिक लेखापरीक्षक से संबंधित भारतीय रिज़र्व बैंक का दिनांक 5 सितम्बर, 1991 का परिपत्र ।

तार : "बैंकवाल्ट"
बम्बई

भारतीय रिज़र्व बैंक
केन्द्रीय कार्यालय
बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग
केन्द्र 1, विश्व व्यापार केन्द्र
कफ परेड, कोलाबा, बम्बई-400005

पो. बा. सं. 6089

गुप्त

संदर्भ : बैंपविवि.सं.एसआईसी.बीसी.23/सी.739ए-1-91

5 सितम्बर, 1991
15 भाद्र, 1913 (शक)

सरकारी क्षेत्र के बैंकों के अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक

प्रिय महोदय,

बैंकों में सतर्कता व्यवस्थायें

आपको विदित ही है कि वार्षिक योजना पर चर्चा के दौरान अन्य बातों के साथ-साथ सरकारी क्षेत्र के बैंकों में स्थापित सतर्कता व्यवस्थाओं की भी समीक्षा की गयी थी । बैंकों ने सतर्कता कक्ष अपने प्रधान कार्यालय और नियंत्रण कार्यालय स्तरों पर स्थापित किये हैं जो पंवाट (अवार्ड) कर्मचारियों और अधिकारियों के सम्बन्ध में सतर्कता सम्बन्धी मामले देखते हैं । यह देखा गया है कि सतर्कता विभाग बैंकों में सतर्कता सम्बन्धी मामलों की बढ़ती हुई प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने में कारगर ढंग से विकसित नहीं हुए हैं । वास्तव में अधिकांश बैंकों में सतर्कता कार्य आम तौर पर दण्डात्मक भूमिका से सम्बन्धित हैं, न कि निवारक और गवेषणात्मक सतर्कता के रूप में, जो कि उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कि दण्डात्मक भूमिका । निवारक भूमिका जहां आम तौर पर [illegible] हकों आदि से उपहार, आतिथ्य आदि स्वीकार करने के सम्बन्ध में परिपत्र जारी करने और स्थायी अनुदेशों को पुन: बताने तक सीमित है, वहीं गवेषणात्मक भूमिका मुख्य रूप से प्राकाश्य प्राप्त होने के बाद शुरू होती है अथवा तब शुरू होती है जब आन्तरिक निरीक्षणों में किसी विशेष खाते में अथवा सतर्कता की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र में किन्हीं प्रतिकूल बातों का पता चलता है । तथापि भारी राशि वाले आग्रामों, परिसर की खरीद/किरायेदारी, लेखन सामग्री आदि जैसे संवेदनशील क्षेत्रों के सम्बन्ध में गवेषणात्मक भूमिका नहीं निभायी गयी । हमारा अनुमान है कि निवारक सतर्कता की नियमित प्रणाली न होने और शिकायतें अथवा अन्य स्रोत से सूचना की प्राप्ति पर ही सतर्कता की दृष्टि से मामले को देखने के परिणामस्वरूप काफी सीमा तक धोखाधड़ी, कदाचार,

अनियमितताओं का पता बहुत ही बाद की स्थिति में चल पाता है ।

2. हमारे निरीक्षणों/विशेष जांच के परिणामों से पता चला है कि प्रक्रिया की समीक्षा और सुदृढ़ करने की तथा संवेदनशील स्थानों पर अचानक दौरों, जीवन-यापन के ढंग तथा संवेदनशील क्षेत्रों में काम करने वाले कर्मचारियों के आडम्बरपूर्ण व्यय की आवधिक जांच और अवांछनीय तत्वों को दूर करने आदि के लिए निवारक उपाय शुरू करने हेतु कोई निर्धारित प्रणाली नहीं है, जिससे कदाचार के कारणों की गुंजाइश बनती प्रतीत होती है । दूसरे शब्दों में सतर्कता विभाग को अभी भी वह भूमिका ग्रहण करनी है जिसकी उससे आशा की जाती है । इसका ध्यान पहला कार्य कदाचार के कार्य हो जाने के बाद कार्रवाई तक ही सीमित नहीं, बल्कि उन्हें न होने देने के उपाय करने के लिए भी है । वास्तव में सतर्कता संबंधी मामले तभी बनते हैं जब निवारक सतर्कता की कमी होती है ।

3. हमने यह भी पाया है कि गम्भीर अनियमितताओं जैसे कि अधिकारों का विवेकपूर्ण प्रयोग, ऋण प्रस्तावों के मूल्यांकन में विभिन्न स्तरों पर घोर लापरवाही, दस्तावेजों को प्राप्त न करने/समय पर पुन: वैध न करने, मंजूरी के नियमों और शर्तों का अनुपालन करने से पहले ही संवितरण और संवितरण के बाद पर्यवेक्षण में ढील जैसी गंभीर अनियमितताओं के लिए स्टाफ की जवाबदेही बैंकों द्वारा किये गये आंतरिक निरीक्षणों की रिपोर्ट में परिलक्षित नहीं होती । इसी प्रकार ठेके देने, परिसर के अधिग्रहण/किराये पर लेने, खरीद के लिए आदेश देने आदि में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने में कमी की जिम्मेदारी निवारक सतर्कता के पर्यवेक्षण के लिए स्थापित सतत प्रणाली का एक हिस्सा नहीं बनती । प्राय: देखा जाता है कि विस्तृत जांच के साक्ष्य का उपयुक्त रिकार्ड रखने तथा निर्धारित प्रक्रिया का दृढ़ता से पालन करने एवं अधिकारों के प्रयोग में सुरक्षा/सावधानी जिन अधिकारियों के हाथ में होती है उनका रिकार्ड नहीं रखा जाता । इस प्रकार के अधिकारों के प्रयोग की क्षेत्रीय कार्यालय और प्रधान कार्यालय के विभागों में लेखापरीक्षा/निरीक्षण व्यवहार रूप में प्राय: नहीं है । आंतरिक लेखा परीक्षा/निरीक्षण तंत्र तथा अन्य नियंत्रणकारी बातें एवं रिपोर्ट की प्रणाली नियंत्रण के कारगर साधन नहीं बन सके हैं ।

4. एक अन्य क्षोभजनक बात यह पता चली है कि अनियमितताओं/कदाचार आदि के लिए स्टाफ की जवाबदेही पर बैंकों की ओर से दिखावे की प्रवृत्ति है । यहां तक कि जहां घोर अनियमिततायें पता चली हैं वहां भी स्टाफ की जवाबदेही की जांच तभी की गयी है जब धन की हानि और/अथवा बट्टे खाते डालने का प्रश्न पैदा हुआ । तब तक या तो रिकार्ड खो गये हैं और/अथवा संबंधित अधिकारी सेवानिवृत्त हो गया

अथवा उसने बैंक की सेवा त्याग दी । जिन मामलों में भारी हानि की संभावना होती है उन मामलों में भी रिश्वत अथवा दुराशय, जो प्राय: सिद्ध करना कठिन होता है, के निश्चित साक्ष्य के न होने पर बैंकों द्वारा संबंधित अधिकारियों को संदेह का लाभ दिया जाता है और कोई भी निवारक दंड नहीं दिया जाता । यह भी पाया गया है कि सतर्कता संबंधी गवेषणा आम तौर पर बहुत व्यापक अथवा कारगर नहीं होती, विशेषकर तब जब वरिष्ठ अधिकारी और कार्यपालक संलग्न होते हैं । इस प्रकार के मामलों में जवाबदेही नीचे के स्तर के कर्मचारियों पर डालने की प्रवृत्ति होती है और उन्हें भी प्राय: कम दंड देकर छोड़ दिया जाता है, जो अनियमितता की गंभीरता के अनुकूल नहीं होता । यह भी पाया गया है कि सतर्कता मामला बनता है अथवा नहीं, इस प्रश्न का निर्णय, कतिपय बैंकों में, सतर्कता का कारबार व्यवहार है अथवा नहीं, इस प्रश्न का विभाग के अधिकारियों से इतर अधिकारियों द्वारा किया गया । संक्षेप में स्टाफ की जवाबदेही निवारक सतर्कता का कारगर साधन नहीं बनायी गयी है ।

5. आपको विदित ही है कि भ्रष्टाचार, पक्षपात, एवं भाई-भतीजावाद के आरोपों वाले बैंकों के व्यक्तिगत उधार खातों/लेनदेनों से संबंधित मामले संसद/संसदीय समितियों एवं समाचारपत्रों में उठाये गये हैं । इन लेनदेनों में रिजर्व बैंक/सरकार की भूमिका का स्पष्टीकरण मांगा जाता है और प्राय: स्पष्ट करने में नाजुक स्थिति पैदा हो जाती है, जिसका कारण बैंकों द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का विभिन्न स्तरों पर पालन न करना, वरिष्ठ कार्यपालकों द्वारा स्थल पर/मौखिक मंजूरी देना, आंतरिक निरीक्षण रिपोर्टों से प्रकट हुई पर्याप्त जानकारी/आंकड़ों तथा अन्य प्रासंगिक रिकार्ड आदि का न होना है । यह उस समय और भी अधिक कठिन हो जाता है जब व्यक्तिगत लेनदेनों के परिणामस्वरूप बैंक को भारी हानि होती है और/अथवा बैंक को अतिरिक्त व्यय करना पड़ता है जिसे बताया जा सकता है और बैंक एक अथवा अन्य कारण से उसे निर्धारित प्रक्रिया से थोड़ा हटकर मानते हुए संबंधित अधिकारियों पर उचित उत्तर-दायित्व निश्चित नहीं करते । यह मानना आवश्यक है कि बैंकों को यह सिद्ध करना अनिवार्य है कि यथासंभव सर्वोत्तम वाणिज्यिक विवेक से कार्य लिया गया था और उक्त हानियां सामान्य कारोबार में हुई थीं ।

6. सरकारी क्षेत्र के बैंकों पर पड़े सार्वजनिक उत्तरदायित्व और जवाबदेही की दृष्टि से तथा भ्रष्टाचार और पक्षपात की घटनायें कम करने की दृष्टि से तंत्र को सुदृढ़ करने और आंतरिक नियंत्रण को पुनरुज्जीवित करने और सतर्कता तंत्र को दृढ़ करने की अत्यधिक आवश्यकता है । सतर्कता विभागों के कारगर कार्यान्वयन में पायी गयी विभिन्न कमियों के संदर्भ में बैंकों को निम्नलिखित उपाय अपनाना आवश्यक है :

(क) सतर्कता और आंतरिक निरीक्षण/लेखा परीक्षा तंत्र को उनके उत्तरदायित्व के कारगर निर्वाह की क्षमता की दृष्टि से जांचना चाहिए और जितना आवश्यक हो उक्त तंत्र को सुदृढ़ करने के उपाय करने चाहिए । सतर्कता के लिए तंत्र, आंतरिक निरीक्षण/लेखा परीक्षा और अनुशासनात्मक कार्रवाई के बीच कारगर संबंध अवश्य स्थापित होना चाहिए ताकि वे गहन समन्वय के साथ कार्य कर सकें । इन विभागों में तैनात अधिकारियों को पर्याप्त अनुभव और जानकारी होनी चाहिए तथा उनकी अध्यक्षता पर्याप्त वरिष्ठ और निःशंक निष्ठावाले अधिकारियों को सौंपी जानी चाहिए ।

(ख) संवेदनशील कार्यस्थल ऐसे स्थान पर हों जहां इस प्रकार के स्थलों के नियमित और अचानक निरीक्षण किये जा सकें । आंतरिक नि लेखा परीक्षक अधिकारियों को निरीक्षणों के दौरान भ्रष्टाचार/धोखाधड़ी-प्रवण क्षेत्रों का गहराई से अध्ययन करने की आवश्यकता पर बल देना चाहिए, ताकि इस प्रकार के बदाचार/अनियमितताये छिपी रहने की कोई गुंजाइश न रहे, जिन संवेदनशील पदों पर रहनेवालों को जनता से काफी बड़े पैमाने पर व्यवहार करना पड़ता है, उन पदों पर नियुक्त किये जाने वाले कर्मचारियों के बारे में उचित छानबीन की जानी चाहिए । परिचालन क्षेत्रों में अधिकारी और अधिकारियों से इतर स्टाफ को निर्धारित समय पर दृढ़तापूर्वक बल देना चाहिए ।

(ग) प्रधान कार्यालय के विभागों और अंचल/क्षेत्रीय कार्यालयों के निरीक्षण की नियमित और कारगर प्रणाली लागू की जानी चाहिए । यह आवश्यक है कि इस प्रकार के विभागों/कार्यालयों का निरीक्षण/लेखा परीक्षण काफी वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट आवधिक अंतराल पर किया जाना चाहिए, जैसा कि शाखाओं के मामले में है ।

(घ) राजस्व लेखा परीक्षा की नियमित प्रणाली होनी चाहिए । इस प्रकार के लेखा परीक्षण के दौरान जिस आय का पता चले उसके बहिर्गमन के कारणों का विश्लेषण गहराई से किया जाना चाहिए जिससे कि यह पता चल सके कि गल्ती वास्तव में हुई या जान-बूझकर की गयी है । इन चूकों के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए ।

(ङ) ऋण संविभाग की एकमात्र छानबीन की प्रणाली नियमित अंतराल से इस बात को ध्यान में रखते हुए लागू की जानी चाहिए कि विभिन्न शाखाओं पर बड़े अग्रिमों और सामूहिक ऋणों पर विशेष ध्यान दिया जाये । महत्वपूर्ण निष्कर्षों का सारांश निदेशक मंडल की समिति को प्रस्तुत किया जाना चाहिए ।

(च) शाखाओं, नियंत्रण कार्यालयों और प्रधान कार्यालयों के निरीक्षण के दौरान आंतरिक निरीक्षण टीम को लेखा सामग्री, परिसर को किराये पर लेने/किरायेदारी औड़ने, कार्यालय/आवासीय परिसर की महंगी सजावट से संबंधित सौदों आदि की जांच सावधानीपूर्वक करनी चाहिए ।

(छ) निवेश संविभाग एक अन्य संवेदनशील क्षेत्र है, जिसकी ओर आंतरिक निरीक्षण टीम बहुत कम ध्यान देती है । आंतरिक लेखा परीक्षकों को निवेश संबंधी लेनदेन की जांच बड़ी गहराई से करनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे लेनदेन निर्धारित नीतियों के अनुसार किये गये हैं । खास तौर पर सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि ये सभी लेनदेन प्रकट रूप से किये गये हैं अर्थात् केवल कारोबारी बातों को ध्यान में रखते हुए किये गये हैं और वे बैंक के सर्वोत्तम हित में है और दलालों को अनावश्यक लाभ पहुंचाने का कोई उद्देश्य नहीं है । /

(ज) मंजूरी, प्राप्ति और दस्तावेजों को समय पर पुन: वैध करने, संवितरण और संवितरण के बाद पर्यवेक्षण की प्रणाली का पुनरावलोकन करना चाहिए और एक स्पष्ट अंतर रखना चाहिए जिससे चूक के लिए जवाबदेही शीघ्र तय की जा सके । इस संबंध में अग्रिमों की मंजूरी, मंजूरी के बाद निगरानी आदि के लिए अधिकारों के प्रत्यायोजन हेतु दिशा-निर्देश स्पष्ट बताये जाने चाहिए जिनमें यह बताया जाये कि अधिकार के दुरूपयोग का अर्थ क्या है, मंजूरी, मंजूरी के बाद निगरानी आदि की शर्तों के प्रति लापरवाही का अभिप्राय क्या है । हम यह पुन: कहना चाहते हैं कि निर्धारित प्रक्रिया और सुरक्षात्मक उपायों का पालन न करने, मंजूरी, संवितरण और मंजूरी के बाद ऋण सुविधाओं के संबंध में अनुवर्ती कार्रवाई तथा मंजूरी की शर्तों का अनुपालन न करने को गम्भीरता से लिया जाना चाहिए और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जानी चाहिए । दूसरे शब्दों में बैंक अधिकारी जनता की निधि के न्यासी हैं और जिस लापरवाही के परिणामस्वरूप हानि हो, उसे गम्भीरता से लिया जाना चाहिए तथा निवारक दंड दिया जाना चाहिए । /

(झ) स्वास्थ्य कूट वर्गीकरण में जब भी कोई परिवर्तन हो अर्थात् स्वास्थ्य कूट । से 2 तरह बढ़ रहा हो तो तुरन्त स्टाफ की जवाबदेही के संबंध में जांच की जानी चाहिए, न कि मुकदमा दायर करने अथवा बट्टे खाते डालने की प्रतीक्षा की जाये । /

(ञ) गोपनीय रिपोर्टें/निष्पादन मूल्यांकन का रिकार्ड करने में सतर्कता की दृष्टि से काफी सावधानी रखनी चाहिए । जिन व्यक्तियों की सेवा की उपयोगिता न हो अथवा सतर्कता की दृष्टि से शंकास्पद हों उनसे संबंधित मामलों की पुनरीक्षा करते समय उपलब्ध अधिकारों का व्यापक प्रयोग किया जाना चाहिए । यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि इस प्रकार के मामलों में साक्ष्य/रिकार्ड ठीक से बनाया जाये जो न्यायिक छानबीन के सामने ठहर सके ।

/

(ट) "सहमत सूची" निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार तैयार की जानी चाहिए । जिन अधिकारियों की निष्ठा में संदेह हो और जो अधिकारी सहमत सूची में हों उन पर उचित निगरानी रखने के प्रयास किये जाने चाहिए । अवांछनीय तत्वों को निष्कासित करने की प्रणाली लागू की जानी चाहिए । संदेहजनक निष्ठावाले और सहमत सूचीवाले व्यक्तियों को नियमत: संवेदनशील पदों पर तैनात नहीं किया जाना चाहिए ।

(ठ) अनुशासनात्मक मामले भारत सरकार द्वारा 7.11.1988 के उनके पत्र सं.37/6/88 द्वारा निर्धारित अधिकतम समय में अवश्य निपटाये जाने चाहिए । इसी प्रकार, जहां आवश्यक हो, विभागीय प्रक्रिया भी साथ-साथ प्रारंभ की जानी चाहिए, ताकि सतर्कता संबंधी मामलों पर शीघ्र निर्णय लिया जा सके जैसा कि 31.5.1990 के हमारे परिपत्र बैंकविवि.सं.जीसी.बीसी.117/सी.408(ए)/89-1 बताया गया है ।

(ड) हमारी जानकारी में ऐसे मामले भी आये हैं, जहां कुछ बैंकों में मुख्य सतर्कता अधिकारी का परामर्श और सिफारिशें अनुशासनात्मक प्राधिकारियों ने नहीं मानीं और उदार रुख अपनाकर हल्का दंड दिया । अस्वीकृति के इसी प्रकार के मामलों की जानकारी अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को दी जानी चाहिए जिसमें सिफारिशों के हटाने के कारण बताये जाने चाहिये और इस प्रकार के मामले की तिमाही प्रगति रिपोर्ट निदेशक मंडल को प्रस्तुत की जानी चाहिए ।

(ढ) ऐसे सभी मामले जिनमें प्रथम दृष्टया वरि॰ अधिकारियों, वेतनमान IV और उससे ऊपर, की ओर से अनियमितताएं/चूकें हुई हों और/अथवा लेनदेन की राशि अधिक हो जैसे कि 5 लाख रुपये से अधिक, तो ये मामले निदेशक मंडल/प्रबंध समिति को प्रस्तुत किये जाने चाहिए । इसी प्रकार वरि॰ अधिकारियों की ओर से और/अथवा अनियमितता की शिकायतों और/अथवा भारी राशि के लेनदेनों के मामलों में की गयी कार्रवाई की स्थिति की रिपोर्ट भी निदेशक मंडल को समय-समय पर प्रस्तुत की जानी चाहिए ।

(ण) सतर्कता संबंधी अनुशासनात्मक मामलों से संबंधित तिमाही समीक्षा भारत सरकार के 24.10.1990 के पत्र सं.10/12/90/विग/सीवीओएस में बताये गये अनुसार की जानी चाहिए ।

7. उपर्युक्त सुझावों को कार्यान्वित करने के लिए बैंक द्वारा किये गये/करने के लिए प्रस्तावित उपायों की जानकारी इस परिपत्र के साथ निदेशक मंडल को प्रस्तुत की जानी चाहिए । इस संबंध में की गयी रिपोर्ट की हमें सूचना दी जाये ।

8. कृपया इस परिपत्र की प्राप्ति-सूचना भिजवायें ।

भवदीय,

एन.डी. परमेश्वरन
मुख्य अधिकारी

परिशिष्ट-सत्तरह

(कृपया प्रतिवेदन का पैरा 10.16 देखिए)

संविधान प्रबन्धन सेवाओं से संबंधित भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 15.4.1987, 2.5.1989, 18.1.1991 और 30.7.1992 के परिपत्र

भारतीय रिजर्व बैंक
केन्द्रीय कार्यालय
बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग
"द आर्केड" विश्व व्यापार केन्द्र
कफ परेड कोलाबा
बम्बई - 400005

गोपनीय

डीबीओडो. सं. डीआईआर.बी.सी.43/सी.347/87

15 अप्रैल, 1987
25 चैत्र, 1909 (शक)

समस्त अनुसूचित वाणिज्य बैंक
प्रिय महोदय,
ग्राहकों की ओर से संविभाग प्रबंधन

यह देखा गया है कि कतिपय बैंक व्यवहार में जमाराशियों के संबंध में हमारे निदेशों में निर्धारित की गयी दरों से अधिक दर पर निधियां जुटा रहे हैं। काफी पहले नवम्बर, 1979 में दिनांक 24 नवम्बर, 1979 के अपने परिपत्र सं. सी.पी.सी.बी.सी. 38/279-ए-79 के द्वारा तत्कालीन गवर्नर ने बैंकों को, अन्य बातों के साथ-साथ, इसके लिए आगाह किया था कि वे वित्तीय संस्थाओं और अन्यों से अधिमान दरों पर विशेष जमा राशियां स्वीकार करने से बचें क्योंकि इससे सहभागिता प्रमाणपत्र पर उनके आश्रित रहने को कम करने की नीति का उल्लंघन होगा।

2. अभी हाल ही की अवधि में यह देखा गया है कि कुछ बैंक अपने अग्रिमों/ निवेश संविभागों का ऋण मानते हुए व जमाकर्ताओं से ऐसी दरों पर निधियां स्वीकार कर रहे हैंजो जमाराशियों पर ब्याज दरों के निदेशों में निर्धारित दरों से अधिक है । निदेशों में निर्धारित दरों से अधिक दरों पर संविभाग प्रबंधन के बहाने जमाराशियां स्वीकार करने का अर्थ यह लगाया जायेगा कि निदेशों का उल्लंघन हुआ है। इसके अलावा,

सांविभाग प्रबंधन का उपयोग सूचना देने वाले शुक्रवार को विद्यमान शुद्ध मांग और मीयादी देयताओं को बदलने के लिए किये जाने को निदेशों का घोर उल्लंघन माना जायेगा । जहां औचित्यपूर्ण सांविभाग प्रबंधन, उक्त दिनांक के हमारे परिपत्र डीबीओडी॰ सं॰डीआइ आर॰बीसी॰42/सी॰347/87 में दर्शाये गये मार्गदर्शी सिद्धान्तों की शर्तों के अधीन किया जा सकता है वहां सांविभाग प्रबंधन के बहाने किये जाने वाले लेन देनों से व्यवहार में निरोध की अपेक्षा सम्बन्धी निदेशों का उल्लंघन होगा तथा उनके कारण इन निदेशों के उल्लंघन के परिणाम भुगतने होंगे ।

3॰ इस परिपत्र की प्रतिलिपि निदेशक मंडल के समक्ष - के लिए प्रस्तुत की जाये और उसकी सूचना हमें भी दी जाए ।

भवदीय,

प्रेम दयाल गुप्ता
आर मुख्य अधिकारी ।

पोस्ट बाक्स सं. 6089

भारतीय रिज़र्व बैंक
केन्द्रीय कार्यालय
बैंकिंग परिवालन और विकास विभाग
"द आर्केड" विश्व व्यापार केन्द्र,
कोलाबा, बम्बई-5

डीबीओडी. सं. बीपी.(एफएससी)बीसी.120/सी.469-89

2 मई, 1989
12 वैशाख, 1911(शक)

सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक

प्रिय महोदय,

ग्राहकों की ओर से संविभाग प्रबंधन

कृपया दिनांक 27 मार्च, 1989 के गवर्नर के परिपत्र सं.सीपीसी.बीसी.98/279-ए-89 का पैराग्राफ 14(1) देखें। जैसा कि उसमें उल्लेख है, बैंक से इतर ग्राहकों को संविभाग/निधि प्रबंधन की सेवाएं जिस तरीके से कुछ बैंकों ने प्रदान कीं उसके बारे में बैंकों को हमारी ओर से बार-बार चेतावनी दिये जाने के बावजूद, हमें ऐसे उदाहरण मिले हैं कि इस विषय में हमारे अनुदेशों का निरन्तर उल्लंघन हुआ है। कुछ मामलों में तो निधि 30 दिन की अल्पावधि के लिए सौंपी गई थी और वास्तविक की अपेक्षा निवेश-कार्य ज्यादा आनुमानिक थे। ऐसा इसलिए किया गया, ताकि निवेशकर्ता(ओ) को एक विशेष आय मिलती रहे।

2. सामान्यत: संविभाग/निधि प्रबंधन सेवाएं ग्राहकों को मध्यम/दीर्घावधि निधियों के लिए प्रदान की जाती हैं, न कि अल्पावधि निधियों के नियोजन के लिए। अत: यह तय किया गया है कि इसके बाद बैंक/उनकी सहायक संस्थाएं अपने अलग-अलग/कंपनी ग्राहकों को संविभाग/निधि प्रबंधन सेवाएं निम्नलिखित मार्गदर्शी सिद्धांतों के अंतर्गत प्रदान करें :-

(1) यह काम पहले से ही निर्धारित किसी आय की गारंटी दिये बिना केवल ग्राहक के जोखिम पर किया जाए।

(iii) यह काम पार्टियों की ओर से दीर्घावधि निवेशमाध्य निधियों के लिए किया जाए ।

(iii) ग्राहकों द्वारा प्रबंधन के लिए रखी जानेवाली निधियों की न्यूनतम अवधि एक वर्ष के लिए होनी चाहिए । किन्तु, इस अवधि के दौरान संबंधित निवेशों में फेर-बदल करने पर कोई आपत्ति नहीं होगी ।

(iv) लेन-देन की बुकिंग केवल बाजार दरों पर की जानी चाहिए ।

(v) इस प्रकार के लेन-देनों का उचित लेखा-जोखा एवं प्रलेखन सुनिश्चित किया जाना चाहिए ।

3. जो बैंक वाणिज्य बैंकिंग-सहायक संस्थाएं चला उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनकी सहायक संस्थाएं स्वयं ऐसा कारबार न करें जिसे करने के लिए संविभाग/निधि प्रबंधन के संबंध में उन्हें मना किया गया है ।

भवदीय,

ह/-

(टी.के.वे. भागवत)

मुख्य अधिकारी

~~परिपत्र-पत्राचार~~

तार: "बैंकचालन"
बम्बई

भारतीय रिज़र्व बैंक
केन्द्रीय कार्यालय
बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग
केन्द्र I, विश्व व्यापार केन्द्र
कफ परेड, कोलाबा, बम्बई-400005

पो॰बा॰सं॰ 6089

संदर्भ: बैंपविवि॰सं॰एफएससी॰बीसी॰69/सी॰469-90/91

18 जनवरी, 1991
28 पौष 1912 (शक)

गैरनीय

सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के
अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक

प्रिय महोदय,

ग्राहकों को ओर से निवेश संविभाग प्रबंधन

कृपया आप 2 मई 1989 का हमारा परिपत्र बैपविवि॰सं॰बीपो (एफएससी) बीसी॰ 120/सी॰469-89 देखें, जिसमें बैंकों/बैंकों की व्यापारी बैंकिंग सहायक कंपनियों द्वारा अपने ग्राहकों को निवेश संविभाग प्रबंधन सेवायें प्रदान करते समय अपनाये जाने वाले दिशा-निर्देश निर्धारित किये गये हैं । उक्त परिपत्र में यह बताया गया था कि बैंकों और बैंकों की सहायक कंपनियों द्वारा अपने ग्राहकों को निवेशयोग्य दीर्घावधि निधियों के संबंध में उन्हें निवेश संविभाग प्रबंधन सेवायें प्रदान की जा सकती हैं और बैंकों/बैंकों की सहायक कंपनियों द्वारा अपने ग्राहकों से प्रबंधन के लिए स्वीकृत निधियों की न्यूनतम अवधि एवं उर्ज होनी चाहिए । बैंकों के ग्राहकों को निवेश संविभाग प्रबंधन सेवायें प्रदान करने की अनुमति देते समय यह परिकल्पना की गयी थी कि केवल वे बैंक ही इस प्रकार की सेवायें अपनी ओर से प्रदान करेंगे जिनके पास इस प्रकार की सेवा प्रदान करने के लिए आवश्यक विशेषज्ञता और संगठनात्मक क्षमता है । यह अभिप्राय नहीं था कि कोई बैंक प्रबंधन के लिए निधियां स्वीकार करेगा और मात्र मध्यस्थ के रूप में कार्य करते हुए इस प्रकार की निधियां प्रबंधन के लिए किसी अन्य बैंक में रख देगा । यह भी परिकल्पना की गयी थी कि बैंकों द्वारा निवेश संविभाग सेवायें उपयुक्त प्रबंधन शुल्क लेकर प्रदान की जायेंगी, ताकि उनके जिन ग्राहकों के पास दीर्घावधि निवेशयोग्य संसाधन हैं वे अपने निजी जोखिम पर प्रतिभूति संविभाग निर्मित कर सकें और बैंक अपने ग्राहकों को न्यूनतम प्रतिलाभ के संबंध में कोई वचन भी न दें ।

प्रदान की जाने वाली अन सेवाओं के स्वरूप को देखते हुए बैंकों को इस प्रकार की निधियां मुद्रा बाजार, बिल बाजार आदि में ऋण देने के लिए नहीं लगानी थी। यह भी परिकल्पना की गयी थी कि इस प्रकार की सेवायें प्रदान करने वाले बैंक निवेश संविभाग प्रबंधन के लिए अपने ग्राहकों से स्वीकृत निधियों को अलग रखेंगे और प्राप्त निधियों और उनमें से किये गये निवेशों और उनपर अर्जित राशि का ग्राहक वार रिकार्ड रखेंगे तथा ग्राहकों के निवेश संविभागों के साथ और इसी प्रकार के अन्य निवेशों के साथ बैंक अपने निवेश मिलायेंगे नहीं और न ही संविभाग निधियों का उपयोग अपने निजी निवेशों अथवा अन्य प्रकार से करेंगे।

2. कुछ बैंकों द्वारा प्रदान की गयी निवेश "संविभाग प्रबंधन सेवाओं" की हमारी जांच से चिंताजनक बातें पता चली हैं जो निम्नलिखित :-

§1§ बैंक संविभाग प्रबंधन के लिए अल्पावधि निधियां अर्थात एक वर्ष से कम अवधि के लिए स्वीकार करते रहे हैं।

§1.1§ बैंक निवेश संविभाग प्रबंधन के लिए निधियां स्वीकार करते रहे हैं और इस प्रकार की निधियों का प्रबंधन स्वयं करने की बजाय इस प्रकार की निधियां प्रबंधन के लिए अन्य बैंकों के पास रखी हैं।

§1.1.1§ बैंकों ने निवेश संविभाग निधियों की मांग मुद्रा बाजार और बिल बाजार में लगाया है।

§1.1§ बैंक निवेश संविभाग प्रबंधन के लिए स्वीकृत निधियों और उनमें से किये गये निवेशों का ग्राहकवार रिकार्ड नहीं रख रहे हैं। वे इन संविभाग निधियों का प्रयोग अपने निजी प्रयोजनों के लिए करते रहे हैं। वे ग्राहकों के निवेशों के साथ अपने निवेशों को मिलते रहे हैं।

3. इसलिए, इस मामले में कुछ और दिशा-निर्देश जारी करना आवश्यक समझा गया है। अब भविष्य में बैंकों/उनकी सहायक कंपनियों द्वारा अपने ग्राहकों को निवेश संविभाग प्रबंधन सेवायें निम्नलिखित संशोधित दिशा-निर्देशों के दृढ़तापूर्वक अनुपालन पर ही प्रदान की जायें :-

§1§ केवल वे बैंक ही इस प्रकार के कार्यकलाप अपने हाथ में लें जो इस प्रकार की सेवायें प्रदान करते हैं। अपने ग्राहकों से संविभाग प्रबंधन के लिए स्वीकृत निधियां प्रबंधन के लिए किसी अन्य बैंक को नहीं सौंपी जानी चाहिए।

§1.1§ निवेश संविभाग प्रबंधन सेवायें पूरी तरह से ग्राहक के जोखिम, पूर्व निर्धारित प्रतिलाभ की प्रत्यक्ष या परोक्ष गारंटी दिये बिना, शुल्क लेकर निवेश परामर्शी प्रबंधन के स्वरूप की होनी चाहिए। बैंकों को इन सेवाओं के बदले एक निश्चित शुल्क लेना चाहिए, जो ग्राहकों को प्रतिलाभ से स्वतंत्र होगा।

§।।।§ बैंकों/उनकी सहायक कंपनियों द्वारा अपने ग्राहकों को दीर्घावधि निवेशयोग्य निधियों के संबंध में निवेश संविभाग प्रबंधन सेवायें ग्राहकों को प्रतिभूतियों का निवेश क्षेत्र संविभाग निर्मित करने में समर्थ बनाने के लिए दी जानी चाहिए, किसी भी स्थिति में ये निधियां एक वर्ष से कम अवधि के निवेश संविभाग प्रबंधन के लिए स्वीकार नहीं की जानी चाहिए । किसी एक ही ग्राहक द्वारा निवेश संविभाग प्रबंधन के लिए एक से अधिक चार निधियां लगातार आधार पर रखने के मामले में इस प्रकार के प्रत्येक निधि स्थापन को अलग खाता माना जाना चाहिए और इस प्रकार का प्रत्येक स्थापन कम से कम एक वर्ष की अवधि के लिए होना चाहिए ।

§।४§ निवेश संविभाग प्रबंधन के लिए स्वीकृत निधि अनिवार्यत: पूंजी बाजार लिखतों, जैसे कि शेयरों, ऋणपत्रों §डिबेंचरों, बांडों, प्रतिभूतियों आदि में लगानी चाहिए । किसी भी स्थिति में निवेश संविभाग निधियों का उपयोग मांग मुद्रा/बिल बाजार में ऋण देने और कंपनी निकायों के पास ऋण देने के लिए रखने हेतु नहीं किया जाना चाहिए ।

§५§ अपने ग्राहकों को निवेश संविभाग प्रबंधन सेवायें प्रदान करने वाले बैंक को स्वीकृत निधियों और उनमें से किये गये निवेशों का ग्राहकवार खाता/बही/रिकार्ड रखना चाहिए और निवेश संविभाग खाते में सभी प्रकार की जमा §प्राप्त ब्याज, लाभांश आदि सहित§ और उसमें नामे इस प्रकार के खाते के माध्यम से ही किये जाने चाहिए । निवेश संविभाग खाते में रखी प्रतिभूतियों पर ब्याज/लाभांश के संबंध में स्रोत पर काटे गये कर संविभाग खाते में परिलक्षित होने चाहिए । खाता धारक को अपने निवेश संविभाग खाते का लेखा विवरण प्राप्त करने का कार्य होना चाहिए ।

§५।§ बैंकों के अपने निवेश और निवेश संविभाग प्रबंधन सेवा ग्राहक के निवेश एक दूसरे से पृथक रखे जाने चाहिए । यदि बैंक के निवेश खाते और निवेश संविभाग खाते के बीच कोई लेनदेन हों तो वे दृढ़तापूर्वक बाजार दर पर ही हो । हालांकि बैंक निवेश संविभाग खाते की प्रतिभूतियों को अपने निजी नाम से निवेश संविभाग/प्रबंधन सेवा ग्राहकों की ओर से, रख सकते हैं किन्तु इस प्रकार का स्पष्ट संकेत होना चाहिए कि बैंक ने "संविभाग खाते" की ओर से ये निधियां रखी हैं । इसी प्रकार संविभाग खाते की ओर से किया गया कोई भी लेनदेन करते समय इस आशय का स्पष्ट संकेत होना चाहिए कि ये लेनदेन "संविभाग खाते से संबंधित है ।

(vii) बैंक के सामान्य बही खाते (जनरल लेजर) में एक "ग्राहकों का निवेश संविभाग खाता" रखना चाहिए और निवेश संविभाग प्रबंधन के लिए प्राप्त सभी निधियाँ इस खाते में दैनिक आधार पर दर्शायी जानी चाहिए । इस खाते में शेष राशि अर्थात निवेश न की गयी निधियां, यदि कोई हों, तो उन्हें बैंक के बाहरी उधार माना जाना चाहिए और उस इस प्रकार की निधियों पर प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात/सांविधिक चलनिधि अनुपात रखना चाहिए । बैंक द्वारा निवेश संविभाग प्रबंधन के लिए स्वीकृत निधियों के संबंध में ग्राहकों के प्रति बैंक का उत्तरदायित्व बैंक/सहायक कंपनी के प्रकाशित खातो लेखों में उचित रूप से परिलक्षित होना चाहिए ।

4. उपर्युक्त दिशा-निर्देश इस विषय पर हमारे के सभी अनुदेशों का अधिक्रमण करते हैं ।

5. हमारे उपर्युक्त दिशा निर्देशों के किसी भी उल्लंघन को अत्यंत गंभीरता से लिया जायेगा ।

6. कृपया प्राप्ति सूचना भिजवायें ।

भवदीय

(एन. डी. परमेश्वरन)
मुख्य अधिकारी

भारतीय रिजर्व बैंक

केंद्रीय कार्यालय

बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग

केन्द्र-1, विश्व व्यापार केन्द्र

कफ परेड, कोलाबा, बम्बई 400005

तार : ∫ बम्बई

टेलेक्स सं॰: ∫011-86135

टेलीफोन सं॰ ∫2189131-39

पोस्ट बॉक्स सं॰ 6089

कृपया उत्तर में लिखें

बैंक हिन्दी में भी पत्राचार का स्वागत करता है ।

संदर्भ: डीबीओडी सं

एफएससी॰बीसी॰11/

24॰01॰009/92-93

30 जुलाई, 1992

8 श्रावण, 1914 ∫शक∫

सभी वाणिज्य बैंकों के

अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक

प्रिय महोदय,

ग्राहकों की ओर से निवेश संविभाग प्रबंधन

कृपया आप 18 जनवरी, 1991 का हमारा परिपत्र बैंपविवि सं॰ एफएससी॰ बीसी॰69/सी॰469-90/91 देखें, जिसमें बैंकों/बैंकों की व्यापारी बैंकिंग की सहायक कंपनियों द्वारा अपने ग्राहकों को निवेश संविभाग प्रबंधन सेवायें प्रदान करते समय पालन किये जाने वाले विस्तृत दिशा-निर्देश निर्धारित किये गये हैं ।

2॰ यह देखा गया है कि कुछ बैंक निवेश संविभाग प्रबंधन योजना संबंधी हमारे दिशा-निर्देशों के अनुपालन से बचने के लिए विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत, इस प्रकार की योजनाओं को निवेश संविभाग प्रबंधन योजना के रूप में नाम दिये बिना, प्रबंधन के लिए अपने ग्राहकों से निधियाँ स्वीकार करते रहे हैं । अनेक बार भारतीय रिजर्व बैंक के ब्याज दर संबंधी निर्धारणों की घोर अवहेलना करते हुए अल्पावधि जमाराशियों के रूप में ये निधियाँ अत्यधिक ऊंची ब्या

दरों पर कर्ज दी गयी हैं । एक मामले में प्रतिभूतियां निवेश संविभाग प्रबंधन योजना के ग्राहक के खाते और बैंक के निजी निवेश खाते के बीच अंतरित की गयी हैं और बैंक के वार्षिक खातों में पूर्णतया लाभ दिखाने की दृष्टि से बेची गयी हैं । अतएव यह स्पष्ट किया जाता है कि बैंकों द्वारा अपने ग्राहकों से प्रबंधन के लिए स्वीकार की गयी निधियां (विशिष्ट अवधि के लिए जमाराशियों को छोड़कर, जो रिज़र्व बैंक के ब्याज दर संबंधी निदेशों और भारतीय बैंक संघ के सामान्य आधारभूत नियमों और अलग-अलग बैंकों के आंतरिक जमा नियमों के अधीन होती हैं), वे चाहे किसी योजना या नाम से हों, निवेश संविभाग प्रबंधन योजना संबंधी रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अधीन होंगी । दूसरे शब्दों में बैंकों को जमाराशियां लेने के अलावा प्रबंधन के लिए अपने ग्राहकों से निधियां केवल निवेश संविभाग प्रबंधन योजना के लिए निर्धारित नियमों और शर्तों के अधीन ही स्वीकार करनी चाहिए, और किसी अन्य योजना के अंतर्गत नहीं ।

3. " बैंकों का निवेश संविभाग- प्रतिभूतियों का लेनदेन" से संबंधित रिज़र्व बैंक के 20 जून, 1992 के परिपत्र एफ्सससी.बीसी: 143ए/24.48.001/91-92 द्वारा जारी किये गये अनुदेशों के बाद हमारी जानकारी में यह बात आयी है कि कुछ बैंक ऐसे प्रस्तावों पर विचार कर रहे हैं, जिनके अंतर्गत वे निवेश संविभाग प्रबंधन के लिए प्राप्त निधियों पर प्रतिलाभ की एक निश्चित दर की गारंटी देंगे । बैंकों को यह बात माननी चाहिए कि इस प्रकार की गारंटियों के प्रावधान पर कड़ी पाबंदी है ।

4. बैंकों का ध्यान 18 जनवरी, 1991 के हमारे पूर्वोक्त परिपत्र में निहित निम्नलिखित शर्तों की ओर विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है :-

(एक) निवेश संविभाग प्रबंधन योजना पूरी तरह से ग्राहक के जोखिम पर होनी चाहिए, जिसमें पहले से नियत किसी प्रतिलाभ की कोई गारंटी, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से नहीं होनी चाहिए ।

(दो) निवेश संविभाग प्रबंधन के लिए निधियां एक वर्ष से कम अवधि के लिए स्वीकार नहीं की जानी चाहिए ।

(ती न) निवेश संविभाग की निधियों का नियोजन मांग/नोटिस मुद्रा, अंतर बैंक मीयादी जमाराशि और बिल पुनर्भुनाई बाजारों में ऋण देने और कंपनी निकायों को ऋण देने/उनके पास रखने के लिए नहीं किया जाना चाहिए ।

(चार) बैंकों को प्रबंधन के लिए स्वीकार की गयी निधियों और उनके लिए किये गये निवेशों का ग्राहकवार खाता/रिकार्ड रखना चाहिए और संविभाग के ग्राहकों को खाते का विवरण पाने का अधिकार होना चाहिए ।

(पांच) बैंकों के निजी निवेश और निवेश संविभाग प्रबंधन योजना के ग्राहकों के निवेश एक दूसरे से पृथक रखे जाने चाहिए और बैंक के निवेश खाते एवं ग्राहकों के संविभाग खातों के बीच कोई भी लेनदेन पूर्णतया बाजार दरों पर ही होना चाहिए ।

(छः) बैंकों के निजी निवेश खाते और संविभाग प्रबंधन योजना के ग्राहकों के खातों के संबंध में कार्य और पश्च कार्यालय संबंधी कार्य स्पष्ट रूप से अलग-अलग होने चाहिए ।

(सात) निवेश संविभाग प्रबंधन योजना के ग्राहकों के खातों की लेखा-परीक्षा बाह्य लेखा-परीक्षकों द्वारा अलग से होनी चाहिए (20 जून, 1992 के परिपत्र बैंपविवि सं एफएसडी:बीसी. 142ए/24.48.001/91-92 का पेरा 3.11(1) देखें)

5. हमें इस बात पर बल देने की कदाचित आवश्यकता नहीं है कि इन अनुदेशों का उल्लंघन गंभीरता से लिया जायेगा और बैंकों पर निवारक कार्रवाई की जायेगी, जिसमें बैंकों पर उपर्युक्त कार्यकलाप करने पर प्रतिबंध के

अलावा प्रारक्षित निधि अपेक्षायें बढ़ाना, रिजर्व बैंक से पुनर्वित्त सुविधा वापस लेना और मुद्रा बाजारों में उनकी पहुंच पर रोक लगाना शामिल है ।

6. उपर्युक्त अनुदेश आवश्यक परिवर्तनों के साथ बैंकों की सहायक कंपनियों पर भी लागू होंगे, वे मामले अपवाद होंगे जहां वे उनके कार्यों को शासित करने वाले भारतीय रिजर्व बैंक के अथवा भारतीय स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड के विशिष्ट विनियमों के विपरीत हों ।

7. कृपया प्राप्ति-सूचना भिजवायें और इस बात की पुष्टि करें कि ये अनुदेश कड़ाई से अनुपालन के लिए नोट कर लिये गये हैं ।

भवदीय

(एन. डी. परमेश्वरन)
मुख्य अधिकारी

परिशिष्ट बारह

(कृपया प्रतिवेदन का पैरा 10.31 देखिए)

उन लेखा परीक्षकों के नाम, जिन्होंने प्रतिभूतियों के लेन देन करने वाले उन कतिपय सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, विदेशी बैंकों, निजी क्षेत्र के बैंकों तथा उनके अनुषंगी बैंकों और म्यूचुअल फंडों की वर्ष 1991-92 में लेखा परीक्षा की, जिन पर जानकीरमण समिति के प्रतिवेदन में प्रतिकूल टिप्पणी की गई है और जिन पर भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्ष 1992-93 के दौरान बैंकों की लेखा परीक्षा के लिए विचार नहीं किया ।

क्रमांक	बैंक का नाम	लेखा परीक्षक का नाम
(क)	विदेशी बैंक	
(एक)	ए.एन.जेड. ग्रिंडलेज बैंक	मैसर्स ए.एफ. फर्गुसन एंड कम्पनी, कलकत्ता
(दो)	बैंक आफ अमेरिका	मैसर्स एस.बी. बिलीमोरिया एंड कम्पनी, बम्बई
(तीन)	सिटी बैंक	मैसर्स प्राइस वाटर हाउस, बम्बई
(चार)	स्टेण्डर्ड चार्टर्ड बैंक	मैसर्स लव लाक एंड लुईस, बम्बई
(ख)	निजी क्षेत्र के बैंक	
(एक)	बैंक आफ कराड (परिसमापनाधीन)	मैसर्स बी.सी. अभ्यंकर एंड कम्पनी, सांगली
(दो)	नेदुनगुडि बैंक	मैसर्स वर्मा एंड वर्मा, कालीकट
(तीन)	बैंक आफ मदुरा, लि०	मैसर्स सोमसुन्दरम एंड रामनाथन, मदुरै
		मैसर्स वी. पिछैलकुट्टी एंड कम्पनी, मद्रास
(ग)	सरकारी क्षेत्र के बैंक	
(एक)	स्टेट बैंक आफ इंडिया	मैसर्स रतन एस. मासा एंड कम्पनी, बम्बई
(दो)	स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र	मैसर्स ए.एच. दलाल एंड कम्पनी, बम्बई ।

(तीन)	यूको बैंक	मैसर्स बसु डे एंड कपूर, कलकत्ता
(चार)	सिंडीकेट बैंक	मैसर्स के.वी. अय्यर एंड कम्पनी
(पांच)	आन्ध्रा बैंक	मैसर्स जी.एस. माधवराव एंड कम्पनी, हैदराबाद

(घ) सहायक बैंक तथा म्यूचवल फंड्स

(एक)	कैन बैंक फाइनैंशियल सर्विसेज लिमिटेड	मैसर्स के.वी. नरसिंहन एण्ड कम्पनी, बंगलौर
	-	मैसर्स मोण्यन सुरेश सुन्दर एण्ड विट्ठल, बंगलौर
(दो)	एस.बी.आई कैपिटल	मैसर्स प्राईस वाटर हाऊस, बम्बई
(तीन)	आन्ध्रा बैंक फाइनैंशियल सर्विसेज, लि०	मैसर्स ब्रहमय्या एंड कम्पनी, हैदराबाद
(चार)	आल बैंक फाइनैंस लि०	मैसर्स एस.सी. दत्ता एंड कम्पनी, कलकत्ता
(पांच)	कैनबैंक म्युचुअल फंड्स लि०	मैसर्स जी.सी. चौकसी एंड कम्पनी, बम्बई ।

वर्ष 1992-0093 के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लेखा परीक्षक नियुक्त करने के लिए अनुमोदित लेखा परीक्षा करने वाली फर्मों के नाम जिन्होंने वर्ष 1991-92 के दौरान बैंकों की लेखा परीक्षा की ।

क्रम सं॰	बैंक का नाम	लेखा परीक्षकों के नाम
(क)	विदेशी बैंक	
1॰	ए॰बी॰एन॰अमरो बैंक	मैसर्स एस॰बी॰बिल्लीमोरिया एंड कं॰ बम्बई ।
2॰	हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कारपोरेशन लि॰	मैसर्स ए॰एफ॰फरगुशन एंड कं॰बम्बई
3॰	दी ब्रिटिश बैंक आफ॰ दी मीडिल ईस्ट	मैसर्स ए॰एफ॰फरगुशन एंड कं॰बम्बई
4॰	सोसाइटी जनरल	मैसर्स सी॰सी॰चोक्सी एंड कं॰बम्बई
(ख)	निजी क्षेत्र के बैंक	
1॰	दी नेडुंगडी बैंक लि॰	मैसर्स वर्मा एंड वर्मा, कालीकट
2॰	बैंक आफ॰ मदुरा लि॰	मैसर्स वी॰पिच्चईकुट्टी एंड कं॰मद्रास

परिशिष्ट - 19

(कृपया प्रतिवेदन का पैरा 11.2 देखिए)

बैंकों और उनके सहायक बैंकों आदि के ऐसे चेयरमैनों और प्रबंध निदेशकों अथवा अन्य उच्च पदस्थ अधिकारियों के नामों को दर्शाने वाला विवरण जिनके विरुद्ध घोटाले के परिदृश्य में कार्यवाही की गई अथवा उन्हें अपने पदों से हटा दिया गया अथवा जिन्हें छुट्टी पर चले जाने के लिए कहा गया ।

..

1. श्री एम.एन.गौयपुरिया, चेयरमैन, भारतीय स्टेट बैंक को छुट्टी पर चले जाने के लिए कहा गया ।

2. श्री एम.जे.पेरवानी, चेयरमैन, राष्ट्रीय आवास बैंक ने त्यागपत्र दे दिया ।

3. श्री के.मार्गबंधु युनाइटेड कमर्शियल बैंक के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक को 11.5.1992 को छुट्टी पर चले जाने के लिए कहा गया और बाद में 8.7.1992 को उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई ।

4. श्री सी.एल.खेमानी, भारतीय स्टेट बैंक के उप प्रबंध निदेशक को छुट्टी पर चले जानेके लिए कहा गया

5. श्री आर.वेंकटाकृष्णन, यूनाइटेड कमर्शियल बैंक के महा प्रबंधक को उनके द्वारा धारित पद से हटाकर गैर संचालनात्मक पद पर लगा दिया गया और उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही आरम्भ की जा रही है ।

6. श्री आर.एस.पई, सिंडीकेट बैंक के कार्यकारी निदेशक को छुट्टी पर चले जाने के लिए कहा गया।

7. श्री बी.श्रीनिवासराव, आन्ध्रा बैंक के महाप्रबंधक को निलम्बित किया गया ।

8. श्री वाई.सुन्दरा बाबू, आन्ध्रा बैंक पनइनेंसियल सर्विसेज लि. के प्रबंध निदेशक को निलम्बित किया गया ।

9. श्री सी.गोपालराज, एस.बी.आई. कैपिटल मार्किट के मद्रास क्षेत्रीय कार्यालय के महाप्रबंधक को छुट्टी पर चले जाने के लिए कहा गया और इसके लिए स्पष्टीकरण मांगा गया जोकि बैंक को प्राप्त हो चुका है ।

10. श्री बी.आर.आचार्य, केन बैंक म्युचुअल फंड के महाप्रबंधक को निलम्बित किया गया है ।

11. श्री पी.एस.नट, स्टेनचार्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने त्यागपत्र दे दिया ।

12. श्री ए.पी.राव, केनफिना के तत्कालीन प्रबंध निदेशक को छुट्टी पर चले जाने के लिए कहा गया ।

13. श्री आर·के·अय्यर, स्टेनचार्ट के स्थानीय करेंसी ग्रुप निदेशक की सेवाएं समाप्त कर दी गई ।

14. श्री सी·आर·कनाडे, बैंक आफ़ कराड के चेयरमैन और उसके दो निदेशकों श्री भूमेन दलाल और मिलन दलाल को नौकरी से हटा दिया गया ।

15. मै ट्रोपोलिटन को-आपरेटिव बैंक के निदेशक बोर्ड को हटा दिया ग्या और बाद में इन दोनों बैंकों का परिसमापन कर दिया ग्या ।

16. श्री ए· सभापति, बैंक आफ़ मदुरै के चेयरमैन को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा हटाया गया था ।

17. श्री वी·महादेवन, प्रबंध निदेशक, भारतीय स्टेट बैंक को सेवाएं संवर्ग कोटा से अलग शेयर रखने के संबंध में सरकार द्वारा उनकी सेवाएं 25·6·1993 से समाप्त कर दी गई थी जबकि उनका सेवाकाल 30·6·1993 तक था ।

18. श्री पी·वी·सुब्बाराव, प्रबंध निदेशक, भारतीय स्टेट बैंक द्वारा अपनी पत्नी के साथ कर्मचारी कोटे से अलग संयुक्त रूप से आई·एफ़·जी· एल·रोप्रेक्ट्रोज लि· के शेयर खरीदने की सरकार द्वारा आलोचना की गई थी । उसने शेयर वापिस कर दिये हैं ।

19. श्री एम·गोपालकृष्ण नैया की सेवाएं दिनांक 9·7·1993 के आदेश द्वारा आन्ध्रा बैंक की प्रतिभूतियों के संव्यवहार में पाई गई अनियमितताओं के संबंध में, समाप्त की गई जबकि वह महाप्रबंधक थे

परिशिष्ट - बीस

(कृपया प्रतिवेदन का पेरा 11.2 और 11.3 देखिए)

..

केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा दर्ज किये गये विभिन्न मामलों में शामिल दोषी व्यक्तियों के नामों की सूची ।

...

एक. भारतीय स्टेट बैंक

1. श्री सी.एल.खेमानी,
   उप-प्रबंध निदेशक (टी.एंड आई एम.)
   केन्द्रीयकार्यालय,
   भारतीय स्टेट बैंक, मुम्बई

2. श्री ए.एन.बावाडेकर,
   उप-प्रबंधक,
   प्रतिभूति प्रभाग,
   मुख्य शाखा, भारतीय स्टेट बैंक, मुम्बई ।

3. श्री आर.सीतारामन
   जे.एम.जी.-1 अधिकारी
   प्रतिभूति प्रभाग,
   मुख्य शाखा, भारतीय स्टेट बैंक, मुम्बई

4. श्री हर्षद एस.मेहता
5. श्रीमती ज्योति एच.मेहता
6. श्री अश्विन एस.मेहता
7. श्री सुधीर एस.मेहता
8. श्री पंकज वी.शाह
9. श्री अतुल पारिख
10. श्री हितेन मेहता
11. मैसर्स ग्रोमोर रिसर्च एंड ऐसेट्स मैनेजमेंट लि.
12. मैसर्स ग्रोमोर लीजिंग एंड इन्वेस्टमेंट लि.
13. मैसर्स माजदा इंडस्ट्रीज एंड लीजिंग लि. तथा अन्य ।

दो· यूनाईटेड कमर्शियल बैंक

1· श्री के·मार्गबंधु,
भूतपूव चेयरमैन और प्रबंध निदेशक
यूको बैंक, कलकत्ता ।

2· श्री बो·राय चौधरी,
उप-महाप्रबंधक,
यूको बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय
मुम्बई ।

3· श्री एस·वो·प्रभु
सहायक महाप्रबंधक,
यूको बैंक, नरीमन प्वाइंट शाखा,
मुम्बई

4· श्री आर·वेंकटकृष्णन,
महाप्रबंधक (टो·एंड आई·एम·),
यूको बैंक, कलकत्ता

5· श्री हर्षद एस· मेहता

6· श्री अश्विन एस· मेहता

7· श्री सुधीर एस·मेहता

8· श्रीमती ज्योति एच·मेहता

9· श्री एन·एस·ईश्वर चन्द्र

10· श्री सुनील समतानी

11· मैसर्स वी·बी·देसाई

तीन· स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक

1· श्री भूपेन सो·दलाल
2· श्री जे·पी·गांधी
3· श्री हितेन पी·दलाल
4· श्री ए·वी·नरोत्तम
5· श्री हेमन्त बी·ब्यास
6· श्री के·के·कपाड़िया,
वाइस चेयरमैन,
मैट्रोपालिटन को-आपरेटिव बैंक लि·,
मुम्बई ।

7. श्री अरविन्द मोहन लाल,
भूतपूर्व प्रबंधक, एम.टी.यू.
स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक
मुम्बई

8. श्री जयदीप पाठक
भूतपूर्व प्रबंधक,
स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक,
मुम्बई

9. श्री टी.बी.रुइया,
तथा अन्य

चार. कैन बैंक म्युचुएल फैंड

1. श्री अनिल नारोचेनिया,
सहायक महाप्रबंधक,
कैनबैंक म्युचुएल फंड,
मुम्बई

2. श्री हितेन पी.दलाल

3. बैंक आफ. कराड लि. के अज्ञात अधिकारी तथा अन्य

पांच.कैनबैंक कनाइनैंशियल सर्विसिज लि.

1. श्री एम.के .अशोक कुमार
कार्यकारी उपाध्यक्ष,
कैनफिना, बंगलौर

2. श्री हितेन पी.दलाल

3. श्री अभय पी.दलाल

4. श्री भूमेन दलाल

5. श्री टी.बी.रुइया

6. श्री जे.पी.गांधी

7. बैंक आफ. कराड लि. के अज्ञात
अधिकारी/कर्मचारी तथा अन्य

छः- स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र

1. श्री स.जी. श्रीनिवासन
प्रबंधक (निधि)
निधि प्रबंधन सेल,
स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र
11, स्ता.ने.प्रोतारी रोड, फोर्ट
मुम्बई 1

2. श्रीमती राधा श्रीनिवासन
3. श्री हर्षद स. मेहता
4. मैसर्स चन्द्रक - एंड कंपनी, मुंबई तथा अन्य

तात- एम .ा.आई कैपिटल मार्केट्स लि.

1. श्री आर. सीतारामन
~~2~~ जे.एम.जी0-1 अधिकारी
प्रतिभूति प्रभाग,
भारतीय स्टेट बैंक (मुख्य) शाखा, मुम्बई ।

2. श्री दीप कुमार
राष्ट्रीय आवास बैंक के अधिकारी
मुम्बई

3. श्री अनिल शर्मा
भूतपूर्व वरिष्ठ प्रबंधक
एम.आई.आई कैपिटल मार्केट्स लि.,
नई दिल्ली

4. श्री हर्षद स. मेहता
तथा अन्य ज्ञात व्यक्ति

आठ - राष्ट्रीय आवास बैंक

1. श्री सी. दीप कुमार
सहायक महाप्रबंधक
निधि प्रबंधक ग्रुप,
राष्ट्रीय आवास बैंक,
बान्द्रे आईज बिल्डिंग, तृतीय तल, 45, वीर सावरकर रोड
मुम्बई-15

2. श्री एस.सुरेश बाबू
सहायक प्रबंधक
निधि प्रबंधक ग्रुप, राष्ट्रीय आवास बैंक,
बान्द्रे आईज बिल्डिंग, तृतीय तल, 45, वीर सावरकर रोड,
मुम्बई-15

3. श्री आर. सीतारामन
अधिकारी, कनिष्ठ प्रबंधन श्रेणी-I
प्रतिभूति प्रभाग, भारतीय स्टेट बैंक,
मुख्य शाखा, मुम्बई ।

4. श्री हर्षद एस. मेहता

नौ- पावर फाइनैंस कारपोरेशन

1. श्री एम.प्रसाद
निदेशक (वित्त)
पावर फाइनैंस कारपोरेशन
चन्द्रलोक बिल्डिंग,
जनपथ, नई दिल्ली ।

2. श्री प्रहलाद राव
उप -महाप्रबंधक (वित्त)
पावर फाईनैंस कारपोरेशन
चन्द्रलोक बिल्डिंग,
जनपथ, नई दिल्ली ।

3. श्री एम. रवि
उप प्रबंधक (वित्त)
पावर फाइनैंस कारपोरेशन
चन्द्रलोक बिल्डिंग
जनपथ, नई दिल्ली

4. श्री पी.एन. देवस्थली
तत्कालीन प्रथम श्रेणी अधिकारी
बूको बैंक, हाम स्ट्रीट ब्रांच
मुम्बई ।

5. श्री हर्षद एस. मेहता
6. श्री मोहन डी0 खण्डेलवाल
7. ए.एन.जैड ग्रिंडलेज बैंक के कुछ अधिकारी तथा अन्य अज्ञातव्यक्ति

दस- केयरग्रोथ फाइनैंशियल सर्विसेज लि0

1. श्री धर्मपाल,
प्रबंध निदेशक
केयरग्रोथ फाइनैंशियल सर्विसेज लि0
मुम्बई ।

2. श्री आर. लक्ष्मीनारायण
कार्यकारी निदेशक
केयरग्रोथ फाइनैंशियल्स सर्विसेज लि0
बंगलौर

3. श्री आर॰ गणेश
सहायक उपाध्यक्ष
फेयरग्रोथ फाइनेंशियल सर्विसिज लि0
बंगलौर

4. श्री श्रीनिवासन.
उपाध्यक्ष
फेयरग्रोथ फाइनेंशियल सर्विसिज लि0
मुम्बई ।

5. मैसर्स फेयरग्रोथ फाइनेंशियल सर्विसिज लि0
जिसका पंजीकृत कार्यालय बंगलौर में है ।

ग्यारह- आंध्र बैंक फाइनेंशियल सर्विसिज लि0

1. श्री वाई॰ सुन्दर बाबू,
भूतपूर्व प्रबंध निदेशक
आंध्र बैंक फाइनेंशियल सर्विसिज लि0

~~प्रतिभूति घोटाला~~

(कृपया प्रतिवेदन का पैरा 11.40 देखिए)

व्यवहार में

प्रतिभूतियों के [illegible] हुई अनियमितताओं के संबंध में जिन बैंकों/संस्थाओं के अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही आरंभ की गई है, उनके नाम/पदनाम दर्शाने वाला विवरण ।

एक- भारतीय स्टेट बैंक

1.	श्री आर. सीतारामन	जे0एम जी स्स-1
2.	श्री वै0 केशवम	सहायक महाप्रबंधक (स्स एम जी स्स-5)
3.	श्री ए.एन.बापाडेकर	एम एम जी स्स III
4.	श्री ए डी पाण्डेय	सहायक महा प्रबंधक (स्स एम जी स्स-5)
5.	श्री एम एस शर्मा	उप महा प्रबंधक मुम्बई मुख्य शाखा
6.	श्री डी एम शाह	हेड क्लर्क प्रतिभूति विभाग, मुख्य शाखा मुम्बई ।
7.	श्री ए.वी. मोखो	कम्प्यूटर संचालक, प्रतिभूति विभाग, मुम्बई, मुख्य शाखा
8.	श्री आर.एल. कामथ	उप महा प्रबंधक (टी एंड आई एम) केन्द्रीय कार्यालय
9.	श्री आर.के.डोकानिया	मुख्य प्रबंधक (टी एंड आई एम) केन्द्रीय कार्यालय
10.	~~श्री/आर/के.~~ श्री टी.पी एन राव	एम एम जी स्स-II (टी एंड आई एम) केन्द्रीय कार्यालय
11.	श्री एच.के.वकील	एम एम जी स्स-1 (टी एंड आई एम) केन्द्रीय कार्यालय

दो- स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र

1.	श्री एम.एस.श्रीनिवासन	भूतपूर्व प्रबंधक, एफ एम सी, मुम्बई ।

तीन- आंध्र बैंक

1.	श्री आर.धन कुमार	अधिकारी, एम एम-3 फोर्ट ब्रांच
2.	श्री एस.पी.कामथ	अधिकारी जे एम-1 फोर्ट ब्रांच

3.	श्री आर.बी. भिंगार्ये	अधिकारी, पे एम-1 फोर्ट ब्रांच
4.	श्री एम एन अस्करी	अधिकारी, एम एस-2 फोर्ट ब्रांच
5.	श्री एम. रमेश	अधिकारी, एम एम-3 केन्द्रीय लेखा विभाग हैदराबाद ।
6.	श्री के.एस. शास्त्री	मुख्य अधिकारी केन्द्रीय लेखा विभाग हैदराबाद
7.	श्री बी.डी. भल ला	मुख्य प्रबंधक फोर्ट ब्रांच मुम्बई
8.	श्री ए.कृष्णा मूर्ति	उप महा प्रबंधक क्षेत्रीय कार्यालय मुम्बई
9.	श्री बी.वी.आर.गोपालकृष्णराव	सहायक महाप्रबंधक केन्द्रीय लेखा विभाग हैदराबाद

<u>धारा - मेट्रो पालिटन को-आपरेटिव बैंक लि. (परिसमापन)</u>

1.	श्री के.के. कपाडिया, पाइल चेयरमैन	महाराष्ट्र को-आपरेटिव सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा 83 के अंतर्गत जांच ।
2.	श्री के.एम.व्यास , निदेशक	16.6.92 को जांच आदेश दिया गया और श्री एम बी त्रिभुवन डिप्टी रजिस्ट्रार सी एस (के/ई) को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया ।

बैंक के वे अधिकारी जो उपर्युक्त निदेशकों के साथ सह-हस्ताक्षरकर्ता के रूप में सम्बद्ध थे :

1.	श्री पी.सी. देसाई	मुख्य कार्यकारी अधिकारी
2.	श्री एम एस कुबते	एकाउंटेंट
3.	श्री डी पी गांधी	अधिकारी

<u>धारा- सिंडीकेट बैंक</u>

1.	श्री बी पी डी पई	सहायक महाप्रबंधक एस एम जी एस-5
2.	श्री आर.सुन्दरेशन	प्रभागीय प्रबंधक एस एम जी-4
3.	श्री एच.के. भिंगार्ये	प्रबंधक एम एम जी एस-3

~~नेदुनगाडी~~

~~नये [illegible]~~ बैंक लि0

1.	श्री के.पी.गंगाधर मेनन	चेयरमैन (अब सेवानिवृत्त)
2.	श्री पी.श्रीधरन	सहायक महाप्रबंधक
3.	श्री के.वी.श्रीनिवासन	प्रबंधक, बंगलोर शाखा
4.	श्री एच.एस.पिदम्बरा	एकाउंटेंट बंगलोर शाखा
5.	श्री टी. क्रीयप्पा	एकाउंटेंट, बंगलोर शाखा

सात- स्टैण्डर्ड चार्टर्ड बैंक

1.	श्री पी.एस. नट	मुख्य कार्यकारी, भारत
2.	श्री आर.कानन	कार्यकारी निदेशक, निक्को बैंकिंग ग्रुप
3.	श्री आर.के.अय्यर	निदेशक, स्थानीय मुद्रा समूह
4.	श्री ए.एम.लाल	प्रबंधक, धन और निवेश एक्स (एम आई यू)
5.	श्री जे.पाठक	डीलर (इससे पहले प्रोडक्टिंग अधिकारी एम आई यू)
6.	श्री मनोज राघे	डीलर
7.	श्री पी. श्रीनिवास	डीलर
8.	श्री वी.आर.श्रीनिवासन	प्रबंधक, सी.सी.डी.एस.
9.	श्री एस.मुलगांवकर	स्टाफ अधिकारी (एम आई यू)
10.	श्री एस. चन्द्रशेखर	प्रबंधक, एस सी जी सपोर्ट
11.	श्री पी.सहगल	सहायक प्रबंधक
12.	श्री एस.कनाल	डीलर, इक्विटी
13.	श्री जी.राजगोपालन	डीलर, इक्विटी
14.	श्री वी. शिवकुमार	निदेशक, संचालन डीलर
15.	श्री के.कोलाबावाला	निदेशक, आंतरिक नियंत्रण संचालन
16.	श्री आर.ईश्वरे	निदेशक, आंतरिक नियंत्रण
17.	श्री पी.जे.अपाना	वरिष्ठ प्रबंधक आंतरिक नियंत्रण
18.	श्री आर शेषाद्रि	प्रबंधक आंतरिक, नियंत्रण
19.	श्री जे.एस.ज्यकर	सहायक प्रबंधक आंतरिक नियंत्रण

आठ- विजया बैंक

1.	श्री के.शिवराम शेट्टी	चेयरमैन व प्रबंध निदेशक (अब सेवानिवृत्त)
2.	श्री के.कृष्टप्पा शेट्टी	महा प्रबंधक
3.	श्री के.अर्कताप्पा शेट्टी	उप महा प्रबंधक
4.	श्री एन. जयप्रकाशन	प्रभागीय प्रबंधक

नौ - फेडरल बैंक लि०

1.	श्री राजू पिल्लै	सहा प्रबंधक

दस - बैंक ऑफ़ बड़ौदा, बम्बई

	श्री बी० रत्नम	प्रबंधक, पूंजी व मुद्रा बाजार विभाग

ग्यारह - बैंक आफ मदुरै

	श्री एस०पी० सभापति	चेयरमैन (भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा पद से हटा दिया गया ।)

बारह - हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कारपोरेशन लि०

	श्री पीयूश कपूर	कार्यकारी/डीलर मर्केंट बैंक, नई दिल्ली

तेरह - राष्ट्रीय आवास बैंक

1.	श्री पी०के०पार्थसारथी	कार्यकारी निदेशक
2.	श्री एस०डी० शेरीगादी	मुख्य महा प्रबंधक, मुम्बई
3.	श्री बी०सी०एस० बाजिगा	उप महा प्रबंधक
4.	श्री पी० जम्बुलेश्वरन	सहायक महा प्रबंधक
5.	श्री राकेश भल्ला	सहायक महा प्रबंधक
6.	श्री वी०आर० काबे	सहायक महा प्रबंधक
7.	श्री सी० रवि कुमार	सहायक महा प्रबंधक
8.	श्री एस० सुरेश बाबू	सहायक प्रबंधक

चौदह - एस०बी०आई० कैपिटल मार्केट्स लि०

1.	श्री सी० गोपाल राज	तत्कालीन महा प्रबंधक एसबीआई केप्स, मद्रास
2.	श्री सी०आर०एल० नरसिंहमन	तत्कालीन सहायक महा प्रबंधक एस बी आई केप्स, मद्रास

3.	श्री एस.के. कुमार	तत्कालीन मुख्य प्रबंधक एस बी ओ ई केरल "T" उप प्रबंधक, केरल
4.	श्री एस. नन्द कुमार	

बन्दुह - आन्ध्र बैंक का दृश्य :

1.	सुन्दर बाबू आनन्द मदभूषी	निरीक्षण सहा एक आंध्र बैंक कार्पोरेशनल सर्विसेज लि० प्रबंध निदेशक, ए बी एफ एस एल वरिष्ठ वाइस प्रेजीडेंट,
4.	श्री परिधन वाक्को	ए बी एफ एस एल वरिष्ठ वाइस प्रेजीडेंट
5.	श्री आर. कल्याणरमन	ए बी एफ एस एल वरिष्ठ वाइस प्रेजीडेंट ए बी एफ एस एल

सोलह- केन बैंक फाइनेंशियल सर्विसिज लि.

1.	श्री ए.पी.राव	प्रबंध निदेशक
2.	श्री जी. सुब्रह्मण्यम	कार्यकारी निदेशक
3.	श्री एम.के.अशोक कुमार	कार्यकारी वाइस प्रेजीडेंट
4.	श्री एस.मोहन	सहायक वाइस प्रेजीडेंट
5.	श्री एन.बाला सुब्रह्मियन	सहायक वाइस प्रेजीडेंट
6.	श्री के. गणेशन	सहायक वाइस प्रेजीडेंट

सत्रह- केनबैंक म्युच्युल फण्ड

1.	श्री बी.आर.आचार्य	महाप्रबंधक
2.	श्री अनिल एम नरिचनिया	सहायक महाप्रबंधक
3.	श्री पी.जे.सुब्बाराव	सहायक महाप्रबंधक
4.	श्री जोसफ डोसूजा	प्रभागीय प्रबंधक
5.	श्री विपिन दिवचा	प्रबंधक
6.	श्री प्रवीण मलिक	प्रबंधक

अठारह- बी बी आई फाइनेंस लि.

1.	श्री ए वी जोग	मुख्य कार्यकारी और पूर्णकालिक निदेशक

उन्नीस- डी बी फाइनेंशियल सर्विसिज (इंडिया) लि.

1.	श्री रवि सेवानल	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, (फाइनेंशियल सर्विसिज कंपनी)
2.	सुश्री लता श्रीराम	प्रबंधक

बीस- युनाइटेड कमेर्शियल बैंक

1.	श्री वी.एन.देवस्थली	श्रेणी-एक
2.	श्री आर.वेंकटकृष्णन	महाप्रबंधक (टी एंड आई एम)
3.	श्री वी राय	उप महा प्रबंधक
4.	श्री एस.वी.प्रभु	सहायक महा प्रबंधक
5.	श्री एस वी रामनाथन	प्रभागीय प्रबंधक
6.	श्री सुनील गौरवारा	वरिष्ठ प्रबंधक

7.	श्री के॰पी॰पाडिय	वरिष्ठ प्रबंधक
8.	श्री महावीर सिंह	सहायक महा प्रबंधक
9.	श्रीमती शुभा मुखर्जी	अधिकारी
10.	श्री टी॰आर॰गुलाठी	अधिकारी
11.	श्री एन एल नाइक	
12.	श्री डी॰पी॰पटेल	
13.	श्री एम वी सिधाये	
14.	श्री एच एम शालीग्राम	
15.	श्री आर॰जी॰कपाडिया	
16.	श्री एच सी पारिख	
17.	श्री पी॰एस॰गोखले	
18.	श्री पी एम रत्नाकर	
19.	श्री एम एन बर्वे	
20.	श्री एम वी सिधाये	
21.	श्री पी ए करखानिस	महा प्रबंधक श्रेणी
22.	श्री ए सी साहा	
23.	श्री के॰मल्लिकार्जुनन	सहायक महा प्रबंधक

निम्नलिखित बैंकों ने बताया है कि उन्होंने प्रत्येक के सामने दिखाए गए कारणों से अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कोई विभागीय कार्यवाही आरंभ नहीं की है ।

1. सिटी बैंक

बैंक ने बताया कि उसने कठोर आंतरिक नियंत्रण, जोखिम प्रबंध प्रक्रिया को सुदृढ बनाने और प्रमुख कार्मिकों को बदलते रहने की पद्धति के द्वारा प्रतिभूति विभाग का पुनर्गठन किया है । बैंक ने पोर्टफोलियो मेनेजमेंट स्कीम के संचालन को भी बंद कर दिया है और समझौतों के द्वारा अधिकांश ग्राहकों को उनकी बकाया राशि का भुगतान कर दिया है । बैंक के पूर्ववर्ती कोषागार विभाग के निम्नलिखित अधिकारियों ने बैंक की नौकरी छोड दी है :

(एक)	श्री ए.एस.त्यागराजन	भूतपूर्व विश्वव्यापी वित्त/निवेश बैंक प्रमुख
(दो)	श्री एस. रमेश कुमार	(कोषाध्यक्ष)
(तीन)	श्री एस.सब्बुंजा	(संपर्क प्रबंधक प्रत्ययी ग्राहक)
(चार)	श्री पी.पुरकर	(डीलर)
(पांच)	श्री के.आर.भरत	(जोखिम प्रबंधक)

इसके अतिरिक्त दो डीलरों ने इस बीच त्यागपत्र दे दिया है और बैंक ने उनके त्यागपत्रों को स्वीकार कर लिया है ।

बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक को यह भी सूचित किया है कि न्यूयार्क से बैंक निरीक्षकों ने जो उनके अधिकारियों से संबंधित मामलों की व्यक्तिगत निष्ठा संबंधी मामलों की जांच के विशेषज्ञ हैं, भारत का दौरा किया है और आज तक उन्होंने किसी मामले का पर्दाफाश नहीं किया है । बैंक ने निरीक्षकों को आश्वासन दिया है कि यदि भारतीय रिजर्व बैंक ऐसे किन्हीं मामलों का पता लगाएगा तो बैंक उन्हें वह जानकारी उपलब्ध करायेगा ।

2. बैंक आफ अमरीका

बैंक के अनुसार किसी भी अधिकारी की घोटाले में प्रत्यक्ष रूप से भागीदारी का पता नहीं चला है । बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक को सूचित किया है कि घोटाले में प्रतिभागी अथवा प्रभावित पक्ष के रूप में उसकी किसी प्रकार की प्रत्यक्ष भूमिका नहीं रही है । बैंक ने तो कोई जाली बैंक रसीद जारी की है और न ही बैंक के नाम में ऐसी कोई रसीदें जारी की ही गई हैं । बैंक ने किसी अन्य गतिविधि

में भागीदारी नहीं की है जिसके द्वारा लोगों को प्रतिभूतियों के लिए उनके धन के निवेश हेतु प्रेरित किया जाए जबकि वास्तव में ऐसी कोई भी प्रतिभूतियां विद्यमान नहीं थीं। बैंक ने ना तो किसी को ठगा है न ही बैंक को ठगा गया है। बैंक अपनी व्यापार प्रक्रिया में जोखिम के प्रति सोच समझकर कार्य करता था। बैंक ने बंबई स्थित अपने कोषागार संचालनों में सम्बद्ध कार्मिकों को तबादला कर दिया है। श्री आलोक अग्रवाल, वाइस प्रेजीडेंट और देश के कोषाध्यक्ष और श्री संदीप सचदेवा वाइस प्रेजीडेंट और प्रतिभूति व्यापार के प्रमुख के स्थान पर अन्य को नियुक्त किया गया। इसके अतिरिक्त इस समय बैंक के नये देशी प्रबंधक श्री अम्बी वेंकटेश्वरन हैं।

3. ए.एन.जेड.ग्रिंडलेज बैंक

बैंक ने सूचित किया है कि इसके कर्मचारी वृन्द का कोई भी सदस्य किसी अनियमितता/घाठ-गाठ/अपराध में संलग्न नहीं है और परिणामतः न तो कोई भी मामला दर्ज किया गया है और न ही कोई विभागीय कार्यवाही की गई है।

4. कारपोरेशन बैंक

बैंक ने सूचित किया है कि इसे जानकारी समिति की पांचवीं और छठी रिपोर्ट की प्रतियां अभी हाल ही में प्राप्त हुई हैं। चूंकि इस बैंक का नाम पहली बार रिपोर्ट में प्रकाशित हुआ अतः बैंक द्वारा रिपोर्ट में उठाए गए विभिन्न मुद्दों से अध्ययन किया जा रहा है।

5. कर्नाटक बैंक लिमिटेड

बैंक ने बताया है कि उसकी कस्तूरबा मार्ग, बंगलौर स्थित शाखा ने अपने संघटक मैसर्स फैयर ग्रोथ फाइनेंशियल सर्विसेज लि. की ओर से अपने मुख्य कार्यालय की स्वीकृति से जुलाई,1991 में लगभग 6 करोड़ रुपये का लेन देन 4 बैंक रसीदों द्वारा किया था। भारतीय रिजर्व बैंक ने दिनांक 26 जुलाई, 1991 के परिपत्र में दिये गये निर्देशों को मद्देनजर रखते हुए ऐसे लेन देन तुरंत रोक दिये गये थे। इस प्रकार कोई कार्यवाही प्रारंभ किये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

6. स्टैण्डर्ड चार्टर्ड बैंक लि.

बैंक ने सूचित किया है कि बैंक को जानकारमन समिति की पांचवीं रिपोर्ट 21 मई,1993 को प्राप्त हुई थी और बैंक समिति द्वारा उठाए गए विभिन्न पहलुओं की जांच कर रहा है।

7. इंडियन बैंक म्युचुअल फंड

इंडियन बैंक म्युचुअल फंड ने बताया है कि इसके द्वारा कोई कार्यवाही प्रारंभ नहीं की गई है क्योंकि

इसका कोई भी अधिकारी/कर्मचारी प्रतिभूति लेन-देन में की गई अनियमितताओं में अंतर्ग्रस्त नहीं है ।

8. इंडबैंक मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज लि0

कंपनी ने सूचित किया है कि इसके द्वारा कोई कार्यवाही प्रारंभ नहीं की गई है क्योंकि इसका कोई भी अधिकारी/कर्मचारी प्रतिभूति लेन देन में की गई अनियमितताओं में अंतर्ग्रस्त नहीं है ।

9. आल बैंक फाइनेंस लि0

शून्य

10. पी एन बी कैपिटल सर्विसिज लि0

शून्य

11. बैंक आफ कराड लि. (परिसमापन में)

1.	श्री सी.एस.राजे	अधिकारी	श्री राजे को 22/23 जून,1992 को केन्द्रीय ब्यूरो द्वारा हिरासत में लिया गया और बाद में जमानत पर छोड दिया गया । श्री राजे को केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा उनके विरुद्ध निष्कर्षों और कार्यवाहियों (आरोप पत्र आदि) के संबंध में की गई/प्रस्तावित कार्यवाही को देखते हुए कार्यभार संभालने की अनुमति नहीं दी गई । उपरोक्त बताए गए कारणों के लिए उनके विरुद्ध कोई आंतरिक कार्यवाही नहीं की गई है ।
2.	श्री सुधाकर अईल	क्लर्क	श्री अईल को 22/23 जून,1992 को सी बी आई द्वारा हिरासत में लिया गया और बाद में जमानत पर रिहा किया गया । श्री अईल को केन्द्रीय जांच ब्यूरो में उनके विरुद्ध निष्कर्षों और कार्यवाहियों (आरोप पत्र आदि) के संबंध में की गई/ प्रस्तावित कार्यवाही को देखते हुए कार्यभार

सभालने की अनुमति नहीं दी गई । उपर्युक्त बताए गए कारणों के लिए उनके विरुद्ध कोई आंतरिक कार्यवाही नहीं की गई है ।

12. बंबई क्रमेंटाइल कोआपरेटिव बैंक लि.:

[बंबई मक्रेंटाइल कोआपरेटिव बैंक लि. का यू.बी.डी., भारतीय रिजर्व बैंक को भेजे गए पत्र 56/87 दिनांक 27 मई, 1993 का उद्धरण]

अनुशासनात्मक कार्यवाही

अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारंभी नहीं की गई थी क्योंकि यह देखा गया था कि जानकीरमन समिति द्वारा अपने तीसरे प्रतिवेदन में बैंक द्वारा दलालों के लेखों में निधियों के किए गए विपणन संबंधी टिप्पणी रिकार्ड के अनुसार तथ्य पर आधारित नहीं है । बैंक के रिकार्ड के अनुसार तथ्य यह है कि हमारे बैंक द्वारा जारी भुगतान आदेश, बैंक आफ इंडिया के पक्ष में रेखांकित आदाता खाता है और इन्हें मुद्रित लेटर हेड पर प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित कर अग्रेषण पत्र सहित बैंक आफ इंडिया को अग्रेषित किया गया था । अग्रेषण पत्रों को दलालों, मैसर्स भूपेन्द्र चम्पकलाल देवीदास द्वारा अथवा बैंक द्वारा उचित मोहर के साथ पावती की गई थी । इन पत्रों को बाद में जाली साइक्लोस्टाइल पत्र द्वारा बदल कर यह निर्देश दिये गये थे कि भुगतान आदेश की प्राप्ति को श्री एच के दलाल के बैंक आफ इंडिया की स्टाक एक्सचेंज शाखा के खाते में जिसके साथ बैंक का कोई संबंध नहीं था, हमा कर दिया जाये । दलाल को भेजे गए दिनांक 27 अगस्त, 1992 के हमारे पत्र द्वारा केन्द्रीयजांच ब्यूरो और भारतीय रिजर्व बैंक को जालसाजी के बारे में बताए जाने पर श्री एस पी सिंह और एच ए डब्ल्यू सी बी आई के इंस्पेक्टरों ने हमारे कार्यालय का बार-बार दौरा किया । हमारे रिकार्ड की छानबीन की, कुछ दस्तावेजों को जब्त किया और हमारे कुछ कर्मचारियों आदि के बयान बयान दर्ज किये । सी बी आई के सुपरिन्टेंडेंट ने हमारे पत्र सं. 55/एम डी/587 दिनांक 27 अगस्त, 1992 के परिप्रेक्ष्य में हमारे भूतपूर्व प्रबंध निदेशक श्री जे.टी.बसराई से भी बातचीत की थी ।

उपरोक्त को मद्देजनर रखते हुए कि इस मामले की जांच केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा की जा रही है, निदेशक बोर्ड ने उनकी रिपोर्ट दिये जाने तक और केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा दोषी पाए गए संबंधित कर्मचारियों के विरुद्ध आपराधिक/अनुशासानात्मक कार्यवाही किये जाने तक इंतजार करना उचित समझा । समिति को 13.8.1993 को भेजे एक संदेश में वित्त मंत्रालय ने बताया कि श्री जे टी बसराई प्रबंध निदेशक का सेवा-काल नहीं बढ़ाया गया था । उन्हें 31.1.1993 से सेवा निवृत्त किया गया था ।

परिशिष्ट-बाइस

(कृपया प्रतिवेदन का पेरा 12.5 देखिए)

1.4.1991 से 23.5.1992 के दौरान प्रतिभूतियों के संव्यवहार में दलाल-वार विश्लेषण दर्शाने वाला विवरण

(करोड़ रु. में)

दलाल	लेन-देन की संख्या	कुल अंकित मुल्य	कुल अंकित मुल्य की प्रतिशतता
प्रत्यक्ष	33,282	5,41,945.39	42.16
हितेन पी. दलाल	6,253	1,27,504.04	9.92
हर्षद एस. मेहता	2,607	68,839.24	5.35
सोमायाजुलु एंड कंपनी	1,961	48,344.28	3.76
बाटलीवाला एंड करानी	2,873	43,857.03	3.41
एन.के.अग्रवाल एंड कंपनी	1,833	43,698.83	3.40
मे.वा.बी.देसाई एंड एसोसिएट्स	2,501	40,196.87	3.13
सी.सेक्यूरिटिज	1,824	37,684.93	2.93
डी.एस.पब्बुदास एंड कंपनी	1,651	36,067.98	2.81
वसीत सी. मेहता	2,273	34,867.46	2.71
भूपेन चमनलाल देवीदास	1,619	34,264.07	2.67
दर्शा एंड कंपनी	1,663	24,930.90	1.94
हेमदेव एंड कंपनी	1,308	19,179.64	1.49
एक्सल एंड कंपनी	1,417	18,032.36	1.40
पी.आर.सुब्रह्मण्यम एंड कं.	841	12,110.68	0.94
बी.डी.अग्रवाल	830	10,460.83	0.81
चन्द्रकला एंड कंपनी	943	9,972.51	0.78
जी.एन.हेगड़े	746	9,886.44	0.77
ए.आर.फाइनेंशियल सर्विसेज लि.	611	9,287.67	0.72
मुकेश बाबू	780	9,110.39	0.71
अश्विन दंद	430	8,860.00	0.69

कोटाक महिन्द्रा एंड कंपनी	867	8,655·28	0·67
स्टोवर्ट एंड कंपनी	487	8,502·28	0·66
ए·डी·नरोत्तम	600	7,693·68	0·60
एल·के·पाठि	405	5,179·42	0·40
अन्य	15,666	66,417·03	5·17
	87,271	12,85,549·23	100·00

परिशिष्ट -तेइस

(कृपया प्रतिवेदन का पैरा 12.7 देखिए)

अप्रैल, 1991 से मई, 1992 के दौरान 20 प्रतिशत अथवा अधिक लेन-देन का व्यवहार करने वाले बैंकों और दलालों के नाम

क्रम सं.	बैंक का नाम	किया गया कुल लेनदेन (एक करोड़ रुपये)	दलाल का नाम	व्यवसाय का परिमाण (एक करोड़ रु.)	कुल का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6
1.	भारतीय स्टेट बैंक	54344	हर्षद मेहता	17382	31.99
2.	स्टेट बैंक आफ बीकानेर एंड जयपुर	482	ए.आर.फाइनेंशियल सर्विसेज लि.	220	45.64
3.	स्टेट बैंक आफ हैदराबाद	4147	-तदेव-	854	20.59
4.	स्टेट बैंक आफ इंदौर	2480	एच.(बाटलीवाला एंड करानी)	615	24.80
			दो.(ए और फाइनेंशियल सर्विसेज लि.	589	23.75
5.	स्टेट बैंक आफ मैसूर	519	एच. जी.एन.हेगड़े	108	20.81
			दो. मुकेश बाबू	104	20.04
6.	स्टेट बैंक आफ पटियाला	2488	एच.एस.मेहता	806	32.40
7.	स्टेट बैंक आफ ट्रावनकोर	351	एच. मैसर्स वी.बी.देसाई एंड एसोसिएट्स	96	27.35
			दो. बाटलीवाला एंड करानी	91	25.93
8.	इलाहाबाद बैंक	8586	एच. सी.मेकरटिच	3239	37.72
			दो. स्टोवर्ट एंड कं.	2693	31.37

1	2	3	4	5	6
9.	आंध्रा बैंक	42136	एक. एच.पी.दलाल	19670	46.68
			दो. बाटलीवाला एंड करानी	10454	24.81
10.	बैंक आफ इंडिया	14664	दाराशा एंड कं.	4014	27.37
11.	केनरा बैंक	27880	एच.पी.दलाल	8327	29.87
12.	इंडियन ओवरसीज बैंक	10516	एक. सोमायाजुलु एंड कं.	4295	40.84
13.	ओरियंटल बैंक आफ कामर्स	374	मैसर्स वी.बी.देसाई	124	33.16
14.	यूनियन बैंक आफ इंडिया	1935	दाराशाँ एंड कं.	1156	59.74
15.	यूनाइटिड बैंक आफ इंडिया	3158	बाटलीवाला एंड करानी	986	31.22
16.	यूको बैंक	28907	एच.एस.मेहता	10033	34.71
17.	बैंक आफ टोक्यो लि.	599	स्वास्ति तवे एंड कं.	322	53.76
18.	ए.एन.जैड.ग्रिंडलेज बैंक	93958	एच.पी.दलाल	19097	20.33
19.	हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कारपोरेशन लि.	10194	एच.पी.दलाल	4580	44.93
20.	बैंक आफ मदुरे लि.	25729	चन्द्रकला एंड कं.	5504	21.39
21.	जम्मू एंड कश्मीर बैंक लि.	1017	एन.के.अग्रवाल एंड कं.	720	70.80
22.	लक्ष्मी विलास बैंक लि.	58	मदन एंड कं.	23	39.66
23.	सांगली बैंक लि.	407	जी.पुष्पनाथन	156	38.33
24.	वैश्य बैंक लि.	2008	एक. मदन एंड कं.	665	33.12
			दो. चन्द्रकला एंड कं.	437	21.76
25.	बैंक आफ कराड लि.	15767	ए.डी.नरोत्तम	7311	46.37

1.	2	3	4	5	6
26.	बैंक आफ बहरीन एंड कुवेत लि.	503	पो.आर.सुब्रहमण्यम एंड कं.	286	56.86
27.	एस.बो.आई. म्युचुअल फंड	5051	असति को. मेहता	1826	36.15
28.	बो.ओ.आई. म्युचुअल फंड	~~2029~~ 2207	एक. मैसर्स वो.बो.देसाई एंड एसोसिएट्स	914	41.38
			दो. बाटलीवाला एंड करानी	495	22.41
29.	कैन बैंक म्युचुअल फंड	24223	एच.पो.दलाल	9630	39.76
30.	आल बैंक फाइनैंस लि.	214	एक. मैसर्स वो.बो.देसाई एंड एसोसिएट्स	105	49.07
			दो. एल.वे.पाडे	48	22.43
31.	इंडबैंक मर्चेंट बेकिंग सर्विसेज लि.	6028	कोटक महिन्द्रा	1515	26.79
32.	आंध्रा बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लि.	8878	केयरग्रो व फाइनेंशियल सर्विसेज लि.	2558	28.81
33.	यूनाइटेड वेस्टर्न बैंक लि.	489	पूरण एंड कं.	221	45.19

टिप्पण: स्रोत: भारत रिजर्व बैंक

परिशिष्ट - चौबीस

(कृपया प्रतिवेदन का पैरा 12.46 देखिए)

निजी क्षेत्र के बैंकों के निदेशक मंडलों के निदेशकों के लिए 'क्या करें और क्या न करें' के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक का दिनांक 9 मार्च, 1992 का परिपत्र ।

तार: "बैंकवालन"
बम्बई

भारतीय रिज़र्व बैंक
केन्द्रीय कार्यालय
बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग
केन्द्र 1, विश्व व्यापार केन्द्र
कफ परेड, कोलाबा, बम्बई-400005

पो.बा.स. 6089

संदर्भ: बैंपविवि.सं.बीसी. 94/16:13:100-92

9 मार्च 1992
19 फाल्गुन, 1913 (शक)

निजी क्षेत्र के सभी बैंकों के अध्यक्ष

प्रिय महोदय,

निजी क्षेत्र के बैंकों के बोर्डों के निदेशक

हाल ही में कुछ बैंकों के निदेशक मंडलों (बोर्डों) के कार्यों में अनेक क्षोभकारी बातें हुई हैं और हम कतिपय मूल सिद्धांतों का पुनः उल्लेख करना आवश्यक समझते हैं, हालांकि उनमें से अधिकांश बातें बैंकरों के लिए बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए ।

2. किसी बैंक के समग्र प्रबंध तंत्र में निदेशक मंडल को सौंपे गये दायित्वों और दिन-प्रतिदिन के प्रशासन के बीच जो विभाजक रेखा है उसे जोर देकर बताने की आवश्यकता शायद नहीं है । निदेशक मंडल तत्वतः नीति निर्माता है और यह बैंक के अध्यक्ष तथा मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा प्रस्तुत मामलों पर विचार करने के लिए आवधिक अंतराल पर अपनी बैठक करता है । बैंक के सदविवेक के पालक और हितचिंतक के रूप में निदेशक मंडल से यह आशा की जाती है कि वह बैंक को दिशा-निर्देश दे और उसका नेतृत्व करें । अध्यक्ष, जो पेशेवर बैंकर है, केवल पूर्णकालिक निदेशक है और कार्यपालक अध्यक्ष की हैसियत से वह

बैंक के दैनिक कार्यों का प्रधान है और निदेशक मंडल का भी प्रधान है । इस प्रकार यह पूरी तरह मानी हुई बात है कि जो मामले अध्यक्ष को सौंपे गये अधिकारों से बाहर हैं उन सभी पर नीतिगत मामलों में निदेशक मंडल निर्णय लेगा और अध्यक्ष पूर्णकालिक निदेशक के रूप में बैंक के दिन-प्रतिदिन के कार्यों की देख-रेख करेगा । किन्तु हमें यह कहते हुए खेद है कि ऐसे भी निदेशक हैं जो कतिपय कारोबारी सौदों की पार्टी बने हैं । ये ऋण प्रस्तावों, परिसरों की खरीद, प्रतिभूतियों के मूल्यन आदि से संबंधित हैं । यदि कोई निदेशक प्रत्यक्ष या खुल्लम खुल्ला, कोई ऋण प्रस्ताव प्रायोजित करता है अथवा उसका समर्थन करता है, तो यह स्पष्ट है कि बैंक ऋण-मूल्यांकन अथवा ऋण-पर्यवेक्षण में वस्तुनिष्ठ ~~दृष्टिनिष्ठ~~ दृष्टिकोण नहीं अपना सकता । यह भी सवाल किया जा सकता है कि कार्यों के ब्यौरों के संबंध में क्या निदेशकों को स्वयं शाखाओं, नियंत्रक कार्यालयों या किसानों के दौरे करने चाहिए । इसी प्रकार हम समझते हैं कि बैंक परिसर तय करने/खरीदने में या बैंक को प्रभारित अचल संपत्तियों के मूल्यांकन में सीधे रुचि लेना उनके दायित्व में शामिल नहीं है । भर्ती या पदोन्नति के लिए उम्मीदवार प्रायोजित करना अथवा क्रय/नियुक्ति की प्रक्रिया अथवा स्टाफ के स्थानांतरण में किसी तरह का हस्तक्षेप करना और सबसे महत्वपूर्ण भ्रष्ट/अपराधी/उद्दण्ड कर्मचारियों के विरुद्ध प्रारंभ की गयी अनुशासनात्मक कार्रवाई के मामलों में हस्तक्षेप करना औद्योगिक संबंधों पर अथवा बैंक की कार्यकुशलता के आम स्तर पर कोई स्वस्थ प्रभाव नहीं डालेगा । बैंक के बोर्ड में निदेशक के रूप में उससे आशा कीजाती है कि वह बैंक के नीति-निर्माण और कार्य-निष्पादन में अपने अनुभव, विशेषज्ञता, बोध और निर्देशन का योगदान करेगा । अतएव हमें विश्वास है कि निदेशक इन कार्यकलापों से दूर रहेंगे । तभी उन्हें बैंक के कार्यों पर प्रश्न करने का नैतिक अधिकार होगा और वे बैंक के उचित कार्य-निर्वाह और बेहतरी के लिए उसे दिशा-निर्देश दे सकेंगे । कुछ बैंकों में निदेशकों ने परस्पर विरोधी गुट भी बना लिये हैं, जिसके परिणामस्वरूप निदेशक मंडल के सदस्यों के बीच सामंजस्य और समन्वय का अभाव हो गया है । फलस्वरूप इन बैंकों के निदेशक मंडल समरूप इकाइयों के रूप में कार्य करने में असफल रहते हैं और अध्यक्ष को बैंक के मुख्य कार्यपालक के रूप में अपने कर्तव्य का निर्वाह करना

कठिन हो जाता है और निदेशक मंडल को भी निष्पक्ष निर्णय लेना कठिन होता है । अतः यह अनिवार्य है कि निजी क्षेत्र के बैंकों के निदेशक मंडलों के निदेशक बैंक के कार्यों में इस तरह की प्रत्यक्ष संलग्नता से बचें, क्योंकि ऐसा करना बैंक के निदेशक के रूप में उनकी भूमिका और उत्तरदायित्व के अनुरूप नहीं है । इस संबंध में हम बैंकों के निदेशकों पर लागू "क्या करें और क्या न करें" की सूची संलग्न कर रहे हैं । हम इस बात पर अवश्य बल देना चाहते हैं कि सूची केवल उदाहरणस्वरूप है और अंतिम नहीं है । हम यह दोहराना चाहते हैं कि निजी क्षेत्र के बैंकों के निदेशक मंडलों के निदेशक अपनी भूमिका का निर्वाह इस तरह करें कि वह अध्यक्ष के कार्य में सहायक हो और बैंक के कार्य में गुणात्मक व परिमाणात्मक सुधार लाने में प्रबंध तंत्र को सुदृढ़ता प्रदान करें । हम 16 मार्च 1984 के अपने परिपत्र बैंपविवि॰सं॰एपीपी॰ बीसी॰ 22/सी॰318(बीएन)-84 की ओर भी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं, जिसमें गैर-अधिकारी निदेशकों की भूमिका और कार्य बताये गये हैं, जो अन्य निर्वाचित निदेशकों पर भी लागू हैं । यह उल्लेखनीय है कि निजी क्षेत्र के बैंकों के निदेशक मंडलों के निदेशकों से निदेशक जिस तरह की भूमिका अपेक्षित है, उससे हटकर कार्य करने को भारतीय रिज़र्व बैंक गंभीरता से लेगा और उन बैंकों के हित में आवश्यक कार्रवाई करेगा ।

3. हमने यह भी पाया है कि कुछ बैंकों ने अधिकार निर्गम (राइट इश्यू) द्वारा शेयरों के आबंटन में उचित प्रक्रिया नहीं अपनायी है, जिससे कतिपय समूहों का हित साधन हुआ है और वे नियंत्रणकारी प्रबल हित प्राप्त करने में समर्थ हुए हैं । अतएव यह आवश्यक है कि बैंक कंपनी अधिनियम, 1956 के उपबंधों एवं भारतीय रिज़र्व बैंक के वर्तमान अनुदेशों को ध्यान में रखते हुए शेयरों के आबंटन/अंतरण के लिए विवेकपूर्व दिशा-निर्देश बनाये तथा दिशा-निर्देशों का दृढ़ता से पालन सुनिश्चित करें, जिससे शेयरों के आबंटन /अंतरण में किसी हानिकर व्यवहार की गुंजायश न रहे ।

4. निजी क्षेत्र के बैंकों के निदेशक मंडलों के निदेशकों के कार्य का एक अन्य पहलू है उनकी नियुक्ति की अवधि । बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 10अ के अनुसार किसी बैंकिंग कंपनी का कोई भी निदेशक

उसके अध्यक्ष या पूर्णकालिक निदेशक को छोड़कर, आठ वर्ष से अधिक अवधि के लिए पद पर नहीं रह सकता । चूंकि हमारी जानकारी में कुछ ऐसे उदाहरण आये हैं, जिनमें कतिपय व्यक्तियों ने निदेशक के रूप में अपना पद छोड़ दिया और बाद में सहयोजन या पुनर्निर्वाचन द्वारा निदेशक मंडल में अपना प्रवेश पुनः करवा लिया, अतः हमने 10 सितम्बर 1984 के अपने परिपत्र बैंपविवि. सं. एनईजी. 94/सी.233-84 द्वारा बैंकों को सूचित किया कि इस प्रकार का सहयोजन या पुनर्निर्वाचन उपर्युक्त उपबंधों की प्रबंधना के बराबर होगा और उसे गंभीरता से लिया जायेगा । आपसे यह भी अनुरोध किया गया था कि आप ऐसे सदस्यों को त्यागपत्र देने के लिए सहमत करें और उनके स्थान पर नये सदस्यों का सहयोजन करें ।

5. यह भी देखा गया है कि कुछ बैंकों में कतिपय निदेशक कभी भी 8 वर्ष से अधिक अवधि के बाद अलग तरीकों से निदेशक बने हुए हैं । वे आठ वर्ष की अवधि के बाद थोड़े समय के लिए निदेशक नहीं रहते और बाद में सहयोजन या पुनर्निर्वाचन द्वारा अपने को निदेशक मंडल में शामिल करवा लेते हैं । आप इस बात से सहमत होंगे कि यह बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 10अ(2अ)(i) के उपबंधों की भावना के विपरीत है । हम आपसे पुनः अनुरोध करते हैं कि ऐसे सदस्यों के त्यागपत्र देने के लिए सहमति सुनिश्चित करें और नयी प्रतिभाओं को लाने और निदेशक मंडल के आधार को व्यापक विविधतापूर्वक बनाने की दृष्टि से उनके स्थान पर नये सदस्यों का सहयोजन करें । तथापि, यदि बहुत ही अपवादात्मक मामलों में कार्यकाल पूर्ण हो जाने के बाद किन्हीं निदेशकों की विशेषज्ञता और अनुभव की दृष्टि से बैंक के साथ उनकी सम्बद्धता अत्यावश्यक समझी जाये तो यह सुनिश्चित किया जाये कि ऐसे निदेशक के आठ वर्ष की अवधि पूरी होने पर निदेशक मंडल में उसके न रहने की तारीख तथा भविष्य में किसी तारीख को उसकी पुनर्नियुक्ति के बीच कम से कम दो वर्ष का अंतराल अवश्य हो । इस संबंध में यह नोट किया जाये कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के पूर्वोक्त उपबंधों की भावना का लगातार उल्लंघन भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा पसंद नहीं किया जायेगा ।

6. इस पत्र की प्रतिलिपि आपके बैंक के निदेशक मंडल (बोर्ड) की अगली बैठक में निदेशकों की जानकारी और आवश्यक कार्रवाई के लिए रखी जाये ।

7. कृपया इस परिपत्र की प्राप्ति-सूचना मुख्य अधिकारी, भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग, केन्द्रीय कार्यालय, विश्व व्यापार केन्द्र, कोलाबा, बम्बई-400005 को भिजवाएं ।

भवदीया

(कुमारी वि. विश्वनाथन)
कार्यपालक निदेशक

तद्दिनांकित परिपत्र बैंपविवि. सं. 954/16:13:100-92

प्रतिलिपि संयुक्त मुख्य अधिकारी, बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, अहमदाबाद/बंगलूर/बम्बई/भुवनेश्वर/कलकत्ता/गौहाटी/हैदराबाद/जयपुर/लखनऊ/मद्रास/नयी दिल्ली/पटना/त्रिवेन्द्रम/भोपाल/चंडीगढ़/जम्मू को सूचनार्थ प्रेषित ।

(एल. एम. फोन्सेका)
उप मुख्य अधिकारी

वि व र ण

क्या करें ?

1. मंडल बैठक में नियमित और प्रभावी रूप से भाग लें ।
2. मंडल कागजातों का सांगोपांग अध्ययन करें और मंडल बैठक में सूचना प्राप्त करने के लिये मुख्य कार्यपालक के पद का इस्तेमाल करें ।
3. अध्यक्ष से निश्चित समय पर मंडल कागजात और अनुवर्ती कार्रवाई की रिपोर्ट उपलब्ध कराने के लिये कहें ।
4. सामान्य नीति निर्माण के मामले में मंडल निदेशक के रूप में स्वयं पूर्णतः लगे रहें और यह भी सुनिश्चित करें कि मंडल स्तर पर बैंक के कार्य-निष्पादन की निगरानी की जाती है ।
5. बैंक के निदेशक मंडल के उद्देश्य और सरकार तथा रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित नीति की जानकारी रखें ।
6. बैंक के बेहतर प्रबंध के लिये सभी रचनात्मक विचारों और उनके मूल्यावान योगदान का स्वागत किया जाएगा ।
7. वैयक्तिक प्रस्तावों के प्रायोजक बनने या उसके प्रति पूर्वाग्रह रखने के बजाय आप टीम के रूप में काम करें । प्रबंध से यह आशा की जाती है कि वह पूर्ण तथ्य और सभी कागजात पहले ही उपलब्ध कराए ।
8. प्रबंध को यथासंभव अपना अधिकाधिक विवेक, मार्गदर्शन और जानकारी देने का प्रयास करें ।
9. आर्थिक प्रवृत्तियों के विश्लेषण, जनता के प्रति प्रबंध के उत्तरदायित्व के निर्वहन में सहयोग और ग्राहक सेवा में सुधार के उपाय सुझाने तथा सामान्यतः बैंक प्रबंध को रचनात्मक सहयोग देने का प्रयास करें ।

क्या न करें

1. बैंक के किसी भी अधिकारी को किसी मामले में कोई अनुदेश या निदेश न दें ।
2. कार्मिक प्रशासन से संबंधित किसी मामले में स्वयं को शामिल न करें - चाहे वह किसी कर्मचारी के स्थानांतरण, नियुक्ति तैनाती या पदोन्नति या उसके वैयक्तिक शिकायतों के निवारण से संबंधित मामला क्यों न हो ।

3) बैंक के दैनंदिन कार्यों में कोई हस्तक्षेप न करें ।

4) किसी भी प्रकार की सुविधा की मंजूरी के लिए किसी शाखा प्रबंधक या किसी अन्य अधिकारी से संपर्क न करें या उसे प्रभावित न करें ।

5) प्रतिदिन के कारोबार और प्रबंध कार्यों में अपने को शामिल न करें ।

6) यदि निदेशक मंडल के विचार विमर्श के लिए कोई ऐसा प्रस्ताव आता है जिसमें आपके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हित हैं तो ऐसे विचार विमर्श में भाग न लें । अपने ऐसे हित के संबंध में मुख्य कार्यपालक को पहले ही सूचित कर दें ।

7) बैंक की किसी भी घटक से संबंधित कोई सूचना किसी के समक्ष प्रकट न करें क्यों कि आपने गोपनीयता और निष्ठा की शपथ ली हुई है ।

8) निदेशकों को ऐसे मामले में बैंक के किसी अधिकारी को बुलाना नहीं चाहिये या ऐसे अधिकारियों को कोई निदेश नहीं देना चाहिए ।

9) यदि किसी भी मामले में कोई कर्मचारी या यूनियन आपसे सम्पर्क करे तो उसे हतोत्साहित करें ।

10) आप अपने विजिटिंग कार्ड या पत्रशीर्ष पर बैंक के निदेशकत्व का उल्लेख कर सकते हैं लेकिन विजिटिंग कार्ड या पत्र शीर्ष पर बैंक के लोगों या विशिष्ठ डिजाईन का प्रदर्शन नहीं करना चाहिये ।

11) निदेशकोंको बैठकों में विचार विमर्श की जानेवाली कार्यसूची की मदों के संबंध में संवीक्षा आदि के लिए विभिन्न विभागों से कागजात/ फाइलें या उनके द्वारा अभिलिखित टिप्पणियां सीधे नहीं मंगानी चाहिए । निर्णय के लिए अपेक्षित सभी सूचनाएं/स्पष्टिकरण कार्यपालक द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी ।

12) निदेशकों से आशा की जाती है कि वे बैंक के कार्यसूची संबंधी कागजातों/ टिप्पणियों की गोपनीयता बनाये रखेंगे । सामान्यत:, यह सुझाव दिया जाता है कि बैठक के बाद पर्याप्त सतर्कता बिसते हुए बोर्ड संबंधी कागजात बैंक को वापस किये जायें ।

13) कोई भी ऋण प्रस्ताव, बैंक परिसर के लिए भवन का स्थान, ठेकेदारों, वास्तुविदों, चिकित्सकों, वकीलों आदि का पैनल बनाने के लिए किसी को प्रायोजित न करें ।

परिशिष्ट - पच्चीस

(कृपया प्रतिवेदन का पैरा 13.26 देखिए)

श्री रामनिवास मिर्धा, संसद सदस्य का स्टॉक एक्सचेंजों के कार्यकरण के सम्बन्ध में तत्कालीन वित्त मंत्री श्री प्रणब मुखर्जी को लिखा गया दिनांक 22 जुलाई, 1982 का पत्र

श्री रामनिवास मिर्धा
संसद सदस्य
राज्य सभा

17, सफदरजंग रोड,
नई दिल्ली 1

22 जुलाई, 1982

प्रिय श्री प्रणब मुखर्जी,

मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में एक बार फिर भुगतान सम्बन्धी संकट पैदा हो गया है। ऐसा इस एक्सचेंज में बार-बार होने लगा है जो यह दर्शाता है कि स्टॉक एक्सचेंज के कार्यकरण का निगरानी के लिए जो भी तंत्र विद्यमान है, वह अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने में असफल सिद्ध हुआ है। सबसे अधिक खेदजनक बात यह है कि स्टॉक एक्सचेंज के गवर्निंग बोर्ड में सरकारी प्रतिनिधि होने के बावजूद ऐसा हुआ है।

देश में स्टॉक एक्सचेंज सट्टे और अवैध कार्यों के अड्डे बन गये हैं। शेयरों में कारोबार-व्यापार को वर्ष 1969 में अवैध करार दिया गया था किन्तु लेन-देन की फिर पद्धति को स्टॉक एक्सचेंज में अनुमति प्रदान की गयी है, वह सम्बन्धित कानून के बिल्कुल खिलाफ है। "आगे ले जाना" और "बदला" जैसे शब्द जो कारोबार-व्यापार में प्रचलित होते हैं, वे विधि के अन्तर्गत प्रतिबंधित हैं। यहां तक कि वर्तमान प्रणालियों के अन्तर्गत सप्ताह-सप्ताह पर लगाये गये छोटे-मोटे प्रतिबंधों का भी बेहिचक अवहेलना की जाती है। लेन-देन हेतु लगायी गयी सीमाओं को लागू नहीं किया गया है। बड़े-बड़े लेन-देनों का रिकार्ड भी नहीं रखा जाता है और स्टॉक एक्सचेंज के बाहर के अवैध कारोबार की "खबरें" शेयरों के रूप में समाचार-पत्रों में नियमित रूप से छपती रहती हैं।

.....2/-

उद्वेगजनक बात यह है कि ऐसा संकट उस समय उत्पन्न हुआ है जबकि अधिकांश मध्यम वर्ग के लोगों ने शेयरों और ऋण-पत्रों में पूंजी-निवेश करना आरम्भ किया है। यदि गैर-सरकारी निगमित क्षेत्र में नया पूंजी-निवेश लाना है तो स्टॉक एक्सचेंज का सही ढंग से कार्य करना आवश्यक है। सरकार को वित्तीय सट्टेबाजी को नियंत्रित करने के लिए दृढ़ता से हस्तक्षेप करना चाहिए और इसे वायदा-व्यापार पर लगाये गये नियंत्रण को हटाये जाने सम्बन्धी मांग के आगे झुकना नहीं चाहिए क्योंकि इससे वर्तमान हानिकारक प्रक्रिया को बंद कर दिया जा सकेगा। स्टॉक एक्सचेंज में व्याप्त दुव्यवस्था को समाप्त करने के लिए कड़े उपाय करने आवश्यक हैं।

शुभकामनाओं सहित,

भवदीय,

ह0/-

(राम निवास मिर्धा)

श्री प्रणव मुखर्जी,
वित्त मंत्री,
नई दिल्ली।

परिशिष्ट - छब्बीस

(कृपया प्रतिवेदन का पैरा 13.26 देखिए)

तत्कालीन वित्त मंत्री की ओर से स्टॉक एक्सचेंजों के कार्यकरण के सम्बन्ध में श्री राम निवास मिर्धा को दिया गया दिनांक 26 अगस्त, 1982 का उत्तर ।

डी० ओ० सं० 1/12/82-ई०/81

वित्त मंत्री,
भारत
नई दिल्ली-110 001.
26 अगस्त, 1982

प्रिय मिर्धा जी,

स्टॉक एक्सचेंजों के सही ढंग से कार्य न करने के सम्बन्ध में मेरे दिनांक 11 अगस्त, 1982 के डी०ओ०पत्र सं० 2 729/82-पी०आई०पी०(1) को देखें ।

2. मैं आपसे सहमत हूं कि अत्यधिक सट्टेबाजी के कारण मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में जो संकट उत्पन्न हुआ, उसे रोका जाना चाहिए था । तथापि, पिछले कुछ हफ्तों में स्टॉक एक्सचेंज के अधिकारी इस संकट से उबरने में सफल प्रतीत हुए हैं । हालांकि एक मुख्य "बुल ऑपरेटर" और दो अन्य सदस्यों को चूककर्ता घोषित करना पड़ा था और उनकी सदस्यता समाप्त की गयी ।

3. हालांकि मैं आपसे सहमत हूं कि हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि किस प्रकार का संकट उत्पन्न हुआ था, वह पुन: उत्पन्न नहीं होना चाहिए । फिर भी स्टॉक एक्सचेंजों का संचालन ऐसा है कि तदैव यह सुनिश्चित करना काफी कठिन है कि ऐसा कोई संकट दोबारा उत्पन्न नहीं होगा । यह विशेष रूप से इसीलिए है क्योंकि पिछले दो वर्षों में लेन-देन का व्यापार अत्यधिक अनुपात में हुआ है और यह कार्य प्राय: स्टॉक एक्सचेंज के सदस्य अन्य व्यक्तियों के माध्यम से करते हैं, अपने नाम में नहीं । फिर भी, इस यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से मुंबई स्टॉक एक्सचेंज के कार्यकरण को सरल बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि ऐसे संकट की पुनरावृत्ति न हो जो कि हाल ही में एक्सचेंज में उत्पन्न हुआ था । अपने मुंबई स्टॉक एक्सचेंज के

....2/-

प्राधिकारियों को पहले ही निदेश दे दिया है कि वे अतिरिक्त प्रतिभूति जमाराशि की सख्ती से वसूली करने के लिए इन कार्यों को करने वाली पार्टियों की लेखा पुस्तकों और अन्य दस्तावेजों की नियमित जांच करने के लिए और दोषी सदस्यों के विरुद्ध निवारक अनुशासनिक कार्यवाही इत्यादि करने के लिए आम छुट्टी के दिनों को छोड़कर बाजार बन्द न करें। स्टॉक एक्सचेंज के प्राधिकारियों ने इन निदेशों का पहले से ही अनुपालन करना शुरू कर दिया है। परिणामस्वरूप जा. एक्सचेंज में संचालन में काफी सुव्यवस्था है। पूंजी-निवेशकों ने भी अपनी रुचि पुन: रखनी शुरू कर दी प्रतीत होती है। अन्य उपाय भी विचाराधीन हैं। हम एक्सचेंज के संचालन पर बराबर नजर रखे रहे हैं और एक्सचेंज के कार्यकरण में सुधार लाने के लिए आगे उपयुक्त सुधारात्मक उपाय भी करेंगे।

4. हमने मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में सौदा की गयी सूची "क" प्रतिभूतियां नामक अधिक संवेदनशील प्रतिभूतियों के सम्बन्ध में किए गए लेन-देन की प्रकृति की पहले ही जांच कर ली है। हमें सलाह दी गयी थी कि वे सरकार द्वारा 27 जून, 1969 को जारी उस अधिसूचना के प्रावधानों का अतिक्रमण नहीं करती जिसमें "निकासी" जिसे प्रतिभूतियों में बोलचाल की भाषा में वायदा-व्यापार कहा जाता है, के लिए ठेकों की मनाही थी। तथापि, हम प्राधिकारियों की रोकथाम की क्षमता को सुदृढ़ करने और अत्यधिक सट्टेबाजी को नियंत्रित करने के उद्देश्य से विभिन्न उपायों की जांच कर रहे हैं। मूल मुद्दा यह है कि स्टॉक एक्सचेंज को दलालों के निजी निकाय समझने की बजाए एक लोक संस्था के रूप में लिया जाना चाहिए।

भवदीय,

ह0/-

(पूर्ण चन्द्र भार्गव)

श्री रामनिवास मिर्धा,
संसद सदस्य,
17, अकबर रोड,
नई दिल्ली।

परिशिष्ट - सत्ताइस

(कृपया प्रतिवेदन का पैरा 13.34 देखिए)

स्टाक एक्सचेंज, बम्बई शासी बोर्ड की बैठकें और सरकार द्वारा मनोनीत व्यक्तियों की उपस्थिति का ब्यौरा

वर्ष (अप्रैल-मार्च)	बैठकों की कुल संख्या	सरकार द्वारा मनोनीत व्यक्तियों द्वारा कितनी बैठकों में भाग लिया गया तथा उनका नाम	बैठकों की सं. जिसमें भाग लिया गया
1988-89	28 (23 नियमित और 5 आपातकालीन)	श्री पी.आर.बिन्दु माधवन (निदेशक-वित्त मंत्रालय)	3
		श्री पाल जोसफ, (संयुक्त निदेशक-वित्त मंत्रालय)	3
		श्री एस.ए.दवे (चेयरमैन-भारतीय प्रतिभूति और स्टाक एक्सचेंज बोर्ड)	6
1989-90	36 (28 नियमित और 8 आपातकालीन)		
1.4.89 से 13.10.89	17	श्री पी.आर.बिन्दु माधवन (निदेशक-वित्त मंत्रालय) (13.10.89 को सेवा निवृत्त हो गये)	कोई नहीं
13.10.89 से 31.3.90	19	श्री एस.जोशी (उप सचिव-वित्त मंत्रालय) (13.10.89 को नियुक्त किए गए)	3
1.4.89 से 15.12.89	24	श्री एस.ए.दवे (चेयरमैन-भारतीय प्रतिभूति और स्टाक एक्सचेंज बोर्ड (सेबी) (15.12.89 को [illegible] सेवानिवृत्त हुए।	2

5.12.89 से 1.3.90	12	श्री यू.सो.दीक्षित (कार्यकारी निदेशक-भारतीय प्रतिभूति और स्टाक एक्सचेंज सेबी) (15.12.89 को नियुक्त किए गए)	9
.4.89 से 5.12.89	24	श्री पाल जोसफ (संयुक्त निदेशक-वित्त मंत्रालय) (15.12.89 को सेवानिवृत्त)	2
5.12.89 से 1.3.90	12	श्री वे.एन.आत्मारमानी (मुख्य महाप्रबंधक-यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया) (15.12.89 को नियुक्त किये गये)	5
1990-91	65 (35 नियमित और 30 आपात-कालीन)	श्री यू.सो.दीक्षित (कार्यकारी निदेशक-सेबी)	50
		श्री वे.एन.आत्मारमानी (मुख्य महाप्रबंधक, यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया)	22
1.4.90 से 1.8.90	19	श्री एस.जोशी (उप सचिव-वित्त मंत्रालय) (1.8.90 को सेवानिवृत्त)	1
1.3.90 से 31.3.91	46	श्री पाल जोसफ (संयुक्त निदेशक-वित्त मंत्रालय) (1.8.90 को नियुक्त किए गए)	3
1991-92	40 (30 नियमित तथा 10 आपातकालीन)		
		श्री पाल जोसफ (संयुक्त निदेशक-वित्त मंत्रालय)	2
		श्री वे.एन.आत्मरमानी (मुख्य महाप्रबंधक-यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया	11
		श्री यू.सो.दीक्षित (कार्यकारी निदेशक-सेबी)	36
1992-93	51 (39 नियमित और 12 आपातकालीन)	श्री पाल जोसफ (संयुक्त निदेशक-वित्त मंत्रालय) श्री वे.एन.आत्मारमानी (मुख्य महाप्रबंधक-यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया)	6 14

1·4·92 से 15·2·93	48	श्री यू·सी·दीक्षित (कार्यकारी निदेशक-सेवा) (15·2·93 को सेवानिवृत्त हुए)	40
16·2·93 से 31·3·93	3	श्री सी·बी·भावे (वरिष्ठ कार्यकारी निदेशक-सेवा) (16·2·93 को नियुक्त किए गए)	3

परिशिष्ट--अट्ठाइस

(देखिए प्रतिवेदन का पैरा 15.1)

भारतीय स्टेट बैंक अथवा इसके अनुषंगी बैंकों के साथ बैंकिंग प्रबंधों के संबंध में वार्षिक कार्य विभाग का दिनांक 11 मार्च, 1964 का पत्र ।

3. बैंकिंग प्रबन्ध

3.1 स्थानीय निकायों, सांविधिक प्राधिकरणों, सरकारी निगमों और कंपनियों के लिए बैंकिंग प्रबन्ध

(क) हस्ताक्षरी को यह बताने का निदेश हुआ है कि केन्द्र प्रशासित क्षेत्रों में स्थानीय निकायों, उन सांविधिक प्राधिकरणों जिनकी अधिकांश आय केन्द्रीय सरकार के अनुदानों, आमदनी और केन्द्रीय उपकर से प्राप्त होती है तथा सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाले उन निगमों और कम्पनियों, जिनमें पचास प्रतिशत से अधिक पूंजी सरकार की होती है, के बैंकिंग प्रबन्ध के प्रश्न पर भारत सरकार विचार करती रही है ।

(ख) अब यह निर्णय किया गया है कि इस मंत्रालय के दि० 22 अक्तूबर, 1962 के का०ज्ञा०सं०फा4(17)/एफ आई/61 में अन्तर्विष्ट आदेशों का अधिक्रमण करते हुए जिन संसद अथवा राज्य विधान के किसी विशेष अधिनियम के अध्यधीन निम्न सिद्धान्तों का पालन किया जाना चाहिए :

(एक) सभी स्थानीय निकायों को अपना पैसा सरकारी कोष अथवा उप-कोष में वैयक्तिक अथवा अन्य खाते में रखना चाहिए, लेकिन

(क) ऐसे किसी स्थान पर, जहां पर स्थानीय निकाय का कार्यालय अथवा प्रतिष्ठान है लेकिन कोई सरकारी कोष अथवा उप-कोष नहीं है, तो भारतीय स्टेट बैंक अथवा इसके किसी सहायक बैंक में, जिनका उल्लेख निम्नलिखित पैरा (दो) में किया गया है, चालू खाता रखना चाहिए, अथवा

(ख) ऐसे किसी स्थान पर, जहाँ स्थानीय निकाय का कार्यालय अथवा प्रतिष्ठान है, लेकिन सरकारी कोष अथवा उपकोष तथा उपर्युक्त (क) में उल्लिखित बैंक का कोई कार्यालय नहीं है तो नीचे दिये गये पैरा (चार) में उल्लिखित अनुसूचित बैंकों में से किसी एक बैंक में चालू खाता खोला जाना चाहिए ।

यदि किसी उस स्थान, जहाँ पर किसी स्थानीय निकाय का कोई कार्यालय है अथवा उसे वहाँ पर कार्य करना है और कोई सरकारी कार्य अथवा उपकोष तथा उपर्युक्त उप-पैरा (क) अथवा (ख) में उल्लिखित कोई बैंक वहाँ पर नहीं है (और स्थानीय किसी अन्य बैंक में खाता खोलने का यदि कोई प्रस्ताव है) तो प्रस्तावित खाता खोलने से पूर्व स्थानीय सरकार अथवा प्रशासन के आदेश प्राप्त किए जाने चाहिए । सरकारी कोष अथवा उप-कोष से इतर विभिन्न खातों में जमा की गई राशि संगत संविधि, उपकानून अथवा विनियमों के अन्तर्गत इस प्रयोजन हेतु सीमा निर्धारित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के आदेशों के अनुसार उस उपयुक्त अधिकतम सीमा तक सीमित होना चाहिए जो इस हेतु विनिर्दिष्ट की जाए । निर्धारित सीमा से अधिक जमा की गई राशि को एक अवधिक तौर पर निकाल कर उसे सरकारी कोष अथवा उप-कोष में स्थानीय निकाय के खाते में जमा करा दिया जाना चाहिए ।

(दो) सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अन्तर्गत निगमित सभी सांविधिक प्राधिकारणों, सोसाइटियों तथा उन विश्वविद्यालयों अथवा प्रौद्योगिकी संस्थानों को, जिनकी अधिकांश आय सरकारी अनुदानों, अथवा उपकरों से प्राप्त होती है, यथासम्भव अपनी नकद शेष राशि को सरकार के पास कोष में वैयक्तिक जमा अथवा अन्य खाते में रखना चाहिए यदि रोजमर्रा के काम में आसानी के विचार से उन्हें किसी वाणिज्यिक बैंक में कोई खाता रखना पड़े तो वे भारतीय स्टेट बैंक अथवा इसके किसी सहायक बैंक अर्थात् स्टेट बैंक आफ बीकानेर एंड जयपुर, इंदौर, हैदराबाद, मैसूर, पटियाला, सौराष्ट्र और त्रावणकोर में से किसी बैंक में एक खाता खोल सकते हैं ।

(तीन) ऐसे निगमों और कम्पनियों, जोकि पूर्णतः सरकार के स्वामित्व में है अथवा जिनमें पचास प्रतिशत से अधिक पूंजी सरकार की लगी होती है, को सामान्यतः अपना खाता भारतीय स्टेट बैंक अथवा इसके किसी

सहायक बैंक में रखना चाहिए । यदि किसी अधिशेष राशि का बैंकों में निवेश ही करना है, तो वह इन्हीं बैंकों में किया जाना चाहिए

(चार) यदि उपर्युक्त उप-पैरा (दो) और (तीन) में उल्लिखित संस्थाओं का कोई कार्यालय अथवा कार्यालय शाखा अथवा प्रतिष्ठान ऐसे किसी स्थान पर अवस्थित है जहां पर भारतीय स्टेट बैंक अथवा इसके किसी सहायक बैंक की कोई शाखा नहीं है, उस अवस्था में वहां पर स्थित उनकी अनुसूचित बैंक में खाता खोला जा सकता है, तथापि, इस प्रयोजनार्थ सामान्यत: केवल उसी बैंक का चयन किया जाना चाहिए जिसने अपने गत तुलन-पत्र में 10 करोड़ अथवा इससे अधिक की जमा राशि दर्शाई है, किसी अन्य बैंक में खाता खोलने के प्रश्न पर केवल तभी विचार किया जाना चाहिए जब उस स्थान पर, जहां कि खाता खोला जाना है, किसी अनुसूचित बैंक का कोई कार्यालय न हो । भारतीय स्टेट बैंक अथवा इसके किसी सहायक बैंक के अतिरिक्त किसी अन्य बैंक में सामान्यत: चालू खाता ही खोला जाना चाहिए । ऐसे खातों में रखे जाने वाली राशि की अधिकतम सीमा विनिर्दिष्ट की जानी चाहिए और बैंक को यह निर्देश दिया जाना चाहिए कि एक अवधिक अन्तराल पर अधिकतम सीमा से अधिक राशि को वह भारतीय स्टेट बैंक अथवा इसके किसी सहायक बैंक के कार्यालय में सम्बद्ध संस्था के ऐसे किसी खाते में ~~[illegible]~~ अन्तरित कर दे जो उसके लिए सुविधाजनक हो ।

(पांच) सांविधिक नियमों, उप-कानून, नियमावली अथवा आदेशों को जहां कहीं आवश्यक हो पूर्वोक्त अनुदेशों के अनुसार सम्यक रूप से संशोधित किया जाना चाहिए ।

2. जहां तक नए खाते खोलने और नई निधियों के निवेश का संबंध है, पूर्वोक्त पैरा में अन्तर्विष्ट अनुदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू हो जाएगा । उन चालू खातों को जोकि इन अनुदेशों के अन्तर्गत प्राधिकृत नहीं है, शीघ्र बन्द कर दिया जाए और निधियों को इन आदेशों के अनुसार निकाल कर उनका उपयोग किया जाना चाहिए । चालू खातों के अतिरिक्त और इस कार्यालय ज्ञापन के प्रावधानों के अतिरिक्त पहले ही जमा की गई राशि

को तत्काल निकालने की आवश्यकता नहीं है लेकिन और जैसे ही आता परिपक्व हो जाए अथवा भुगतान देय हो जाए तो निधि निकाल ली जाए और इस का॰ज्ञा॰ में अन्तर्विष्ट अनुदेशों के अनुसार उसका उपयोग किया जाये ।

जीवन बीमा निगम, इंडियन एयरलाइन्स कार्पोरेशन अथवा एयर इंडिया कार्पोरेशन के कार्य के विशिष्ट स्वरूप को देखते हुए इस कार्यालय ज्ञापन के उपबन्ध उन पर लागू नहीं होंगे । इनके मामलों में विद्यमान व्यवस्था ही जारी रहेगी और यदि किसी संस्था के संबंध में आवश्यक समझा गया तो विशेष आदेश अलग से जारी किए जाएंगे ।

"वार्षिक कार्य विभाग 11(1)/बी सी-64, दिनांक 11 मार्च, 1964"

परिशिष्ट-उन्तीस

(कृपया प्रतिवेदन का पैरा 14.2 देखें)

राष्ट्रीयकृत बैंकों की सामाजिक प्रबंधों के संबंध में वित्त विभाग का दिनांक 22 मई, 1973 का पत्र।

स्थानीय निकायों, सांविधिक प्राधिकरणों, सरकारी निगमों और कंपनियों के लिए बैंकिंग प्रबंध

उपरोक्त विषय पर (उपरोक्त देखें) वित्त कार्य विभाग का कार्यालय ज्ञापन सं. एफ.11/(ए)/ज.ब./64, दिनांक 11 मार्च, 1964 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है। उस कार्यालय ज्ञापन में अन्य बातों के साथ-साथ यह कहा गया था कि केन्द्रीय शासित क्षेत्रों के स्थानीय निकाय, सांविधिक प्राधिकरण जो केन्द्र सरकार के अनुदानों अथवा केन्द्रीय उपकर की प्राप्तियों से अपने अधिकांश आय प्राप्त करते हैं, भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाले अथवा सरकारी की 51% से अधिक पूंजी वाले निगमों और कंपनियों को जहां सरकारी शेयर अथवा उप-शेयर उपलब्ध नहीं है, अपना अतिरिक्त नकदी शेष भारतीय स्टेट बैंक अथवा उसकी किसी भी अनुषंगी शाखा में चालू खाता खोलकर जमा करना चाहिए। चौदह मुख्य बैंकों के राष्ट्रीयकरण के प्रसंग में यह निर्णय किया गया है कि ऊपर बताए गए 11 मार्च, 1964 के कार्यालय ज्ञापन में आंशिक संशोधन के साथ नीचे दिए गए निम्नलिखित सिद्धांतों का अनुसरण किया जाना चाहिए-

(क) स्थानीय निकाय/सांविधिक प्राधिकरण: जहां मौजूदा नियम स्थानीय निकायों और सांविधिक प्राधिकरणों को बैंकिंग प्रणाली द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं का लाभ उठाने की अनुमति देते हैं, वहां वे निम्नलिखित मार्गनिर्देशों को अपना सकते हैं :-

(ए) ऊपर उल्लेख किए गए नए स्थानीय निकाय/सांविधिक प्राधिकरण निम्नलिखित में से किसी भी सरकारी क्षेत्र के बैंक यानी: भारतीय स्टेट बैंक, उसके संगत सहायक

कंपनियां और पांच राष्ट्रीयकृत बैंकों का चयन करने में स्वतन्त्र होंगे ।

(दो) प्रत्येक स्थानीय निकाय/सांविधिक प्राधिकरण, जहां तक व्यवहार्य होगा, सरकारी क्षेत्र के एक ही बैंक के साथ लेन-देन करेंगे । यदि स्थानीय निकाय/सांविधिक प्राधिकरण के कार्यालय अन्य स्थानों पर भी है जहां दिन प्रति दिन के कार्यों की सुविधा के लिए सरकारी क्षेत्र के किसी अन्य बैंक के साथ बैंकिंग [redacted] लेन देन वांछनीय है तो वह स्थानीय निकाय/सांविधिकप्राधिकरण अपने प्रधान बैंकर के परामर्श से ऐसे बैंकिंग प्रबन्ध का लाभ उठाने के लिए स्वतन्त्र है । यदि इस प्रकार की व्यवस्था करने में किसी प्रकार की कोई सामाजिक कठिनाई आती है तो वह संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय के जरिए बैंकिंग विभाग से संपर्क कर सकता है ।

(तीन) यदि कोई मौजूदा स्थानीय निकाय/सांविधिक प्राधिकरण अपना खाता सरकारी क्षेत्र के किसी बैंक से स्थानांतरित करवा कर दूसरे में ले जाना चाहता है तो वह प्रस्तावित परिवर्तन के कारणों को बताते हुए संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय मामले में आवश्यक निर्देश देने से पूर्व बैंकिंग विभाग से परामर्श हेतु संपर्क करेगा ।

(ख) सरकारी क्षेत्र के उपक्रम

जहां तक सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाले अथवा सरकार की 51% से अधिक पूंजी वाले निगमों और कंपनियों का संबंध है, यह एतद्द्वारा स्पष्ट किया जाता है कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की कार्यवाहक पूंजी की आवश्यकताओं/वित्तपोषण के संबंध में जो मौजूदा अनुदेश वित्त मंत्रालय, सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो के कार्यालय ज्ञापन संख्या ओ॰पी॰ई॰/1(49)/ए॰डी॰बी॰(एफ)/71 दिनांक 24 जून, 1971 (कार्यवाहक पूंजी के अंतर्गत देखें) में दिए गए हैं वे अन्य सभी बैंकिंग सुविधाओं

का लाभ उठाने के लिए भी लागू होंगे । यदि इस प्रकार के प्रबन्धों के अनुसरण में कोई कठिनाई आती है तो उपक्रम सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो के जरिए बैंकिंग विभाग से संपर्क करेगा ।

2. सांविधिक नियमों, उप-विधियों, नियमावलियों अथवा अन्य आदेशों को, जहां कहीं भी आवश्यक हो, समुचित रूप से संशोधित किया जाना चाहिए ।

3. औद्योगिक विकास ब्यूरो, आदि से अनुरोध किया जाता है कि वे अपने प्रशासनिक नियंत्रण में आने वाले सभी निकायों/सरकारी कंपनियों के उपक्रमों की जानकारी और आवश्यक कार्रवाई के लिए उन्हें इन अनुदेशों से अवगत कराएं ।

(बैंकिंग विभाग सं0 एफ॰ 7(4)बी/जी॰ बी॰ तीन/72,
दिनांक 22 मई, 1972)

परिशिष्ट - तीस

(कृपया प्रतिवेदन का पैरा 14.2 देखिए)

विदेशी/निजी क्षेत्र के बैंकों के साथ सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की बैंकिंग व्यवस्था के संबंध में लोक उद्यम विभाग का दिनांक 3 जनवरी, 1992 का पत्र ।

लोक उद्यम विभाग/14(19)/90-वित्त

भारत सरकार
उद्योग मंत्रालय
लोक उद्यम विभाग

14, सोजोओ कामप्लेक्स,
लोदी रोड़, नई दिल्ली
3 जनवरी, 1992

कार्यालय ज्ञापन

विषय: केन्द्र सरकार लोक उद्यमों की बैंकिंग व्यवस्था ।

उपरोक्त उद्धृत विषय के संबंध में दिनांक 7.5.1973 के कार्यालय ज्ञापन सं. बी.पी.ई./1(86)/ए डीबी(एफ)/72 और दिनांक 10.4.1987 के का.ज्ञा.सं.बी.पी.ई./1(24)/87-वित्त (पीपीयू) को संदर्भित किया जाता है (प्रति संलग्न) । इस विस्तृत नीति, कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की केवल सरकारी क्षेत्र के बैंकों के साथ बैंकिंग व्यवस्था होनी चाहिए, की पुनरीक्षा की जा चुकी है और अब यह निर्णय लिया गया है कि केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यम अपनी पसंद के किसी भी बैंक के साथ सामान्य बैंकिंग लेनदेन कर सकते हैं जिनमें विदेशी/निजी क्षेत्र के बैंक भी शामिल हैं ।

(टी.एस. नरसिंहन)
संयुक्त सचिव

सेवा में
1. सभी प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों के सचिव ।
2. सभी प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों के वित्तीय सलाहकार ।

प्रतिलिपि प्रेषित: केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के सभी उद्यमों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ।

(टी.एस. नरसिंहन)

परिशिष्ट-इकतीस

(प्रतिवेदन का पैरा 14.3 देखिए)

अतिरिक्त निधियों का सरकारी प्रतिभूतियों, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के बंध पत्रों, सरकारी हुंडियों में निवेश के संबंध में वित्त मंत्रालय का 1 दिसंबर, 1987 और 5 फरवरी, 1988 का पत्र

गोपनीय

डो ओ सं. 2(232)-
ई(ओ एन)87

सचिव
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
व्यय विभाग ।

नई दिल्ली-110001,
दिनांक 1.12.1987

आर.आर.गुप्ता

वार्षिक बजट की पुनरीक्षाओं के दौरान मंत्रालयों ने चालू वर्ष में अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता बतलाई है । वर्तमान स्थिति में बजट में किसी भी प्रकार की वृद्धि करना संभव नहीं है । दूसरी ओर, बजट घाटे को कम करने के लिए कुछ कटौतियां करना अनिवार्य है । तदनुसार, मंत्रालयों को अपने कुल व्यय को अपने बजट में से पूरा करने के लिए आंतरिक रूप से पुनः समायोजन करना होगा । इसके अतिरिक्त, सूखा राहत पर होने वाले व्यय को पूरा करने के लिए संसाधन जुटाने हेतु सरकार ने कतिपय बचत करने और खर्च में कटौतियां करने का निर्णय किया है । इन्हें प्राप्त किया जाना चाहिए । उपरोक्त बातों और संगत तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में आपके मंत्रालय के लिए चालू वर्ष में योजनागत और गैर-योजनागत व्यय के संशोधित अनुमान तैयार किए जा रहे हैं और इनके बारे में आपको अलग से सूचित कर दिया जाएगा । इन सीमाओं का कड़ाई से पालन करना होगा । तथापि, आप इस बात को सुनिश्चित करें कि वेतन भुगतान और संविदागत/अनिवार्य भुगतान जैसे दायित्वों में से ही पूरे किए जाएं ।

2. देश में सूखे से उत्पन्न स्थिति को देखते हुए सरकार ने खर्च में किफायत करने के उपायों का निर्णय किया था और मेरे पूर्ववर्ती पत्रों में आपको इस बारे में सूचित कर दिया गया था । उनका कड़ाई से पालन करना होगा । चालू वर्ष के दौरान किसी नई योजना को मंजूरी नहीं दी जानी चाहिए । चालू योजनाओं के संबंध में केवल न्यूनतम तात्कालिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ही निधियां प्रदान की जा सकती हैं और इन आवश्यकताओं की पूर्ति के बाद शेष बजट राशि, यदि कोई हो, को वापिस कर देना चाहिए ।

3. किफायत बरतने के लिए सरकार ने निम्नलिखित निर्णय भी किये हैं :-

(एक) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और स्वायत निकायों को आगे दी जाने वाली राशि वर्ष के दौरान प्राप्त विदेशी सहायता के बराबर से अधिक नहीं होनी चाहिए अथवा केवल न्यूनतम तात्कालिक आवश्यकताओं को ~~जिस~~ पूरा करने के लिए ही दी जानी चाहिए ।

(दो) इस विषय से संबंधित विद्यमान अनुदेशों के संदर्भ में ऐसी निधियां जारी करने के औचित्य की पूर्ण रूप से जांच करने के बाद ही योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकारों, इत्यादि को निधियां जारी की जानी चाहिएं । ऐसे मामलों में, जहां ऐसे अनुदेशों का पूर्णत: पालन नहीं किया जाता है और निधियां जारी करना आवश्यक हो तो इस मामले को वित्त मंत्रालय को भेजा जाना चाहिए ।

(तीन) निधियों के पुनर्विनियोग के संबंध में विद्यमान अनुदेशों को कड़ाई से ~~लागू~~ किया जाना चाहिए । विभिन्न योजनाओं अथवा व्यय मदों के बीच निधियों के पुनर्विनियोग करने की अनुमति इसीलिए ही नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि कतिपय योजनाओं/व्यय मदों के अंतर्गत बचत राशियां उपलब्ध हैं । अस्थायी उपाय के रूप में निधियों के पुनर्विनियोग के संबंध में वित्तीय शक्ति प्रत्यायोजन नियम के नियम 10 के अंतर्गत शक्तियों के वर्तमान प्रत्यायोजन की राशि को 2 करोड़ रू. से कम करके । करोड़ रू. कर दिया गया है ।

ये अनुदेश वैज्ञानिक विभागों पर भी लागू होंगे ।

4. सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को अनुदेश दिया जाना चाहिए कि उन्हें अपनी तात्कालिक आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद बची अतिरिक्त निधि को सरकारी क्षेत्र के बंधपत्रों, सरकारी हुंडियों अथवा सरकार के पास जमा के रूप में निवेश करना चाहिए । बैंक के पास रखे सावधि जमा को भी परिपक्व हो जाने पर उपर्युक्त तरीके से निवेश किया जाना चाहिए ।

5. यदि इन आदेशों को कड़ाई से पालन किया जाता है तो मैं इसके लिए आभारी रहूंगा और मुझे इस संबंध में की गई कार्यवाही से सूचित किया जाए ।

सादर,

भवदीय,

(आर. आर. गुप्ता)

सचिव,
सभी मंत्रालय/विभाग,
भारत सरकार,
नई दिल्ली

प्रति-

सभी वित्तीय परामर्शदाता

(आर. आर. गुप्ता)

तत्काल

अर्ध•शा•सं•एफ•16-2-§सीडीएन§/87

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
आर्थिक कार्य विभाग
नई दिल्ली 5•2•1988

एम•एस•शास्त्री,
अपर सचिव ।

प्रिय श्री मिश्रा,

कृपया सचिव §व्यय§ के 1•12•1987 के समसंख्यक अर्ध शा• पत्र को देखें जिसमें मितव्ययिता बरतने संबंधी कतिपय निर्णयों को संप्रेषित किया गया था । उसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह कहा गया था कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को अपनी अतिरिक्त निधियों का निवेश सरकारी क्षेत्र के बांडों, सरकारी हुंडियों अथवा सरकार के पास यथा जमा रूप में करना चाहिए । यह स्पष्ट किया जाता है कि ये अनुदेश केवल उन निधियों के लिए लागू होते हैं जो 6 माह से अधिक की अवधि के लिए नहीं प्राप्त होती हैं । तथापि, यथासंभव, सरकारी उपक्रमों को अधिशेष निधियों का निवेश सरकारी क्षेत्र के बांडों अथवा 182 दिनों की सरकारी हुंडियों में करना चाहिए जिनके लिए अनुषंगी बाजार उपलब्ध हैं ।

भवदीय

ह0/-

§एम•एस•शास्त्री§

श्री एस•एन•मिश्रा,
सचिव,
नागर विमानन मंत्रालय ।

परिशिष्ट - बत्तीस

(कृपया प्रतिवेदन का पैरा 14.4 देखिए)

वर्ष 1991-92 और 1992-93 (दिसम्बर, 1992 तक) के दौरान अल्पावधि, जमा प्रमाण पत्र, वैधानिक प्रबंधन योजना (सी एम एस) ट्रेजरी बिलों, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के बंधपत्रों, सरकारी प्रतिभूतियों पारस्परिक निधियों (एम एफ) में पूंजी निवेश।

(करोड़ रूपयों में)

क्रमांक	संगठन	अल्प-कालिक	सी.डी.	पी.एम.एस.	आई.सी.डी.	यूनिट्स	सरकारी क्षेत्र उपक्रम बाण्ड	सरकारी प्रतिभूतियां	एम.एफ.	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आई.टी.पी.ओ.	2.17	14.75	-	11.50	6.01	-	-	-	34.43
2.	निर्यात प्रत्यय गारण्टी निगम लि.	-	131.87	-	-	-	-	-	-	131.87
3.	गर्म-सलाखा-धातु निगम लि.	0.34	-	-	0.16	-	-	-	-	0.50
4.	एम.एन.डी.सी.	167.17	10.89	-	-	-	-	-	-	178.06
5.	भारतीय आणविक विद्युत निगम लि.	290.00	54.81	-	-	-	-	-	-	344.81
6.	भारतीय यूरेनियम निगम लि.	13.63	3.93	-	-	-	-	-	-	17.56
7.	भारतीय टीका निगम लि.	-	1.00	-	-	-	-	-	-	1.00
8.	भारत इम्युनोलॉजिकल्स एण्ड बायोलॉजिकल्स कार्पोरेशन लि.	3.99	-	-	-	-	-	-	-	3.99
9.	ई.टी.एण्ड टी. कार्पोरेशन लि.	4.00	-	-	4.00	-	-	-	-	8.00
10.	इण्डियन एयरलाईन्स	170.45	205.22	-	-	-	-	-	-	375.67
11.	भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण	24.50	310.96	-	-	-	-	-	-	335.46
12.	इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी	1.25	0.24	-	-	-	-	-	-	1.49
13.	एयर इण्डिया	75.83	832.39	10.00	12.00	-	33.70	-	-	963.92
14.	भारतीय राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण	76.78	44.54	15.00	-	-	5.48	-	-	141.80
15.	पवन हंस लि.	1.25	30.69	70.50	95.50	-	-	-	-	127.14
16.	वायुदूत	71.25	2.08	-	-	-	-	0.01	-	74.14
17.	भारतीय होटल निगम	0.45	-	-	-	-	-	-	-	0.45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.	तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग	1025.64	80.01	-	-	161.42	136.36	-	-	1403.45
19.	बी.पी.सी.एल.	134.30	-	-	70.00	38.83	-	-	-	243.13
20.	आई.बी.पी. कं. लि.	20.69	-	-	-	0.02	-	-	-	20.71
21.	ई. आई. एल.	-	-	-	40.00	-	-	-	-	40.00
22.	कोचीन रिफाइनरीज़ लि.	297.36	115.49	-	-	-	-	-	-	412.85
23.	बोंगाईगाँव रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लि.	215.33	1.44	-	-	7.12	-	-	-	223.89
24.	लुबरीज़ोल इण्डिया लि.	13.00	-	-	-	-	-	-	-	13.00
25.	नद्रास रिफाइनरीज़ लि.	39.00	-	-	-	-	39.00	-	-	78.00
26.	भारतीय गैस प्राधिकरण	1.61	20.82	-	183.73	-	53.00	-	32.05	291.50
27.	आयल इण्डिया लि.	39.23	-	20.00	-	-	-	-	-	59.23
28.	भारतीय तेल निगम लि.	400.02	-	-	-	-	89.12	-	74.00	563.15
29.	तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग विदेश लि.	-	5.52	-	-	-	69.89	-	-	75.41
30.	दि एन्टिक्स कार्पोरेशन लि.	0.50	-	-	-	-	-	-	-	0.50
31.	सेन्टर फार डेवलपमेन्ट आफ टेलीमेटिक्स	12.70	-	-	-	-	-	-	-	12.70
32.	टेलिकम्युनिकेशन्स कन्सल्टेन्ट्स इण्डिया लि.	17.00	3.98	-	-	-	6.03	-	-	27.01
33.	हिन्दुस्तान टेलिप्रिन्टर्स लि.	14.00	-	-	7.00	-	-	-	-	21.00
34.	हिन्दुस्तान लेटेक्स लि., त्रिवेन्द्रम	4.62	-	-	-	-	-	-	-	4.62
35.	भारतीय पर्यटन विकास निगम	9.10	-	-	-	-	-	-	-	9.10
36.	एजुकेशनल कन्सल्टेन्ट्स इण्डिया लि.	2.88	1.10	-	-	-	-	-	-	3.98
37.	ए.ड्ब्यु यूले एण्ड कम्पनी लि.	0.11	-	-	-	0.04	-	-	-	0.15
38.	इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट इण्डिया लि.	3.90	-	-	-	-	-	-	-	3.90

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
हिन्दुस्तान साल्ट लिमिटेड	0·19	-	-	-	-	-	-	-	0·19
राष्ट्रीय उद्योग विकास निगम लिमिटेड	1·15	3·61	-	1·50	-	-	-	-	6·26
भारतीय टायर निगम लिमिटेड	0·40	-	-	-	-	-	-	-	0·40
इंजिनीयरिंग प्रोडेक्स इंडिया लिमिटेड	10·91	-	-	-	-	-	-	-	10·91
बर्न स्टेन्डर्ड कम्पनी लिमिटेड	0·11	-	-	-	-	-	-	-	0·11
भारतीय सिमेन्ट निगम लिमिटेड	0·97	-	-	-	-	-	-	-	0·97
हिन्दुस्तान पेपर निगम लिमिटेड	-	0·12	-	-	-	-	-	-	0·12
भारतीय उद्योग लिमिटेड	8·00	-	1·30	42·60	-	-	-	-	51·90
भारत भारी उद्योग लिमिटेड	0·20	-	-	-	-	-	-	-	0·20
इन्स्ट्रूमेन्टेशन इंडिया लिमिटेड	0·21	-	-	-	-	-	-	-	0·21
भारतीय साइकिल निगम लिमिटेड	2·54	0·96	-	-	-	-	-	-	3·50
हिन्दुस्तान मशीनिकल कारपोरेशन लिमिटेड	-	-	307·00	-	-	-	-	-	307·00
भारत आपथेल्मिक ग्लास लिमिटेड	0·41	1·00	-	-	-	-	-	-	1·41
भारतीय दवा निगम लिमिटेड	6·00	62·00	-	-	-	-	-	-	68·00
भारतीय हेवी इलैक्ट्रिकल उद्योग लिमिटेड	4·65	-	-	-	-	-	-	-	4·65
राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड	-	-	-	-	-	-	0·10	-	0·10
मिनरल एक्सप्लोरेशन कारपोरेशन	-	88·22	-	-	-	45·05	-	-	133·27
कोल माइन्स अथारिटी लिमिटेड	0·63	-	-	-	-	-	-	-	0·63
राष्ट्रीय वस्त्र निगम	-	33·61	-	-	-	-	-	-	33·61
भारतीय इस्पात प्राधिकरण	5·24	202·88	-	-	44·37	-	-	-	252·49

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. मेटालर्जिकल एण्ड इंजिनियरिंग कन्सलटेन्ट्स इंण्डिया लिमिटेड	26.99	1.86	-	22.00	13.13	1.00	-	-	64.98
2. हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कन्स्ट्रक्शन लिमिटेड	1.50	0.72	-	-	-	-	-	-	2.22
4. कुद्रेमुख आयरन और कम्पनी लिमिटेड	31.00	-	-	113.00	-	-	-	-	144.00
12. भारत रिफ्रेक्ट्रीज लिमिटेड	3.44	-	-	-	-	-	-	-	3.44
13. मैंगनीज और इंण्डिया लिमिटेड	13.31	3.85	-	-	-	-	-	-	22.16
14. मेटल स्क्रेप ट्रेड कारपोरेशन लिमिटेड	24.43	0.72	-	-	-	-	-	-	25.15
15. राष्ट्रीय इस्पात विकास लिमिटेड	159.65	17.41	-	-	-	-	-	-	177.06
16. हीरिंग्टन आयरन एण्ड स्टील लिमिटेड	-	1.72	-	-	-	-	-	-	1.72
17. फिक्स वेल्डरहा आयरन एण्ड स्टील कारपोरेशन लिमिटेड	-	0.07	-	-	-	-	-	-	0.07
18. राष्ट्रीय चल-चित्र विकास निगम लिमिटेड	-	-	2.15	-	-	-	-	-	2.15
19. आई आर सी ओ एल	3.20	3.60	-	-	-	-	-	1.90	8.70
20. आई आर एफ सी	348.80	-	-	-	25.00	-	-	-	373.80
21. कोंकण रेलवेज	1.49	-	-	-	-	-	-	-	1.49

क्रमांक	संगठन	अल्पकालिक	सी.डी	दीर्घावधि आरक्षी	पूंजीदत्त	सरकारी सहायी के ऋण डिबेंचर			योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72.	हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड				10.00					10.00
73.	नगरनार डाक लिमिटेड	10.00			~~10.00~~					10.00
74.	विद्युत निगम लिमिटेड	~~1.00~~			26.00					26.00
75.	खनिज गवेषण निगम लिमिटेड	1.00								1.00
76.	नेशनल एल्युमिनियम कम्पनी लिमिटेड	243.00	114.79	148.00	-	-	-	-	-	505.79
77.	भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड									
78.	हिन्दुस्तान जिन्क लिमिटेड	14.87	-	-	-	-	-	-	-	14.87
79.	खनिज विकास निगम लिमिटेड	.50	.01	-	-	-	-	-	-	.5
80.	दि बिसरा स्टोन लाइम कं० लिमिटेड	1.35	-	-	-	-	-	-	-	1.35
81.	इण्डियन फायर ब्रिक्स एण्ड इन्सुलेशन कं० लिमिटेड									
82.	स्पोंज आयरन इण्डिया लिमिटेड									
83.	हिन्दुस्तान प्रिपैब लिमिटेड	11.00	-	-	-	-	-	-	-	11.00
84.	हुक्को	792.68	315.32	-	885.10	-	-	-	-	1994.11
85.	बंगाल केमिकल्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड									
86.	राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड पर्टीलाइजर्स लिमिटेड	2.50	-	-	-	-	-	-	-	-
87.	पर्टीलाइजर्स एण्ड केमिकल्स त्रावनकोर लिमिटेड	-	-	-	-	-	-	-	-	-
88.	पारादीप फास्फेट्स लिमिटेड	1.87	-	-	-	-	-	-	-	-
89.	भारतीय उर्वरक निगम लिमिटेड	1.00	-	-	-	-	-	-	-	1.00
90.	सर्विसेज कनसल्टेन्सी कारपोरेशन (इण्डिया) लिमिटेड	132.00	50.00	-	-	-	-	-	-	182.00

E/

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
91.	इंडियन मेडिसिन्स फार्मास्यूटिकल्स कारपोरेशन लिमिटेड									
92.	राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम									
93.	विद्युत वित्त निगम									
94.	राष्ट्रीय चलचित्र विकास निगम लिमिटेड									
95.	भारतीय सड़क निर्माण क0 लिमिटेड	-	1.96	-	-	-	-	-	-	1.96
96.	ड्रेजिंग कारपोरेशन आफ इंडिया	6.05	-	-	-	-	-	-	0.25	73.07

परिशिष्ट पृ.बो.
अनुबंध

वर्ष 1991-92 के दौरान
अल्पकालिक निधि निवेश, जमा सर्टीफिकेट, पीएमएस, यूनिटस, सरकारी उपक्रम बांड, सरकारी प्रतिभूतियां, म्युच्युअल फंड ।

(करोड़ रूपये में)

क्रमांक	संगठन	अल्पकालिक	जमा सर्टीफिकेट	पीएमएस	आईसीडी	यूनिटस	स.उ. बांड	सरकारी प्रति-भूतियां	म्यु. फंड	जोड़
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	भारतीय राज्यव्यापार निगम लि.	165.09	34.63	-	568.50	-	-	-	-	768.22
2.	आई.टी.पी.ओ.	12.35	-	-	27.80	5.99	-	-	-	46.14
3.	एक्सपोर्ट क्रेडिट एण्ड गारंटी का.लि.	200.75	-	-	-	-	-	-	-	200.75
4.	मसाला व्यापार निगम लि.	0.60	-	-	0.60	-	-	-	-	1.20
5.	खनिज एवं धातु व्यापार निगम	531.74	9.97	-	-	-	-	-	0.50	542.21
6.	भारतीय आणविक विद्युत निगम लि.	679.00	2.84	180.00	5.40	-	-	-	-	867.24
7.	भारतीय यूरेनियम निगम लि.	10.13	28.50	-	-	-	-	-	-	38.63
8.	भारतीय टीका निगम लि.	-	-	-	-	8.03	23.37	-	-	31.40
9.	भारत इम्युनोजिकल्स एण्ड बायोलोजिकल्स कारपोरेशन लि.	10.52	-	-	-	-	-	-	-	10.52
10.	ईटीएण्ड टी कारपोरेशन लि.	2.00	-	-	8.00	25.37	-	-	-	10.00
11.	इंडियन एयरलाइंस	126.14	288.43	-	-	-	-	-	-	414.57
12.	भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण	-	370.69	-	-	-	-	-	-	370.69
13.	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उडान अकाडमी	1.20	5.54	-	-	-	-	-	-	6.74
14.	एअर इंडिया	88.73	674.88	49.28	23.00	23.00	424.76	-	-	1260.65
15.	राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण	11.97	14.00	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	25.97
16.	पवन हंस लिमिटेड	7.23	-	81.25	81.50	-	-	-	-	169.98
17.	वायुदूत	2.00	-	-	-	-	-	0.04	-	2.04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.	भारतीय होटल निगम	3·70	-	-	-	-	-	-	-	3·70
19.	तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग	2150·44	-	100·00	-	77·59	327·09	-	115·98	2771·10
20.	एच·पी·सी·एल·	214·47	-	-	-	-	40·34	-	-	254·61
21.	बी·पी·सी·एल·	283·21	-	-	108·00	5·99	-	-	-	397·20
22.	आई·बी·पी·कम्पनी लि·	6·00	-	-	-	14·87	-	-	-	20·87
23.	ल्यूब्रिजोल इंडिया लि·	19·09	-	-	-	-	-	-	-	19·00
24.	इंजीनियर्स इंडिया लि·	-	29·17	-	-	-	-	-	-	29·17
25.	कोचीन रिफाइनरीज लिमिटेड	538·03	-	-	-	7·40	-	-	-	545·43
26.	बोंगाइगांव रिफाइनरी एंड पेट्रो-केमिकल्स लि·	249·16	7·69	-	-	-	14·20	-	-	271·05
27.	मद्रास रिफाइनरीज लिमिटेड	664·48	-	-	-	-	1009·70	-	-	774·18
28.	भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड	0·85	-	-	105·79	-	55·27	-	29·58	191·49
29.	आयल इंडिया लिमिटेड	176·28	6·97	80·00	-	-	-	-	-	263·25
30.	भारतीय तेल निगम लिमिटेड	3591·71	-	-	-	132·70	203·82	-	-	3928·23
31.	ओ·एन·जी·सी· विदेश लिमिटेड	28·50	-	-	-	-	-	-	-	28·50
32.	सेंटर फार डवलपमेंट आफ टेलिमेटिक्स	20·88	1·83	-	-	-	-	-	-	22·71
33.	टेलीकम्युनिकेशन्स कंसल्टेंट्स इंडिया लि·	6·85	3·21	-	-	-	6·03	-	-	16·09
34.	हिन्दुस्तान टेलिप्रिंटर्स लिमिटेड	13·54	-	-	7·04	-	-	-	-	20·58
35.	विदेश संचार निगम	4·00	-	-	128·23	-	-	-	-	132·23
36.	हिन्दुस्तान लेटेक्स लि·, त्रिवेन्द्रम	1·55	7·24	-	-	-	-	0·01	-	8·80
37.	भारतीय पर्यटन विकास निगम	12·20	-	-	-	-	-	-	-	12·20
38.	एज्युकेशनल कन्सलटेंट्स इंडिया लि·	2·41	0·75	-	-	-	-	-	-	3·16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39.	एण्ड्रयू यूले एण्ड कम्पनी लि.	1.78	-	-	-	-	-	-	-	1.78
40.	इंजीनियरिंग प्रोजेक्टस इंडिया लि.	10.91	-	-	-	-	-	-	-	10.91
41.	हिन्दुस्तान साल्ट्स लिमिटेड	0.98	-	-	-	-	-	-	-	0.98
42.	राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम लि.	1.52	4.45	-	-	-	-	-	-	5.97
43.	स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड, लखनऊ	0.15	-	-	-	-	-	-	-	0.15
44.	टायर कारपोरेशन आफ इंडिया लि.	1.60	-	-	-	-	-	-	-	1.60
45.	इंजीनियरिंग प्रोडेक्टस इंडिया लि.	10.91	-	-	-	-	-	-	-	10.91
46.	बर्न स्टैंडर्ड कम्पनी लिमिटेड	8.20	-	-	-	-	-	-	-	8.20
47.	भारतीय सीमेंट निगम लिमिटेड	0.26	-	-	-	-	-	-	-	0.26
48.	हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशनलिमिटेड	-	1.75	-	-	-	-	-	-	1.75
49.	मारुति उद्योग लिमिटेड	42.98	-	38.71	26.37	5.11	-	-	-	113.17
50.	ड्रेथवेट एण्ड कम्पनी लिमिटेड	1.81	-	-	-	-	-	-	-	1.81
51.	इंस्ट्रूमेंटेशन इंडिया लिमिटेड	-	-	-	-	0.10	-	-	-	0.10
52.	साईकिल कारपोरेशन आफ इंडिया लि.	0.01	-	-	-	-	-	-	-	0.01
53.	नेशनल बाइसिकल कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड	-	-	-	474.89	-	-	-	-	474.89
54.	भारतीय रूई निगम लिमिटेड	-	26.22	-	161.75	-	-	-	-	187.97
55.	भारतीय केन्द्रीय कुटीर उद्योग निगम लि.	5.45	-	-	-	-	-	-	-	5.45
56.	उत्तर-पूर्व हथकरघा तथा हस्तशिल्प विकास निगम	0.29	-	-	-	-	-	-	-	0.29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57.	भारतीय इस्पात प्राधिकरण	-	156.01	-	-	-	-	-	25.23	181.24
58.	मेटलर्जिकल एण्ड इंजीनियरिंग कंसलटेंटस (इंडिया) लि.	21.30	1.86	-	-	13.13	1.00	-	-	37.29
59.	हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कन्स्ट्रक्शन लिमिटेड	10.15	-	-	-	-	-	-	-	10.15
60.	कुद्रेमुख आइरन ओर कम्पनी लि.	286.60	4.81	-	65.00	-	-	-	47.75	386.16
61.	भारत रिफ्रेक्टरीज लिमिटेड	9.76	-	-	-	-	-	-	-	9.76
62.	मैंगनीज ओर इंडिया लिमिटेड	13.91	2.39	-	-	-	-	-	-	16.30
63.	रद्दी धातु व्यापार निगम लि.	32.57	0.70	-	-	-	-	-	-	33.27
64.	राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लि.	115.34	3.94	-	-	-	-	-	-	119.28
65.	इंडियन आइरन एण्ड स्टील लिमिटेड	0.01	3.34	-	-	-	-	-	-	3.35
66.	विश्वेश्वरैया आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड	-	1.04	-	-	-	-	-	-	1.04
67.	राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लि.	-	-	7.64	-	-	-	-	-	7.04
68.	आर.आई.टी.ई.एस.	-	7.10	-	-	-	-	-	2.20	9.30
69.	आई.आर.सी.ओ.एन.	46.63	10.25	-	-	-	-	-	-	56.88
70.	आई.आर.एफ.सी.	3076.28	2.26	29.00	7.00	-	-	-	219.00	3323.54
71.	कोंकण रेलवे	9.99	6.29	-	-	-	-	-	-	16.28

क्रमांक	संगठन	अल्प-कालिक	सी॰डी॰	पी॰एम॰एस॰	आई॰सी॰डी॰	यूनिट्स	सरकारी क्षेत्र उपक्रम बाण्ड	सरकार प्रति भूतियां	एम॰एफ॰	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72.	हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लि॰	-	-	-	45	-	-	-	-	45.00
73.	मजगांव डॉक लि॰	15.00	-	-	-	-	-	-	-	15.00
74.	मिश्र धातु निगम लि॰	37.00	-	-	-	-	-	-	-	37.00
75.	खनिज अन्वेषण निगम लि॰	1.00	-	-	-	-	-	-	-	1.00
76.	नेशनल एल्युमीनियम कार्पोरेशन लि॰	1039.59	-	145.80	-	-	-	-	-	1183.79
77.	भारत गोल्ड माइन्स लि॰	3.00	-	-	-	-	-	-	-	3.00
78.	हिन्दुस्तान ज़िंक लि॰	126.57	-	-	-	.30	-	-	-	126.87
79.	खनिज विकास निगम लि॰	-	.01	-	-	-	-	-	-	.01
80.	दि बिसरा स्टोन लाईम क॰ लि॰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
81.	इण्डियन फायर ब्रिक्स एण्ड इन्सुलेशन क॰ लि॰	3.30	-	-	-	-	-	-	-	3.30
82.	स्पोंज आयरन इण्डिया लि॰	2.00	1.44	-	-	-	-	-	-	3.44
83.	हिन्दुस्तान प्रिफैब लि॰	15.55	-	-	-	-	-	-	-	15.55
84.	हुडको	2440.01	-	-	1007.10	-	-	-	-	3447.11
85.	बंगालु केमिकल्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि॰	1.29	-	-	-	-	-	-	-	1.29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
86.	राष्ट्रीय रसायन तथा उर्वरक लि.	8.83	-	-	32.00	-	-	-	-	40.83
87.	फर्टिलाइज़र्स एण्ड केमिकल्स ट्रावनकोर लि.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
88.	पारादीप फास्फेट्स लि.	1.87	-	-	-	-	-	-	-	1.87
89.	भारतीय उर्वरक निगम लि.	1.00	-	-	-	-	-	-	-	1.00
90.	हास्पिटल सर्विसिज़ कन्सलटेन्सी कार्पोरेशन (इण्डिया) लि.	115.00	150.00	-	-	-	-	-	-	265.00
91.	इण्डियन मेडिसिन्स फार्मास्यूटिकल्स कार्पोरेशन लि.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92.	राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम	-	-	-	-	-	-	-	-	-
93.	विद्युत वित्त निगम	549.39	4.94	-	-	-	-	-	-	554.33
94.	राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लि.	-	-	3.50	-	-	-	-	-	3.50
95.	भारतीय राजमार्ग प्राधिकरण	-	2.00	-	-	-	-	-	-	2.00

परिशिष्ट - तैंतीस

(कृपया प्रतिवेदन का पैरा 14.165 देखिए)

ओ.आई.डी.बी. द्वारा संविवाग प्रबंधन योजना और इसी प्रकार की अन्य योजनाओं में 31.3.1992 से 27.5.1992 तक किए गए पूंजी निवेश की राशि को दर्शाने वाला विवरण।

क्रमांक	तिथि	बैंक/सहायक कम्पनी/अन्य	निवेश की गई राशि (करोड़ रु0)	योजना	ब्याज की दर/वापसी की दर (%)	अवधि
1.	31.03.92	केनफिना	115.18	आई.ए.एस.	18.30	1 वर्ष
2.	01.04.92	सिंडिकेट बैंक	20.09	पी.एम.एस.	18.25	1 वर्ष
3.	02.04.92	केनफिना	11.97	आई.एस.	18.30	1 वर्ष
4.	06.04.92	केनफिना	3.75	आई.एस.	18.30	1 वर्ष
5.	08.04.92	केनफिना	6.38	आई.एस.	18.30	1 वर्ष
6.	16.04.92	केनफिना	19.38	आई.एस.	19.25	30 दिन
7.	24.04.92	इलाहाबाद बैंक फाइनैंस लि0	39.56	पी.एम.एस.	19.10	1 वर्ष
8.	24.04.92	कारपोरेशन बैंक	10.00	पी.एम.एस.	19.25	1 वर्ष
9.	27.04.92	कारपोरेशन बैंक	1.15	पी.एम.एस.	19.50	1 वर्ष
10.	28.04.92	सिंडिकेट बैंक	14.27	पी.एम.एस.	19.51	1 वर्ष
11.	29.04.92	सिंडिकेट बैंक	31.69	पी.एम.एस.	19.51	1 वर्ष
12.	30.04.92	सिंडिकेट बैंक	18.44	पी.एम.एस.	19.51	1 वर्ष
13.	02.05.92	सिंडिकेट बैंक	0.86	पी.एम.एस.	20.05	1 वर्ष
14.	04.05.92	सिंडिकेट बैंक	12.88	पी.एम.एस.	20.05.	1 वर्ष
15.	12.05.92	सिंडिकेट बैंक	44.68	पी.एम.एस.	20.05	1 वर्ष
16.	14.05.92	सिंडिकेट बैंक	6.02	पी.एम.एस.	20.05	1 वर्ष
17.	14.05.92	केनफिना	25.26	आई.एस.	20.10	1 वर्ष
18.	15.05.92	केनफिना	24.24	आई.एस.	20.10	1 वर्ष
19.	16.05.92	केनफिना	0.16	आई.एस.	20.10	1 वर्ष
20.	18.05.92	केनफिना	2.25	आई.एस.	20.10.	1 वर्ष
21.	19.05.92	केनफिना	4.30	आई.एस.	20.10	1 वर्ष
22.	20.05.92	केनफिना	15.10	आई.एस.	20.10	1 वर्ष
23.	21.05.92	केनफिना	2.30	आई.एस	18.60	91 दिन
24.	22.05.92	केनफिना	3.50	आई.एस.	18.60	91 दिन
25.	23.05.92	केनफिना	34.65	आई.एस.	18.60	91 दिन
26.	25.05.92	केनफिना	34.38	आई.एस.	18.60	91 दिन
27.	26.05.92	केनफिना	4.45	आई.एस.	18.60	91 दिन
28.	27.05.92	केनफिना	7.55	आई.एस.	18.60	91 दिन

परिशिष्ट - चौंतीस

(कृपया प्रतिवेदन का पैरा 14.289 देखिए)

[redacted] भारतीय रेल निगम द्वारा चारी बांडों का ब्योरा

लेखा	आवंटन की तारीख	आवंटन की राशि (हजार रुपये में)
क परिशोध्य	15.4.1987	559.40
ख परिशोध्य	26.2.1988	400.00
ग परिशोध्य	23.3.1989	100.00
प्रतिभूत डिबेंचर	07.2.1969	500.00
घ परिशोध्य	12.1.1990	100.00
प्रतिभूत डिबेंचर		
"क" डिबेंचर	16.12.1989	300.00
"ख" डिबेंचर	22.12.1989	50.00
"ग" डिबेंचर	28.12.1989	165.00
"घ" डिबेंचर	30.12.1989	35.00
"ङ" डिबेंचर	1.01.1990	350.00
च परिशोध्य	19.03.1991	100.00
प्रतिभूत डिबेंचर	28.08.1990	1370.00
छ : प्रतिभूत डिबेंचर		
"क" डिबेंचर	15.07.1991	800.00
"ख" डिबेंचर	30.11.1991	700.00
भिलाई रेल मिल डिबेंचर		
"क" डिबेंचर	10.02.1992	10.00
"ख" डिबेंचर	10.02.1992	10.00
"ग" डिबेंचर	24.02.1992	20.64
"ङ" डिबेंचर	10.03.1992	70.00
"च" डिबेंचर	10.03.1993	1.00
ज		
परिशोध्य		1259.40
प्रतिभूत डिबेंचर		4081.64
		5341.04

परिशिष्ट - पैंतीस

(कृपया प्रतिवेदन का पैरा 15.3 देखिए)

भारतीय रिज़र्व बैंक का
संगठनात्मक ढांचा

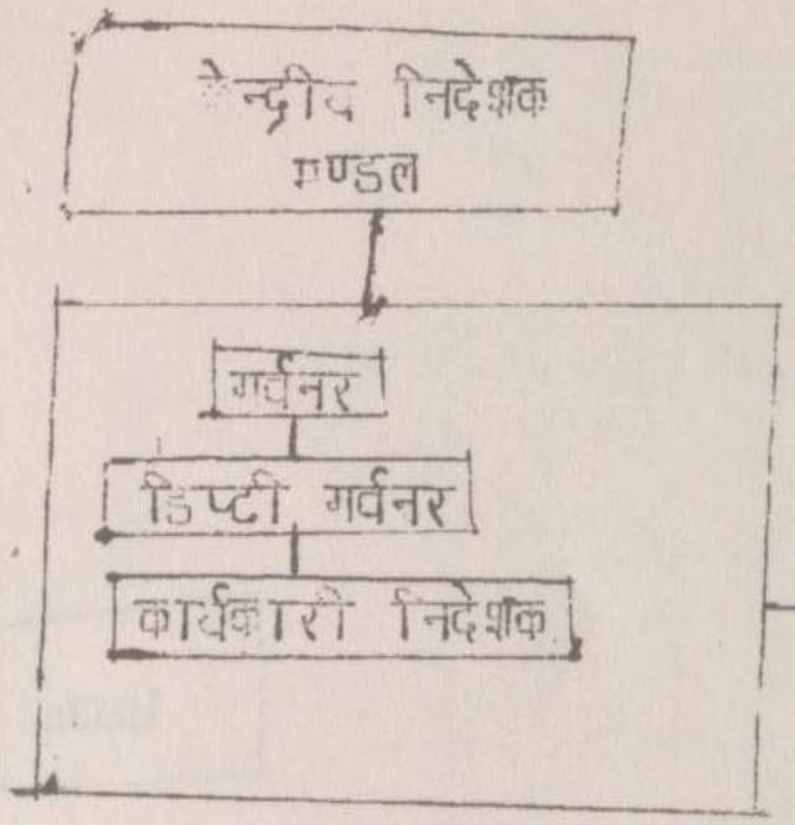

केन्द्रीय कार्यालय विभाग

सचिव का विभाग
बैंकिंग संचालन और विकास विभाग
औद्योगिक ऋण विभाग
ग्रामीण आयोजना और ऋण विभाग
वित्तीय नियंत्रण विभाग
मुद्रा प्रबन्ध विभाग
व्यय और बजटीय नियंत्रण विभाग
सरकार और बैंक खाता विभाग
गैर-बैंकिंग कम्पनी विभाग
आर्थिक विश्लेषण और नीति विभाग
सांख्यिकीय विश्लेषण और कम्प्यूटर सेवा विभाग
ऋण आयोजना प्रकोष्ठ
प्रशासन विभाग
कार्मिक नीति विभाग
प्रबन्ध सेवा विभाग
विधि विभाग
निरीक्षण विभाग
परिसर विभाग

.....2/-

अध्यक्ष

प्रशिक्षण संस्थान

बैंकर्स ट्रेनिंग कालेज, मुम्बई
कालेज आफ एग्रीकल्चरल बैंकिंग, पुणे
रिजर्व बैंक स्टाफ कालेज, मद्रास
भारतीय रिजर्व बैंक सेवा बोर्ड

परिशिष्ट-छत्तीस

(कृपया प्रतिवेदन का पैरा 15.102 देखिए)

उन बैंकों की सूची जिन्होंने भारतीय रिजर्व बैंक के 26 जुलाई, 1991 के परिपत्र का उत्तर नहीं दिया

निजी क्षेत्र के बैंक

1. बैंक आफ कराड (27.5.92 से परिसमापन के अंतर्गत)
2. बरेली कार्पोरेशन बैंक लि.
3. बनारस स्टेट बैंक लि.
4. भारत कोवरसीज बैंक लि.
5. जम्मू एण्ड कश्मीर बैंक लि.
6. पंजाब को-आपरेटिव बैंक लि.
7. तमिलनाडु मर्केन्टाइल बैंक लि.
8. बारी दोआब बैंक लि.
9. गणेश बैंक आफ कुरन्दवाड़ लि.
10. काशी नाथ सेठ बैंक लि.

विदेशी बैंक

11. आबूधाबी कमर्शियल बैंक लि.
12. ए बी एप आम्रो बैंक
13. अमेरिकल एक्सप्रेस बैंक लि.
14. बैंक आफ बहरीन एण्ड कुवैत (बी.एस.सी.)
15. बैंक आफ टोक्या लि.
16. बैंक्यू इन्डोस्वेज़
17. ब्रिटिश बैंक आफ दि मिडिल ईस्ट
18. क्रेडिट ल्योनेइस
19. डच बैंक ए.जी.
20. दि सकूरा बैंक लि.
21. सोसाइटी जनरेल
22. सोनाली बैंक
23. सावा बैंक

सरकारी क्षेत्र के बैंक

24. स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर

25. स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र

26. बैंक आफ बड़ौदा

27. सेंट्रल बैंक आफ इंडिया

परिशिष्ट - सैंतीस

(कृपया प्रतिवेदन का पैरा 15.11) देखिए)

हुण्डी भुनाने में हुई अनियमितताओं का ब्यौरा ।

.....

(क) अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक ने रिलायंस इन्डस्ट्रीज लि० को उसके द्वारा डीलरों को की गयी आपूर्तियों के लिये संघीय सदस्यता व्यवस्था से इत्र बिक्री हुन्डी भुनाने की सीमाओं को स्वीकृति प्रदान की । 35 डीलरों को उनकी शुद्ध बिक्री और कार्यगत पूंजी सम्बन्धी आवश्यकताओं को ध्यान में रखे बिना ही उनकी सीमाओं की स्वीकृति प्रदान की गयी थी जो कुल 40.05 करोड़ रु० की थी ।

(ख) इसी बैंक ने पूंजी निवेश करने वाली 16 कम्पनियों को भी जो स्पष्ट रूप से रिलायंस समूह से सम्बन्धित थी बट्टे पर बिक्री हुन्डी भुनाने की सुविधाएं प्रदान की । ऐसा प्रतीत होता है कि एक मामले को छोड़कर इन सभी मामलों में बैंकों के सभी यथोचित नियमों की अनदेखी करके 450 लाख रु० की एक समान सीमा की स्वीकृति प्रदान की गयी है । इन कम्पनियों में से दो कम्पनियों का शुद्ध व्यापार मात्र क्रमशः 44 हजार और 50 हजार रु० था ।

(ग) यद्यपि यह बैंक महेन्द्रा एंड महेन्द्रा और रेमंड्स वूलन मिल्स लि० की कार्यगत पूंजी सीमा निर्धारित करने वाले संघ का सदस्य नहीं था फिर भी यह सम्बन्धित अनुदेशों का उल्लंघन करके महेन्द्रा एंड महेन्द्रा की क्रय हुंडियों और रेमंड्स वूलन मिल्स लि० की विक्रय हुंडियों को भुनाता रहा है ।

(घ) बैंक इन्डोस्यूज ने साउदर्न पेट्रोकेमिकल्स इन्डस्ट्रीज कारपोरेशन लि०, (एस.पी.आई.सी.) के नाम 543.98 लाख रु० का हुंडी जारी की और हुंडी भुनाने से प्राप्त राशि का एस.पी.आई.सी. के एक आयात बिल के समायोजन हेतु उपयोग किया गया । तत्पश्चात बैंक ने इसी प्रकार क्रमशः 644.86 लाख और 352.28 लाख रु० की हुंडिया जारी की और भुनाई और उस राशि का उपयोग एस.पी.आई.सी. के भुगतान हेतु बकाया आयात बिलों के वित्त पोषण हेतु किया गया जिनका भुगतान बकाया रहता था ।

(ङ) दिनांक 17 जुलाई, 1989 को मे० एस्सार गुजरात लि० के नाम बैंक इन्डोस्यूज द्वारा 5 करोड़ रुपये का एक बिल जारी किया गया । बैंक द्वारा 17.10.1989 को परिपक्व होने वाले बिल का 19.7.1989 को भुगतान किया गया । एस्सार गुजरात के खाते में भारतीय स्टेट बैंक की वाणिज्य शाखा मुम्बई को भुगतान

किया गया । 15 प्रतिशत की रियायती दर पर ब्याज लिया जा रहा था । व्यापारिक लेन देनों का कोई प्रमाण नहीं था । इसी प्रकार 35 लाख रुपये प्रत्येक की राशि के 21•9•1989 को चार बिल भी बैंक द्वारा एस्सार गुजरात लिमिटेड को जारी किये गये और 23•9•1989 को इनको भुनाया गया था ।

§च§ सिटी बैंक ने 45 लाख रु० स्वीकृत करने की अपनी सीमा के विपरीत मैसर्ज डेकोन एनाइनेंसियल सर्विसेज लि• के 146 लाख रु० के बिलों का भुगतान किया । बिलों में मासिक बिजली प्रभार आदि का भुगतान भी शामिल था । इसी प्रकार मैसर्स के•सी•एजेंसीज और मैसर्स जोलाश क्लियरिंग एंड शिपिंग एजेंसी नामक अन्य दो निजी पार्टियों के मामले में सिटी बैंक द्वारा सीमा शुल्क हेतु बिलों का भुगतान करने की सीमा बढ़ाई गई । कुछ के मामलों में बिल भुनाने की सुविधा उन ग्राहकों को भी दी गई जो सिटी बैंक के ग्राहक भी नहीं थे ।

§छ§ सिटी बैंक ने रेमंडस के साथ अपने लेन देन के आधार पर रेमंडस डोलरों को भी क्रय बिल का भुगतान करने की सुविधा प्रदान की । उनको साख के बारे में भी कोई जानकारी नहीं थी । रेमंडस के 31 डोलरों की और बिल भुगतान पोर्टफोलियों के संबंध में 25•9•90 को 16•07 करोड रु० की कुल राशि बकाया थी ।

§ज§ एक दिन के पुनर्भुगतान लेन देन के संबंध में की गई एक दिवसीय जांच से यह पाया गया कि बैंक ने पात्रता मानदण्डों का उल्लंघन करके अन्य संस्थानों को 14•56 करोड रु० से भी अधिक के उन बिलों का पुन: भुगतान किया है जो 90 दिन से भी अधिक दिनों की परिपक्वता की अवधि के थे ।

§झ§ स्टेट बैंक आफ हैदराबाद ने 9•3•89 को कुल 400 लाख रुपये के तीन बिलों का बट्टे पर भुगतान किया । इन बिलों को उसी दिन मैसर्स अग्रवाल इन्वेसमैंट प्रा• लि; द्वारा मैसर्स डोडसाल के नाम जारी किया गया था । इन बिलों में व्यापार की वस्तुएं शामिल नहीं की जाती थी और ये सहायता बिल थे क्योंकि आहरणकर्ता वही ऋण में से ऋण ले सकता है ।

(अ) मैसर्स मोनोप्लान इन्वेस्टमैंट प्रा॰ लि॰ द्वारा 293.84 लाख रुपये के छः बिलों को स्टील अथारिटी आफ इंडिया लि॰ के नाम जारी किया गया । इन बिलों में मैसर्स मोनोप्लान इन्वेस्टमैंट प्रा॰ लि॰ द्वारा स्टील अथारिटी आफ इंडिया को सो॰आर॰ और एच॰ आर॰ कोयल की बिक्री शामिल है । जबकि पहली कम्पनी न तो इनका निर्माण कर रही थी और न ही इनका व्यापार कर रही थी और दूसरी कम्पनी इन मदों की सप्लाई कर रही थी ।

(ट) स्टेट बैंक आफ हैदराबाद की कार्यकारी समिति ने दिनांक 21 नवम्बर, 1989 को 1200 लाख रू॰ की कुल सहायता सीमा में से सहायता व्यवस्था के अंतर्गत 275 लाख रुपये की सीमा का एक साख पत्र मोनोप्लान इन्वेस्टमेंटस प्रा॰ लि॰ के लिए मंजूर किया । यह माना गया कि साख पत्र के अंतर्गत भुगतान किए गए बिल व्यवस्था संबंधी बिल थे ये उपरोक्त वित्तीय कंपनी, जो किराया खरीद और पट्टा गतिविधियों में संलग्न है, के लाभ हेतु धन में वृद्धि करने के विचार से जारी किए गए थे ।

(ठ) बैंक द्वारा यद्यपि मैसर्स मोनोप्लान इन्वेस्टमेंट प्रा॰लि॰ को कोई ऋण सुविधा स्वीकृत नहीं की गई थी और वास्तव में कम्पनी को स्टेट बैंक आफ इंडिया से 450 लाख रुपये का नकद ऋण (भाराक्रांत) और उसे बहुविध ऋण के अंतर्गत 50 लाख रुपये के बिल बट्टे पर भुगतान की सुविधा सिटी बैंक से प्राप्त थी, अक्तूबर, 1988 से मार्च, 1989 के दौरान स्टेट बैंक आफ हैदराबाद में एम॰आई॰पी॰एल॰ या उसकी सहयोगी कम्पनी द्वारा आहरण 44 बिलों का बट्टे पर भुगतान किया । बट्टे पर बिलों को भुनाने की सुविधाओं को देने से पहले ऋण का पता नहीं लगाया गया था और इस संबंध में कार्यकारी समिति का अनुमोदन बिलों में अनियमितताओं अथवा सुविधाओं की स्वीकृति की पद्धति का बिना कोई उल्लेख किए लगभग एक वर्ष के पश्चात प्राप्त किया गया था ।

(ड) यद्यपि रिलायंस इन्डस्ट्रीज लि॰ संकाय का सदस्य नहीं था और न ही संकाय को इस मामले में कोई जानकारी दी गई थी । स्टेट बैंक आफ हैदराबाद ने रिलायंस इंडस्ट्रीज लि0 के लिये 10 करोड रू0 की ऋण सीमा मंजूर की थी।

(द) बैंक ने डोडसाल लि॰ एक निर्माण कम्पनी को नियमित ऋण सीमा मंजूर करने से पहले ही गारंटी सुविधाओं की अनुमति दे दी थी । बैंक की वडाला नरीमन प्वाइंट शाखा ने 240 लाख रूपये की राशि के बिल को 9·3·89 को भुनाया जिसमें डोडसाल लि॰ अदाकर्ता और असवाल इंवेस्टमेंट प्रा॰ लि॰ प्राप्त कर्ता था और यह शाखा को स्वविवेकीय शक्तियों से बाहर की बात थी । तथापि यह बताया गया था कि यह सब महाप्रबंधक (संचालन) की मौखिक स्वीकृति पर किया गया था ।

(ण) 4 अगस्त, 1988 और 30 मई 1989 के बीच 628·58 लाख रूपये के 17 साख पत्र जो स्नोसेम इंडिया को जारी किए गए वे शाखा प्रबंधक के विवेकाधीन अधिकारों (50 लाख रूपए केवल) से अधिक थे । कंपनी साख पत्रों के अंतर्गत आदान किए गए बिलों को रद्द करने में भी असफल रही जिसके कारण अप्रैल, 1989 से चालू खाते से निरंतर अनधिकृत रूप से अधिक राशि निकाली जाती रही और 26 जून, 1989 को अधिकतम बकाया राशि 108·06 लाख रूपये थी ।

(त) यद्यपि रिलायंस इंडस्ट्रीज लि॰ संकाय का सदस्य नहीं थी और न ही संकाय ने मामले में कोई जानकारी दी थी, आंध्र बैंक ने रिलायंस इंडस्ट्रीज लि0 के लिये 50 करोड़ रू0 का ऋण देने की सीमा की स्वीकृति दी थी ।

(थ) विजया बैंक ने रिलायंस इंडस्ट्रीज लि॰ की प्रमुख कम्पनियों, 14 नियमित उधार प्राप्तकर्ताओं को कुल मिलाकर 69·35 करोड़ रूपये के बिक्री बिलों को बट्टे पर भुनाने की सीमा प्रदान की । इसी प्रकार, इसने 16 उधार प्राप्तकर्ताओं को कुल 69·35 करोड़ रूपये के खरीद बिलों को बट्टे पर भुनाने की सीमा प्रदान की । इसी प्रकार इसने, 16 ऋण प्राप्तकर्ताओं को कुल 27·05 करोड़ रूपये की खरीद बिल बट्टे पर भुनाने की सीमा की स्वीकृति दी। इन सीमाओं का उद्देश्य आर॰एल॰ आई॰ द्वारा की गई सप्लाई और की गई खरीद के लिए वित्तीय सहायता देना था । मंजूरी देते समय कार्य व्यापार, लेन-देन और

उनको वित्तीय स्थिति को ध्यान में नहीं रखा जाता और क्या सम्बद्ध बिल वास्तविक सप्लायरों द्वारा दिये गये हैं । इसके अतिरिक्त, ये पार्टियां ऐसी नहीं थीं जो बैंक से नियमित रूप से कार्य क्षमता सुविधाएं प्राप्त कर रही हों ।

(द) विजया बैंक ने मैसर्स मेक डोवल RJS कम्पनी लि॰ द्वारा आहरण की 300 लाख रुपये के आहरण बिलों को मैसर्स उदयपुर डिस्टिलरीज लि॰ के खाते में डाल दिया । ये बिल आहरणकर्ता द्वारा अनुभव किए गए मूल्य अंतर को दर्शाते हैं ।

(ध) इंडियन बैंक द्वारा आर॰एल॰आई॰ की प्रमुख कम्पनियों, निगमित ऋण प्राप्तकर्ताओं को भुगतान अवधि बिलों के रूप में जो 6 माह से 60 माह के बीच थी, रिलायंस इंडिया लि॰ के शेयरों सहित 78॰5। करोड रूपये के कुल अग्रिम ऋण दिए गए । भारतीय रिजर्व बैंक के निरीक्षकों ने यह टिप्पणी की कि यह स्वीकृति अपर्याप्त पूंजी आधार, अवास्तविक कार्य व्यापार, भा॰रि॰बैंक॰ के निदेशों के अंतर्गत ब्याज की निर्धारित दर से कुम पर कम्पनियों को बहुत कम समय एक से पन्द्रह दिनों के बीच हड़बड़ी में दी गई थी । अग्रिम राशि के प्रयोग के सबंध में कोई प्रश्न नहीं किए गए थे और न ही इनकी जानकारी स्कांय को दी गई थी ।

परिशिष्ट-अड़तीस

(कृपया प्रतिवेदन का पैरा 15.116 देखिए)

तारीख-वार घटनाएं जिनके कारण [redacted] हुन्डी भुनाने संबंधी परिपत्र जारी किया गया ।

15.10.1990	डिप्टी गवर्नर श्री अमिताव घोष ने भारतीय रिजर्व बैंक के तत्कालीन गवर्नर को एक स्वत: पूर्ण टिप्पण भेजा । उस टिप्पण में यह सझाव दिया गया था कि मार्ग-निर्देश जारी करने से पहले बड़े बैंकों के साथ विचार विमर्श कर लिया जाए ।
27.10.1990	गवर्नर ने इन अनुदेशों के साथ फाइल वापस कर दी कि एक बैठक बुलाई जाए ।
12.1.91	चूंकि बैठक नहीं हो सकी इसलिए डी.बी.ओ.डी. द्वारा उच्च प्रबंधकों के विचारार्थ टिप्पण पुन: भेजा गया ।
6.2.91	डिप्टी गवर्नर ने टिप्पण पर विचार विमर्श के लिए बैठक बुलाने का प्रस्ताव किया जिसपर तत्कालीन गवर्नर ने अपनी सहमति दी
14.3.1991	मुख्य अधिकारी, डी.बी.ओ.डी., ने सुझाव दिया कि प्रबंध समिति की बैठक में इस विषय पर विचार किया जाए ।
अगस्त, 1991	प्रबंध समिति की बैठक में इसविषय पर चर्चा की गयी और मुख्य अधिकारी, डी.बी.ओ.डी. ने भी भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंध निदेशक तथा चेयरमैन, बैंक आफ बड़ौदा के साथ इसपर चर्चा की, जिन्हें प्रारूप परिपत्र के प्रस्तावों को कार्यान्वित करने में कोई कठिनाई दिखायी नहीं दी ।
14.12.1991	भारतीय रिजर्व बैंक के नामित निदेशक श्री आर.नानजप्पा ने कर्नाटक बैंक के बिल सविभाग में गंभीर कमियों का जिक्र किया ।
13.1.1992	टिप्पण में मैसर्स मैक डोवैल एंड कम्पनी लिमिटेड, मदुरा इंडस्ट्रयल फैब्रिक्स लिमिटेड जैसे औद्योगिक घरानों को हित साधन व्यवस्थाओं से अन्यत्र बट्टे पर हुन्डी भुनाने की

अनियमित सुविधाएं दिये जाने का जिक्र किया । पहले घराने के सम्बन्ध में बट्टे पर हुन्डी भुनाने की सुविधा 11.7.91 से दी गयी थी जबकि ऋण उधार लेने वाले ने अपना चालू खाता 16.8.91 को खोला था ।

16.1.1992 मुख्य अधिकारी ने बट्टे पर हुन्डी भुनाने सम्बन्धी परिपत्र को जारी करने की आवश्यकता को पुन: दोहराया क्योंकि जैसा उन्होंने देखा कि कुछ औद्योगिक ग्रुपों के लेनदेनों की जानकारी जब कभी भारतीय रिजर्व बैंक को हो जाती है और उनपर किसी प्रकार के प्रतिबन्ध लग जाते हैं तो वे अपना लेनदेन किसी अन्य बैंक से करने लगते हैं ।

कोई तारीख नहीं भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर ने कहा कि कर्नाटक बैंक को एक पत्र जारी किया जाए और इस परिपत्र पर कार्यकारी निदेशक द्वारा उनके साथ चर्चा की जाए और प्रारूप परिपत्र की भी फिर से जांच की जाए । /

18.5.1992 दोबारा टाइप किया हुआ प्रारूप परिपत्र मुख्य अधिकारी को भेजा गया । /

22.7.1992 कार्यकारी निदेशक ने उल्लंघन के लिए दंड लगाने हेतु एक पैरा जोड़ने सहित उसमें कुछ परिवर्तन किए । /

22.7.1992 महा निदेशक ने परिपत्र देखा और तत्कालीन गवर्नर ने उसका अनुमोदन किया । /

27.7.1992 परिपत्र जारी किया गया । /

परिशिष्ट - उद्धरणिका

(कृपया प्रतिवेदन का पैरा 16.18 देखिए)

भारतीय रिजर्व बैंक के निदेशक मंडल के पुनर्गठन के संबंध में घटनाओं का क्रम :-

अप्रैल, 1985 - श्री छेदी लाल की मृत्यु के उपरान्त रिक्त हुए पद पर एक गैर सरकारी निदेशक की नियुक्ति के लिए कार्यवाही करने हेतु फाइल भेजी गई । भारतीय रिजर्व बैंक की सिफारिश प्राप्त करने के लिए तत्कालीन सचिव (बैंकिंग) द्वारा 9 अप्रैल, 1985 को तत्कालीन गवर्नर भारतीय रिजर्व बैंक को पत्र भेजा गया ।

मई, 1985 - उत्तर शीघ्र भेजने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक को 17.5.1985 को स्मरण कराया गया । दिनांक 31.5.1985 को एक अन्य स्मरण पत्र

[illegible] - भारतीय रिजर्व बैंक को भेजा गया ।

जून, 1985 - 19 जून, 1985 को भारतीय रिजर्व बैंक से कतिपय सिफारिशें प्राप्त की गईं ।

सितम्बर, 1985 - इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक से 30.9.1985 को कतिपय स्पष्टीकरण मांगे गये

अक्तूबर, 1985 - भारतीय रिजर्व बैंक से अंतरिम उत्तर 28.10.1985 को प्राप्त किया गया ।

नवम्बर, 1985 - भारतीय रिजर्व बैंक का स्पष्टीकरण 18.11.1985 को प्राप्त किया गया ।

जनवरी, 1986 - तत्कालीन राज्य मंत्री (वित्त) और वित्त मंत्री ने नियुक्ति हेतु कतिपय नामों का अनुमोदन किया ।

फरवरी, 1986 - ए.सी.सी. को दिनांक 7.2.1986 को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया । प्रस्तावित व्यक्तियों के पूर्व वृत्तांतों के सत्यापन के लिए भी कार्यवाही की गई ।

सितम्बर, 1986 - प्रतिस्थापना अधिकारी ने सूचित किया कि ए.सी.सी. ने बताया है कि वह और अधिक नाम चाहते हैं । तत्कालीन गवर्नर भारतीय रिजर्व बैंक ने ए.सी.सी. को उपरोक्त टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त नामों की तालिका हु भेजने के लिए अनुरोध किया गया ।

सितम्बर, 1986	-	भारतीय रिजर्व बैंक के तत्कालीन गवर्नर द्वारा अपने दिनांक 24.9.1986 के पत्र द्वारा कतिपय नामों की सिफारिश की ।
फरवरी, 1987	-	भारतीय रिजर्व बैंक के तत्कालीन गवर्नर से अनुरोध किया गया कि उन निदेशकों के स्थान पर जिनका सेवाकाल मार्च, 1987 में समाप्त होना है गैर-सरकारी निदेशकों को नियुक्त करने हेतु प्रस्ताव भेजें ।
मार्च, 1987	-	भारतीय रिजर्व बैंक की केन्द्रीय बोर्ड ने गैर सरकारी निदेशकों को नामांकित करने के लिए तत्कालीन राज्य मंत्री (वित्त) और वित्त मंत्री से अनुमोदन प्राप्त करने के लिए फाइल भेजी गई ।
फरवरी, 1988	-	तत्कालीन राज्य मंत्री (वित्त) के निजी सचिव से बिना किसी अनुमोदन के फाइल वापिस प्राप्त की गई क्योंकि माननीय मंत्री ने वित्त मंत्रालय में अपने पद से इस्तीफा दे दिया था ।
मई, 1988	-	तत्कालीन वित्त मंत्री को फाइल पुन: प्रस्तुत की गई और कतिपय निदेशों के साथ उसे वापिस प्राप्त किया गया ।
जून, 1988	-	तत्कालीन वित्त मंत्री का अनुमोदन प्राप्त करने हेतु फाइल पुन: भेजी गई किन्तु बिना किसी निर्णय के जुलाई 1988 में फाइल वापिस प्राप्त हुई ।
अगस्त, 1988	-	तत्कालीन राज्य मंत्री (वित्त) को फाइल भेजी गई ।
मार्च, 1989	-	चर्चा हेतु फाइल वापिस: प्राप्त की गई ।
जून, 1989	-	तत्कालीन राज्य मंत्री (वित्त) ने वित्त मंत्री के विचार हेतु कतिपय सिफारिशें की ।
दिसम्बर, 1989	-	इन अनुदेशों के साथ फाइल वापिस प्राप्त की गई थी । सरकार बदलने के कारण फाइल को नये वित्त मंत्री के पास भेजा जाये ।

जनवरी, 1990	-	सरकारी क्षेत्र के बैंकों और वित्तीय संस्थाओं की बोर्डों में गैर सरकारी निदेशकों को नियुक्त करने के संबंध में सिफारिशें करने के लिए गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक की अध्यक्षता में जनवरी, 1990 में एक नियुक्ति बोर्ड का गठन किया गया तथापि इस बोर्ड को भारतीय रिजर्व बैंक की केन्द्रीय और स्थानीय बोर्डों में गैर सरकारी निदेशकों को नियुक्त करने के लिए व्यक्तियों की सिफारिश करने का कार्य नहीं सौंपा गया था ।
जून, 1990	-	इस विषय पर पुन: विचार किया गया और यह निर्णय लिया गया कि पुन: नाम प्राप्त करने के लिए गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक को पत्र लिखा जाये । भारतीय रिजर्व बैंक को 22.6.1990 को पत्र भेजा गया। जून, 1990 में भारतीय रिजर्व बैंक से कतिपय नाम प्राप्त किये गये यद्यपि कोई निर्णय नहीं लिया जा सका।
अप्रैल, 1991	-	भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया कि चूंकि इसके द्वारा कुछ समय पूर्व नाम भेजे गये थे इसलिए यह वांछनीय होगा कि सूची की पुनरीक्षा की जाये । भारतीय रिजर्व बैंक ने सरकार के विचारार्थ एक संशोधित सूची भेजने का वचन दिया ।
जनवरी, 1992	-	भारतीय रिजर्व बैंक की संशोधित सिफारिशें प्राप्त की गई ।
अक्तूबर, 1992	-	बैंकिंग प्रभाग में नामों पर विचार किया गया और अक्तूबर, 1992 में वित्त मंत्री के अनुमोदन सहित अंतिम चयन किया गया ।
दिसम्बर, 1992	-	प्रस्ताव ए.सी.सी. को भेजा गया और इसका अनुमोदन अभी प्राप्त किया जाना है ।

(कृपया प्रतिवेदन का पैरा 17.5 देखिये)

श्रेणी - एक

मिलान न की हुई/अंशतः मिलान की हुई राशियाँ

मामला संख्या	बंजीकरण की तिथि	विभाग	अंतर्ग्रस्त राशि	ग्रुप
1. आर0सी08(ए)/92-एस0आई0यू0(एक्स)	29.5.92	स्टेट बैंक आफ इंडिया	669.000 रुपये	हर्षद एस0मेहता
2. आर0सी041(ए)/92-बी0ओ0एम0	11.6.92	यूको बैंक	90.360 रुपये	हर्षद एस0मेहता
3. आर0सी011(एस)/92-बी0ओ0एम0	20.6.92	स्टेनचार्ट	1239.820 रुपये	दलाल ग्रुप
4. आर0सी043(ए)/92 -बी0ओ0एम0	20.6.92	केन बैंक म्युचल फण्ड	103.820 रुपये	दलाल ग्रुप
5. आर0सी044(ए)/92- बी0ओ0एम0	20.6.92	कैनफिना	374.350 रुपये	दलाल ग्रुप
6. आर0सी050(ए)/92 -बी0ओ0एम0	8.7.92	एस0बी0एस0	174.950 रुपये	हर्षद एस0मेहता
7. आर0सी051(ए)/92 -बी0ओ0एम0	8.7.92	एस0बी0आई0कैपस	105.110 रुपये	हर्षद एस0मेहता
8. आर0सी052(ए)/92-बी0ओ0एम0	13.7.92	राष्ट्रीय आवास बैंक	1214.300 रुपये	हर्षद एस0मेहता
9. आर0सी018(एस)/92-बी0एल0आर0	25.7.92	एफ0जी0एफ0एस0एल0	211.120 रुपये	-
10. आर0सी07(ए)/93 एच0वाई0डी0	15.03.93	ए0बी0एफ0एस0एल0 (सौलिडेर)	00.405 रुपये	-
11. बी0ई0आई(ए)/93-ए0सी0यू0-11	15.07.93	भारतीय स्टेट बैंक, बम्बई	37.460 रुपये	हर्षद एस0मेहता
12. आर0सी04(ए)/93-बी0एस0सी0/डी0एल0आई0	20.08.93	एस0बी0वाई0कैपस	16.250 रुपये	हर्षद एस0मेहता
13. आर0सी039(ए)/93	22.07.93	नेल्को, ए0बी0एफ0एस0एल0	439.000 रुपये	-
14. आर0सी040(ए)/93	22.07.93	नेल्को, कैनफिना	290.000 रुपये	-
15. आर0सी0आई(एस)/93-बी0एस0सी0-डी0एल0आई0	20.9.93	स्टेनचार्ट	25.948 रुपये	हर्षद एस0मेहता
16. आर0सी08(बी0एस0सी)/93-बी0ओ0एम0	30.9.93	बैंक आफ इंडिया	97.359 रुपये	दलाल ग्रुप
		कुल	5089.252 रुपये	

[प्रथम 9 प्राथमिकता वाले मामले हैं, शेष मामलों के संबंध में आरोप पत्र दाखिल कर दिये गये हैं]

श्रेणी-दो

मिलान की हुई राशियां

मामला संख्या	पंजीकरण की तिथि	विभाग	अन्तर्ग्रस्त राशि (करोड़ों में)	ग्रुप
1. आर0सी0(ए)/92-ए सी यू (1)	23.7.92	पी एफ सी	394.240 रुपये	हर्षद एस0मेहता
2. पी ई2(ए)/92-ए सी यू(7)	25.9.92	मारुति उद्योग लि0	38.970 रुपये	हर्षद एस0मेहता
2क. आर सी 2(ए)/93- ए सी यू(7)	15.4.93	मारुति उद्योग लि0		
3. आर सी 3(ए)/92- ए सी यू(1)	16.11.92	ओ0एन0जी0सी0	730.520 रुपये	हर्षद एस0मेहता
4. पी0ई 5(ए)/93-डी एल आई	26.2.92	आई आर एफ सी (दयूशी बैंक)	30.660 रुपये	-
5. पी ई 3(ए)/93-बी ओ एस	1.3.93	आई आर एफ सी (स्टेप चार्ट)	496.500 रुपये	-
6. आर सी 1(ए)/93-बी एस सी-डी एल आई	19.3.93	एस बी एस	00.275	अन्य*
7. पी ई.(ए)/93-एसी यू (1)	5.3.93	ओ एन जी सी	141.680	बी0बी0देसाई
7क. आर सी 2(ए)/93-ए सी यू(1)	23.6.93	ओ एन जी सी		
8. पी ई 2(ए)/93-एच वाई डी	12.3.93	ए बी एफ एस एल (गोल्डस्टार)	2000 रुपये	दलाल ग्रुप $
9. आर सी 2(ए)/93-बी एस सी-डी एल आई	19.3.93	यूको बैंक/एस बी एस	00.204 रुपये	हर्षद एस0मेहता
10. आर सी 7(एस)/93-बी ओ एम	30.3.93	एल आई सी म्यूचल फंड	173.730 रुपये	दलाल ग्रुप /नुरोतम
11. आर सी 1(ए)/93-ए सी यू(2)	31.3.93	इफको	32.930 रुपये	हर्षद एस0मेहता
12. आर सी 1(बी एस सी)/93-बी ओ एम	2.6.93	सिंडिकेट बैंक/ (एफ जी एफ एस एल	132.221 रुपये	अन्य**

$ दलाल ग्रुप

* चतुर्वेदी एण्ड कंपनी

13. आर सी 2(बी एस सी)/93-बी ओ एम	2.6.93	सिंडिकेट बैंक/एफ जी एफ एस एल	203.850 रुपये	अन्य **
14. आर सी 3(बी एस सी)/93-बी ओ एम	2.6.93	आन्ध्र बैंक	25.925 रुपये	दलाल ग्रुप
15. आर सी 4(बी एस सी)/93-बी ओ एम	2.6.93	आन्ध्र बैंक	130.000 रुपये	दलाल ग्रुप
16. आर सी 5(बी एस सी)/93-बी ओ एम	2.6.93	आन्ध्र बैंक	11.000 रुपये	दलाल ग्रुप
17. पी ई 1(ए)/93-बी एस सी/डी एल आई	17.6.93	[illegible]/केनफिना	140.500 रुपये	दलाल ग्रुप
18. पी ई 2(ए)/93-बी एस सी/डी एल आई	13.8.93	इलाहाबाद बैंक	40.315 रुपये	वाई एस एन शेयर एवं एस ई सी पी लि0
19. पी ई 3(ए)/93-बी एस सी/डी एल आई	13.8.93	एस बी आई कैपस	26.440 रुपये	सी मेकटिच एंड स्टेवार्ट कं0
20. आर सी3(ए)/93-बी एस सी/डी एल0आई	25.5.93	एस बी एस	386.000 रुपये	हर्षद एस0मेहता
21. आर सी 24(ए)/93-बी ओ एम	23.3.93	यूको बैंक	12.250 रुपये	हर्षद एस0मेहता
22. आर सी-5(ए)/93-बी एस सी/डी एल आई	8.11.93	बी ओ ए	128.000 रुपये	हर्षद एस0मेहता
23. पी ई 21(ए)/93-डी एल आई	18.11.93	डी डी ए स्लम विंग	15.856 रुपये	हर्षद एस0मेहता
कुल			3294.066 रुपये	

कुल जोड़ 8383.318 करोड़ रुपये

** अमरचन्द एण्ड हरिराम

(श्रेणी - 1 और श्रेणी 2)

श्रेणी -तीन

भ्रष्टाचार के विरुद्ध मामले

मामला संख्या	पंजीकरण की तारीख	विभाग	अपराध का स्वरूप
1. आर.सी.2(ए)/92-ए.सी.यू.(1)	8.7.92	मार्ग बन्धु यूको बैंक	आय से अधिक/असंगत परिसम्पत्तियां
**आर.सी.2(ए)/92-ए.सी.यू.(5)	25.7.92	कृष्ण मूर्ति	रिश्वत
*पी.ई. 3(ए)/92-डी.एल.आई	18.1.93	अनिल शर्मा एस.बी.आई कैपस	आय से अधिक/असंगत
3.क. आर.सी.63(ए)/93-ए.सी.बी.	3.11.93	अनिल शर्मा(एस.बी. आई.कैपस)	दंड संहिता अधिनियम
आर.सी. 1(ए)/93-बी.ओ.एम.	11.2.93	आर.सीता रमन (एस.बे.आई.)	आय से अधिक/असंगत परिसम्पत्तियां
** आर.सी.11(ए)/93-बी ओ एम	19.2.93	आर.सीता रमन (एस.बी.आई.)	गबन
आर.सी.1(ए)/93-ए.सी.यू.(1)	20.5.93	सी.एल.खीमानी (एस.बी.आई)	आय से अधिक /असंगत परिसम्पत्तियां

* इसे नियमित मामला आर.सी.63(ए) 93-डी.एल.आई में बदल दिया गया है ।

** इनके मामले में आरोप-पत्र दाखिल कर दिये गये हैं ।

परिशिष्ट-41

(कृपया प्रतिवदेन का पैरा 17.15 देखिये)

'फ़ेरा' के उल्लंघन को दर्शाने वाली सामग्री/साक्ष्य के बारे में श्री समित दत्त, निदेशक, केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा श्री एल.के.सिंघवी निदेशक, प्रवर्तन निदेशालय को भेजा गया अर्धशासकीय पत्र

गोपनीय

अ.शा.संख्या 85/एनबी/डीसीबीआई/92
केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो
भारत सरकार
नार्थ ब्लाक
नई दिल्ली-110001

समित दत्त
निदेशक

30 जुन, 1992

प्रिय सिंघवी,

कृपया सन्दर्भार्थ अपने अ.शा.पत्र संख्या आई.एन.एफ./एव.ओ./128/92-एन.सी.ओ. दिनांक 30 जुन 1992 को देखें, जिसमें फेरा के उल्लंघनों से संबंधित सामग्री/साक्ष्य के बारे में बताया गया है ।

हर्षद मेहता के प्रतिप्रेषण(रिमांड) का समय बढ़ाये जाने की मांग करते हुए केंद्रीय जांच ब्यूरो ने विदेशी खाते आदि होने के कुछ प्रमाणों का उल्लेख किया था । जैसा कि आज व्यक्तिगत रूप से स्पष्ट किया गया है । यह आपके मुंबई कार्यालय द्वारा हमें उपलब्ध कराई गई सामग्री पर आधारित था । एक कागज जिसे मैंने आज आपको सौंपा है, के अतिरिक्त हमारे पास कोई भी नया प्रमाण नहीं है । वह कागज भी आयकर विभाग से प्राप्त किया गया था ।

श्री हर्षद एस. मेहता और दलाल समुह के दलालों द्वारा फेरा उल्लंघन के मामलों की देख-रेख करने हेतु अलग से एक दल का गठन किया जाना है । इस दिशा में आप आवश्यक कार्यवाही कर सकते हैं । इस समय केंद्रीय जांच ब्यूरो प्रतिभूति घोटाले की छान-बीन तक सीमित रहेगा । मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि फेरा उल्लंघन से संबंधित जो भी सामग्री उपलब्ध होगी, उसे तुरंत ही हमारे मुंबई दल, जिसका नेतृत्व श्री के. माधवन, सं.नि.(ई)के.अ.ब्यूरो कर रहे हैं, द्वारा आपको उपलब्ध करायी जाएगी ।

सादर,

आपका

श्री एल.के.सिंघवी
प्रवर्तन निदेशक
लोक नायक भवन
नई दिल्ली ।

हस्ता/-
(समित दत्त)

परिशिष्ट 42

(कृपया प्रतिवेदन का पैरा 17.30 देखिये)

हर्षद एस.मेहता के साथ सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा किये गये संव्यवहार का सारांश

राशि (रूपये में)

क्रम सं.	कोड	सरकारी क्षेत्र के उपक्रम का नाम	प्रविष्टियां से	प्रविष्टियां तक	प्रविष्टियों की संख्या	प्राप्तियां/करोड में	भुगतान/करोड़ों में
	104	भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लि.	24.1.90	24.1.90	2	3,00,69,900.00	3,00,69,900;00
	3050	सिक्को फायनान्स लि.	2.7.88	4.8.88	8	60,55,200.00	60,55,200.00
	101	दि.दि.ब्रा.(स्लम क्लिंग)	5.1.90	6.4.90	5	6,40,65,000.00	4,24,80,000.00
	92	डिस्काउंट एंड फायनांस हाउस आफ इंडिया लि.	26.10.89	2.11.91	779	4,797,09,47,418.05	4 905,09,28,644.72
	214	इंजिनियरिंग एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल	31.8.90	8.5.91	25	50,28,13,965.76	50,23,84,484.53
	7060	जनरल इन्शोरेंस कारपोरेशन आफ इंडिया	12.6.87	15.1.88	24	7,67,600.00	8,41,625.00
	263	हाउसिंग डेवलपमेंट फायनांस कारपोरेशन लि.	27.2.91	23.05.91	6	9,34,28,278.00	6,19,99,384.00
	261	इर्कों लि.	25.2.91	29.5.91	5	12,20,03,915.00	8,09,18,832.50
	80	इंडियन आयल कारपोरेशन लि.	6.2.91	7.5.91	13	304,48,56,164.37	307,95,41,095.89
	0.9010	इंडस्ट्रीयल फायनांस कारपोरेशन आफ इंडिया	11.6.87	4.6.90	66	5,36,37,540.55	5,38,58,363.05
	1.9002	इनवेस्टमेंट कारपोरेशन आफ इंडिया	31.03.89	31.03.89	1		181.50
	2.12013	लाइफ इन्शोरेंस कारपोरेशन आफ इंडिया	1.6.87	17.7.91	168	94,88,795.50	39,18,58,337.48
	3.111	मारूति उद्योग लि.	5.11.90	07.5.91	28	126,42,63,242.40	126,38,54,552.40
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

(राशि करोड़ रूपये में)

क्रम सं.	कोड	सरकारी क्षेत्र के उपक्रम का नाम	प्रविष्टियां से	प्रविष्टियां तक	प्रविष्टियों की संख्या	प्राप्तियां/करोड़ में	भुगतान/करोड़ में
5.	123	नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन लि.	12.3.90	11.6.90	9	152,51,60,000.00	121,21,82,970.00
6.	228	न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन लि.	14.11.90	31.03.91	13	50,12,32,905.28	30,06,16,444.13
7.	39	आयल एंड नेचुरल गैस कमीशन	07.6.89	24.10.91	411	5,316,15,99,708.01	5,146,50,92,091.63
8.	135	ओ एन जी सी विदेश लि.	26.3.90	31.3.91	20	54,23,73,130.98	55,42,74,350.57
9.	15007	ओरियंटल इन्शोरेस कं.लि.	05.06.87	21.9.89	40	13,97,964.00	10,62,211.50
0.	90	पावर फायनेन्स कारपोरेशन	09.12.89	31.3.92	131	1,769,32,50,093.17	1,541,76,19,974.46
1.	21008	यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया	03.06.87	13.4.92	190	46,89,81,488.82	118,07,74,408.09
2.	21004	यूनाइटिड इंडिया इंशोरेंस कं.लि.	05.06.87	10.04.90	77	37,41,388.50	34,65,496.50
		कुल योग				12,726,36,66,823.73	12,490,21,45,123.29

परिशिष्ट-43

(कृपया प्रतिवेदन का पैरा 17.34 देखिये)

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के ऐसे मामलों की सूची जिसमें हर्षद एस. मेहता/वी.बी.देसाई ग्रुप सम्मिलित हैं और जिसमें कोई भी दलाल सम्मिलित नहीं है अथवा सम्मिलित हैं तो उन दलालों की पहचान अभी तक नहीं की जा सकी है।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों से संबंधित मामलों की सूची जिनमें हर्षद एस. मेहता ग्रुप सम्मिलित है।

मामला संख्या	पंजीकरण की तिथि	विभाग	अन्तर्ग्रस्त धनराशि (करोड़ों में)
1. आर.सी. 2(ए)/92-ए सी यू(1)	23.07.92	बी.एच.ई.एल.	394.240 रुपये
2. बी.ई.2(ए)/92-ए सी यू(7)	25.09.92	मारुति उद्योग लिमिटेड	38.970 रुपये
2ए. आर.सी.2(ए)/93-एसी यू(7)	15.04.93	मारुति उद्योग लिमिटेड	---
3. आर.सी.3(ए)/92-ए सी यू(1)	16.11.92	तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग	730.520 रुपये
4. आर.सी.1(ए)/93-ए सी यू(2)	31.03.93	इफ्को	32.930 रुपये
		कुल	1196.660 रुपये

सरकारी क्षेत्रों के उपक्रमों से संबंधित मामलों की सूची जिनमें बी.बी.देसाई ग्रुप सम्मिलित है।

मामला संख्या	पंजीकरण की तिथि	विभाग	अन्तर्ग्रस्त धनराशि (करोड़ों में)
5. बी.ई.1(ए)/93-ए सी यू(1)	05.03.93	तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग	141.680 रुपये
5ए. आर. सी.2(ए)/93-ए सी यू(1)	23.06.93	तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग	---
		कुल	141.680 रुपये

सहकारी क्षेत्र के उपक्रमों से संबंधित मामलों की सूची जिनमें कोई भी दलाल सम्मिलित नहीं है/ दलालों की पहचान अभी तक नहीं की जा सकी है ।

मामला संख्या	पंजीकरण की तिथि	विभाग	अन्तर्ग्रस्त संभावित धनराशि (करोड़ों में)
6. आर.सी.39(ए)/93	22.07.93	नाल्को, ए बी एफ एस एल	439.000 रुपये
7. आर.सी.40(ए)/93	22.07.93	नाल्को, कैनफीना	290.000 रुपये
8. पी.ई.5(ए)/93-डीएलआई	26.02.93	आई आर एफ सी (डयूश बैंक)	30.660 रुपये
9. पी.ई.3(ए)/93-बी ओ एम	01.03.93	आई आर एफ सी	496.500 रुपये
10. पी. ई.1(ए)/93-बी एस सी/ डी एल आई	17.06.93	कृभको / कैनफोना	140.500 रुपये
		योग	1396.660 रुपये
		कुल योग	2735.000 रुपये

परिशिष्ट-44

(कृपया प्रतिवेदन का पैरा 17.83 देखिये)

श्री हर्षद एस. मेहता ग्रुप के मामले में किए गए कर निर्धारण का विवरण (आयकर)

क्रम संख्या	कर निर्धारिती का नाम	दर्जा	कर निर्धारण वर्ष	आय विवरणी	निर्धारित आय	निकल मांग	दंडात्मक कार्यवाही शुरू की गई
1.	श्री हर्षद एस. मेहता	व्यक्तिगत	88-89	29020	26657740	31027344	271(1)(क), 271(1)(ग) एवं 273.
	- तदैव -	"	90-91	3494650	1906699461	2013871091	271(1)(ग)
2.	श्री सुधीर एस. मेहता	"	87-88	60210	608222	683523	271(1)(क), 271(1)(ग) एवं 273
	- तदैव -	"	88-89	83310	761580	783778	271(1)(क), 271(1)(ग) एवं 273
	- तदैव -	"	90-91	475880	2587674	2240314	271(1)(ग)
3.	श्री अश्विनी एस. मेंहता	"	87-88	132630	1838851	2167947	271(1)(क), 271(1)(ग) एवं 273
	- तदैव -	"	88-89	126860	303895	225040	271(1)(क), 271(1)(ग) एवं 273
	- तदैव -	"	90-91	1422210	30109320	29301815	271(1)(ग)

...2/-

1	2	3	4	5	6	7	8
4•श्री हितेश एस• मेहता		व्यक्तिगत	87-88	49620	356137	379578	271§1§§क§, 271§1§§ग§ एवं 273
- " -		"	88-89	55680	193105	154348	271§1§§क§,271§1§§ग§ एवं 273
- " -		"	90-91	311450	3373136	3185679	271§1§§ग§
5•श्रीमती रश्मिला एस• मेहता		"	87-88	39090	39090	531	-
"	"	"	"	88-89	38500	152496	115565	271§1§§क§, 271§1§§ग§ एवं 273
"	"	"	"	90-91	280870	1088743	816230	271§1§§ग§
				14		2084952718	

1	2	3	4	5	6	7	8
6.	श्रीमती प्रतिमा एच.मेहता	व्यक्तिगत	88-89	53010	1820077	2036115	271(1)(क),271(1)(ग)एवं273
			90-91	184260	2701420	2667442	271(1)(ग)
7.	श्रीमती दीपिका ए.मेहता	"	87-88	41025	914287	1058122	271(1)(क),271(1)(ग),273
			88-89	107860	1263207	1351877	271(1)(क),271(1)(ग),273
			90-91	1454020	6611340	5465079	271(1)(ग)
8.	श्रीमती ज्योति एच.मेहता	"	88-89	61870	1480670	1627737	271(1)(क)271(1)(ग)एवं273
			90-91	1020980	3599450	2614731	271(1)(ग)
9.	मैसर्स ग्रोमोर रिसर्च एंड एसेट कम्पनी मैनेजमेंट लि. कं.		90-91	2460741	25400834	30027604	271(1)(ग)271(ख).271(बी)
10.	ग्रोमोर एक्सपोर्ट प्राईवेट लि.कं.		90-91	102762	120497	8436	271(1)(ख),271(1)(ग)एवं 271(बी)
11.	मैसर्स ग्रोमोर लिजिंग एंड इन्वेस्मेंट प्राइवेट लि0	"	90-91	46865	11123406	14500186	271(1)(ग),271(बी)
12.	मैसर्स अतुर होल्डींग प्राइवेट लि0	"	90-91	57767	228700	241373	271(1)(ग),271(1)(ख)एवं 271(बी)
13.	मैसर्स हर्ष इस्टेट प्राइवेट लि0	"	90-91	169254	338750	381230	271(1)(ग),271(1)(ख),271(बी)
14.	मैसर्स ओरीओं ट्रेवेल्स प्राइवेट लि0	"	90-91	301149	53351	60861	271(1)(ख),271(1)(ग)
				13		62040793	

सम्बद्ध दलाल

1. श्री अतुल, व्यास (सी.)	व्यक्तिगत	90-91	22090	2819250	3148133	271§1§सी 271§1§ §बी§ और 271§बी§
2. मैसर्स जयन्ती लाल खंडवाल एंड सन्स	आर०एफ	90-91	6473042	8081186	388961	271§1§§ सीऔर 271§बी§
3. मैसर्स हनुमान ट्रेडिंग कंपनी	आर०एफ	90-91	486130	574100	406	-
4. श्री राजेन्द्र कुमार बन्थिया	व्यक्तिगत	90-91	100890	1201790	1233687	271§1§§सी§
5. श्री गिरधारी लाल एसबेहानी	तदैव	90-91	209970	2990390	3151178	271§1§§सी§
6. श्री बी०आर०मोहाटा	तदैव	90-91	357270	386720	377143	-
7. मैसर्स बी०बी०देसाई	तदैव	89-90	10355000	35670130	29399734	271§1§§सी§
मालिक श्री जे०आर०ओझा		90-91	3456770	21086550	16995719	271§1§§सी§
			8		54694961	

हर्षद एस0मेहता ग्रुप - धन कर निर्धारण

निर्धारिती का नाम	दर्जा	कर निर्धारण वर्ष	निवल धन विवरणी	निवल/निर्धारित धन	निवल मांग	दंडात्मक कार्यवाही शुरू की गई
					(धन - कर)	
श्रीमती प्रतिमा एच0मेहता	व्यक्तिगत	90-91	--	18,71,222	7,60,388	3,520	18(1)(a)सी
श्रीमती रसिला एस0मेहता	तदैव	तदैव	--	15,21,408	6,70,702	2,901	तदैव
श्रीमती दीपिका ए0 मेहता	तदैव	तदैव	--	1,25,37,135	-- 66,73,722	कुछ नहीं	-
श्रीमती हितेश एस0मेहता	तदैव	तदैव	--	53,17,083	-- 23,73,599	कुछ नहीं	-
श्री सुधीर एस0मेहता	तदैव	तदैव	--	36,59,150	-- 81,762	कुछ नहीं	-
श्री आश्विन एस0मेहता	तदैव	तदैव		36,70,600	3,89,13,676	9,42,448	18(1)(a)सी
कुमारी रीना डी0झावेरी	तदैव	तदैव		6,22,900	7,65,335	711	18(1)(a)सी
श्री हर्षद एस0मेहता	तदैव	तदैव	--	7,79,88,100	181,76,46,934	4,98,60,160	18(1)(a)सी
श्रीमती ज्योति एच0मेहता	तदैव	तदैव	--	1,24,08,804	-- 76,93,285	कुछ नहीं	
मैसर्स ग्रोमोर रिसर्च एंड एसेट्स मैनेजमेंट लि0	कंपनी	तदैव		6,69,200	6,69,200	वापिसी (343)	18(1)(a)बी
					5,08,03,397		

बद्ध दलाल

क्रमांक	निर्धारिती का नाम	कर निर्धारण वर्ष	दर्जा	धन विवरणी के निर्धारित धन	निवल देय		दंडात्मक कार्यवाही शुरू की गई
1.	श्री राजेन्द्र कुमार बैंथिया	90-91	व्यक्तिगत	25,45,711	26,36,800	4,442	18(1)(a)(c)
2.	श्री गिरधारी लाल बियानी	86-87	-तदैव-	कोई नहीं	7,15,130	2,325	18(1)(a)(c)
3.	-तदैव-	87-88	-तदैव-	43,411	8,32,900	2,914	18(1)(a)(c)
4.	-तदैव-	88-89	-तदैव-	कोई नहीं	7,21,200	2,592	तदैव
5.	-तदैव-	89-90	-तदैव-	1,02,644	11,09,600	8,302	18(1)(a)(c)
6.	-तदैव-	90-91	-तदैव-	2,24,810	19,63,700	20,835	-तदैव-
						41,410	

ांक	निर्धारिती का नाम	कर-निर्धारण वर्ष	दर्जा	धन विवरणी	कर निर्धारित धन	निवल देय	दंड
•	मैसर्स बी0बी0देसाई	87-88	व्यक्तिगत	2724200	8027460	81162	18(1)(ए) 18(1)(सी)
	मालिक श्री जे0आर0शॉफ	88-89		5258000	13548327	126883	तदैव
		89-90		10496400	25770739	442456	18(1)(सी)
		90-91		12091900	22748790	26562	तदैव
						915063	

परिशिष्ट-45

(कृपया प्रतिवेदन का पैरा 17.91 देखिये)

क्रमांक	निर्धारिती का नाम	दलाल ग्रुप आयकर के मामले में कर निर्धारण का ब्यौरा				
		कर निर्धारण वर्ष	आय संबंधी विवरणी	कर-निर्धारित आय	की गई मांग	दंडात्मक कार्यवाह शुरू की गई
1.	मैसर्स किल्लिक स्लाटिड एंन्जल्स लि0	90-91	(घाटा) 51,98,650रु0	79,69,608रु0	74,0 1,932रु0	271(1)(सी
2.	मैसर्स सिफको प्रापर्टीज लि0	90-91	(घाटा) 2,100रु0	34,720रु0	29,376 रु0	271(1)(सी
3.	मैसर्स फिलट्रोना (आई) लि0	90-91	(घाटा) 52,05,018रु0	74, 12,278रु0	68,03,685रु0	271(1)(सी
4.	मैसर्स मुम्बई स्वदेशी स्टोर्स लि0	90-91	6,66,506रु0	8,23,973 रु0	1,24,431रु0	271(1)(सी
5.	मैसर्स जयकृष्ण प्राईवेट लि0	90-91	71,550रु0	71,550 रु0	कोई नहीं	271(1)(सी
6.	मैसर्स, फूड्स इन्स लिमिटेड	90-91	21,81,745रु0	24,22,730रु0	1,31,592रु0	271(1)(सी
7.	मैसर्स कान्सा लिडेटिड कैपिटल ट्रस्ट (आई) (लिमिटेड	90-91	15,75,760रु0	84,54,025रु0	80,26,601रु0	271(1)(सी
8.	मैसर्स एस0रामदास एंड कंपनी	90-91	12,37,700रु0	15,19,570रु0	8,50,968रु0	271(1)(सी
9.	मैसर्स ओशानिक इन्वेस्टमेंट प्रा0लि0	90-91	56,576रु0	3,91,502रु0	3,07,125रु0	-
10.	मैसर्स द्रव्य फाइनेंस लि0	90-91	2,96,850रु0	10,23,740रु0	6,71,919रु0	271(1)(सी
11.	मैसर्स रामनिकलाल मोहनलाल	90-91	5,60,728	6,36,924रु0	3,44,578रु0	271(1)(सी
12.	श्री सुरेश एस0झावेरी	90-91	10,03,088रु0	11,15,610रु0	4,13,834रु0	271(1)(सी

x मैसर्स जयकृष्ण प्राइवेट लिमिटेड के मामले में 16,19,196 रुपये जोड़े गये हैं, लेकिन इससे कुल आय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि यह अग्रेनीत नुकसान में शामिल हो जाता है ।

(दिसम्बर)

(कृपया प्रतिवेदन का पैरा 18.57 देखिए)

मैसर्स गोल्डस्टार स्टील एंड एलायज लिमिटेड, हैदरबाद के मामले में "सेबी" का जांच प्रतिवेदन ।

लोक सभा सचिवालय के वित्त मंत्रालय को संबोधित 18 मई, 1993 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 10/1/जेसी(एसबीटी)/92 में निहित माननीय संयुक्त संसदीय समिति के निदेश के अनुसरण में, मंत्रालय ने भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (एसईबीआई) के श्री एच.पी. दलाल, आंध्र बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड और श्री एन. कृष्ण मोहन, प्रबंध निदेशक, गोल्डस्टार स्टील एंड एलायज लिमिटेड के बीच हुए लेन-देन की जांच करने का अनुरोध किया । इस संबंध में जानकीरमन समिति की पांचवें प्रतिवेदन (पैरा 8.1-8.2, पृष्ठ संख्या 181-182) में कुछ टिप्पणियां की गई थीं । समिति की टिप्पणियों को नीचे उद्धृत किया गया है :-

"8. <u>आंध्र बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड</u>

8.1 समिति के चौथे प्रतिवेदन में (अध्याय-5 के पैरा 16.1 से 16.4 में) अप्रैल, 1992 और अक्तूबर, 1992 की अवधि के दौरान एचपीडी, आंध्र बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड और श्री एन. कृष्णमोहन, प्रबंध निदेशक, गोल्ड स्टार स्टील एंड एलायज लिमिटेड के बीच "एक के बाद एक जल्दी-जल्दी" हुए कुछ लेन देन का उल्लेख किया गया था ।

8.2 एबीएफएसएल ने पहले यह बताया था कि दो करोड़ रुपये का ऋण देय ब्याज राशि सहित 26 अक्तूबर, 1992 को चुका दिया गया था । आगे और जांच करने पर यह पाया गया कि श्री कृष्ण मोहन ने कुल मिलाकर 2,22,15,140,00 रुपए की राशि का पांच बैंकों के माध्यम से भुगतान कर दिया था जिन्हें एबीएफएसएल ने 10 अक्तूबर, 1992 और 26 अक्तूबर, 1992 के बीच भुना लिया था । यह पता चला कि ऋण के भुगतान का स्रोत मुख्यत: दिनांक 23 जुलाई, 1992 के वे तीन प्रतिदाय आदेश थे जिनका कुल जोड़ 2,20,14,790.00 था, जिन्हें जीएसएएल द्वारा जारी किया गया था और जिनको भारतीय स्टेट बैंक (औद्योगिक वित्त शाखा) हैदराबाद में "जीएसएएल-प्रतिदाय आदेश खाते के नाम डाल दिया गया था । यह पाया गया कि इस शाखा में प्रतिदाय आदेश खाता ओवर ड्राफ्ट में चल रहा था । भारतीय स्टेट बैंक औद्योगिक वित्त शाखा, हैदराबाद, का बीकि कन्सल्टेंट्स प्रा० लि०, जीएसएल के राइट निर्गम के पंजीयक और कंपनी के बीच प्रतिदाय आदेश खाते के मिलान का कार्य अभी चल रहा था ।"

समिति के चौथे प्रतिवेदन में इस टिप्पणी से पूर्व इस लेन देन के बारे में एक ब्यौरा दिया गया है ।

1.2 इस टिप्पणी के संदर्भ में, माननीय संयुक्त संसदीय समिति ने पाया कि उस प्रतिदाय आदेश खाते में से, जिसमें जीएसएएल के राइट निर्गम से प्राप्त धन जमा किया गया था, ओवरड्राफ्ट नहीं किया जा सकता था क्योंकि यह धन उन आवेदनकर्ताओं को वापस करने के लिए रखा गया था, जिन्हें कंपनी के शेयर आवंटित नहीं किए जा सके थे। माननीय समिति ने आगे यह भी देखा कि इस खाते से ओवरड्राफ्ट करके कंपनी ने "नियमों का उल्लंघन किया है।" समिति ने इच्छा प्रकट की कि इस बारे में "सेबी" द्वारा एक जांच की जाए।

1.3 इस ओवरड्राफ्ट के साथ, जो कि एक भारी गलती है तथा जिसमें कंपनी और बैंक के बीच सांठ-गांठ प्रतीत होती है, एक अन्य मुद्दा भी जुड़ा है जिसके काफी गंभीर प्रभाव होंगे। वह यह कि क्या उसी समिति की रिपोर्ट में उल्लिखित संबंधित प्रतिदाय सही थे तथा क्या सामान्य नियमों के अंतर्गत किए गए थे, जैसे कि अन्य निवेशकों के मामले में किये जाते हैं। दूसरे शब्दों में अगर संबंधित पार्टियों को दिए गए प्रतिदाय वास्तव में उनको देय नहीं थे तब यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि ये प्रतिदाय उन पार्टियों को/मार्फत/ ऋण चुकाने के लिए दिए गए थे।

8. इस हवाले के प्राप्त होने पर, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर से उन संबंधित कागजातों को उपलब्ध कराने का औपचारिक अनुरोध किया गया, जिनके आधार पर समिति ने अपनी टिप्पणी की थी। यह भी अनुरोध किया गया कि भारतीय स्टेट बैंक, औद्योगिक वित्त शाखा, हैदराबाद को निर्देश दिया जाए कि वह "सेबी" से आने वाले दल को कंपनी द्वारा रखे जा रहे संबंधित खातों की जांच के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराएं। इसी तरह, भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष से भी यह अनुरोध किया गया कि वह हैदराबाद स्थित अपनी औद्योगिक वित्त शाखा को आवश्यक निर्देश दें कि वह कंपनी के खातों की जांच करने हेतु "सेबी" से आने वाले दल को आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराए। प्रारम्भ में कंपनी कार्य विभाग से संपर्क तथा तदनन्तर वित्त मंत्रालय के माध्यम से अनुरोध किया गया कि मुद्दे से संबंधित कंपनी के रिकार्ड की जांच के लिए रजिस्ट्रार आफ कंपनीज, हैदराबाद की सहायता ली जाए। इसके बाद इस निर्गम के बाजार मध्यस्थ, अर्थात् मैसर्ज एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लि०, लीड मैनेजर और रजिस्ट्रार, मैसर्स कार्वी कन्सल्टेंट्स, प्रा०, लि० को विचार-विमर्श के लिए तथा ऐसे उनके पास उपलब्ध उन दस्तावेजों को उपलब्ध कराने के लिए बुलाया गया जो इस जांच पर प्रकाश डाल सकते थे। कंपनी के स्थानीय एक्सचेंज, हैदराबाद स्टाक एक्सचेंज से एक अधिकारी को भी विचार-विमर्श के लिए बुलाया गया था।

3. भारतीय रिज़र्व बैंक के प्रवक्ता ने कहा कि संबंधित दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां भारतीय रिज़र्व बैंक से प्राप्त एक पत्र द्वारा 9 जून, 1993 को या उससे पूर्व की गई थी। हैदराबाद स्थित उसका क्षेत्रीय कार्यालय "सेज" द्वारा दी गई सूचीपत्र से संबंधित रिकार्डों को प्राप्त करने में पूरी सहायता करेगा। इसी तरह, भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष के कहने पर भारतीय स्टेट बैंक समूह के अधिकारी 9 जून, 1993 को विजय-वित्तमंत्री के लिए हमारे कार्यालय आए। संबंधित आंकड़े मध्यस्थ संबंधित रिकार्ड उपलब्ध नहीं करा सके। इस बारे में उनका यह कहना था कि रिकार्डों को कम्पनी को वापस कर दिया गया है। तथापि, उनसे विचार-विमर्श के दौरान कुछ संबंधित जानकारी उपलब्ध हुई। इस तरह, यह पता चला कि विवादित राइट निर्गम से संबंधित दस्तावेज केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच के लिए अपने अधिकार में ले लिए गए हैं।

4. सेबी की टीम ने 16-19 जून,1993 के दौरान हैदराबाद का दौरा किया । आगे की चर्चा हैदराबाद में हैदराबाद स्टाक एक्सचेंज के अधिकारियों के साथ की गई और इश्यु से संबंधित कुछ दस्तावेज भी प्राप्त किए । अनौपचारिक वार्तायें बैंक परिचालन व विकास विभाग के अधिकारियों के साथ भारतीय रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय में सम्पन्न की गई । दल को सूचित किया गया कि वास्तव में सी बी आई ने सब्जेक्ट राइट इश्यु से संबंधित तमाम बैंक रिकार्ड अपने कब्जे में ले लिए थे । तदनुसार सी बी आई के अधिकारियों के साथ भी अनौपचारिक रूप से विचार विमर्श कियागया तथा बैंक रिकार्ड व अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेजों को देखा गया । किसी उपयुक्त अधिकारी द्वारा अधिकृत न होने के कारण सी बी आई के अधिकारियों ने अपने कब्जे में लिए गए दस्तावेजों की फोटो प्रतियां उपलब्ध करवाने में असमर्थता व्यक्त की ।

5.1 उस विशेष विषय के संबंध में कि क्या जी एस ए एल रिफण्ड अर्डर खातों में ओवर्ट ड्राफ्ट हुआ था जिसके बारे में संयुक्त संसदीय समिति द्वारा जांच का आदेश दिया गया है- रिकार्डों से यह जानकारी मिली है कि निश्चित रूप से 4 नवम्बर,1992 को कंपनी का रिफंड आर्डर खाता 30,69000 रूपये के ओवर ड्राफ्ट में हस्तांतरित कर दिया गया था । यह भी पता चला कि कंपनी के द्वारा रखे गए कैश-क्रैडिट खाते को डेबिट करके 40 लाख रूपये की राशि उक्त रिफण्ड आर्डर खाते में हस्तांतरित कर दी गई । भारतीय रिजर्व बैंक के रिकार्ड से यह जानकारी मिली है कि इस तरह के सामंजस्य करने का कोई अधिकार नहीं दिया गया है तथा इस विषय में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा की गई जांच ने भी रिफण्डों की वास्तविकता के बारे में संशय को जन्म दिया है । फिर भी ऐसी जानकारी मिली है कि भारतीय स्टेट बैंक ने जिससे यह स्पष्ट करने के लिए कहा गया था कि किन परिस्थितियों में ओवर ड्राफ्ट जारी किया गया,तो उसने इसकी जानकारी संयुक्त संसदीय समिति को उपलब्ध करा दी है ।

5.2 जांच के दौरान यह पता चला कि खाते को ओवर ड्राफ्ट में परिवर्तित करने के बाद बैंक ने कंपनी को स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया । वापस दी जाने वाली रिफण्ड राशि की सही मात्रा कंपनी द्वारा न बताये जाने के कारण बताते हुए,बैंक को बताया गया कि कम्प्यूटर में खराबी की वजह से रीजस्ट्रार द्वारा राशि के वापसी संबंधी आंकड़े उपलब्ध नहीं करवाए जाने के कारण राशि की मात्रा निर्धारित नहीं की जा सकी । स्पष्टत यह स्पष्टीकरण सही नहीं लगता है । हैदराबाद स्टाक एक्सचेंज द्वारा जुलाई, 23,1992 को अदायगी का आधार निश्चित कर लिया गयाथा । 23 जुलाई,1992 को कंपनी यह जानती थी कि इश्यु की राशि 1.87 गुणा अधिक इकट्ठी हो गई थी । क्योंकि उक्त समय तक इकट्ठी हुई कुल राशि का विवरण

तथा तदनुरूप कुल रिफण्ड राशि की जानकारी प्राप्त हो गई थी । अत: यह स्पष्ट है कि तत्पश्चात् देय रिफण्ड की गणना की जा सकती थी । कंपनी के द्वारा हैदराबाद स्थित भारतीय स्टेट बैंक (औद्योगिक वित्त शाखा) में 8 अगस्त,1992 को रिफण्ड आर्डर खाता खोला गया जिसका नं॰ था-1/141 । फिर भी, किसी कारणवश 8 अगस्त,1992 को कंपनी ने शुरू में अपने राईटस इश्यु आवेदन धन से केवल 10 करोड रुपये की राशि को ही इस खाते में हस्तांतरित करने का निर्णय लिया । इसके उपरान्त सितम्बर 11,1992 से नवम्बर 14,1992 के बीच अंतराल की विभिन्न तिथियों में 410·89 लाख रूपये की राशि भी इस खाते में जमा करवाई गई । इस राशि के बंद हो जानेके करीब करीब 10 माह बाद किश्तों में जमा कराई गई जबकि इस राशि की मात्रा भी आबंटन के आधार को अंतिम रूप दिये जाने के तुंरत बाद ही निर्धारित कर देनी चाहिए थी । यह भी विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि 1410·89 लाख रूपयों की अधिक राशि में से, जो रिफण्ड आर्डर खाते में 23 जुलाई,1992 तक देय थी, 5-14 नवम्बर,1992 तक के बीच 401·89 लाख रूपयें इस खाते में जमा कर दिए गए थे । यह नोट किया जाना चाहिए कि यद्यपि रिफण्ड आर्डर 23 जुलाई ,1992 से जारी किए गए,परन्तु रिफण्ड आर्डर खाता 8 अगस्त,1992 को ही खोला गया था । दूसरे शब्दों में रिफण्ड आर्डरजारी होने की प्रक्रिया आरंभ होने के बाद ही यह खाता खोला गया था ।

5·3 हमारी जाँच पडताल के अनुसार यह निष्कर्ष निकाला कि भारतीय स्टेट बैंक द्वारा 30·69 लाख रूपये की कुल राशि का ओवरड्राफ्ट किया गया । हो सकता है कि औद्योगिक वित्त शाखा,हैदरबाद वास्तविक स्थिति स्पष्ट न कर रही हो । इस बात को याद रखना महत्वपूर्ण होगा कि मैसर्स कन्सलटैंटस इंडी) लिमिटेड के रजिस्ट्रारों के अनुसार कंपनी ने जिसका कारपोरेट कंपनी ही अच्छी तरह से जान सकती है,अंशदान की रसीदों व शेयरों के आबंटन तथा प्रवर्तकों से संबंधित रिफण्ड आदि का सारा काम अपने पास ही रखा था और केवल अन्य शेयरहोल्डरों से संबंधित कार्य रजिस्ट्रारों को सौंपा गया था । यहीं पर मामला पकड़ में आया । इसलिये कंपनी के अलावा कोई भी अन्य इस स्थिति में नहीं है कि वह प्रवर्तकों के खाते में अंशदान की रसीदों या रिफण्ड की जाने योग्य राशि की मात्रा निर्धारित कर सके । इसके अतिरिक्त इस बात का उल्लेख करना भी महत्वपूर्ण होगा कि कंपनी ने अपने इश्यु संबंधित सभी दस्तावेज वापिस लेने के लिए रजिस्ट्रारों को बाध्य किया और "ब्लैक रिफण्ड स्टेशनरी" समेत जिनकी संख्या 309 थी और जो कि अक्तूबर 3,1992 को वापिस किए गए,अन्य सभी दस्तावेज

भी 28 सितम्बर,1992 से 20 अक्तूबर,1992 के अंतराल में वापिस कर दिए गए । कंपनी द्वारा संबंधित रिफण्ड भी 3 अक्तूबर,1992 तक जारी कर दिए गए जिनकी कुल राशि 2·20 करोड़ रूपये थी और जो 1अक्तूबर,1992 तक कंपनी के रिफण्ड आर्डर खाते में डेबिट कर दी गई । यह भी नोट किया जाए कि प्रवर्तकोंद्वारा 12·05 करोड़ रूपये की राशि को अंशदान के बार बार दावे किए गए जिसके बारे में कंपनी के अलावा और कोई नहीं जानता और जिसके लिए कोई निश्चित प्रमाण भी नहीं है । मैसर्स धारवी कन्सलेटण्ट्स (प्रा·) लि· के रीजस्ट्रारों के अनुसार यदि प्रवर्तकों को 7·96 करोड़ रूपये मूल्य के शेयर आबंटित कर दिये गए तो प्रवर्तकों को 4·09 करोड़ रू· की राशि वापस की जा सकती थी । यह

स्पष्ट नहीं है कि रिफण्ड आर्डर खाते में से संबंधित पक्षों को 2·20 करोड़ रू· का ही आंशिक रिफण्ड क्यों किया गया,जबकि 1·89 करोड़ रूपये की राशि प्रवर्तकों के खाते में अभी भी शेष है जिसे रिफण्ड कर दिया जाना चाहिये था और जिसके लिए कंपनी के रिफण्ड आर्डर खाते में स्पष्ट तौर पर कोई मैचिंग फण्ड नहीं है ।

5·4 रिफण्ड आर्डर खाते के संबंध में उपलब्ध विवरण के अनुसार कंपनी ने इस खाते में 27 लाख रूपये की नकद राशि जमा की थी जो बहुत ही आपत्तिजनक लेन देन है । जांच के दौरान यह भी पता चला कि कंपनी के रिफण्ड आर्डर खाते में 6 नवम्बर,1992 को 1·40 करोड़ रूपये की राशि जमा की गई थी जबकि उससे बहुत पहले निर्गम बंद कर दिया गया था । आगे की जांच से पता चला कि यह राशि मैसर्स श्री आदित्य स्पिनर्स से प्राप्त हुई थी जिसमें श्री एन·कृष्ण मोहन की बहुत अधिक दिलचस्पी थी । जांच से यह भी पता चला कि मैसर्स आदित्य स्पिनर्स द्वारा भारतीय औद्योगिक विकास बैंक से मुख्यत: ऋण के रूप में ली गई 1·33 करोड़ रूपये की राशि से इस 1·40 करोड़ रूपये की राशि का भुगतान कियागया था । मैसर्स आदित्य स्पिन स्पिनर्स से लिए गए 27 लाख रूपये और 1·40 करोड़ रू· के दो नकद ऋण बहुत ही अनियमित हैं । इस बात में पूरा तर्क है कि किन्हीं भी परिस्थितियों में न तो रिफण्ड आर्डर खाते में ओवर ड्राफ्ट हो सकता है और न ही कोई ऐसा अवसर आना चाहिये जिसमें बाहरी धन राशि से इस ओवर ड्राफ्ट को पूरा किया जाए । फिर भी इस बात को ध्यान में रखते हुए कि मैसर्स जी·एस· स·ल· के रिफण्ड आर्डर खाते पर ओवर ड्राफ्ट हुआ था और रिफण्ड आर्डर खाते में बाहरी धन-राशि को जमा करने की अनुमति दी गई थी,बैंक की सह अपराधिता प्रमाणित होती है ।

5.5 रिफण्ड आर्डर खाते में बाह्य वित्त पोषण की आवश्यकता के कारणों का विश्लेषण करते समय यह पाया जाना बड़ी दिलचस्प बात थी कि संबंधित पार्टियों को वापस की गई राशि बह्य वित्त पोषण की राशि के लगभग बराबर है । इस बात का रिकार्ड है कि कंपनी के कैश क्रेडिट खाते में से रिफण्ड आर्डर खाते में 40 लाख रूपये जमा किए गए थे । इसके अतिरिक्त इस खाते में 5 नवम्बर,1992 को 27 लाख रूपये की नकद राशि जमा की गई और मैसर्स आदित्य स्पिनर्स से 1.40 करोड रूपये का ऋण भी लियागया था जिस कंपनी में श्री एन.कृष्णन मोहन बहुत रूचि रखते हैं । ये तीन धन राशियां कुल मिलाकर 2.07 करोड रूपये को बैठती हैं ।

5.6 यह रिकार्ड में है कि मैसर्स कार्वी कंसलटेंट्स (प्राइवेट) लिमिटेड में प्रोनोटर्स के अलावा शेयरधारकों को 1219.97 लाख रुपए की रिफंड जारी किए है । यह स्पष्ट है कि ये रिफंड 3 अक्तूबर, 1992 से पहले और कंपनी को "ब्लैंक रिफंड स्टेशनरी" वापस किए जाने से पहले जारी किए गए । रिकार्ड्स से पता चलता है कि कंपनी के "रिफंड आर्डर खाते" में, जोकि 8 अगस्त, 1992 को खोला गया था, 5 नवम्बर, 1992 तक केवल 1009 लाख रुपये थे । दूसरे शब्दों में, अगर मेसर्स कार्वी कंस्लटेंट्स (प्राइवेट) लिमिटेड द्वारा 23 जुलाई, 1992 को जारी किए गए 1219.97 लाख रुपए के रिफंड, तीन महीने की वैध अवधि के दौरान नकद राशि प्राप्त करने के लिए दिए जाते, तो रिफंड आर्डर खाते में केवल नियमित शेयर धारकों को जारी किए गए रिफंडों की वजह से पहले से ही 210.97 लाख रुपए कम थे । इसके अतिरिक्त 220 लाख रुपए की वापसी संबंधित पक्षों को, अर्थात् श्री एल. कृष्ण मोहन, मेसर्स कन्ना इनवेस्टमेंट लिमिटेड तथा मेसर्स कृष्णराना इंडस्ट्रियल इनवेस्टमेंट्स लिमिटेड जैसा पहले बताया जा चुका है, 9 अक्तूबर, 1992 तक रिफंड आर्डर खाते में डेबिट कर दी गयी थी ।

यदि इन दो धनराशियों, 210.97 लाख रुपए और 220 लाख रुपए को रिफंड आर्डर्स की साधारण वैध अवधि के दौरान ही डेबिट कर दिया गया होता, तो ओवर ड्राफ्ट की राशि 430.97 लाख रुपए तक कापी अधिक होती । परंतु, अगर नियमित शेयरधारकों को जारी किए गए रिफंड रोक दिए जाते और सितंबर के अंत या अक्तूबर के शुरू में दे दिए जाते, तो कंपनी को 3 से 6 महीने तक सार्वजनिक धन का दुरुपयोग करने का दोषी पाया जाता क्योंकि सभी शेयरधारक, जो सामान्य वैध अवधि के दौरान अपने रिफंड पर नकद राशि नहीं प्राप्त कर सके, वे पुन: वैधता के लिए कंपनी को आग्रह करते । ऐसा लगता है कि यही हुआ है क्योंकि कंपनी को नवम्बर 1992 तक 410.89 लाख रुपए की अतिरिक्त धनराशि रखनी थी, जिसमें 2.07 करोड़ रुपए का बाह्य वित्त था (ओवरड्राफ्ट 40 लाख रुपए + नकद 27 लाख रुपए + मेसर्स आदित्य ब्रोकर्स से 1.40 करोड़ रुपए) दूसरे शब्दों में, संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि ओवरड्राफ्ट की राशि 30.69 लाख रुपए से लेकर 430.97 लाख रुपए तक के बीच हो सकती थी । जानकीरमन समिति की रिपोर्ट के अनुसार "भारतीय स्टेट बैंक (औद्योगिक वित्त विभाग) हैदराबाद, मेसर्स कार्वी कंस्लटेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, जी एस ए एल के राइट्स इश्यू के रजिस्ट्रार और कंपनी के बीच रिफंड आर्डर खाते का मिलान करने का कार्य अभी जारी है ।"

5.7 अत: माननीय संयुक्त संसदीय समिति द्वारा किए गए संदर्भ के संबंध में इस जांच पड़ताल का अंतिम निष्कर्ष यह है कि मैसर्स डी एस ए एल का रिफंड आर्डर खाता जो भारतीय स्टेट बैंक (औद्योगिक वित्त शाखा) हैदराबाद में था । उसमें ओवरड्राफ्ट हो गया जिसकी राशि 30.69 लाख रुपए से लेकर 430.97 लाख रुपए के बीच हो सकती था । इसके बारे में यह बताया जाता है कि मिलान अभी भी किया जा रहा है और बैंक के खुले सहयोग से कंपनी ने उन रिफंडों के रूप में जो आबंटन को अंतिम रूप दे दिए जाने के बाद रिफंड बैंकरों के पास उपलब्ध होनी चाहिए थी, विनियोग्य राशि से पूरा करने के बजाय न केवल नकद राशि जमा की, बल्कि वह राशि भी जमा की जो तीसरे पक्ष अर्थात, मैसर्स आदित्य स्पिनर्स से ली गई थी जिस कंपनी श्री एन. कृष्ण मोहन काफी दिलचस्पी रखते थे ।

6.1 माननीय संयुक्त संसदीय समिति द्वारा किए गए संदर्भ के संबंध में जिसमें संबंधित यह निश्चित करना था कि क्या संबंधित पार्टियों को जारी किए गए रिफंड उन्हें वास्तव में दिए जाने थे और जिसकी जांच संबंधित पक्षों द्वारा किए गए आवेदन, उनके द्वारा आवेदित शेयरों के लिए की गई अदायगी और स्वयं रिफंड आदेशों के संदर्भ में आगे के पैराग्राफों में की जाएगी । इसके लिए पब्लिक/राइट्स इश्यू के मामले में एक कंपनी और अन्य संबंधित मध्यस्थ जैसे राशि इकट्ठा करने वाले बैंकर्स, संबंधित क्षेत्रीय स्टाक एक्सचेंज आदि द्वारा अपनाई जाने वाली मानक प्रक्रिया के विषय में विस्तार से बताना उचित होगा ।

राइट्स इश्यू के मामले में सामान्य निर्गम प्रक्रिया (सी सी आई के समय में)

बोर्ड की एक बैठक बुलाई जाती है जहां कंपनी प्रस्तावित राइट्स इश्यू पेशकश की शर्तों और इश्यू के मुद्दों पर फैसला करती है । बोर्ड उसका अनुमोदन करता है । बोर्ड की बैठक में अनुमोदन किए जाने के पश्चात, राइट्स इश्यू के प्रस्ताव की एक सूचना द्वारा कंपनी के सभी शेयर धारकों को कंपनी अधिनियम की धारा 81(1क) की शर्तों के अनुसार ए जी एन/ई जी एम में पारित होने के लिए अनिवार्यत: भेजा जाता है, यदि कंपनी कंपनी के विद्यमान शेयरधारकों के अलावा अन्य व्यक्तियों को शेयर जारी करना चाहती है ।

* शेयरधारकों की बैठक में अनुमोदन किएजाने के पश्चात् कंपनी को ए जी एम/ ई जी एम में पारित हुए संकल्प की एक प्रति के साथ निर्धारित प्रोफार्मा में कैपिटल इश्यू के नियंत्रक के कार्यालय में आवेदन भेजना पड़ता है ।
* सहायता प्राप्त एककों के मामले में कंपनी को सी सी आई को दिए जाने वाले आवेदनपत्र में, उन विशेष शर्तों का उल्लेख करना होगा जिनके अधीन संबंधित वित्तीय संस्थान ने कंपनी को शेयर धारकों से पूंजी उगाहने की अनुमति दी है ।
* संप्रवर्तकों के मामले में (राइट्स इश्यू में) अर्थात कंपनी के प्रबंधकों के रूप में जाने गए व्यक्तियों को अनुमानित लागत से अधिकलागत को पूरा करने के लिए इश्यू जारी करने से पहले धन राशि जुटाना चाहते हैं, तो वे संस्थाएं वह धनराशि को निर्धारित करेगी और वह समय भी बताएंगी जब तक वह राशि उक्त संप्रवर्तकों द्वारा जुटाई जानी चाहिए ।
* उसके बाद, सी सी आई पूंजी निर्गमि नियंत्रण अधिनियम के शर्तों के अनुसार आवेदन पत्र पर विचार करेगा और ऐसी शर्तों के साथ सहमति दे देगा जैसा वह उचित समझती है ।
* सहायता प्राप्त एककों के मामले में, जहां सी सी आई संप्रवर्तकों द्वारा दी जाने वाली धनराशि के संबंध में संस्था द्वारा निर्धारित की गई शर्तों को ध्यान में रखेगा, वह हमेशा इस बात पर जोर देगा कि इश्यू में एकत्रित की जाने वाली धनराशियों को एक अलग खाते में रखा जाए और आबंटन के पूरा होने तक उसका उपयोग भी नहीं किया जाए ।
* उसके पश्चात् मुख्य प्रबंधक सी सी आई को उक्त सहमति पत्र की प्रति के साथ पेशकश का प्रारूप पत्र पावलोपत्र के लिए "सेबी" को प्रस्तुत करता है ।
* "सेबी" प्रस्ताव के प्रारूप पत्र को, उसमें उजागर किए गए तथ्यों को रिकार्ड में लेते हुए जांच करेगा औरऐसी शर्तों के साथ पावती पत्र दे देगा जैसा कि वह उचित समझता है ।
* इसी दौरान कंपनी क्षेत्रीय स्टाक एक्सचेंज से विचार विमर्श करके खाता
* बन्द करने के लिए एक निश्चित तारीख निर्धारित करती है और सभी शेयरधारकों को उसकी सूचना देकर उन्हें सभी हस्तांतरणों को पंजीकृतकराने के लिए 45 दिन का समय देती है ।
* मुख्य प्रबंधक द्वारा "सेबी" का पावती पत्र प्राप्त किए जाने के उपरांत प्रस्ताव का पत्र स्टाक एक्सचेंज में फाइल कर दिया जाता है और उन शेयरधारकों को जिनके नाम निमर्धारित तरीख को आ जाते हैं, कम्पोजिट आवेदन पत्र के साथ रजिस्टर्ड डाक द्वारा जारी कर दिया जाता है ।

जैसा कि प्रस्ताव पत्र में उल्लिखित है, वसूली शाखाओं में एक लेखा खोला गया है, जिसमें बैंकरों द्वारा सारी निर्गम आवेदन राशि निर्गम में जमा कर दी जायेगी । यह सी॰सी॰आई॰ द्वारा निर्धारित की गई इस शर्त के अनुरूप है कि सारी निर्गम राशि विनिर्दिष्ट बैंक लेखों में रखी जानी चाहिए और तब तक उसका उपयोग नहीं किया जाना चाहिए जब तक आबंटन के आधार को अन्तिम रूप न दे दिया जाये ।

* निर्गम की प्रगति पर कंपनी, लीड प्रबन्धक तथा निर्गम के रजिस्ट्रारों का नियन्त्रण रहता है और तदनुसार इश्यू की अंतिम तारीख निर्धारित की जाती है ।
* निर्गम को सन्तोषजनक प्रतिक्रिया न मिलने की स्थिति में, अर्थात् यदि न्यूनतम अंशदान 90% नहीं है तो निर्गम की अन्तिम तारीख को आगे बढ़ाने के लिए क्षेत्रीय शेयर बाजार को आवेदन दिया जाता है ।
* शेयर बाजार कम्पनी द्वारा किए गए अनुरोध पर विचार करता है और लिखित में अपने निर्णय की सूचना देता है ।
* निर्गम के बन्द हो जाने के बाद, निर्गम के विभिन्न बैंकरों से आवेदन तथा अन्तिम प्रमाण पत्र एकत्र कर लिए जाते हैं और निर्गम के रजिस्ट्रारों द्वारा उनका मिलान किया जाता है एवं आबंटन-आधार निर्धारित करने के लिए अन्तिम प्रतिवेदन तैयार किए जाते हैं ।
* निर्गम की स्थिति के आधार पर शेयर बाजार आबंटन-आधार को अन्तिम रूप देता है ।
* निर्गम के रजिस्ट्रार कम्पनी द्वारा प्राप्त आवेदनों पर शेयर बाजार द्वारा निर्धारित किया गया । आबंटन आधार लागू करते हैं तथा आबंटितों और गैर आबंटितों की सूची बनाई जाती है ।
* तत्पश्चात् आवेदन लेखे में उपलब्ध राशि को कम्पनी तथा प्रतिदाय आदेश लेखे के मध्य बाँट दिया जाता है । पहला भाग आबंटितों की सूची के अनुसार होता है तथा दूसरा गैर-आबंटितों की सूची के अनुसार होता है ।
* कम्पनी के पास कुल उपलब्ध राशि कुल निर्गम में प्रस्तावित राशि तथा कम्पनी द्वारा रखी गई अतिरिक्त अंशदान राशि, यदि सी॰सी॰आई॰ द्वारा इसकी अनुमति होती है और शेष राशि गैर-आबंटितों को लौटाने के लिए प्रतिदाय आदेश लेखे में अंतरित कर दी जाती है ।

* सामान्यतया, प्रतिदाय आदेश लेखे की शेष राशि प्रतिदाय बैंकर द्वारा रखी जाती है तथा समय-समय पर यह धनराशि जैसे और जब भी उक्त लेखे में प्रतिदाय आदेश राशि जमा की जाती है, प्रतिदाय बैंकर द्वारा लघु अवधि निक्षेप राशि में से कंपनी के प्रतिदाय आदेश लेखे में अंतरित कर दी जाती है । इस लेखे में और कुछ जमा नहीं किया जाता है ।

* तीन या छः माह के पश्चात इस लेखे का उन प्रतिदाय आदेशों के साथ मिलान किया जाता है जो अभी भुनाए नहीं गए है । यद्यपि लेखे में कुछ राशि अभी भी शेष रह जाती है परन्तु लेखे में किसी को देनदारी का मामला कभी लम्बित नहीं बचता है ।

* "आबंटन वापसी" के रूप में आबंटितों को एक सूची आर•ओ•सी• में फाईल कर दी जाती है ।

6•2 मैसर्स गोल्डस्टार स्टील एण्ड अलौएस लि० (जी एस एल) कम्पनी श्री एन• कृष्ण मोहन, श्री पी वी प्रभाकर राव और श्री सी वी हनुमन्था राव द्वारा संपूर्वर्तित की गई थी । यह कम्पनी 28 जनवरी, 1986 को निगमित हुई थी । यह कम्पनी आन्ध्र प्रदेश में श्रीरामपुरम में स्पंज लोहे का उत्पादन करती है । वर्ष 1991 में अपने पहले पब्लिकइश्यू में उन्होंने कम्पनी की कुल अधिकृत पूंजी 54 करोड़ रुपये तथा प्रदत्त पूंजी 44•80 करोड़ रुपये बोकिंग की है । अपने पहलेपब्लिक इश्यू के समय, कंट्रोलर पूंजी निगम के नियन्त्रक को कैपिटल इश्यू को दिए गए आवेदन के अनुसार, श्री एन•कृष्ण मोहन के पास कम्पनी के 1,50,000 शेयर हैं । ऐसा भी पाया गया है कि श्री कृष्ण मोहन की दो सहायक कम्पनियों अर्थात् मैसर्स कान्ना इन्वेस्टमेन्ट्स लि० और मैसर्स कृष्ण रामा इन्वेस्टमेन्ट्स लि० के इस कम्पनी में क्रमशः 1742,000 तथा 2283688 शेयर हैं । यह भी पाया गया कि 9 अगस्त, 1991 को कम्पनी के प्रिरकार्ड में निर्धारित सीमा से अधिक हुई लागत को पूरा करने के लिए नए शेयर जारी करने संबंधी प्रस्ताव किया गया । कम्पनी ने 7 दिसम्बर, 1991 को राईट्स इश्यू के बनाने के लिए पूंजी निर्गम नियन्त्रक को एक आवेदन देकर अनुमति मांगी जो 14 जनवरी, 1992 को मिली । कम्पनी के बोर्ड की 30 जनवरी, 1992 को हुई बैठक में राईट्स इश्यू बनाने संबंधी एक प्रस्ताव पारित हुआ था । कम्पनी ने 1 मार्च, 1992 को प्रस्ताव पत्र का एक प्रारूप प्रस्तुत किया था, जिसे 28 मार्च, 1992 को स्वीकृति मिली थी । इस बीच, 8 मार्च, 1992 को एक संयुक्त आवेदन पत्र के प्रारूप को स्वीकृति दी गई । कम्पनी का 22•40 करोड़ रुपयों का राईट्स इश्यू 28 मार्च, 1992 को खुला ।

इस राशि के अलावा , कम्पनी ने अपने कर्मचारियों को 1•12 करोड़ रुपये मूल्य के शेयरों की पेशकश की और इस प्रकार लगभग 23•52 करोड़ रूपयों के सब्जेक्ट्स राईट्स इश्यू जिसमें 10 रूपए प्रति शेयर के हिसाब से 23520000 शेयर थे, के बराबर बनाया/ विवरण पत्रिका के अनुसार इस धनराशि में से कुल 8•80 करोड़ रुपये 26 फरवरी, 1992 तक सम्प्रवतकों के द्वारा निवेश किया गया था जिसमें उनके मित्र, रिश्तेदार तथा सहायक कम्पनियां शामिल थी । कम्पनी द्वारा उपलब्ध कराए गए निर्गमोत्तर विवरण के अनुसार यह पाया गया कि राईट्स इश्यू का 1•85 गुना ज्यादा क्रय हुआ और परिणामत: कुल क्रय 40,82,73000 रूपयों का हुआ, जिसमें से सम्प्रवर्तकों का योगदान 3•36 करोड़ रूपयों का बताया गया । कम्पनी के सब्जेक्ट्स राईट्स इश्यू को स्वीकृति देते समय सेबी आई द्वारा दी गई अनुमति के अनुसरण में, कम्पनी को अति क्रय की 15% राशि अपने पास रखने की अनुमति दी गई जिससे और 3•36 करोड़ रुपये मिले । वास्तव में, इस निर्गम के कारण कम्पनी द्वारा प्रतिधारित कुल धनराशि 26•88 करोड़ रूपये थी और प्रतिदाय बैंकरों अर्थात भारतीय स्टेट बैंक औद्योगिक वित्त शाखा द्वारा दिए गए प्रमाण पत्र के अनुसार 14,10,89,000 रूपये की राशि कम्पनी के प्रतिदाय लेखे में विनियुक्त कर दी गई । मैसर्स कार्वी कन्सलटन्ट्स (निजी) लि०, निर्गम के रजिस्ट्रारों द्वारा प्रमाणित किए गए प्रतिदाय विवरण के अनुसार उन के द्वारा 12,19,97,050 रूपयों का प्रतिदाय किया गया था । रिकार्ड के अनुसार, 24 अप्रैल, 1992 को, कम्पनी ने हैदराबाद शेयर बाजार को लिखा था कि उनका बिक्री इश्यू बन्द करने की तारीख को दो सप्ताह बढ़ाकर 11 मई, 1992 तक करने का है क्योंकि उन्हें अपने बहुत से वर्तमान अंशधारियों से आवेदन पत्र न मिलने सम्बन्धी शिकायतें प्राप्त हुई है । हालांकि रिकार्ड में शेयर बाजार द्वारा औपचारिक रूप से समय बढ़ाने संबंधी कोई अनुमति नहीं है । परन्तु फिर भी निर्गम 11 मई, 1992 को ही बन्द हुआ था ।

6•3 भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त दस्तावेजों में, जिनके आधार पर जानकीरमन समिति ने अपनी टिप्पणियां (पूर्वोक्त) की है, ऐसा लगता है कि अप्रैल, 1992 में मैसर्स आन्ध्र बैंक पेगयनैन्शियल सर्विसेज लि० को श्री सी•ससी कान्थ, उपाध्यक्ष (वित्त) के माध्यम से गोल्डस्टार सीमेन्ट्स लि० के शेयरों को गिरवी रखकर 2 करोड़ रूपयों के लघु अवधि ऋण के लिए गोल्डस्टार स्टील एण्ड अलौएस लि० के प्रबन्ध निदेशक, श्री एन•कृष्ण मोहन से एक मौखिक साक्ष्य प्राप्त हुआ था । उक्त ऋण का उद्देश्य जी•एस•ए•एल• के जारी किए गए राईट्स इश्यू में अपने राईट्स के हक में निवेश करना बताया गया है ।

ए•बी•एफ•एस•एल• ने श्री हितेन पी•दलाल ` माध्यम से 23 प्रतिशत ब्याज दर से ऋण का प्रबंध किया और इसमें । प्रतिशत सेवा शुल्क और जोड़ दिया । रिकार्ड में 17 17 अप्रैल, 1992 का एक पत्र लाया गया है कि जिसे श्री एन•कृष्ण मोहन ने मैसर्ज आन्ध्र बैंक फाइनेंसियल सर्विसिज लिमिटेड को लिखा था जिसमें मैसर्ज गोल्डस्टार स्टील एंड अलायज लिमिटेड को एक-एक करोड़ रुपये की दो किस्तों में 2 करोड़ रुपये का भुगतान करने का निवेदन किया गया था । रिकार्ड से यह निष्कर्ष निकलता है कि ए•बी•एफ•एस• एल• इस बात पर दृढ़ रही कि, "उनके पास उपलब्ध रिकार्ड से यह स्पष्ट नहीं था कि श्री कृष्ण मोहन को यह ऋण उनकी व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर दिया गया ।" तथापि रिकार्ड में उपलब्ध अन्य दस्तावेजों से पता चलता है कि श्री कृष्ण मोहन स्वयं ही यह ऋण अपनी व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर लेते रहे । यह बात भी रिकार्ड में है कि श्री कृष्ण मोहन, जो•एस•एलएल• के खाते में सीधे ऋण राशि जमा करना चाहते थे । दूसरे शब्दों में, श्री एन•कृष्ण मोहन के लिए अंतिम व्यक्तिगत ऋण मैसर्ज गोल्डस्टार स्टील एंड अलायज लिमिटेड के खातों के माध्यम से लिया गया । रिकार्ड देखने से यह निष्कर्ष निकलता है कि कंपनी खाते के माध्यम से यह व्यक्तिगत ऋण लेने का कारण शीघ्र गति से चैक पास कराना था ए•बी•एफ•एस•एल• द्वारा श्री हितेन पी• दलाल के लिए धनराशि 21 अप्रैल, 1992 और 28 अप्रैल, 1992 को एक-एक करोड़ रुपये के दो चैक जो आंध्र बैंक, फोर्ट ब्रांच बम्बई पर आहरित थे, प्राप्त हुए और उसी ब्रांच में चलाये जा रहे ए•बी•एफ•एस• एल• के चालू खाता नं•5605 में जमा किए गए । ए•बी•एफ•एस•एल• ने यह ऋण श्री कृष्ण मोहन को चैक नं•441856, दिनांक 21 अप्रैल, 1992 और चैक नं•441868, दिनांक 28 अप्रैल, 1992 जो आन्ध्र बैंक, सुलतान बाजार ब्रांच, हैदराबाद पर आहरित थे, दिए । इसके बदले में श्री कृष्ण मोहन ने मैसर्ज गोल्डस्टार सोमेंट्स लिमिटेड के 1,350,000 शेयर संपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में ए•बी•एफ•एस•एल• के पास रखे । रिकार्ड से पता चलता है कि ये शेयर ए•बी•एफ•एस•एल• द्वारा श्री हितेन पी• दलाल के लिए न्यास के रूप में धारित थे । अक्तूबर 1992 में ब्याज सहित उक्त ऋण जिसकी राशि 23,11,450 रुपये बैठती थी, ए•बी•एफ•एस•एल• को पुन: भुगतान किया गया । पुन: भुगतान का ब्यौरा निम्नलिखित है :-

(क) श्री एन•कृष्ण मोहन द्वारा स्टेट बैंक आफ इंडिया, हैदराबाद, पुंजागट्टा हैदराबाद पर आहरित रुपये 76,26,000 का पे आर्डर चैक नं•343171, दिनांक 3 अक्तूबर, 1992 जिसे ए•बी•एफ•एस•एल• ने 12 अक्तूबर, 1992 को भुनाया ।

(ख) मैसर्ज कन्ना इन्वेस्टमेंट लिमिटेड द्वारा केनरा बैंक, अहमदनगर ब्रांच, हैदराबाद पर जाहरित रुपये 71,28,000/-का चैक नं॰634757 दिनांक 3 अक्तूबर, 1992 जिसे ए॰ओ॰एफ॰एस॰एल॰ ने 10 अक्तूबर,1992 को भुनाया ।

(घ) मैसर्ज कृष्णारामा इंडस्ट्रीयल इंवेस्टमेंट्स लिमिटेड द्वारा इंडियन बैंक, बेगमपेट ब्रांच, हैदराबाद पर जाहरित 72,46,000रुपये का चैक नं॰ 0952990, दिनांक 3 अक्तूबर,1992 जिसे ए॰ओ॰एफ॰एस॰एल॰ ने अक्तूबर 10, 1992 को भुनाया ।

(ङ) श्री एन॰कृष्ण मोहन द्वारा व्यास बैंक लिमिटेड, अमीरपेट ब्रांच,हैदराबाद पर जाहरित रुपये 96,310/- का चैक नं॰0553361 दिनांक 19 अक्तूबर, 1992 ।

(च) श्री एन॰कृष्ण मोहन द्वारा व्यास बैंक लिमिटेड, अमीरपेट ब्रांच, हैदराबाद पर जाहरित रुपये 2,15,140/-का चैक नं॰0553362 दिनांक 19 अक्तूबर,1992

6.4 जहाँ तक पुनः भुगतान के लिए प्रयुक्त धनराशि के स्रोत का संबंध है, रिकार्ड से यह पता चलता है कि श्री कृष्ण मोहन ने पुनः भुगतान के उस धनराशि में से किया जो उसने जी॰एस॰ए॰एल॰-रिकार्ड आर्डर्स एकाउण्ट" से जारी रिकार्ड आर्डर्स के माध्यम से अपने नाम और फर्मों, जैसे मैसर्ज कन्ना इंवेस्टमेंट्स लिमिटेड तथा मैसर्ज कृष्णारामन इंडस्ट्रीयल इंवेस्टमेंट्स लिमिटड के नाम से एकत्रित किया था, जिसका ब्यौरा निम्नलिखित है :-

रिकार्ड आर्डर सं॰ तथा दिनांक	चैक नं॰	राशि (रुपये)	के पक्ष में	ऊपर वाले के खाते में जमा करने की तारीख
333801/ 23.07.92	158691	76,40,040	श्री एन॰कृष्ण मोहन	08.10.92
333802/ 23.07.92	158690	72,46,450	मैसर्ज कृष्णारामन इंडस्ट्रीयल इंवेस्टमेंट लि॰	09.10.92
333803/ 23.07.92	158692	71,28,300	मैसर्ज कन्ना इंवेस्टमेंट लिमिटड	07.10.92

6.5 उपर्युक्त ब्यौरे से प्रथम दृष्ट्या यह पता चलता है कि रिफण्ड अकाउण्ट के मा माध्यम से प्राप्त धनराशि का प्रयोग उक्त ऋण / पुनः भुगतान / लिए किया गया, जब तक लेखीवाल श्री एन.कृष्ण मोहन और उनका एसोसिएट फर्म मै. ए.वी.एफ.एस.एल. के पक्ष में जारी चेकों के बारे में यह स्थापित न कर दें कि उनके पास रिफण्ड पर प्राप्त राशि से अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध थी। तथापि यह तथ्य लेखीवालों के संबंधित बैंक खातों के संदर्भ में हो किया जा सकता है।

7.1 अन्य रिपोर्टों से प्राप्त सूचना का विश्लेषण करने से पहले कम्पनी के प्रस्ताव पत्र में सम्मिलित कतिपय महत्वपूर्ण सूचनाओं, और "कम्पोजिट एप्लीकेशन फार्म" में समाविष्ट उन उपदेशों को संक्षिप्त रूप में सूचीबद्ध करना प्रासंगिक होगा जिनका इस रिपोर्ट / निष्कर्षों पर प्रभाव पड़ सकता है। अन्य बातों के साथ-साथ प्रस्ताव पत्र में कहा गया था कि चूंकि परियोजना की अतिरिक्त लागत पूरा करने के लिए राइट इश्यू जारी किया गया था, इस लिए गैर सरकारी संवर्धक, जैसे श्री एन.कृष्णा मोहन, उसके मित्र, रिश्तेदार और एसोसिएट कम्पनियों ने राइटस आधार पर मिलने वाले न्यू इक्विटी शेयर / अपने अधिकार / कि रु 26 फरवरी, 1992 को 880 लाख रु. की अग्रिम राशि दी जो नियत ऋण /ऋणों/ / अनपार्तिक वितरण के उद्देश्य / लिए वित्तीय संस्थान द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार दा गई और उक्त राशि कम्पनी द्वारा परियोजना की लागत पूरा करने / लिए उपयोग की गई है। प्रस्ताव का आधार 1:2 के अनुपात में अर्थात् रिकार्ड तिथि, 17 मार्च 1992 को धारित दो विद्यमान इक्विटी शेयरों / लिए एक न्यू इक्विटी शेयर था। इसके अलावा प्रस्ताव पत्र में निर्धारित राशि से अधिक राशि प्राप्त होने पर भी वर्णन किया गया था। प्रस्ताव पत्र में आगे यह भी बताया गया था कि प्रतिश्रुति जो ऊपर बतायी गई पहले से प्राप्त राशि को छोड़कर है, /संदर्भ शायद 26 फरवरी 1992 को गैर सरकारी संवर्धकों द्वारा/ अग्रिम राशि के रूप में दी गई रु. 8.80 करोड़ की राशि के बारे में है /, को विशिष्ट बैंक खातों में रखा जाएगा और जब तक आबंटन / लिए संबंधित क्षेत्रीय स्टाक एक्सचेंज से स्वीकृति प्राप्त नहीं होती, कम्पनी को ऐसी राशि के उपयोग के लिए अनुमति नहीं होगी।

2. संयुक्त आवेदन प्रपत्रों क में दिये गये निदेशों में स्टेट बैंक आफ इंडिया, प्रतिभूति विभाग, बैंक स्ट्रीट, हैदराबाद, बैंक आफ बड़ौदा, लकड़ी का पुल, खैरताबाद, हैदराबाद, केनरा बैंक, आबिद्स रोड़, हैदराबाद, इंडियन बैंक, बैंक स्ट्रीट, कोटी, हैदराबाद और आंध्रा बैंक, सुल्तान बाजार, कोटी, हैदराबाद तथा उपर्युक्त बैंकों की 32 संबंधित शाखाओं को राइट इश्यु के संग्राहक बैंकर्स के रूप में सूचीबद्ध किया गया । निदेशों में प्रस्ताव पत्र में उल्लेखित अंशदान की राशि को उपयोग करने की प्रक्रिया को भी दोहराया गया है ।

8.1 संबंधित पक्षों द्वारा आवेदित शेयरों के बारे में, उनके द्वारा किये गये आवेदन और भुगतानों के संबंध में, विभिन्न अभिकरणों के पास उपलब्ध अभिलेखों, की जांच से पता चलता है कि कथित पक्षों अर्थात् श्री एन.कृष्ण मोहन, काना इन्वेस्टमेंट लि0 और कृष्णाराम इंडस्ट्रियल इंवेस्टमेंट लि. को इक्विटि शेयर के राइट इश्यु का आवंटन अत्यधिक संदिग्ध है और जैसा कि बाद के पैराग्राफों में स्पष्ट किया गया है कि उपर्युक्त पक्षों द्वारा आवेदित कुल शेयरों के लिए किए गए भुगतान का कोई निश्चित साक्ष्य नहींहै ।

8.2 जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है कि प्रथम सार्वजनिक निर्गम के समय पूंजी निर्गम नियंत्रक को किये गये आवेदन के अनुसार कथित पक्षों की धारिता इस प्रकार है - श्री एन.कृष्ण मोहन : 150000, मैसर्स काना इंवेस्टमेंटस लि. 1742000 और मैसर्स कृष्णराम इंडस्ट्रोयल इंवेस्टमेंटस लि. 2283688 | तदनुसार उनके राइट को 1:2 के अनुपात में पात्रता क्रमश: 75000, 871000 और 1141844 होती । तथापि कंपनी पंजीयक हैदराबाद के रिकार्ड से, जिनमें आंकड़ों को कथित पक्षों के शेयर आवेदन प्रपत्रों में दर्शाई गई पात्रता के अनुरूप बनाने के लिए तथा हैदराबाद स्टाक एक्सचेंज में दर्ज आवंटन रजिस्टर में दिये गये पात्रता विवरण के अनुसार बनाने के लिए संशोधन किया गया था, यह पता चलता है कि श्री एन.कृष्ण मोहन इस सूची में एक शेयर धारक के रूप में नहीं दर्शाये गये हैं । तथापि सूची में एक जैसे दो नाम हैं, अर्थात् श्री के.एम.एन.गंटी और श्री कृष्ण मोहन नैन्द्रगंटी जो शायद श्री एन.कृष्ण मोहन के हैं । कंपनी पंजीयक के पास

उपलब्ध पुनरीक्षित आंकड़ों से इस संदेह की पुन: पुष्टि होती है कि श्री के•एम•एन•गंटी (जी•एस•ए 009771) के मामले में, कंपनी द्वारा दायर मूल विवरण में शेयरों की बिक्री प्रत्येक 100 के समूह में दिखाई है और यह भी दिखाया गया है सारी बिक्री 24 जुलाई, 1992 को ही हो गई थी। कुछ अवर्णनीय कारणों से मूल आंकड़ों को पुनरीक्षित करते हुए बाद में दर्ज किए गए विवरण में दिखाया गया है कि बिक्री 1000 - 1500 के समूहों में हुई और वह भी 18 सितम्बर, 1992 को की गई।

8•3 यह बात बड़ी रुचिकर है कि हैदराबाद स्टाक एक्सचेंज के रिकार्ड में श्री एन•कृष्ण मोहन की पात्रता (श्री के•एम•एन•गंटी या श्री कृष्ण सहस मोहन नैन्द्रगंटी नहीं) और मैसर्स काना इंवैस्टमैंटस लि• और मैसर्स कृष्ण राम इंडस्ट्रीयल इंवैस्टमैंट लि• की पात्रता 1191550, 871000 और 1141835 दर्शाई गई है। तदनुसार इन तीनों पक्षों की धारिता 2283100, 1742000, 2283670 बनती है। आवेदन प्रपत्रों में दिये गये आंकड़ों का ब्यौरा इस प्रकार है :-

नाम	के•एम•एन•गंटी	मैसर्स कृष्णराम इंडस्ट्रीयल इंवैस्टमेंट लि•	मैसर्स काना इंवैस्टमैंट लि•
रिकार्ड की गई तारीख को शेयर	23,83,100	22,83,670	17,42,000
दिये गये शेयर	11,91,550	11,41,835	8,71,000
देय राशि	1,19,15,550	1,14,18,350	87,10,000
स्वीकृत शेयर	11,91,550	11,41,835	8,71,000
आवेदित अतिरिक्त शेयर	10,25,194	13,28,755	17,82,596
कुल आवेदित शेयर	22,17,464	24,70,590	26,53,596
अदा की गई राशि	2,21,74,640	2,47,05,900	2,65,11,460

8.4 तथापि कंपनी द्वारा उक्त विषय पर शेयर आवंटन रजिस्टर से, एक्सचेंज को दिया गया । विवरण इस प्रकार है :

क्रम सं.	138866	138917	138919
बाई.एन.एच.ओ. सं.	509717	509768	509770
सी.ए.एफ.सं.	9717	9768	9770
नाम	श्री एन.कृष्ण मोहन	मैसर्स काना इंवैस्टमैंट लि0	मैसर्स कृष्णराम इंवैस्टमेंट लि.
पात्रता	1191550	871000	1141835
आवेदित अतिरिक्त शेयर	1981930	363080	1000000
कुल आवेदित शेयर	3173480	1234080	2141835
अदा की गई राशि	31734800 रु.	12340800	21418350 रु.
आवंटित शेयर	1489440	1088750	1427290

०.5 अब लिखित तालिका से यह स्पष्ट है कि हैदराबाद स्टॉक एक्सचेंज के दस्तावेजों के अनुसार श्री एन. कृष्णा मोहन, श्री के.एम.एन. मंती नहीं, ने 3,xx,x4,3173400 शेयरों के लिए आवेदन किया था और इसके लिए उन्होंने काउंटर एन से 3,17,34,000 रुपये अदा किये, जबकि प्रार्थना-पत्र के अनुसार श्री के.एम.एन. मंती, श्री एन.कृष्णा मोहन नहीं, ने सिर्फ 22,17,464 शेयरों हेतु आवेदन किया था जिसके लिये 2,21,74,640 रुपये की रकम अदा करनी थी। इसी तरह हैदराबाद स्टॉक एक्सचेंज के दस्तावेजों के अनुसार मैसर्स कान्ना इन्वेस्टमेंट लिमिटेड ने 1234080 शेयरों के लिए आवेदन किया था, जिसके लिए उसने अनुमानत: 1,23,40,000 रुपये अदा किये जबकि वास्तविक आवेदन पत्र 26,53,596 शेयरों के लिये किया गया था जिसके लिये अदा योग्य रकम 2,65,11,460 रुपये थी। अंत में हैदराबाद स्टॉक एक्सचेंज के दस्तावेजों के अनुसार मैसर्स कृष्णराम इंडिस्ट्रयल इन्वेस्टमेंट लिमिटेड ने 21,41,035 शेयरों के लिये आवेदन किया और अनुमानत: 2,14,10,350 रुपये अदा किये परन्तु आवेदन पत्र के अनुसार संबंधित कंपनी ने 24,70,590 शेयरों के लिये आवेदन किया था अदा करने योग्य रकम 2,47,05,900 2,47,05,900 रुपये थी। मेजर अंतर यह है कि सभी तीनों आवेदन पत्रों में भुगतान संबंधी विवरण जैसे भुगतान की गई रकम की मात्रा, नकद/चैक/ड्राफ्ट की प्रकृति, तिथि, अदाकर्ता बैंक का नाम आदि कालम रिक्त छोड़े गये हैं।

०.6 अंत में, हैदराबाद स्टॉक एक्सचेंज के दस्तावेजों के अनुसार तीनों संबंधित पक्षों ने कुल मिलाकर 6,94,93,950 रुपये की रकम अदा की है, जबकि आवेदन-पत्रों के अनुसार उन सबको कुल मिला कर 7,34,16,500 रुपये का भुगतान करना चाहिये था। दिलचस्प बात यह है कि सी.बी.आई. को देने के लिए, संबंधित पक्षों की ओर से एन. कृष्णा मोहन द्वारा भरे गये भुगतान संबंधी विवरण में थोड़ा अन्तर है और वह रकम 7,34,22,100 रुपये है। इसीलिए यह स्पष्ट हो जाता है कि किसी भी दिये गये आंकड़े, चाहे वह शेयरों की संख्या के विषय में हो अथवा भुगतान किये गये पैसे के विषय में, को प्रमाणिक व सही नहीं माना जा सकता। इसीलिए संबंधित पक्षों के आवेदन पत्रों में दिये गये आंकड़ों तथा हैदराबाद स्टॉक एक्सचेंज के दस्तावेजों में दिये गये शेयरों की संख्या संबंधी विवरणों के तुलनात्मक अध्ययन से स्पष्ट आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए यह निष्कर्ष निकालना अप्रासंगिक नहीं है कि श्री के.एम.एन. मंती, श्री एन. कृष्णा मोहन नहीं, तथा उसकी दो सहायक कंपनियों मैसर्स कान्ना इन्वेस्टमेंट लिमिटेड और मैसर्स कृष्णराम इंडिस्ट्रयल इन्वेस्टमेंट लिमिटेड को अगर कुछ शेयर आवंटित किये गये हैं तो वे बिल्कुल

अन्तर्वस्तु और शब्द अवैध भी हैं ।

9.1 संबंधित पक्षों द्वारा आवेदित शेयरों हेतु किये गये भुगतान संबंधी दस्तावेजों को देखने पर लगता है कि उनमें काफी गड़बड़ है । दस्तावेजों में दिये गये विभिन्न प्रमाणों के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि संप्रवर्तकों द्वारा किए गए 12.05 करोड़ रुपए के अंशदान का राशि का मैसर्स केनबैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड तथा इस घटना के बाद नियुक्त मैसर्स सी. रामचन्द्रम एण्ड कंपनी के मुख्य प्रबंधकों, लेखा परीक्षकों तथा कम्पनी के विभिन्न दस्तावेजों व पत्र व्यवहार में बार-बार उल्लेख किया गया है । यह स्पष्ट है कि इस रकम में तीनों संबंधित पक्षों द्वारा किया गया अंशदान तथा विभिन्न दस्तावेजों में उल्लिखित डिलैन्स पी. दलाल से लिया गया दो करोड़ रुपये का ऋण भी शामिल है । बाद के परिच्छेदों में दिये गये विवरणों के अनुसार यदि 12.05 करोड़ की रकम को स्थिर मान कर यदि आंकड़ों का मिलान किया जाये तो यह कुल भुगतान के आंकड़ों से मेल नहीं खाता, चाहे वह कुल अंशदान प्राप्ति की रकम हो या धन वापसी आदेश की रकम हो जिसका दावा कंपनी द्वारा सब्जेक्ट राइट्स इश्यू के अंतर्गत किया गया है ।

9.2 मैसर्स केनबैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड कंपनी के मुख्य प्रबंधकों द्वारा इस इश्यू के संबंध में स्वीकृत प्रमाणपत्रों के अनुसार सब्जेक्ट राइट्स इश्यू के अंतर्गत प्राप्त कुल अंशदान की राशि 40,82,73,000 रुपये थी जिसमें से 26,00,00,000 रुपये रद्द किये गये हैं तथा शेष राशि 13,94,73,00 रुपए वापिस करने योग्य रकम है । अंशदान द्वारा प्राप्त कुल राशि में संप्रवर्तकों द्वारा किए गए अंशदान की रकम 12.05 करोड़ रुपये तथा कर्मचारी अंशदान की रकम ~~12.05 x 0.1 करोड़~~ 1.12 करोड़ रुपये भी शामिल है । दूसरे शब्दों में संप्रवर्तकों द्वारा प्रदत्त अंशदान के अलावा शेयर धारकों का अंशदान 27,65,73,000 रुपये था । राजेन्द्रार, मैसर्स कर्वी कन्सल्टैन्ट्स प्रा0 लिमिटेड द्वारा प्रदत्त तथा कंपनी सचिव मैसर्स जी.एस.ए.एल. द्वारा सत्यापित वापसी देय की रकम के विवरण के अनुसार प्रवर्तकों की राशि को जोड़कर मैसर्स कर्वी कन्सलटेन्ट्स प्रा0 लिमिटेड ने शेयर-धारकों को वापसी देय की राशि के रूप में 12,19,97,050 रुपये जारी किये । दूसरे शब्दों में शेयर जारी करने, जनता द्वारा प्राप्त की गई राशि 15,45,75,950 रुपये होगी ।

9.3 6 जून, 1993 के पत्राचार के अनुसार मैसर्स कर्वी कन्सलटैन्ट्स प्रा0 लि0 ने प्रवर्तक शेयरधारकों को कुल 7,90,37,950 रुपये के शेयर आवंटित किये जिसकी प्रोसेसिंग स्वयं कंपनी द्वारा की गई थी और प्रवर्तकों के अलावा शेयरधारकों व आवंटित शेयरों का त्यजन करने वालों को 17,79,62,650 रुपये के शेयरों का

आवंटन किया गया था । कर्मचारियों के लिये वरीयता प्रदत्त शेयर आवंटन की रकम 1.12 करोड़ को मिला देने पर, कंपनी द्वारा सत्यापित शेयर आवंटन की कुल रकम रकम 26.00 करोड़ रुपये होती है । इसलिए रजिस्ट्रार द्वारा दिये गये अलग-अलग मदों पर दिखाए गए आंकड़ों को सही माना जाना चाहिये ।

9.4 दूसरे दस्तावेजों में उपलब्ध सूचना को यदि उपरोक्त आंकड़ों के साथ मिलाकर देखा जाए तो कुल प्राप्त अंशदान इस प्रकार होगा :-

प्रवर्तकों का	12,05,00,000
प्रवर्तकों के अलावा शेयरधारकों का	29,99,59,700
कर्मचारियों का	1,12,00,000
कुल :	43,16,59,700

* 17,79,62,650 रुपये के शेयर आवंटित किये गये तथा 12,19,97,050 रुपये वापिस देय योग्य रकम थी ।

कम्पनी के प्रतिवेदन के अनुसार उसने सिर्फ 40,82,73,000 रुपये प्राप्त किये हैं । इस प्रकार 2,33,86,700 रुपये की गड़बड़ी हुई ।

9.5 वापसी देय के मामले में दस्तावेजों में स्टेट बैंक आफ इंडिया (इंडस्ट्रयल फाइनेन्स ब्रान्च) के मुख्य प्रबंधक द्वारा जारी किया गया 3 दिसम्बर, 1992 का एक प्रमाणपत्र है, जिसमें सत्यापित किया गया है कि 1410.89 लाख रुपये कम्पनी के वापसी देय खाते में जमा किये गये हैं । किन्तु मिलान करने पर पता चला कि यह आंकड़ा सही नहीं है ।

9.6 यदि प्रवर्तकों ने 12.05 करोड रूपये का अंशदान किया और उन्हें 7,96,37,950 रू. के मूल्य के शेयर आबंटित किये गए लेकिन प्रवर्तकों के लेखों में वापसी की राशि 4,18,62,050 रूपये की बैठती है । रजिस्ट्रारों के प्रमाप के अनुसार प्रवर्तकों को छोडकर शेयर धारकों की वापसी राशि 12,19,97,050 रू. बनती है । इन दोनों राशियों का योग 16,38,59,100/-रू. बनती है जबकि कंपनी के वापसी खाते में 14,10,89,000 रू. जमा किये गये । एक बार फिर वापसी खातों में 2,27,70,100 रू. की विसंगति बैठती है । दूसरे शब्दों में यदि सभी रिकार्डों के उपलब्ध आंकड़ों का मिलान किया जाये तो कंपनी के पास 2.34 करोड़ की प्राप्ति का कोई हिसाब नही है और उसने 2.28 करोड रूपये तक की वापसी कम बतायी है ।

9.7 इस संदर्भ में यहां तक कि चार्टर्ड एकान्टैंट, मैसर्स सी.रामाचन्द्रम एण्ड कंपनी का दिनांक 15 जून, 1992 को दिया गया प्रमाण पत्र यह प्रमाणित करता है कि मैसर्स जी एम ए एल के प्रवर्तकों से द्वारा एकाउन्टैंट की अधिकृत रूप से देय राशि 1205 लाख रूपये भी विवादस्पद हो गई है । ऐसा माना जाता है कि लेखा परीक्षकों ने इस राशि को प्रमाणित कंपनी द्वारा भेजे गए रिकार्डों और दस्तावेजों के आधार पर किया था जिसमें बैंक रिकार्डों का जिक्र नहीं किया गया था । यह बताना भी उचित होगा कि श्री जी.सत्यानारायण चार्टर्ड एकाउंटैंट जिन्होंने संबंधित पार्टी को भुगतान की गई राशि को प्रमाणित किया था, ने भी ऐसा कार्य श्री एन कृष्ण मोहन द्वारा प्रस्तुत किये गए पत्राचारों और दस्तावेजों के आधार पर किया था क्योंकि उनके पास किसी बाहरी साक्ष्य की जांच करने के लिए समय नहीं था. 9 पूर्व पैराग्राफों के आंकडों का दोनों लेखा परीक्षकों द्वारा अपने प्रमाण पत्रों में बताए गए आंकडों के मिलान के संदर्भ में स्पष्टत: विवादस्पद हो जाते हैं ।

9.8 प्रवर्तकों द्वारा 12.05 करोड रूपये का आरोपित अंशदान संदेह के घेरे में क्यों आ जाता है इसका कारण है कि कंपनी द्वारा हैदराबाद स्टाक एक्सचेंज को प्रस्तुत किये गये विवरण में कंपनी ने आवेदन पत्रों, शेयरों और राशियों के वास्तविक आंकड़ों का विस्तृत ब्यौरा दिया है । दिनांक 18 जून, 1992 के विवरण में प्रवर्तकों के आवेदन पत्रों की संख्या 8000 बताई है और आवेदित शेयरों द्वारा की संख्या 12050000 जो 12.05 करोड़ के मूल्य के हैं बताई गई जाती है । उनके दिनांक 22 जून, 1992 के विवरण में जबकि प्रवर्तकों द्वारा आवेदित शेयरों की संख्या अपरिवर्तित है, आवेदन पत्रों की संख्या 6755 बताई गई है और अंत में उनके

23 जुलाई, 1992 के विवरण में, जिस तारीख को एक्सचेंज ने आवंटन के आधार को अनुमोदित किया था, एक बार फिर प्रवर्तकों द्वारा आवेदित शेयरों की संख्या अपरिवर्तित दिखाई गई है वहीं आवेदन पत्रों की संख्या 9677 दर्शाई गई है । दूसरे शब्दों में 6755 आवेदन पत्रों के माध्यम से 120500000 शेयरों के लिये आवेदन किया गया था और प्रवर्तकों द्वारा 9677 आवेदन पत्र दिये गए थे, अत: इसका यह अर्थ हुआ कि प्रवर्तकों द्वारा दिये गए 2922 आवेदन पत्रों पर कोई शेयर नहीं भरा गया । हालांकि उत्तरोत्तर संशोधनों में बताया जाता है कि प्रवर्तकों को 12050000 शेयरों के लिए आवेदन दिया था जिस पर 12·05 करोड़ की राशि का भुगतान किया गया बताया जाता है । फिर भी यह दावा किया जाता है कि प्रवर्तकों द्वारा 12·05 करोड की राशि का भुगतान इक्विटी शेयरों के लिए उनके अंशदान के रूप में कर दियागया है । यदि यह दावा सही है तो उपर्युक्त पैरा 9·6 में निकाला यह निष्कर्ष कि कंपनी ने 2·34 करोड की प्राप्ति का लेखा जोखा नहीं रखा है सही माना जायेगा । दूसरी ओर यदि प्रवर्तकों द्वारा 12·05 करोड़ की राशि का अंशदान सही नहीं है तो यह स्पष्ट निष्कर्ष निकलता है कि कंपनी द्वारा हैदराबाद एक्सचेंज को दिया गया विवरण गलत है ।

9·9 प्रवर्तकों के 12·05 करोड़ रूपये का अंशदान भी बेहद संदेहजनक हो जाता है ~~क्योंकि~~ क्योंकि प्रवर्तकों द्वारा इस राशि के भुगतान का कोई साक्ष्य नहीं है । कंपनी ने अपने पेशकश पत्र में दावा किया है कि 8·80 करोड़ रूपये की राशि श्री एन कृष्ण मोहन उनके मित्रों और संबंधियों, सम्बद्ध सहयोगियों जैसे निजी प्रवर्तकों द्वारा लगाई गई थी सांविधिक ऋण के आनुपातिक विवरण के उद्देश्य के लिए वित्तीय संस्थाओं द्वारा लगाई गई शर्तों के अनुसार जो 26 फरवरी, 1992 तक उनके राइटस के अधिकार के लिये अग्रिम के रूप में थी । हालांकि जांच दल को रिकार्ड में कहीं भी नहीं दिखाई दिया कि कोई ऐसी शर्त वित्तीय संस्थाओं के ने लगाई हो । इसके बावजूद ऐसा कोई बैंक रिकार्ड भी नहीं है जो इस राशि की प्राप्ति को बताता हो और इस तथ्य को साबित करे कि यह राशि राइट्स इशू के लिए अग्रिम राशि के रूप में लाई गई है जैसा कि कंपनी द्वारा दावा किया जा रहा है । इस सब के बाद इसका अर्थ यह हुआ कि प्रवर्तकों का अंशदान अतत: 12·05 करोड का था । प्रवर्तकों द्वारा 3·25 करोड रूपये 26 फरवरी, 1992 के पश्चात जुटाये गये, संभवत: श्री हितने पी·दलाल से लिया गया 2 करोड रू· का ऋण भी शामिल है जो 21 अप्रैल, और 28 अप्रैल, 1992 को एक-एक करोड रू· की दो किश्तों में लिया गया था । हालांकि यह दोनों चैक मैसर्स जी एस· ए·एल· के पक्ष में थे न कि मैसर्स जी एस ए एल-राइटस इशू एकाउंट के पक्ष में, हालांकि

यह इश्यु 28 मार्च को ही खुल चुका था और 21 मई तक खुला रहा था । इसके बाद ये चैक भारतीय स्टेट बैंक (औद्योगिक वित्त शाखा) के चालू खाता संख्या 3/121 में जमा कराया गया था न कि मनोनीत संग्रहण बैंक में । इसके बाद इन राशियों का, जिनका उपयोग दर असल क्षेत्रीय स्टाक एक्सचेंज द्वारा आवंटन को अंतिम रूप दिये जाने से पूर्व कंपनी द्वारा नहीं किया जाना चाहिए था उनकी प्राप्ति के तुरंत पश्चात् ही और हैदराबाद स्टाक एक्सचेंज द्वारा आवंटन के आधार को अंतिम रूप दिये जाने से बहुत पहले ही उपयोग कर लिया गया था । इसलिए कंपनी का यह सिर्फ दावा ही है कि यह राशियां प्रवर्तकों की राइटस की हकदारी के लिये उनके अंशदान का एक भाग भी है, क्योंकि इस दावे का कोई भी प्रमाण नहीं मिलता है ।

9.10 अंततः जैसा कि पहले भी बताया जा चुका है कि संबंधित पक्षों द्वारा दी गई भुगतान राशि पर ही संदेह प्रकट किया जा रहा है । जबकि एक्सचेंज के रिकार्डों के अनुसार संबंधित पक्षों ने 6.54 करोड़ रूपये की राशि की अदायगी की, उनके व्यक्तिगत आवेदन पत्रों के अनुसार उनके द्वारा अदा की गई राशि 7.34 होनी चाहिए थी और जिसका ब्यौरा आवेदन पत्रों में रिक्त छोड़ दिया गया है । प्रवर्तकों की संपूर्ण अंशदान राशि 12.05 करोड रूपये को सही मानते हुये जैसा कि कंपनी ने, और 6.54 करोड अथवा 7.34 करोड रूपये का कथित अदायगी से इसे जोड़ते हुये शेष 5.51 करोड रूपये अथवा 4.71 करोड रूपये का अंशदान संबंधित पक्षों के बजाय प्रवर्तकों से ही प्राप्त हुआ है । यह स्पष्ट करना उचित ही होगा कि कंपनी ने को यह दावा किया है कि प्रवर्तकों केअंशदान में से, 8.80 करोड रूपये पहले ही प्रवर्तकों द्वारा अग्रिम के रूप में दिये जा चुके थे जिसमें 26 फरवरी, 1992 तक तीन संबंधित पक्ष सम्मिलित थे । दूसरे शब्दों में 3.25 करोड रूपये की राशि फरवरी और 11 मई, 1992 जब इश्यू बंद किया गया था, के बीच लाई गई थी । यदि प्रवर्तकों का अंतिम आवेदन केवल 7.96 करोड रूपये का था तो संबंधित पक्षों सहित प्रवर्तकों को लगभग 4.09 करोड रूपये की वापसी निश्चित थी । फिर भी यह हमारा ध्यान देने योग्य है कि संबंधित प्रश्नों द्वारा अदा की गई निश्चित राशि का पता न होने की वजह से उन्हें वापसी की जाने वाली निश्चित राशि को निर्धारित नहीं किया जा सकता है ।

10.1 स्वयं वापसी आदेशों के बारे में उपलब्ध पत्रों से यह पता चलता है कि यह वापसियां सामान्य परिस्थितियों में जारी नहीं की गयी लगती है । मुख्य वापसी आदेशों को आम टाइपराइटर पर तैयार किया गया है जबकि सामान्य वापसी आदेश मैसर्स कारवी कन्सल्टेंटस (पी) लि. के रजिस्ट्रार द्वारा कम्प्यूटर पर तैयार किया गया है ।

10.2 मैसर्स कार्वी कनसलटैन्ट्स (प्रा0) लिमिटेड से हुई चर्चा से यह उजागर होता है कि कम्पनी ने उन्हें कार्य का केवल वह हिस्सा ही आबंटित किया जो शेयरधारकों तथा शेयर दलालों त्यजन करने वालों से संबद्ध था तथा संप्रवर्तकों संबंधी समस्त कार्य अपने पास रखते हुए इसे उसमें शामिल नहीं किया । मैसर्स कार्वी कनसल्टैंटस (प्रा)ि लिमिटेड द्वारा यह भी सुनिश्चित किया गया कि संप्रवर्तकों संबंधी समस्त कार्य कम्पनी के अपने रजिस्ट्रार तथा शेयर-अन्तरण अभिकर्त्ताओं यथा मैसर्स सिऽविन फाइनेन्सियल सर्विसेज लिमिटेड द्वारा ही संचालित हुआ । इसके अतिरिक्त, कम्पनी ने इस मामले संबंधी सभी रिकार्ड सितंबर, 1992 में लौटाये जाने पर बल दिया तथा जिन्हें 28 सितंबर, 1992 से 20 अक्तूबर, 1992 के बीच लौटा दिया गया । कम्पनी को जो रिकार्ड और दस्तावेज 3 अक्तूबर, 1993 को लौटाये गये उनमें एम॰ आई॰ सी॰ आर॰ की 158690 से 158998 संख्या वाली 309 प्रतिदान लेख-सामग्री थी जिन्हें जी-एस ए एल के उपाध्यक्ष (वित्त) श्री शशि कान्त द्वारा प्राप्त किया गया था । यह उल्लेखनीय है कि श्रीकृष्ण मोहन तथा अन्य दो संबंधित व्यक्तियों को जो चीजें वापस की गई थीं, उसकी एम॰ आई॰ सी॰ आर॰ सं0 158690, 158691 तथा 158692 थी । अतएव, यह स्पष्ट है कि कम्पनी को तीन अयुक्त वापसी आदेश 3 अक्तूबर, 1992 को ही प्राप्त हुए थे तथा ये श्री कृष्ण मोहन द्वारा स्वयं को तथा अपने सहयोगियों प्रतिष्ठानों को 3 अक्तूबर, 1992 को जारी किये गये थे जिन्हें 23 जुलाई, 1992 को पूर्व दिनांकित किया गया था । पूर्वदिनांकन के दो कारण हो सकते हैं - पहला यह कि सामान्यत: प्रतिदाय उस तारीख को किया गया माना जाता है, जिस तारीख को क्षेत्रीय स्टॉक एक्सचेंज द्वारा आबंटन आधार को स्वीकृति प्रदान की जाती है और इस प्रसंग में यह तारीख 23 जुलाई, 1992 है । दूसरे, इन संबंधित पक्षों ने संवितरक बैंकरों की जांच से बचने के लिए यह चाहा कि देखने पर यह "प्रतिदाय" सामान्य तरीके से किया गया प्रतीत हो । किसी भी हालत में, पूर्वदिनांकित प्रतिदाय आदेश सौदा-संबंधी औचित्य के अनुरूप नहीं है तथा ऐसा करने से बचा जाना चाहिए था । इस तथ्य को कि श्री कृष्ण मोहन ने इन प्रतिदाय आदेशों को 3 अक्तूबर, 1992 को जारी किया था, कदाचित श्री कृष्ण मोहन द्वारा आंध्र बैंक फाइनान्सियल सर्विस लिमिटेड को ऋण के पुर्नभुगतान से जोड़े जाने पर और भी पुष्टि हो जाती है । प्रतिदाय खातों से धनराशि की उपलब्धता सुनिश्चित करने के बाद श्री कृष्ण मोहन तथा उसके संबंधित साथियों ने 3 अक्तूबर, 1992 को आंध्र बैंक फिनान्सियल सर्विस लिमिटेड के पक्ष में चेक जारी किये ।

10.3 चूंकि आवेदन श्री के.एम.एन.गन्ती के नाम से था, अतः किसी भी स्थिति में प्रतिदाय राशि श्री एन.कृष्ण मोहन के नाम जारी नहीं की जा सकती थी ।

11.1 संबद्ध पक्षों को यह राशि देय नहीं होने पर भी भुगतान किए जाने का एक संभावित अनुमान यह लगाया जा सकता है कि इस सौदे में यह तथ्य विवादास्पद रहा है कि यह ऋण मैसर्स जी एस ए एल के नाम पर था या श्री कृष्ण मोहन के नाम पर जबकि 2 करोड़ रू0 की राशि कम्पनी के खाते में डाली गई और चूंकि कंपनी ने इस राशि का भुगतान श्री कृष्ण मोहन मैसर्स कन्ना, इन्वेस्टमेंट लि0 अथवा मै0 कृष्णरामा इंडिस्ट्रयल इन्वेस्टमेन्ट लि0 को नहीं किया, तो उक्त राशि के पुनर्भुगतान की जिम्मेदारी कम्पनी की थी न कि संबद्ध पक्षों की । तथापि, यह दर्शाने के लिए कि उक्त राशि संबद्ध पक्षों के लिए ली गई थी और सीधे कम्पनी द्वारा नहीं ली गई थी, प्रतिदाय आदेश खाते के माध्यम से व्यय की सहित मूलधन को लगभग उतनी ही राशि का पुर्नभुगतान संवितरक के माध्यम से करने का असाधारण तरीका अपनाया गया ।

11.2 जांच दल को उपलब्ध कराये गये विभिन्न रिकार्डों और दस्तावेजों से जो तस्वीर सामने आती है उससे एक अन्य निष्कर्ष यह भी निकाला जा सकता है कि सम्प्रवर्तकों से अंशदान के रूप में 8.80 करोड़ रू0 की राशि, जिसे फरवरी, 1992 में दिए जाने का दावा किया गया है, वास्तव में वह राशि प्राप्त ही नहीं हुई थी । जांच दल ने केन्द्रीय जांच ब्यूरो के साथ 11 मार्च, 1992 से कम्पनी का वालू खाता संख्या 3/129 देखा जिसमें 3 करोड़ रू0 से अधिक की राशि (जिसमें श्री हितेन दलाल, जो बाद में नोटीफाइड हुआ, से प्राप्त एक-एक करोड़ के दो चैक भी सम्मिलित है । जमा की गई दर्शायी गई थी । अतः यह माना जा सकता है कि 3.25 करोड़ रू0 की बकाया राशि, सम्प्रवर्तकों के अंशदान की शेष राशि ही वास्तव में लाई गई थी । यह उल्लेखनीय है कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने जो रिकार्ड देखे उनमें श्री एन कृष्ण द्वारा स्वयं दिये गये अपने अंशदान तथा अपने दो सहयोगी साथियों के बारे में वक्तव्य के अतिरिक्त कहीं भी 8.80 करोड़ रू0 के भुगतान का साक्ष्य नहीं मिलता । यहां यह भी

की पुष्टि नहीं कर सकते । इसके अतिरिक्त, अनेक रिकार्डों तथा दस्तावेजों से यह साफ जाहिर है कि कम्पनी ने सम्पुवर्तकों से प्राप्त राशि को भिन्न खाते, अर्थात उनके स्टेट बैंक, इन्डस्ट्रियल फिनान्स ब्रांच, हैदराबाद के वर्तमान खाता सं0 3/129 में जमा करने का दावा किया है । अत: अब सवाल उठता है कि यदि सम्पुवर्तकों को कोई प्रतिदाय राशि देय थी, तो उसे इस खाते में से दिया जाना चाहिये था जिसमें सम्पुवर्तलकों का अंशदान जमा किया गया था । तथापि, 2•20 करोड़ रू0 की प्रतिदाय राशि की तुलना में केवल 40 लाख रू0 की ही राशि दी गई । अत: यह तथ्य कि कम्पनी को 1•67 करोड़ रू0 की राशि बाहर से लाने का असाधारण प्रबंध करना पड़ा ताकि संबद्ध पक्षों को 2•20 करोड़ रू0 की प्रतिदाय राशि दी जा सके, एक गंभीर संदेह उत्पन्न करता है कि क्या सामान्य तौर पर सचमुच उन्हें यह प्रतिदाय राशि दी जानी थी ।

11•3 प्राप्त रिकार्ड में संबद्ध पक्ष अर्थात्, श्री एन• कृष्ण मोहन, मैसर्स कन्ना इन्वेस्ट-मेन्ट लि0 और मै0 कृष्णरामा इन्डस्ट्रियल इन्वेस्टमेन्ट लि0 द्वारा भुगतान की गई राशि, अथवा उनके मामले में बचे गैर-आबंटित शेयरों के विवरण का कोई निश्चित प्रदाय नहीं मिलता । अत: जब तक तीसरे पक्ष के साक्ष्य के संदर्भ में संबद्ध पक्षों के दावों को जांच होने तक यह निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता कि उनको भुगतान की गई प्रतिदाय राशि सचमुच उनको देय थी ।

11•4 उपर्युक्त चर्चाओं को ध्यान में रखते हुए, अन्तिम रूप से संबद्ध मामले में यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि :

§1§ संबद्ध पक्ष अर्थात् श्री एन• कृष्ण मोहन, मैसर्स कन्ना इन्वेस्टमेन्टस लि0 तथा मै0 कृष्णा इंडस्ट्रियल लि0 द्वारा आवेदित शेयरों की संख्या और उन्हें आबंटित शेयरों की संख्या तथा शेष गैर-आबंटित उन शेयर, जिनकी राशि वापस की जानी हो, की संख्या में गड़बड़ी है ।

§11§ सब्जेक्ट राइट्स इश्यु में नई इक्विटी शेयरों हेतु सम्पुवर्तकों द्वारा उनके अंशदान के बारे में ज्ञात भुगतानों का कोई पक्का प्रमाण नहीं है ।

§111§ सम्पुवर्तकों द्वारा किये गए भुगतानों एवं देय प्रतिदाय राशि के संबंध में लेखा-परीक्षकों द्वारा दिये गये प्रमाण-पत्र पर प्रथम दृष्टया प्रश्न उठाया जा सकता है क्योंकि ये महज कम्पनी रिकार्डों पर आधारित है जिनकी बैंक रिकार्डों के संदर्भ में दुबारा जांच नहीं की गई ।

§1V§ यह ऋण मैसर्स जी·एस·ए·एल· कंपनी को दिया गया हो सकता है और न कि श्री एन·कृष्ण मोहन को, जैसा कि कंपनी के लेखे को देखने से भ्रम होता हैतथा संपृवर्तकों का अंशदान लेखा एक साथ रखा जा रहा है तथा उसे स्पष्टत: अलग नहीं रखा जा रहा है ।

§V§ कथित पक्षों को प्रतिदाय राशि वितरित करने के लिए कंपनी को लक्ष्य बनाने हेतु, वापसी आदेश लेखा में बाहरी धन जमा करने का अपर्याप्त प्रबन्ध किया गया, और

§VI§ किसी भी मामले में श्री एन·कृष्ण मोहन को कोई भी राशि देय नहीं थी क्योंकि आवेदन पत्र श्री के·एन·एन·गंटो के नाम पर था ।

इसलिए, अब तक की गई जांच से संपृर्वतकों से प्राप्त आवेदन राशि किया गया आबंटन और उन्हें देय राशि को अभिप्रमाणित करने के लिए कंपनी अधिनियम की धारा 209-क के अन्तर्गत कंपनी के अभिलेखों और लेखा पुस्तकों की जांच न्यायोचित ठहरती है ।